राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] चतुर्थ विधान सभा के पंचम् सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या 14

शुक्रवार

दिनांक 29 अगस्त, 1969

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सामान्य प्रशासन, विद्युत, विधि, कारागृह, उपनिवेशन, नियुक्ति, उद्योग, भेड़ व ऊन, भू.पू. सैनिक कल्याण विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री आईदानसिंह ।

जालोर जिले में अकाल और ऋणों की वसूली

447. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले में अकाल की विषम स्थिति के फलस्वरूप पंचायत समितियों के लोंग टर्म लोन्स की वसूली स्थगित की गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि अब लोन्स की वसूली का कार्य चालू कर दिया गया है और उस कार्य के अन्तर्गत काश्तकारों को चिट आफ डिमाण्ड जारी किये गये हैं ? उस डिमाण्ड के अनुसार नियमों के अन्तर्गत काश्तकारों को तहसील हैड क्वार्टर्स पर जाकर 15 दिन में रकम अदा करवानी होती है जिससे काश्तकारों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ता है और भारी संकट उत्पन्न हो गया है ?

(3) जालोर जिले में वर्षा के अभाव के कारण एक तरफ विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है और दूसरी तरफ इस प्रकार लोन की वसूली करना क्या सरकार उपयुक्त समझती है ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार लोन्स के वसूली करने को स्थगित करने का तुरन्त आदेश जारी करेगी ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां । संलग्न आदेश के अनुसार लोन की वसूलियां स्थगित की हुई हैं ।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) उक्त आदेश के अंतर्गत जिन लोन्स की वसूली की जानी है उनके लिये रिट आफ डिमाण्ड जारी किये गये, जिसके अनुसार काश्तकार 15 दिन की मियाद गुजर जाने पर रकम तहसील हैडक्वार्टर पर या पटवारी के पास जमा करा कर रसीद पेश कर सकते हैं। चूंकि पटवारी के पास भी डिमाण्ड भेजे जा चुके हैं, इसलिये काश्तकारों को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता।

(3) वसूलियां नियमानुसार ही स्थगित की जा सकती हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री आईदानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि रिट डिमाण्ड नोटिस देने के पहिले पंचायत समिति का कोई लोन वसूल नहीं हुआ है ?

श्री गंगाराम चौधरी : पंचायत समिति का जो लोन है, वह वसूल ही तब होता है जब पंचायत समिति अपनी डिमाण्ड्स तहसील को भेजती है और उसी के अनुसार रिट ऑफ डिमाण्ड जारी होती है।

श्री आईदानसिंह : प्रश्न तो यह है कि नोटिस देने के पहिले किसी भी पटवारी ने एक पैसा वसूल नहीं किया। क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : विस्तृत जानकारी नहीं है। रिट ऑफ डिमाण्ड के बाद वसूल होना चाहिये।

श्री आईदानसिंह : मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि रिट आफ डिमाण्ड इश्यू होने से पहले एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया है। तहसील से एकदम नोटिस जारी हो गये और यह अन्डरस्टैंडिग दे दी कि अब यह पैसा जमा करना पड़ेगा। एक पैसा पहले वसूल नहीं किया है। पहले अकाल था, फिर अकाल पड़ गया तो काश्तकारों को दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलों से यह डिमाण्ड नोटिस विदड्रा किये जायं क्योंकि जालौर में इस वर्ष भी अच्छी वर्षा नहीं हुई है। इसके लिए जालौर जिला आपका कृतज्ञ होगा।

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इस प्रकार की एग्रीकल्चर लोन की वसूली काश्तकारों से की जा सकती है और इस प्रकार के लोन की वसूली सस्पेन्डेड रहेगी। उस निर्णय के बाद तहसील लेविल पर, पंचायत समिति लेविल पर वसूली की कार्यवाही आरम्भ हो गयी। यह हो सकता है कि थोड़े समय में ही रिट ऑफ डिमाण्ड उनके पास आये हों और काश्तकारों को रकम जमा करानी पड़ी हो। मैं केवल यह कह सकता हूं कि सरकार की मंशा के अनुसार ही वसूलियां स्थगित की जा सकती हैं और अन्य वसूलियां स्थगित नहीं की जा सकतीं।

श्री आईदानसिंह : किसी भी पटवारी ने एक भी रसीद नहीं काटी है। कोई भी पटवारी एक भी रसीद नहीं काटे तो काश्तकार की क्या हालत होगी, यह आप सोच सकते हैं। काश्तकारों को सात-सात मील से तहसील में आना पड़ेगा। रेल और मोटर का कोई साधन उनके पास नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : पटवारी के पास भी रकम जमा करायी जा सकती है और पटवारी को रसीद देनी चाहिए। इसमें कोई कठिनाई हो तो आवश्यक निर्देश दे दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री विजयसिंह !

मन्त्रियों द्वारा दिल्ली आदि के दौरे

448. **श्री विजयसिंह (मकराना) :** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

दिनांक 17-5-69 को कौन-कौन मंत्री देहली व दूसरी जगह राजस्थान से बाहर गये और कितने दिनों के बाद लौटकर वापिस आये। ये राजस्थान से बाहर सरकारी कारों पर गये या हवाई जहाज द्वारा ? इन दिनों का टी. ए.,-डी. ए. उन्होंने कितना-कितना वसूल किया ?

उपमन्त्री, सामान्य प्रशासन विभाग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या यह सही है कि श्री मुल्कराज थिंद पंजाब के दौरे पर बहुत दफे गये हैं और दिल्ली भी गये हैं हवाई जहाज से ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी उत्तर ही नहीं दिया गया है, उत्तर देने दीजिये ?

एक माननीय सदस्य : उत्तर दे दिया गया है, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री विजयसिंह : यह जो सूचना आपने रखी है, उसके अन्दर मन्त्रियों के अलग-अलग नाम बताये गये हैं, टी. ए., डी. ए. भी अलग-अलग दिखाया है जैसे श्री नारायणसिंह जी के 62, श्री भीखाभाई 62, श्री अमृतलाल यादव के 291 और हवाई जहाज से··· यह क्या आपने हवाई जहाज का फेयर देना तय कर दिया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हाँ।

श्री विजयसिंह : यह कब से हुआ है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह पहले से ही है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि ये जितने भी मिनिस्टर गये थे वे वहाँ किसी सैन्टर के मिनिस्टर के लड़के की शादी में गये थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं। सरकारी कार्य से गये थे।

श्री विजयसिंह : क्या कार्य था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न केवल यह था और उसमें स्पेसिफिक कार्य की सूचना नहीं दी गई थी। यह टी. ए., डी. ए. से सूचना एकत्रित की है और जिसके अनुसार सरकारी कार्य से सब दिल्ली गये थे।

श्री विजयसिंह : इसी पर्टीकुलर डेट को ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह स्पष्ट नहीं पूछा है कि किस सरकारी कार्य से गये थे ?

श्री विजयसिंह : यह पूछता तो आप छिपाने की कोशिश करते इसलिए इस तरह पूछा है कि कौन कौन इस तारीख को दिल्ली गये थे ?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बड़ा कार्य था ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल जयपुर) : क्या 17-5-69 को राजस्थान के मन्त्रिमण्डल की दिल्ली में मिटिंग थी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जैसा माननीय प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न पूछा है कि कौन कौन बाहर गया था और उनने टी. ए., डी.ए. लिया क्या ? इसका उत्तर दे दिया गया है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कौन कौन मन्त्री दिल्ली गये थे, यह समझना स्वाभाविक है परन्तु किस प्रयोजन से वे गये थे ? क्या राजस्थान के मन्त्रिमण्डल की दिल्ली में मीटिंग थी ? यह तो कम से कम मन्त्रिमण्डल को मालूम होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : राजस्थान के मिनिस्टर जो भी वहां जायें उनसे यह अपेक्षा की जाती है जो टी.ए.,डी. ए. लेते हैं वे सरकारी काम को सामने रखते हुए भी वहां जाते हैं । अब प्रश्न यह पूछा गया कि कौन कौन मन्त्री दिल्ली गये थे इसकी जानकारी टी. ए. बिल्स से सरकार ने एकत्रित कर दी है, ऑफिशियली यह नहीं है उनसे व्यक्तिगत तौर पर जानना होगा कौन कौन वहां गये और कितने दिन में लौटकर आये इसकी जानकारी जो प्रश्न में पूछी गयी है, वह दे दी गई है ।

श्री विजयसिंह : यह जानना चाहूंगा कि हवाई जहाज का किराया दिल्ली का 70 रुपया है, फिर यह दो सौ एक रुपया क्यों है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : टी. ए., डी. ए. भी इसमें इन्क्लूड है । आने जाने का किराया है और वहां का जो डेली अलाउन्स है, वह इसमें इन्क्लूड है ।

श्री विजयसिंह : इस तारीख को मुख्य मन्त्री भी दिल्ली में मौजूद थे, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं दिया है । इसकी जानकारी मेरे पास है । अखबार की कटिंग्स भी चाहें तो पेश कर सकता हूं । मैंने अखबारों में पढ़ा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 17-5-69 को कौन कौन दिल्ली गये थे, यह प्रश्न में पूछा है । हो सकता है कि मैं 17-5 के पहले ही दिल्ली चला गया हूंगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो मन्त्री हवाई जहाज से दिल्ली गये वे गाड़ियां खाली यहां से ले गये, क्या यह सही है ।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुलकराज थिद कई दफा पंजाब का दौरा करते हैं । वे किस कार्य से वहां गये और क्या पंजाब का उन्होंने टी. ए., डी. ए. उठाया है ।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह गंभीर मामला है । इस तरह से जनता के धन का दुरुपयोग किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रश्न पूछा गया है, यह उससे अलग है ?

श्री रामचन्द्र आर्य: पचासों दफे पंजाब गये हैं। यही नहीं यहां से हवाई जहाज से गये और गाड़ी खाली गयी। वहां से भी हवाई जहाज से आये और गाड़ी खाली आयी। इनका टूर प्रोग्राम मेरे हाथ में है। इसका आप चाहें तो निरीक्षण कर सकते हैं। यह गंभीर मामला है उपाध्यक्ष महोदय, आप इसकी इन्क्वारी करावें। पंजाब में बार बार ये क्यों जाते हैं, क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष: अलग से प्रश्न।

श्री मोहनलाल मोदी!

नीम का थाना में बिजली के करेन्ट से मृत्यु

449. श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीम का थाना में तारीख 10-7-69 की रात को बिजली का तार खम्भे के ज्वॉइन्ट में से निकल कर गिर जाने से माला पुत्र रसूल बक्ष धोबी की मृत्यु बिजली के करेन्ट लगने से तुरन्त घटनास्थल पर हो गई? यदि हां, तो इसके लिये कौन कौन अधिकारीगण जुम्मेदार हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि मरने वाले व्यक्ति के परिवार को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों नहीं दिया गया और सरकार कब तक देने का इरादा रखती है?

(3) क्या यह सही है कि यह दुर्घटना माला के अपने घर में जाते हुए दरवाजे पर घटित हुई? यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज होकर क्या कार्यवाही हुई?

उप मन्त्री, विद्युत (श्री खेतसिंह): दिनांक 10-7-69 को नहीं बल्कि दिनांक 11-7-69 को रात्रि के करीब 8 व 9 बजे के दरमियान नीम का थाना में एल० टी० लाईन का एक तार तेज वर्षा की हवा के दबाव के कारण टूट कर श्री महाबक्ष निवासी नीम का थाना के मकान के अहाते के बाहर लकड़ी के दरवाजे पर गिर गया जिसके फलस्वरूप बिजली बन्द हो गई तथा अन्धेरा हो गया। श्री मालीराम जो कि उस अहाते में सड़क की ओर से प्रवेश कर रहा था सम्भवतया तार के छू जाने से घटना स्थल पर ही मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण उसकी मृत्यु के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह बिजली छू जाने से हुई है अथवा अन्य कारणों से। आन्धी तूफान तथा अतिवृष्टि इत्यादि प्रकृति प्रदत्त प्रकोप से हुई घटनाएं जो मनुष्य के नियन्त्रण से परे हैं के लिये किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(2) जी हां, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) यह दुर्घटना माला के घर के सामने लकड़ी के फाटक पर घटित हुई। पुलिस घटना स्थल पर तुरन्त पहुंच गई थी।

श्री मोहनलाल मोदी: पुलिस ने जांच की उसकी क्या रिपोर्ट आयी है?

Page No 6

श्री खेतसिंह : यह पुलिस विभाग से पूछते तो ज्यादा अच्छा रहता। पुलिस उसी वक्त आ गई थी और पुलिस ने कार्यवाही की।

श्री मोहनलाल मोदी : पुलिस ने इसमें कार्यवाही की है और इसकी पूरी जांच की है। वहां के ए. इ. एन. की गल्ती से तार जो है बिजली के खम्भे के अन्दर से निकल कर घर के सामने आ गिरा। उसके घर में एन्टर होते ही उसके तार के छू जाने से उसकी गर्दन उसमें फंस गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर मुआवजा न दिया जाना क्या न्यायसंगत है, क्या आप इस तरह के एक्सीडेन्ट पर स्पेशल प्रावधान नहीं रखते ?

श्री खेतसिंह : मानवीय दृष्टि से आपकी बात सही है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि किसी सिविलियन की तार छू जाने से मृत्यु हो जाने पर उसको मुआवजा दिया जाय। अगर उसकी मृत्यु पर सिविल स्यूट दायर करके अदालत द्वारा यदि आदेश हो जायं मुआवजा देने के तो बोर्ड को देना होगा।

श्री मोहनलाल मोदी : विद्युत अधिकारियों की गलती से यह मृत्यु हुई है आन्धी या तूफान से नहीं हुई। वह तार उसके घर के सामने गिर पड़ा था उससे वह उलझ गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सब अधिकारियों की लापरवाही से हुआ ? क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री खेतसिंह : इतना जोर आप दे रहे हैं, जांच मैं करवाऊंगा और उसमें आपका सहयोग भी प्राप्त करूंगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह बिजली के झटके कब तक मिलते रहेंगे।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): बोर्ड को अधिकार नहीं है क्या कि वह जांच करके कुछ मुआवजा देने की सिफारिश करे। आप कहते हैं कि सिविल कोर्ट में मामला दायर कर दो आपको पता होगा सिविल कोर्ट्स में कितना रुपया खराब होता है ? आप सिफारिश इस बात की करें गलती से नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाय।

श्री खेतसिंह : इस बात की जांच करा लूंगा विभाग की गलती है तो उसको पनिशमेन्ट दिया जायगा।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूंबर) : जिस अधिकारी की गलती से यह दुर्घटना हुई क्या आप उस अधिकारी से मुआवजा दिलवायेंगे ?

श्री खेतसिंह : इस स्टेज पर मैं यह कैसे कह सकता हूं कि यह किसी अधिकारी की गलती है। अगर अधिकारी की गल्ती साबित हो जाय तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। मुआवजे का जहां तक सवाल है अलग से दावा करके प्राप्त कर सकता है।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या पुलिस ने जो जांच की है उसमें यह है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की गलती से यह हुआ है तो क्या आप इस जांच को फिर से करवाने के लिये तैयार हैं ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया यदि जांच ठीक नहीं हुई है तो उसको फिर से

Page No 7

(श्री खेतसिंह)
करवा सकता हूं उसमें आपका भी सहयोग लूंगा ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आबादी के पास में होते हुए जो बिजली के तार जाते हैं, तूफान और हवा के कारण कई दफा ऐसा होता है कि वे तार नीचे गिर जाते हैं इस तरह के तार गिर जाने से हमारे क्षेत्र में दो गांवों के खलिहान तक बरबाद हो गये । इस प्रकार की दो बार घटना हो चुकी है । बिजली अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाय कि जहां भी वस्ती में होकर बिजली के तार निकाले जायं वहां वे कवर्ड रखे जायं ताकि तूफान से भी वे गिर न सकें ।

श्री खेतसिंह : यह आपका सुझाव है मैं इसको विभाग के पास भेजूंगा कि यह संभव है या नहीं । यदि संभव होगा तो जरूर किया जायगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : डिपार्टमेन्ट की लापरवाही से किसी की जान चली जाय तो क्या उस विभाग से या सरकार से यह मुआवजा भुगतान करवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब आ चुका है ।

श्री मदनसिंह : लापरवाही इतनी हद तक हो चुकी है कि कुओं में काम करने के लिये उतरते हैं वहां भी करेन्ट आ जाता है । गांव के आदमी बेचारे जानकार नहीं होते इसलिये में निवेदन करना चाहूंगा कि आप आम तौर पर यह हिदायत करें कि कर्मचारी इस तरह से बिजली के तार लगावें जिससे पानी शोट नहीं मारे और किसी प्रकार का खतरा न रहे ।

श्री खेतसिंह : यह सुझाव है इस पर विचार करेंगे ।

श्री मोहनलाल मोदी : कवर्ड वायर्स के होने से क्या दिक्कत है ...

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट आर्डर, आर्डर ।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं एक बात जानना चाहता हूं आप जांच करायेंगे उससे पहले क्या वहां ए. इ. एन. को सस्पेण्ड करके जांच करायेंगे ?

श्री खेतसिंह : यों तो यह मामला पुराना हो गया है सस्पेण्ड करना उचित नहीं होगा । जांच करा लेंगे उसमें आपका सहयोग प्राप्त किया जायगा साबित होने के बाद एक्शन लिया जायगा ।

श्री मोहनलाल मोदी : वे वहीं रहेंगे तो जांच सही नहीं हो पायेगी । जिस अधिकारी की गलती से यह हुआ अगर वह वहां रहता है तो उसके सामने सही जांच नहीं हो पायगी अतः पहले सस्पेण्ड किया जाकर जांच कराना आवश्यक है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : एक आदमी की जान चली गई आप उस अधिकारी को सस्पेण्ड नहीं करना चाहते ?

श्री उपाध्यक्ष : जान गई यह बड़ा दुःख है । नेक्स्ट श्री लाभचन्द ।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष जी, यह पहला केस नहीं है यह चौथा केस है ।

Page No 8

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री लाभचन्द वैद ।

चूरू में निःशुल्क आवंटित भूमि

450. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा चूरू में भरतीया अस्पताल की सड़क पर कोई भूमि कन्या माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु किसी व्यक्ति को निःशुल्क आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कब और किस व्यक्ति को तथा किस विभाग की आज्ञा से कितनी भूमि आवंटित की गई है ? भूमि का नक्शा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) आवंटन आदेश व पार्टी के साथ किये गये एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह आवंटन आदेश कर्त्ता की क्षमता से बाहर नहीं था ?

(4) क्या आवंटन आदेश जारी करने के पूर्व स्थानीय नगरपालिका की राय ली गई थी ? यदि हां, तो नगरपालिका की सिफारिश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या पार्टी द्वारा दिये जाने वाले खर्च से भूमि का मूल्य कई गुणा अधिक नहीं है ?

(6) क्या यह सही है कि पार्टी द्वारा चाही गई भूमि से अधिक भूमि की स्वीकृति दी गई है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां । मई 1968 में 13.384 वर्ग गज भूमि जिलाधीश, चूरू द्वारा निःशुल्क श्री कन्हैयालाल पुत्र जुहारमल पारख को आवंटित की गई थी । नक्शा संलग्न है ।

(2) आवंटन आदेश एवं पार्टी के साथ किये गये एग्रीमेन्ट की प्रति संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां, प्रतिलिपि संलग्न है ।

(6) जी हां ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह भूमि म्युनिसिपल एरिया में वार्ड नं० 18 में स्थित है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसका कुछ भाग म्यूनिसिपल एरिया में है लगभग पांच हजार वर्ग गज । शेष भाग राजस्व भूमि में है ।

श्री लाभचन्द वैद : एग्रीमेंट के अनुसार पार्टी को कितना रुपया इस पर लगाना है ? राजकीय एप्रूव्ड नक्शे के मुताबिक भवन बनाना है तो क्या नक्शा एग्रीमेन्ट में सम्मिलित किया गया था ? इमारत का नक्शा ?

श्री गंगाराम चौधरी : बाद में शिक्षा विभाग के द्वारा एप्रूव्ड नक्शा लिया गया और उसके अनुसार भवन का निर्माण चालू है ।

Page No 9

श्री लाभचन्द वैद : कलेक्टर कितनी भूमि निःशुल्क दे सकता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अलग अलग सार्वजनिक कामों के लिये अलग अलग निर्धारित है ?

श्री लाभचन्द वैद : इस कार्य के लिये कितनी निर्धारित थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : पांच एकड़ दे सकता था। इसमें 48 बिस्वा के करीब है।

श्री लाभचन्द वैद : क्या एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था कि यह कलेक्टर के अधिकार में नहीं है देना ?

श्री गंगाराम चौधरी : नगरपालिका से राय प्राप्त हुई थी। यह कहा गया था कि इस भूमि के आवंटन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी होगी। जिलाधीश ने राज्य सरकार की इजाजत प्राप्त कर ली थी।

श्री लाभचन्द वैद , कब कर ली थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : डेट तो मेरे पास नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : इस भूमि की वहां पर क्या कीमत है ? म्युनिसिपैलिटी द्वारा या टाउन प्लानिंग द्वारा निर्धारित ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि वह भूमि निःशुल्क दी गई थी।

श्री लाभचन्द वैद : यह प्रश्न स्पष्ट था ?

श्री गंगाराम चौधरी : जानकारी करना आवश्यक नहीं था।

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह सही है कि यह भूमि दो लाख से कम की नहीं है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री लाभचन्द वैद : पार्टी ने जो एग्रीमेन्ट किया उसमें यह शर्त रखी है कि चालीस हजार लगावेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : एग्रीमेन्ट की प्रति मैंने सदन की मेज पर रख दी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण !

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : पार्टी द्वारा चाही गई भूमि से अधिक देने का क्या कारण है ?

श्री गंगाराम चौधरी : शिक्षा विभाग से राय ली गई थी उसके अनुसार जो भूमि पार्टी ने मांगी थी कम पड़ रही थी। इसलिये जितनी आवश्यक थी दी गई।

श्री लाभचन्द वैद : इस एग्रीमेन्ट में तो यह भी नहीं लिखा गया कि पार्टी के द्वारा कितना रुपया लगाया जावेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसका उत्तर मैंने दे दिया है।

श्री लाभचन्द वैद : क्या उसमें एक शर्त यह थी कि दो साल में भूमि पर निर्माण पूरा करना था ?

श्री गंगाराम चौधरी : काम चालू है। और दो साल में पूरा हो जावेगा ऐसी उम्मीद है।

श्री लाभचन्द वैद : बनाने में तो एक कमरा भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। जब आपने दो ढाई लाख की जमीन दी है तो यह तो चाहा होगा कि इतना निर्माण पार्टी को करना होगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : माध्यमिक शाला के लिये शिक्षा विभाग से राय लेकर शिक्षा विभाग के ही एग्रीमेन्ट के अनुसार जमीन दी गई थी। अब जो भवन बनेगा वह भी और जमीन भी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रहेंगे। केवल निर्माण कार्य के लिये पार्टी से एग्रीमेन्ट किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न सं. 451

श्री देवीदत्त गाडिया : (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

मुआवजे के मामले में वकीलों की नियुक्ति

452. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में मुआवजे के कुल कितने मुकद्मे रेफरेन्स की अदालत में तय हुए ?

(2) इस प्रकार के मुकद्मों की पैरवी के लिये राज्य सरकार की ओर से क्या व्यवस्था है और किस आधार पर की जाती है ?

(3) गत 5 वर्षों में मुकद्मों की पैरवी पर राज्य सरकार को कितना रुपया व्यय करना पड़ा और किस किस वकील को कितना कितना रुपया दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उपमन्त्री, विधि विभाग (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) राज्य के 24 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत 5 वर्षों में कुल 309 मुकद्मों में न्यायालयों से रेफरेन्स तय हुए हैं। (जिला अलवर व भरतपुर से विवरण उपलब्ध नहीं हो सके हैं)।

(2) साधारणतया जिलाधीशों द्वारा ऐसे मुकद्मों की पैरवी के लिये स्थानीय अभिभाषकों की वैधानिक शुल्क पर अथवा वाद की समाप्ति पर विधि परामर्शी द्वारा निर्धारित शुल्क पर नियुक्ति की जाती है एवं विधि विभाग द्वारा ऐसी नियुक्ति की पुष्टि की जाती है।

(3) विगत 5 वर्षों में राज्य के सम्पूर्ण माल व दीवानी मुकद्मों की पैरवी के व्यय का सम्पूर्ण योग रुपया 9-43-777) 91 हैं। इसमें भूमि अवाप्ति के मुकद्मों पर किया हुआ अभिभाषक व्यय भी शामिल है। अधिनियम वाइज कोई विवरण अलग से नहीं रखा जाता। इस प्रकार के चन्द मुकद्मों में अभिभाषकों को शुल्क अदा किया गया जिसका विवरण उपलब्ध हो सका है। उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने मुकदमें 309 बताये और पैरवी की लिस्ट में 9 दिये हैं। तो क्या 300 मुकद्मों में कोई नियुक्ति नहीं की गई ?

Page No 11

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने लिस्ट में विवरण दे दिया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या 309 में से केवल 9 का ही विवरण उपलब्ध हुआ है ? राज्य सरकार की मशीनरी क्या करती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : लैंड एक्वीजिशन का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता। रेवेन्यू केसेज के साथ रखा जाता है। जितने अलग से उपलब्ध हो सके बता दिये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा तो उत्तर स्पष्ट है।

फिर मेरा किसी पर व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं है। यहां तो वही कहावत चरितार्थ हुई है कि आधे में देवी देवता और आधे में खेतरपाल। इसमें से एक को तो 17 हजार का महनताना दिया गया दूसरे को 10 हजार और बाकी में सारे आ गये। तो आप यह बताने की कृपा करें कि जो मेहनताने का रुपया खर्च किया गया है इस रकम में मुआवजे की रकम कितनी दी है ?

अब एक हजार अगर किसी को मुआवजा देना है और दस हजार क्लेम कर दिया तो 9 हजार के लिये रेफरेन्स में एक हजार तो कीमत आती है, दो तीन हजार महनताना का चला जाता है तो इस तरह से राज्य सरकार को तो पांच हजार पड़ जाता है और गरीब के नाम पर अलाट करने का सवाल आता है तो यह सारा खर्चा मिला कर उसको दस बीस रुपया गंज पड़ जाता है। अगर प्राइवेट लोग ही सेल करें तो इससे सस्ती दे सकेंगे। राज्य सरकार ने कभी इस ओर विचार करने की कोशिश की ही नहीं ऐसा लगता है। और प्रश्न पूछते हैं तो जवाब में कहते हैं कि हमारे पास डिटेल्स नहीं हैं। आखिरकार सरकार की क्या नीति है इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए मुख्य मन्त्री महोदय यह राजस्थान का खजाना लुट रहा है आप थोड़ा प्रकाश डालिये, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एक हजार रुपये की जमीन अवाप्त करते हैं और 10 हजार रुपये का मेहनताना दे देते हैं तो फिर गरीबों को जमीन किस भाव से देंगे ? इस पर कोई विचार करने की कोशिश तो करे मन्त्रिमण्डल। आखिर आपकी पालिसी क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या यह सच है कि भूमि अवाप्ति के मामले में कलेक्टर लोग सतर्क नहीं रहते उसके कारण से बड़ा भारी मुआवजा देना पड़ता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां तक फीस का सवाल है वह तो वैल्युएशन के आधार पर दी जाती है लेकिन जमीन कम की और फीस उससे ज्यादा हो जाती है तो यह नीति का प्रश्न है और इस पर सोचने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन फीस तो रूल्स के अनुसार ही दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिन मामलों में अपोजिट पार्टी अपीलेट कोर्ट में जाना चाहती है जितने रुपये का दावा करती है उसी हिसाब से सरकारी वकील को फीस दी जाती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : फीस के रूल्स बने हुए हैं और वैल्यूएशन के आधार पर ही फीस दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो उदाहरण के रूप कह रहा हूं कि किसी आदमी ने मुआवजे की अपील दी कि उनको मुआवजे का 1 लाख रुपया मिलना चाहिए और कलेक्टर या अपीलेट कोर्ट ने 10 हजार रुपये का फैसला दिया तो सरकारी वकील को क्या 90 हजार बचते हैं उस आधार पर भी फीस दी जाती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : नियम तो यही हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए मैं कहना चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार करें कि किसी जमीन के बारे में किसी ने 5 हजार रुपये का अवार्ड दे दिया और दूसरी पार्टी कहती है कि 1 लाख रुपया मिलना चाहिए तो 5 हजार को ज्यादा से ज्यादा कोई अगर डेवलप करेगा तो 10 हजार दे देगा लेकिन सरकारी वकील को 90 हजार पर फीस मिलती है तो यह फालतू खर्चा है और इसको बन्द करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं समझता हूं कि जो प्रश्न उठाया गया है वह दरअसल विचारणीय है और उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े गैप का एडवान्टेज उनको मिल जायेगा जो कि नहीं मिलना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं वैसे किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन एक केस में एक पार्टी ने 90 लाख रुपये का रेफरेन्स किया है कि मुझे 90 लाख मिलने चाहिए और उसको एक लाख मिला तो सरकारी वकील को 89 लाख रुपये का मेहनताना देंगे जब कि वह बिलकुल फाल्स केस है, फ्रिवोलस है। वह चाहे जितना वैल्युएशन कर सकते हैं और इस पर रूल्स बना रखे हैं। जितना क्लेम रिजेक्ट हुआ है वह तो फ्रिवोलस है। इसकी फीस आप 40 हजार दे देंगे जब कि मुआवजे का कुल ही एक लाख रुपया मिलने वाला है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : इसके अलावा यह भी कोई नीति नहीं है कि यदि केस कोई फ्रिवोलस है तो उसके लिए क्या एक्शन होगा। जमीन जो आपने अवाप्त की उसकी कीमत तो आप 10 हजार रुपये दे रहे हैं और उसका मेहनताना 50 हजार रुपया दे रहे हैं तो यह खजाना आखिर खाली ही होगा। इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट !

प्रश्न संख्या 453

श्री महेन्द्र सिंह हाडा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत इम्पोरटेन्ट है इसलिए इसका उत्तर दिला दिया जाये। इस आदमी की जेल में ही मृत्यु भी हो गयी।

कत्ल के केस में कैद व्यक्ति

454. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल-बाजार, जयपुर) (श्री रामानन्द अग्रवाल,

Page No 13

(श्री भैरोंसिंह)
अलवर के स्थान पर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मानसिंह पुत्र उजागरसिंह जाति सिख, निवासी ग्राम नूर नगर तहसील किशनगढ़, जिला अलवर केन्द्रीय कारागृह जयपुर में एक कत्ल के केस में कैद है ? यदि हां, तो इसको कितने वर्ष की सजा हुई थी और वह कितनी सजा भुगत चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कैदी को दुर्गापुरा फार्म में खुले कैदी के रूप में अपने परिवार सहित रहने की इजाजत दी गई थी और फार्म पर काम करने के लिये उसे 60) रु० मासिक वेतन दिया जाता था ? यदि, हां, तो इस प्रकार खुले कैदी के रूप में उसे कब से कब तक रखा गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कैदी को वापिस जेल में भेज दिया गया है यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कैदी ने कारागृह मंत्री से जेल अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें की थीं जिस पर उसके बयान भी श्री मथुरादास माथुर, संबन्धी मंत्री ने ले लिए थे ? यदि हां, तो यह शिकायतें क्या थीं और उसके संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त शिकायत के बाद उक्त कैदी को कोई रेमीशन नहीं दिया गया है और उसको काल कोठरी में डाला हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त कैदी को अक्टूबर, 1968 से तनख्वाह भी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मन्त्री कारागृह (श्री खेतसिंह): (1) जी हां, इस बन्दी को 14-6-60 से आजीवन कारावास की सजा मिली। बन्दी दिनांक 18-8-69 की शाम को जेल अस्पताल में मृत्यु को प्राप्त हुआ।

(2) बन्दी खुले शिविरों में इस प्रकार रहा:—

(1) खुला शिविर दुर्गापुरा 22-7-66 से 22-3-68

(2) खुला शिविर सांगानेर 2-4-68 से 20-5-68 तक। फार्म पर काम करने पर इन्हें 2 रु० रोज की मजदूरी मिलती थी न कि 60 रु० माहवार की तनख्वाह।

(3) जैसा कि प्रश्न 2 के उत्तर से साफ है कि बन्दी को खुले शिविर में काम करने का कई बार मौका दिया गया परन्तु हर बार उसका चलन खुले शिविर के बंदी के अनुरूप नहीं रहा और वापिस बन्दीगृह में भेजा गया।

(4) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(5) नियमानुसार बन्दी को रेमीशन भी दिये गये और नियम विरुद्ध कार्यवाही करने पर जेल नियमों के आधार पर रेमीशन में कटौती भी की गई। इनकी अनियमित कार्यवाहियों से एवं अभद्र व्यवहार से इन्हें जब अन्य बन्दियों के साथ बैरक में रखना सम्भव नहीं रहा तो इन्हें अलग कोठरी में भी रखा गया।

(श्री खेत सिंह)

(6) प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि बंदी अक्टूबर, 1968 से फार्म पर कार्य ही नहीं करता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय कैदी काल कोठरी में बन्द किया गया उस समय इसके बेड़ियां भी डाली गई?

श्री खेतसिंह : दोनों सजायें एक साथ में नहीं दी गई थीं। जिस समय में कोठरी में बन्द था उस समय बेड़िया नहीं डाली थी और जब बेड़ियां डाली तो कोठरी में बन्द नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाये कि जिस समय कोठरी में था उस समय बेड़ियां नहीं थी ?

श्री खेतसिंह : जी हां, माना क्या जाये हकीकत यही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय काल कोठरी में बन्द किया गया उस समय अस्वस्थ था और लगातार उसको दवाई दी जाती थी ?

श्री खेतसिंह : यह आपका कयास सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह हॉस्पीटल से सीधे ही जेल लेजा कर इसको कोठरी में बन्द किया गया था ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास उपलब्ध इत्तला है इसके अनुसार निवेदन करता कि हूं जिस समय सवाई मानसिंह हॉस्पीटल से कि इसे वापिस लाया गया तो जेल के डॉक्टर ने यह कहा कि इसकी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं है इसलिए जेल अस्पताल में भरती किया गया और वहां पर उसकी पूरी सेवा की गयी, प्रेस्काईब्ड डाइट दी गई और उसके बाबजूद भी मृत्यु को आप जानते हैं किस के भरोसे है ?

श्री भैरोंसिंह : वह तो आपको भी नहीं छोड़ेगी मैं मानता हूं। आप कह रहे हैं कि सवाई मानसिह हॉस्पीटल से आने के बाद वह जेल अस्पताल में रहा-क्या यह सही है कि सवाई मानसिह हॉस्पीटल में वह दो बार ले जाया गया और आप कह रहे हैं कि सवाई मानसिह हॉस्पीटल से इसको सीधे ही जेल के अस्पताल में रखा तो उसके पहले जब वह सवाई मानसिंह हॉस्पीटल से निकला था तो उसको सीधा काल कोठरी में बन्द किया गया ?

श्री खेतसिंह : यदि आपके पास तारीख है तो बता दें ताकि मैं आपको निवेदन कर दूं.........

श्री भैरोंसिंह : उप-मन्त्री की तनख्वाह मुझे नहीं मिलती आपको मिलती है।

श्री खेतसिंह : इत्तला तो आपके पास भी काफी है फिर भी मेरे पास जो इत्तला है उसके अनुसार निवेदन करूं कि वह दो बार सवाई मानसिंह हॉस्पीटल में ले जाया गया और दोनों बार सवाई मानसिह हॉस्पीटल से वापिस आया तो एक दफा तो ठीक होकर आया था इसलिए जेल अस्पताल में भरती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और दूसरी बार उसकी हालत ठीक नहीं थी इसलिए उसको जेल अस्पताल में भरती किया गया।

Page No 15

श्री भैरोंसिंह : जिस समय पहली बार सवाई मानसिंह अस्पताल से रिलीव होकर आया उस समय से लेकर दूसरी बार जब सवाई मानसिंह अस्पताल में गया तो उस बीच में कितने दिन काल कोठरी में रहा ?

श्री खेतसिंह : यह तारीख अभी मेरे पास नहीं है कि कितने दिन काल कोठरी में रहा।

श्री भैरोंसिंह : यह तो कह सकते हैं कि उस समय से लेकर जिस समय दुबारा गया इस बीच में वह काल कोठरी में रहा ?

श्री खेतसिंह : एक दफा वह जरूर उस काल कोठरी में रहा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उसका काल कोठरी में जेल के डॉक्टर ने इलाज किया था ?

श्री खेतसिंह : अब यह इत्तला आपके पास है। मेरे पास है इसके अनुसार यह है कि काल कोठरी में वह स्वस्थ हालत में रखा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि दुबारा उसको काल कोठरी से ही सीधे सवाई मानसिंह हॉस्पीटल ले जाया गया था ?

श्री खेतसिंह : हां, यह सही है कि काल कोठरी से ही अस्पताल ले जाया गया।

श्री भैरोंसिंह : यह भी सही है कि वह काल कोठरी में बीमार था ?

श्री खेतसिंह : बीमार होने के कारण ही उसको अस्पताल ले जाया गया था।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बीमार लगातार 6 महीने से बीमार था उसको अस्पताल में ले गये। मैंने खुद देखा है हॉस्पीटल में जाकर। उसकी हालत उस समय खराब थी। हॉस्पीटल में उसने जेल अधिकारियों से कहा कि मेरी तबियत ठीक नहीं है। फिर उसको जेल के अस्पताल में रखा जाता पर उसके स्थान पर उसको काल कोठरी में बन्द किया गया और बेड़ियां लगाई गईं। इसकी शिकायत उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को की, गवर्नर महोदय को की, मन्त्री महोदय को टेलीफोन से सूचना दी है कि बीमार को काल कोठरी में डाला गया है, रेमीशन के बारे में झगड़े हुये, उसको दुर्गापुरा फार्म पर भेजा गया तो उसको पैसे नहीं दिये गये—घर वालों ने उसके पैसे दिये। जब दुर्गापुरा से वापिस लाया गया तब उसका इलाज नहीं किया गया उस समय वह बीमार था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जांच की है तो उसमें किन किन अधिकारियों को दोषी पाया गया ?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य ने इत्तला दी है—बढ़ा चढ़ा कर सूचना दी है। जेल की काल कोठरी में इसको रखा गया है। पहले इसको आजीवन कारावास दिया गया इसके बावजूद भी ओपन शिविर में रखा गया, चौकीदार को निगरानी के लिये रखा गया उसके साथ मारपीट की, इनके पास तलवार थी तो चौकीदार से कहा गया कि मैं तुम्हें तलवार से मार दूंगा। फिर वापिस जेल में रखा गया। जेल में रहने के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया इसके फलस्वरूप इलाज के लिये सवाई मानसिंह अस्पताल भेजा गया। उसके बाद भी नहीं माने और अपने एक साथी कैदी को जूतों से

(श्री खेतसिंह)
मारा इसलिये इनको फिर काल कोठरी में रखा गया, वहां बीमार हो गये फिर इनको बाहर निकाला गया और सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉ० मेहता ने एग्जामिन करके कहा बिल्कुल तन्दुरुस्त है—वापिस लाया गया। वापिस आने पर इन्होंने कहा मेरी सेहत ठीक नहीं है इसलिए इनको जेल में रखा गया......

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस कैदी ने निरन्तर 40 दिन की भूख हड़ताल की ?

श्री खेतसिंह : भूख हड़ताल तो वहां सामान्य बात है। भूख हड़ताल तो इन्होंने 4 बार की 23-3-61 को फिर 68 में की, 69 में की। भूख हड़ताल तो कोई नई चीज नहीं है। रोजाना किया करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जब सूचना दी जाती है और वे इसकी जांच करते हैं तो क्या नियमानुसार जांच की गई है ?

श्री खेतसिंह : इसकी सूचना नियमानुसार दी थी।

श्री भैरोंसिंह : नियमानुसार जांच हुई क्या ?

श्री खेतसिंह : इतना नहीं कह सकता हूं। लेकिन आखिरी जो रिपोर्ट पेश हुई है वह कलेक्टर ने ऐडीशनल कलेक्टर को मुकर्रर किया था पोस्ट मारटम करवाया और मिस्टर कोचर ने रिपोर्ट दी थी। वह सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें किस किस अधिकारी को दोषी पाया गया ?

श्री खेतसिंह : अभी रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : मैं कलेक्टर की रिपोर्ट के बारे में जानकारी चाहता हूं। कलेक्टर ने किस किस अधिकारी को दोषी पाया है ?

श्री खेतसिंह : जब रिपोर्ट ही विचाराधीन है......

श्री भैरोंसिंह : आप दोषी नहीं माने, यह दूसरी बात है। कलेक्टर ने किस किस को दोषी माना है ?

एक माननीय सदस्य : एल०एल०बी० कहां से पास किया है ?

श्री खेतसिंह : जहां तक मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। किसी को कोई खास दोषी माना ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : खास तो नहीं लेकिन मामूली तौर पर किसको दोषी माना है ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : बताना नहीं चाहते हैं।

श्री खेतसिंह : "Shri Kochar has categorically stated that the convict Man Singh died a natural death. Yet in view of his observations, it would have been befitting if more vigilence, more sympathy and human consioeration

(श्री खेतसिंह)
could have been shown to the deceased." अब यह बात कि दोषी किसको माना जाय उन्होंने तो इतना ही लिखा है कि इनको और ज्यादा देखना चाहिए था, ज्यादा विजिलैन्स रहना चाहिये था कि उनकी मृत्यु नहीं होती, यह लिखा है। अब हम जांच कर लेंगे और जिसने गलती की है तो मैं विश्वास दिला रहा हूं, दोषी आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि काल कोठरी में नहीं डाला गया, बेड़ियां डाली गई हैं। रिपोर्ट पढ़कर आप बता दें ।

श्री खेतसिंह : यह नहीं लिखा है। बेड़ियां डाली गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखवा लिया जाय ।

श्री खेतसिंह : रख दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सेन्ट्रल जेल, जयपुर में जो सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं उनके मिस-बिहेवियर के सिलसिले में, इनह्यूमन ट्रीटमेंट के सिलसिले में, काल कोठरी में डालने के लिए पैसे लेने के सम्बन्ध में, दुर्गापुरा फार्म पर भेजने में पैसा लेने के सम्बन्ध में, रेमीशन के सिलसिले में पैसा लेने के सम्बन्ध में, हॉस्पिटल भेजने के बारे में पैसा खाने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी अधिकारियों ने जांच की और जांच रिपोर्ट सरकार को मिल गई है । सारे आरोप, उपाध्यक्ष महोदय, सही पाये गये हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, इस कैदी मानसिंह को काल कोठरी में रखा गया और बेड़िया डाली गई । उसने अपनी बीमारी के सम्बन्ध में शिकायत की और शिकायत में यह लिखा है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट ने दुर्व्यवहार, मारपीट की है । काल कोठरी में डालकर परेशान किया है ......

श्री भैरोंसिंह : सारे जेल के अधिकारियों ने ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दुर्गापुरा फार्म पर भेजे जाने पर पैसे मांगे, काम देने के सम्बन्ध में पैसे मांगे, हॉस्पीटल भेजने के लिए पैसे मांगे । इस तरह इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते हैं। काल कोठरी के लिये पैसे मांगे। उसके खिलाफ वहां पर कोई जांच नहीं की ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री खेतसिंह : जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी कार्यवाही हुई है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, होम कमिश्नर ने जिस प्रकार रिपोर्ट......

श्री भैरोंसिंह : इसी प्रकार की एक शिकायत अजमेर से आई है, वह पूर्णतया साबित हुई है और इसी प्रकार की शिकायत जयपुर से आई है, वह भी पूर्णतया साबित

(श्री भैरोंसिंह)
हुई है। इस शिकायत की जांच करने में पक्षपात क्यों हो रहा है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, इस सुपरिन्टेन्डेन्ट के खिलाफ रिपोर्ट की है। इसने ही कैदी मानसिंह को काल कोठरी में......

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया :...उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की है : ...

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय ले लिया है। ऑर्डर प्लीज। काफी समय ले लिया है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं...

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): मेरा एक वाल है........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : मैं केवल एक प्रश्न जानना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : यह सवाल है, जेल में दोषी व्यक्ति जाता है और दोष के कारण ही जेल में जाता है यह निश्चित बात है कि उसको वहां दही-बड़ा और रसगुल्ला नहीं खिलाया जाय। जब उसको दुर्गापुरा फार्म पर भेजा गया तो वह जेल की सुविधा अनुसार गया था तो क्या उसके पास तलवार थी क्या ? और उसको बेड़ी भी दे दी थी उसके साथ......

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री मदनसिंह : उन्होंने किस आधार पर बतलाया कि तलवार थी ? तलवार कहां से आई ?

श्री खेतसिंह : जिस समय वह ओपन कैम्प में दुर्गापुरा भेजा गया था उस समय उसके बच्चे व औरत मिलने गये थे वहां तलवार दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : होम सेक्रेटरी महोदय ने जांच की है उस पर क्या एक्शन लिया ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जितना उत्तर दिया, मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस काल कोठरी में उसको रखा गया और बीमार हुये तो अभी तक यह नहीं बताया कि किस रोग से वे ग्रसित थे पहली बात, और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो भी मिलने जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वहां हिन्डौन के कम से कम 150 आदमी हैं इसलिये मुझे काफी अनुभव है उनको इस प्रकार परेशान किया जाता है कि वहां पर ...

Page No 19

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : एक प्रश्न इसी सम्बन्ध में है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मृत्यु से पूर्व करीब दो माह पूर्व इस कैदी की पत्नि ने राज्य सरकार को शिकायत की थी कि मेरे पति के साथ ज्यादतियां होती हैं, अगर उनको नहीं रोका गया तो उनकी मृत्यु हो जायगी इस प्रकार की शिकायत राज्य सरकार को मिली है ? राज्य सरकार ने क्या किया, उसके प्रति ?

श्री खेतसिंह : उसकी औरत ने यह शिकायत की थी और उस शिकायत पर जेल ऑथोरिटीज का ध्यान आकर्षित किया गया था और उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो जिससे कि उनके स्वास्थ्य को धक्का लगे।

जहां तक मृत्यु होने का कारण है तो काज ऑफ डैथ का बता दिया था जो श्रवणलाल जी ने पूछा था उसका उन्होंने बताया गेस्टिक हैमरेज शाक।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जयपुर के जेल अधीक्षक को हटा दिया गया है ?

श्री खेतसिंह: यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह: यह अलग से प्रश्न है तो क्या हुआ, आप बता दें।

श्री खेतसिंह: हटा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : हटाया तो इसी कारण से ?

श्री श्रवणलाल : जब सवाई मानसिंह अस्पताल में उसको ले गए थे उससे कुछ दिन पूर्व ही इसका ब्लड काफी तादाद में लिया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया: नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत से प्रश्न बच गए हैं, माननीय सदस्य।

श्रवणलाल : उसका इतना ब्लड ले लिया गया था कि वह बीमार हो गया और बीमार होने के कारण ऐसी स्थिति हुई कि उसको काल कोठरी में डाला गया और काल कोठरी में भी बेड़ियां डाली गई थी और किसी प्रकार का उसको खाना नहीं दिया गया और बुरी तरह से मर गया।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री बीरबल सिंह। उपनिवेशन मंत्री।

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र

455. **श्री बीरबल (संगरिया सु.)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में स्थाई रूप से भूमि आवंटन के लिए कुल

Page No 20

(श्री बीरबल)
कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, कितने प्रार्थना-पत्रों की जांच हो चुकी है, तथा कितने भूमिहीनों को अब तक भूमि का आवंटन किया जा चुका है ?

(2) इस क्षेत्र में सिंचित भूमि का आवंटन कब तक पूरा कर दिया जायेगा तथा कितने व्यक्ति भूमि पा सकेंगे ?

राज्य मन्त्री, उपनिवेशन (श्री मनफूल सिंह) : (1) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए कुल 95429 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 239723 प्रार्थना-पत्रों का जांच तहसील स्तर तक की जा चुकी है। अब तक 123 कृषकों को भूमि आवंटित की गई है।

(2) इस विषय की जानकारी, इस समय नहीं की जा सकती है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या यह सही है कि जिन भूमिहीनों में से कुछ काश्तकारों को जमीन एलॉट हुई है उनको कब्जा लेने के लिए 500 रु० देने पड़ते हैं ?

श्री मनफूलसिंह : यह गलत बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य: यह सही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने दें।

श्री बीरबल: शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जो होना चाहिए वह नहीं हुआ है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो प्रश्न किया है• •••

श्री उपाध्यक्ष: पहले प्रश्नकर्ता को अपने प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री बीरबल : यह बहुत गंभीर मामला है। जो एलॉट हुई हैं भूमि इसमें इतना घोटाला है। शेड्यूल्ड कास्ट के 12 आदमियों में से एक शेड्यूल्ड कास्ट वाले को मिली है जब कि उनका रिजर्वेशन डबल है। हमारे पास एक ग्राम जेवरा नाम का है जिसमें एक शेड्यूल्ड कास्ट को जमीन का एलॉटमेंट हुआ था। उसमें मैंने देखा है कि 15 ग्रामों में चाहते हैं। मैंने कहा कि उलटा सीधा एलॉटमेंट किया गया है तो कहा कि हम इन लोगों को ऊंचा ले रहे हैं। इस तरह से हरिजनों को ऊंचा लेंगे तो ध्यान देने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री मनफूलसिंह: यह जो एलॉटमेंट लैण्डलैस को हुई है वह नियमों के आधार पर ही हुई है जो नियमों के अन्दर आये हैं उन्हीं को ही जमीन मिली है और जो नियमों के अन्दर नहीं आये हैं उनको जमीन नहीं मिली है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या मंत्री महोदय मैंने जो प्रश्न किया है इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं कि हरिजन भूमिहीनों से 500 रुपये लिए बगैर उनको कब्जा नहीं दिया जाता है ?

श्री मनफूलसिंह: आप कोई खास शिकायत देंगे तो उसकी जांच करवाली जायगी- जो बात आप कहते हैं उसकी हमारे पास शिकायत नहीं आई है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): 95431 जो दरख्वास्तें आई हैं वे किस तारीख से किस तारीख तक के दरम्यान आई हैं ?

श्री मनफूलसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : 22 हजार दरख्वास्तों की जांच के बाद कितने आदमी भूमिहीन डिक्लेयर किए गए ?

श्री मनफूलसिंह : ऐसे डिक्लेयर नहीं होते हैं। मौके पर असिस्टेन्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार जाते हैं और वहां पर जांच करते हैं और उनकी रिहायश वगैराह सब देखते हैं उसके बाद में जो नियमों के अन्दर आते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। इससे पहले डिक्लेयर नहीं करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या ये जो नियम हैं दोष पूर्ण हैं उनमें संशोधन करने का आप विचार करेंगे ?

श्री मनफूलसिंह : दोषपूर्ण नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : वे दोषपूर्ण हैं क्योंकि 15 साल पहले की गिरदावरी साबित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गरीबों के पास में रेकार्ड नहीं मिलता है। इसको संशोधित किया जाय और भूमिहीनों को जमीन दिलाने का यदि सरकार को कुछ दर्द है तब तो, इसके बारे में संशोधन करने का विचार है या नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : अभी तो कोई विचार नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो हम यह समझेंगे कि उनको आपका जमीन देने का विचार नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि भूमि आवंटन नियमों के अनुसार सन् 55 के पहले का साबित करना आवश्यक है और सम्मिलित परिवार में किसी के नाम पर जमीन का नहीं होना यह भी साबित करना जरूरी है, इस तरह की कई शर्तें हैं, जो कि अनपढ़, साधनहीन हरिजन या गैर हरिजन भूमिहीन लोगों के लिए साबित करना मुश्किल है।

श्री मनफूलसिंह : उसमें यह आवश्यक है कि सन् 55 से पहले यदि किसी आदमी का नाम वोटर लिस्ट में है या उसके नाम मालगुमारी है, या गिरदावरी है या कोई ऐसा सबूत पेश करे जिससे यह साबित हो जाय कि वह 55 से पहले का यहां का रहने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज।

श्री हंसराज आर्य (मादरा): मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि भूमिहीनों को कब तक एलॉट करदी जायगी ? पहले भूमि-

Page No 22

(श्री हंसराज आर्य)
हीनों को राजकीय भूमि एलाट की जायगी या नीलाम की जायगी ?

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि 55 का जो बान लगा रखा है कि 55 से पहले का रहने वाला हो और उसके पास भूमि नहीं हो तो हरिजन लोग तो ऐसे मिलेंगे कि बहुत से बाहर काम करते हैं और सन् 55 से पहले की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं लिखा गया हो तो उन बेचारों को जमीन नहीं मिलेगी । तो 55 की वोटर लिस्ट का न रखकर वहां का नागरिक है, वहां का बाशिन्दा है या नहीं, उसके पास जमीन है कि नहीं, इसमें यह प्रावधान रखें तो हरिजनों को जमीन मिलेगी । 55 से पहले की वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो क्योंकि कोई हरिजन दिल्ली में बैठा रहता हो और वहां पर काम करता हो तो गांव की वोटर्स लिस्ट में उसका नाम नहीं रखा गया हो और वह वापस आकर काम करना चाहता है ....

श्री हंसराज आर्य: माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं । मैंने प्रश्न पूछा है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका उत्तर चाहता हूं ।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, हमने पहले चरण में 1½ लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों को आवंटित करने का फैसला किया है इसमें से एक लाख एकड़ जमीन हरिजनों के लिए और 50,000 एकड़ दीगर लोगों को । जो माननीय सदस्य श्री रबल जी ने एक प्रश्न उठाया कि इस संबंध में हरिजनों को शायद एक लाख एकड़ जमीन नहीं मिल पायेगी । इसलिये हमने उनको यह बताया कि जहां जितने गांवों के अन्दर डेढ़ लाख एकड़ जमीन निकलती है तो प्रत्येक गांव में 1:2 के रेशो के हिसाब से—एक हिस्सा सवर्ण हिन्दुओं को और दो हिस्सा हरिजनों के लिए रिजर्वेशन कर दिया जाय । अगर किसी खास गांव में हरिजन उतने नहीं निकलते हैं तो इसको लेने के लिये दूसरे गांव के हरिजन ही उस जगह की आवंटित भूमि के हकदार होंगे । उनके हिस्से की सवर्ण लोगों को जमीन नहीं मिलेगी । इस तरीके से जिन गांवों से डेढ़ लाख भूमि जो उपलब्ध हुई उसका प्रत्येक गांव में इस तरह से बंटबारा कर दें ।

अब रहा सवाल दूसरा कि सन् 55 से पहले की जो वोटर लिस्ट है उसके अलावा भी मालगुजारी में जो नाम दर्ज है और किसी प्रकार से भी अपने आपको सन् 55 से पहले का वहां का बाशिंदा बता देता है तो हम कबूल करते हैं । अगर आप यह जानते हैं कि इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार का सुझाव देंगे कि जिससे उसका वहां का होने की बात सिद्ध पाई जायगी कि वह वहां पर रहता था, उस उपाय को भी हम काम में ले सकते हैं । इसमें हमने दो तीन प्रकार के सुझाव दिये हैं । मैं समझता हूं कि इस बिना पर 15-20 रोज से ही यह आवंटन का काम शुरू हुआ है, और इस समस्या पर माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है । तहसीलदार के लेवल पर 20 हजार दर्खास्तों का निरीक्षण हुआ है और तहसील के ऊपर जाकर ए०सी० के यहां पर 7 हजार का

(श्री शोभाराम)

हुआ है, तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि 8-10 हजार दर्ख्वास्तों की इस प्रकार से ए० सी० के लेवल पर शायद जांच हो गई होगी। कितने आदमी इस जांच के फलस्वरूप रिजेक्ट हुए हैं उसकी इत्तिला अभी नहीं आई है जिसके लिये कोशिश की जा रही है जल्दी से जल्दी वे इत्तिला देंगे।

श्री मर्दनसिंह : आपने जैसा फर्माया कि एक स्कूल का लड़का 17 वर्ष का 55 में था और अब वह आता है तो क्या उसको जमीन मिलेगी उस आधार पर ?

श्री शोभाराम : यह कहीं कायदे में नहीं है कि भूमि के लिये सन् 55 में 21 साल का होना चाहिये।

श्री हंसराज आर्य : एलाॅटमेंट का ऐसा सिस्टम है कि वहां जो पहुंचवाले आदमी हैं वह अच्छी भूमि एलाॅट करवा लेते हैं। और निकम्मी रह जाती है वह हरिजनों के लिए। मैं चाहता हूं कि उनके लिये अच्छी भूमि हो।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

श्री शोभाराम : इस बात को मैं दुबारा देख लूंगा। अगर जान बूझकर हरिजनों के हिसाब में खराब जमीन रिजर्व की गई है। अच्छी बुरी किसको जाती है। सब को कुल मिला कर अच्छी जमीन होनी चाहिये।

श्री केदारनाथ : यह जांच उन काश्तकारों पर लागू है जो सन् 55 से पहले भूमि पर आबाद थे ?

श्री शोभाराम : यह जो आराजी काश्त पर बैठे थे और बाहर से भीतर से उन्हीं के आवंटन का सवाल चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह आवश्यक है कि एलाॅटमेंट रूल के मुताबिक भूमिहीनों को अपने रहने का साबित करना मुश्किल है। टोटल आराजी पर 5 प्रतिशत जमा करना आवश्यक होता है इसलिये वह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। $12\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट अगर भूमिहीनों जमा करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ क्या यह भी सही है कि $12\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट और 5 पर्सेन्ट 9 किश्तों में टोटल जमा करना पड़ता है और तब केवल 15 बीघा जमीन आप देते हैं। 15 बीघा किसी भी तरह से नहीं दी जा सकती है।

श्री शोभाराम : जहां तक यह साबित करने का प्रश्न है, भूमिहीन अगर कोई आदमी बनता है, अगर वह स्पष्ट करे कि उसके पास भूमि थी। जब तक वह रिकार्ड पेश न करे……

श्री दौलतराम सारण : पढ़ा लिखा भी पेश नहीं कर सकता है।

श्री शोभाराम : यह मूल प्रश्न से जुदा प्रश्न है। कितने प्रार्थना-पत्र आये। कितना एलाॅटमेंट किया गया है। कितनी किश्तों में

(श्री शोभाराम)
वसूल किया जाये। यह अलग से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या जिनके कब्जे में जमीन है, उनको प्रमाणित नहीं मान सकते हैं। जो काश्तकार उस काश्त को बराबर करते रहे हैं क्या वह प्रमाण पर्याप्त नहीं है ?

श्री केदारनाथ : 10 साल से लगातार काश्त करते आ रहे हैं, क्या यह उनका सफीशियेण्ट सबूत नहीं मानते हैं ?

श्री शोभाराम : मैं समझा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : दस साल से बराबर काश्त करते आये हैं, वह सफीशियेण्ट प्रूफ नहीं मानते हैं।

श्री शोभाराम : दस साल से आरजी काश्त करते आ रहे हैं, उनको हम भूमिहीन मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामचन्द्र आर्य के बोलने के लिए खड़े होने पर) आर्डर, आर्डर। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी, सवाल यह पैदा होता है। माननीय मन्त्री जी ने कहा है, सन् 1955 के बाद के आरजी काश्तकार है, उनको मानेंगे। यह रूल्स का कन्ट्राडिक्शन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपके कहने का मतलब है प्रीवियस टू फिफ्टीफाइव।

श्री केदारनाथ : प्रश्न यह था कि लगातार 10 साल से काश्त करते आ रहे हैं।

श्री शोभाराम : सन् 55 के बाद अस्थाई रूप से आरजी काश्त पर जो किसान काश्त कर रहे हैं उनमें से बहुत से लोग जोधपुर के आ गये। बहुत से बीकानेर और गंगानगर के थे, जो टेम्प्रेरी काश्तकार हुए। वह जमीन आरजी एलॉटमेंट में थी। उसी जमीन का एलॉटमेंट हो रहा है। जो जमीन पर बैठे हुए थे उसको उसी बिना पर हक नहीं मिला है इसीलिए उन्हें भी भूमिहीन माना गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह उत्तर नहीं है। मैं यह पूछ रहा हूं कि जिनका कब्जा 10 साल से बराबर है, उनको आप ने परमानेंट क्यों नहीं माना है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य प्रश्न समाप्त हुए। आर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 456 है। यह ले लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न हैं। और भी बहुत से महत्वपूर्ण हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इसमें 50 एकड़ भूमि के एलॉटमेंट का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

जैसलमेर आदि जिलों में नलकूप निर्माण करने पर भूमि का आवंटन

456. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने यह घोषणा की है कि जो जो नलकूप जैसलमेर, जालौर व बीकानेर में निर्माण करेंगे उन्हें तत्काल 50 एकड़ भूमि दे दी जावेगी ? यदि हां, तो इस प्रकार की घोषणा या आज्ञा की नकल सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की घोषणा भूमि आवंटन के नियमों के विरुद्ध होगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस प्रकार की घोषणा से गरीब भूमिहीन को जो लाभ मिलने की संभावना थी उससे वह वंचित हो जावेगा ? अगर नहीं, तो कैसे ?

उपमन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, सरकार ने राजस्थान के कुछ जिलों के लिए नलकूप लगाने हेतु भूमि आवंटन करने की घोषणा की है जिसके नियम नोटिफिकेशन नम्बर एफ 6 (2) राज/स/69, दिनांक 26-6-69 द्वारा राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हो चुकी है (प्रति संलग्न है) निम्नलिखित जिलों में उक्त नियमों के अनुसार भूमि दी जा सकेगी ।

(1) बाड़मेर (2) बीकानेर (3) जैसलमेर ।

(2) जी नहीं, उपरोक्त भूमि आवंटन के नियम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 व क्लाज (18) उपधारा (2), धारा 251 और क्लाज (बी) उपधारा (1) धारा 260 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रयोग करके बनाये गये हैं और यह आवंटन उन नियमों के अनुसार होगा ।

(3) जी नहीं, राजस्थान में कुछ सूखे जिलों में अकाल के कारण पानी व चारे की जो भयंकर हालत कुछ वर्षों में हुई है उसको देखते हुए वहां की जनता के लिये पानी की व चारे की व्यवस्था करने हेतु यह नलकूप भूमि-आवंटन की योजना लगाई गई है। नलकूप लगने से उस क्षेत्र में कृषि भी हो सकेगी और प्रत्येक नल लगाने वालों को मनुष्यों व पशुओं को मुफ्त पानी देना लाजमी होगा। बिना ट्यूबवेल उस सूखे हिस्से में भूमि को कोई भूमिहीन कृषक सिंचित नहीं कर सकता । अतः यह योजना जनहित में है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : आज तक आपने कितनी भूमि आवंटित की है इस योजना के अन्तर्गत ?

श्री गंगाराम चौधरी : आवंटन अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

श्री मूलचन्द्र डागा : लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत 15 बीघा से ज्यादा भूमि एलॉट नहीं कर सकते हैं ।

श्री गंगाराम चौधरी : यह नियम अलग से बने हैं ।

Page No 26

श्री दौलतराम सारण : क्या यह परस्पर विरोधाभास नहीं होगा ? एक तरफ आप 15 बीघा जमीन देते हैं। $12\frac{1}{2}$ पर्सेंट किश्त लेते हैं। इधर आप 50 एकड़ जमीन देते हैं और 10 साल के बाद खातेदारी राइट दे देते हैं।

श्री गंगाराम चौधरी । अध्यक्ष महोदय, आवंटन नियम जो बने हैं, मैंने सदन की मेज पर रख दिये हैं और राजस्थान राजपत्र में 26-6-69 को प्रकाशित हो गये हैं, उन नियमों के प्रावधानों को देखेंगे तो मालूम होगा कि एक सीमा में भूमि ट्यूब वैल लगाने के लिए दी जाती है, उस पर कोई व्यक्ति अपने खर्च से ट्यूब वैल लगायेगा, उसके बाद में वह उससे सिंचित करेगा और जनहित के अन्य कार्य जो बताये, पशुओं और व्यक्तियों को पानी मुफ्त देना होगा, यह सारी योजना है.......

श्री मूलचन्द डागा : इस व्यक्ति ने आपके सामने प्रार्थना-पत्र पेश कर दिया ?

श्री गंगाराम चौधरी : अभी आवंटन का घोषणा-पत्र जारी नहीं हुआ है। नियमों में प्रावधान है कि कलेक्टर पहले राजपत्र में घोषणा करेगा उसके बाद में प्रार्थना-पत्र मांगे जायेंगे और उसके अनुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री दौलतराम सारण : एक प्रश्न...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, समय का.....—...

श्री दौलतराम सारण : एक प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, क्या जो शर्त रखी है कि पानी पशुओं और मनुष्यों को मुफ्त पिलायेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर पीने का पानी नहीं है और वहां पैसे वाला आदमी ट्यूब वैल लगा कर पानी पशुओं और मनुष्यों को मुफ्त पिलायेगा तो वह राजनैतिक और आर्थिक शोषण भी करेगा और राजनैतिक और आर्थिक शोषण के आधार पर चुनाव के वक्त वोट भी लेगा। मैं समझता हूं, यह राज्य सरकार का एक राजनैतिक षड़यंत्र है, ट्यूब वैल की आड़ लेकर भूमिहीनों को भूमि से वंचित करने का और पैसे वालों को, पूंजीपतियों को जमीन देने का, राजनैतिक षडयंत्र के आधार पर भूमि पर कब्जा कराने का यह दृष्टिकोण है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने जैसलमेर और बाड़मेर की धरती नहीं देखी है वह लोग पचास बीघा की बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि सौ और दो सौ बीघा जमीन देकर भी अगर वहां ट्यूब वैल खोदने की व्यवस्था होती है और उसका विकास होता है, तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह पचास बीघा से घबराये नहीं, सौ बीघा, दो सौ बीघा की बात हो तो वह भी करे।

श्री दौलतराम सारण : इनकी तो यह साजिश है क्योंकि यह सिंडीकेट के मेम्बर हैं।

श्री भैरोंसिंह : सिंडीकेट के मेम्बर जमीन देने वाले नहीं हैं।

(शोर गुल - व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन के नेता महोदय !

श्री दौलतराम सारण : क्या पब्लिक सेक्टर में, स्टेट सेक्टर में सरकार ट्यूब वैल क्यों नहीं बनाना चाहती है (शोरगुल-व्यवधान)

(श्री दौलतराम सारण)
और ट्यूब वैल की आड़ में पूंजीपतियों को भूमि देना चाहती है और जो लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि से सरकार वंचित करना चाहती है (शोर-गुल व्यवस्था) पूंजीपतियों को सरकार भूमि देकर वहां घुसा रही है, इसीलिए हम इसका सख्त विरोध करेंगे और पब्लिक ओपिनियन का दबाव डालने के लिए आन्दोलन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक कोई व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है।

मुख्य मंत्री जी !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष जी, मैं इसके संबन्ध में निवेदन कर दूं कि जैसलमेर, बाड़मेर के अन्दर, बीकानेर के अन्दर इसके संबन्ध में जो रियायत देने का फैसला किया गया है, उस रियायत का हमने कई जगह ऐलान किया और उस ऐलान को करने के बाद में भी, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बड़ी भारी साजिश है, मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इन टर्म्स के देने के बाद भी अभी इसके लिए जो रेंस्पोन्स चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इस बात को लक्ष्य में रखते हुए इसका फैसला किया गया है कि सरकार की तरफ से जो हमारी योजना के अन्दर जितने नलकूप हम बना सकते हैं वह बनायें, लेकिन उनको बनाने के अलावा प्राइवेट एफर्टस के जरिये वहां पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध की जा सकती है तो उसको करने का प्रयत्न करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूब वैल से पम्प करके और खेती करने का जो सिलसिला है वह सिलसिला एक बहुत मंहगा सिलसिला होने वाला है और एक एकड़ जमीन के लिए दो सौ, डेढ़ सौ पर एकड़ की इरिगेशन कॉस्ट आने वाली है, इस कॉस्ट पर वहां पर इरिगेट करना आसान बात नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं, कोई व्यक्ति इसके लिए सामने आये तो सहूलियतें देकर भी अगर इस रेगिस्तानी इलाके में पानी निकाल कर एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है, तो मैं समझता हूं, आगे जाकर उस इलाके की सारी तस्वीर बदल सकती है। उस लिहाज से यह काम किया गया है। इसमें कोई विरोधाभास का प्रश्न नहीं है।

इसके अलावा रेविन्स का मामला है, उसमें एक एक एकड़ रेविन्स की जमीन को वापिस कमाण्ड करके खेती में काम में लें उसमें कई हजार रुपये खर्च होते हैं, अब वहां जो ट्यूब वैल लगायेंगे वह ट्यूब वैल लगाने लिए अगर एक आदमी को एक ट्यूब वैल के नीचे जितनी जमीन कमाण्ड होती है वह जमीन उसको एलॉट नहीं की जाय और यह शर्त रखी जाय कि ट्यूब वैल तो वह खोदेगा और उसको एलॉटमेंट पन्द्रह बीघा का होगा, तो एक ट्यूब वैल में लाख या डेढ़ लाख रुपया लगेगा, खर्चा होगा और उससे वह केवल पन्द्रह बीघा अपनी जमीन सिंचित कर सकेगा और बाकी का पानी दूसरे व्यक्तियों की जमीन को देगा तो यह नियमों में नहीं है कि हम यह कहें कि वह दूसरों को पानी दें, उसके बजाय सरकार ने यह रखा है कि जितनी कमाण्ड में कुएं से जमीन आती है उसे पानी देने की बात करनी चाहिए जिससे लोगों को इन्सेन्टिव मिले। मैं समझता हूं कि राजस्थान के उस इलाके की स्थिति के अन्दर यह स्कीम बहुत अच्छी है जिसके जरिये रास्ता खुल सकता है और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
जो यह नई शुरूआत होगी उससे ऐसे लोग इस इलाके में काम कर सकते हैं। इसलिए इसमें सांठ गांठ होने के सवाल नहीं है।

अब दूसरा रास्ता यह है कि यह न करें और रेगिस्तान जैसा पड़ा है, उसे वैसा ही पड़े रहने दें, तो वैसा ही रेगिस्तान पड़े रहने देने से क्या समाजवाद जल्दी आ जाता है ? अगर ऐसा मानते हैं तो मुझे पता नहीं कि आपके समाजवाद की क्या डेफिनेशन है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पचास एकड़ नहीं आप सौ एकड़ भूमि दीजिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मुख्य मन्त्री ने अभी अभी जो......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री नत्थीसिंह : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने जो नीति के सम्बन्ध में बात कही है। इसका अर्थ यह है कि पुराने जमाने में जो राजा-महाराजा......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। माननीय सदस्य, काफी समय हो गया है।

श्री नत्थीसिंह : होते थे और उनके द्वारा जो लोगों को जागीर बख्शी गई थी, उन जागीरदारों को खत्म किया और खत्म करने के बाद क्रांतिकारी कदम उठाना चाहते हैं, मैकेनाइज्ड ट्यूब वैल्स लगा कर और यह कहना चाहते हैं पूंजीपतियों से सांठ-गांठ करके कि वह पशुओं और मनुष्यों की सेवा के नाम पर उन्हें मुफ्त पानी देगा और इस प्रकार आप रेगिस्तान को खुशहाल बनायेंगे। यह कह कर आप नये जागीरदार बनाना चाहते हैं। जब कि सिंडीकेट नहीं रहा है और आप बीच में ही चल रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री नत्थीसिंह : और आप समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद इससे नहीं आयेगा, आप इस कदम से तो पूंजीपतियों को जागीर देना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप निराश हो चुके हैं, आपकी हिम्मत टूट चुकी है......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य !

श्री नत्थीसिंह : आपने जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया है उन नेशनलाइज्ड बैंकों का रुपया इस्तेमाल करना चाहिए। इन गरीब और भूमिहीन लोगों के लिए, उनके लिए आपको ट्यूब वैल्स बनाने चाहिए और भूमिहीन और गरीब जो लोग हैं उनको जमीन का एलॉट-मेंट कर देना चाहिए। लेकिन आप तो पूंजीपतियों को मद्रास, कलकत्ता और बम्बई से बुला कर जागीर देना चाहते हैं और इन पूंजीपतियों को जागीरदार बना कर साफ करना चाहते हैं विरोध करने वालों को। यह आपका कदम पूंजीवादी विचार धारा को पनपाने वाला है।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं एक और निवेदन करदूं, माननीय सदस्य। मैं एक निवेदन और करदूं जैसलमेर के इलाके के

Page No 29

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
अन्दर, बीकानेर के उस रेगिस्तानी इलाके के अन्दर और किसी को भी एलाटमेंट किया जायगा तो बारानी जमीन की सीलिंग कहीं ज्यादा है। यह टयूब वैल से इर्रिगेट करने के बाद भी......

श्री नत्थीसिंह : हमारा कहना है कि पूंजीपतियों को नहीं दी जाय। आप एक तरफ शहर की सीमा के अन्दर शहर की आमदनी की सीमा नहीं बांधना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वहां पर जागीरदारों को बैठा देना चाहते हैं। यह विरोधाभास है।

श्री आईदानसिंह : राज्य सरकार को, मन्त्री महोदय को मैं एक जानकारी देना चाहूंगा......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। कोई जानकारी अब उपलब्ध नहीं की जा सकती है।

श्री आईदानसिंह : राज्य सरकार कोई जमीन देकर कोई नल कूप खुदाना चाहे...

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया जायगा।

श्री आईदानसिंह : तो वहां सारे इलाके में वेलकम किया जायगा क्योंकि उससे वह पानी उपलब्ध करेंगे। किसी तरह भी वहां नलकूप बन जायं इसका हम स्वागत करेंगे।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक सिद्धान्त का सवाल है......

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया जाय।

श्री मदनसिंह : जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, यह स्पष्ट है, आज इस युग के अन्दर जहां समाजवाद का बोलबाला है, सिद्धान्त की दृष्टि से तो आपने ठीक कहा है लेकिन इसकी प्रेक्टिकल साइड क्या होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : हर प्रश्न पर आपका बोलना आवश्यक नहीं है। आप काफी समय लेते हैं सदन का।

श्री मदनसिंह : आवश्यक इसलिए है कि नेताओं के द्वारा एक दूसरे के प्रति आक्षेप हो गये हैं। मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, आप पन्द्रह बीघा के आवन्टन के सिद्धान्त को मानते हैं तो समाजवादी दल के नेता इकट्ठे होकर एक को-ऑपरेटिव बेसिस पर वहां चले जायं और इसमें सहयोग दें। वह वहां जाकर इस काम को करें।

श्री नत्थीसिंह : आप सोशलिस्ट कब से हो गये। उधर जाकर बैठिये।

श्री मदनसिंह : और इस प्रकार पन्द्रह बीघा के सिद्धान्त को मानने का एक नमूना दें।

श्री रामकिशन (वैर) : राजस्व मन्त्री के बोलने के पहले निवेदन है कि जो मुख्य मन्त्री जी ने रेविन्स के बारे में कहा, मेरा निवेदन यह है......

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं माननीय सदस्य !

श्री रामकिशन : मुख्य मन्त्री जी ने रेविन्स के बारे में कहा।

श्री उपाध्यक्ष : रेविन्स के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया इससे यह रिलेवेन्ट नहीं हो जाता है।

श्री रामकिशन : मुख्य मन्त्री जी इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए सीधे रास्ते पर ले जाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, दुबारा इस प्रश्न के बारे में कह रहे हैं क्या ? आर्डर प्लीज !

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक सीधी सी उपयोगी योजना थी, उसका मतलब कितना...

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा चर्चा शुरू करवा रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं, प्रश्न समाप्त हो गया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : जैसलमेर का सवाल है,जैसलमेर भयंकर अकाल की स्थिति में है। इसलिए सिंडीकेट हो या इंडीकेट हो, इस झगड़े में न पड़कर मैं अर्ज करूंगा कि पचास एकड़ की शर्तं के ऊपर भी कोई पूंजीपति तैयार नहीं हुआ है इसको करने के लिए, तो क्या कोई ऐसी स्कीम बना कर व्यवस्था नहीं कर सकते जिससे किसी प्रकार उन लोगों की रोजी रोटी का सरकार इन्तजाम करे।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन ! निम्नांकित सदस्यों के द्वारा याचिकाओं का उपस्थापन किया जायगा !

श्री बृजवल्लभ बोहरा !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एड्जोर्न्ड क्वेश्चन्स !

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 457।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सहयोग की आवश्यकता है। जिस वक्त माननीय सदस्य सदन का समय ले रहे थे, उस समय आप सहयोग करते।

श्री विजयसिंह : उस समय हम चुपचाप बैठे थे।

श्री उपाध्यक्ष : चुपचाप नहीं बैठना चाहिए था, सहयोग करना था।

श्री विजयसिंह : आपका स्वयं का ध्यान होगा, इसलिए कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे अकेले के ध्यान रखने से नहीं होगा, इसमें सदन का सहयोग चाहिए। श्री बृजवल्लभ बोहरा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर में सूरसागर से खतरा

451. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर के सूरसागर तालाब के भर जाने पर हरदम

Page No 31

(श्री देवीदत्त गांडिया)
वहाँ के आस पास की बस्तियों को खतरा हो जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बार माह जुलाई, 69 में भी उस तालाब के भर जाने पर फौज व पुलिस के जवानों की सहायता से पानी बाहर फिकवाया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व बीकानेर राज्य के समय में यह तालाब बरसात में समस्या बना हुआ था तथा प्रत्येक वर्ष इसमें छोटे बच्चे डूब कर मरने की दुर्घटना होती है ?

(4) क्या सरकार इस तालाब में आने वाले पानी को अन्यत्र कहीं निकालने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक लागू हो जावेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ग्राम अयानो व बोरदा के पटवारियों द्वारा वसूली की गई रकम

453. श्री महेन्द्रसिंह हाडा : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा के ग्राम अयानी व बोरदा के पटवारियों द्वारा किसानों से लगान के नाम पर रकम प्राप्त कर राज्य के कोष में जमा न कर निजी कार्य में खर्च कर दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की जानकारी विभाग के अधिकारियों को किसानों ने दी है तथा मांग की है कि उक्त पटवारियान को वहां से तुरन्त हटाया जावे ?

(3) यदि हां, तो आज तक इस पर कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) ग्राम अयानो के पटवारी के विरुद्ध इसप्रकार की शिकायत पर जांच की जा रही और ग्राम बोरदा के पटवारी के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(2) इस प्रकार की जानकारी ग्राम अयानो के पटवारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर हुई है, और उस पटवारी का स्थानान्तरण तहसील पीपल्दा से अन्यत्र किया जा चुका है।

(3) उक्त पटवारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही जारी है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य कर्मचारी द्वारा पुस्तक-लेख आदि लिखने के लिए सरकार की अनुमति

714. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) यदि कोई राज्य कर्मचारी सरकारी नीति के पक्ष में उसकी सफलता के लिए या साहित्यिक व तकनीकी विषय पर कोई पुस्तक लेख आदि लिखता है तो क्या उसे पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक हैं ? ऐसा प्रावधान किन नियमों में कहां है ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(2) ऐसे कितने लेखकों को कब कब अनुमति या स्वीकृति दी गई ? कृपया सन् 1963 से अब तक की सूची सदन की टेबल पर रखें।

उत्तर

(1) आल इण्डिया सर्विसेज कन्डक्ट रूल्स, 1954 के नियम 12 व संशोधित आल इण्डिया सर्विसेज कन्डक्ट रूल्स, 1968 के नियम 6 व राजस्थान गवर्नमैंट सर्वेन्ट्स एन्ड पेन्शनर्स कन्डक्ट रूल्स के नियम 14 व 16 के अन्तर्गत साहित्यिक व तकीनकी विषय पर पुस्तक लेख आदि लिखने के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं हैं। नीति के सम्बन्ध में लिखने के लिये अनुमति आवश्यक है यदि ऐसा करना उसके कर्त्तव्यों में नहीं आता है।

(2) पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार लिस्ट सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

नागौर कस्बे में सरकारी भवनों हेतु सुरक्षित भूमि

715. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नागौर में कुछ भूमि सरकारी भवनों के लिए सुरक्षित कर रखी है ? यदि हां, तो कब से कौन कौन सी कितनी जमीन ? उक्त जमीन के नक्शे सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त जमीन को सुरक्षित करने के बाद अब तक कौन कौनसी जमीन भवन निर्माण के लिये कब कब काम में ली गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उपरोक्त भूमि में से किसी व्यक्ति विशेष को या किसी संस्था को मकान बनाने या अन्य कार्य के लिये कोई भूमि दी है ? यदि हां, तो कब कब कितनी कितनी भूमि किस किस कार्य के लिए कितना कितना मूल्य लेकर दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। 2 अगस्त, 1961 को नागौर-जोधपुर रोड़ तथा नागौर-बीकानेर रोड़ पर स्थित पड़त जमीन को राजकीय भवनों के लिए सुरक्षित रखी गई थी। इसका कोई रकबा या सीमा अंकित नहीं की गई थी।

(2) उपरोक्त भूमि पर 5 ई टाइप, 10 एफ टाइप आवास गृह एक जिला परिषद् भवन, जल एवं विद्युत् विभाग के कार्यालयों के निर्माण सम्बन्धी कार्य तथा एक सार्वजनिक निर्माण विभाग के गेंग के लिए मकान बनाया गया हैं।

(3) जी हां। 3000 वर्ग गज भूमि एक श्री रामदेव पिती को एक रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से रेस्ट हाउस बनाने के लिये दी गई थी एवं 30,600 वर्ग गज भूमि म्यूनिसिपिल बोर्ड द्वारा मांटेसरी स्कूल के लिए बिना कीमत दी गई थी।

बारां के सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय का स्थानान्तरण

716. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या मुख्य मंत्री (सामान्य प्रशासन मंत्री) यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां के सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय को वर्तमान स्थान,

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

से अन्यत्र हटाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों और किस स्थान पर ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम किसान को सहकारी समितियों के कार्य हेतु आये दिन सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में आना पड़ता है ?

यदि हां, तो ऐसे कार्यालय को ऐसे प्रमुख स्थान से क्यों हटाया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान तहसीलदार जिस भवन में रह रहे हैं वह इतना बड़ा भवन है कि नीचे के हिस्से में सहकारी कार्यालय और ऊपर के हिस्से में निवासस्थान रह सकता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, क्योंकि अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिये यह स्थान प्रशासनिक दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त है, अतः बारां के सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय को वर्तमान स्थानों से बारां में ही अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है। सहायक रजिस्ट्रार को एन. ए. सी. दे दिया गया है और वह कार्यालय निजी मकान (प्राईवेट बिल्डिंग मैसर्स जानकीलाल भौरीलाल) में स्थानान्तरित किया जा रहा है।

(2) करीब करीब सभी विकास संबंधी तथा अन्य ऑफिसेज में ग्राम नागरिकों को आना पड़ता है न्यायालय में भी आये दिन सम्बन्धित व्यक्तियों को आना होता है इसके लिये भी प्रमुख स्थान चाहिये।

(3) जिस भवन में तहसीलदार रह रहा है वह सदैव से ही निवासस्थान भवन है और निवासस्थान क्वार्टरों के मध्य में है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक दृष्टि से वहाँ कार्यालय रखना उपयुक्त नहीं है और न ही सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने का विचार कर रही है।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायपालिका के पृथक्कीकरण पर रिक्रूटमैंट

717. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या न्याय मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायपालिका के पृथक्कीकरण के आधार पर इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट के लिये सर्व प्रथम किस तारीख को राज्य सरकार को लिखा गया ?

(2) इस तारीख के बाद कितनी बार और कब कब रेगुलर रिक्रूटमैंट के द्वारा कितने कितने रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये विज्ञप्ति निकाली गई और इनके आधार पर कितनी नियुक्तियां हुई ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने हाल ही में इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट के लिये नियम प्रकाशित किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) न्यायपालिका के पृथक्कीकरण के लिये नहीं अपितु सेवा आयु 58 वर्ष से 55 वर्ष कर देने के कारण रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सर्व प्रथम 14-5-68 को लिखा गया।

(2) 30 रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु केवल एक विज्ञप्ति निकाली गई। आयोग

(न्याय मंत्री)

द्वारा परीक्षा ले ली गई है लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

(3) जी हां। इसका कारण यह है कि रेगूलर रिक्रूटमेंट के द्वारा जो लोग भर्ती किये जाते हैं वे अधिकांश प्रेक्टिसिंग वकील नहीं होते हैं। उन्हें 9 माह की ट्रेनिंग दी जाती है और तत्पश्चात् वे अदालतों में कार्य हेतु उपलब्ध होते हैं इसके विपरीत इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी चूंकि अनुभव प्राप्त होते हैं अतः वे सीधे अदालतों में कार्य करने हेतु उपलब्ध हो जाते हैं। इस समय न्यायिक सेवा में करीब 70 स्थान रिक्त हैं। अतः कम से कम आधे अधिकारी तत्काल उपलब्ध हो जावें इस हेतु इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट नियम बनाये गये हैं। जन सेवा आयोग द्वारा भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

न्यायाधीशों व मुंसिफों के स्थानान्तरण पश्चात रद्द किये आदेश

718. श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या न्याय मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगेः—

अप्रेल, सन् 1968 से लेकर अब तक कितने और किन किन न्यायाधीशों व मुंसिफों के स्थानान्तरण के आदेश जारी होने के पश्चात् रद्द किये गये या उनमें परिवर्तन किया गया? ऐसा क्यों किया गया? कृपया तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उत्तर

कुल 19 न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी के स्थानान्तरण संबंधी आदेशों (रद्द किये गये अथवा आदेशों में परिवर्तन किया गया) की तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है। कारण भी तालिका में स्पष्टतया दर्शाया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति पश्चात् पुर्ननियुक्ति

719. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किन किन सत्र न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति के पश्चात् पुर्ननियुक्ति की गई है?

(2) इनमें से किस किस सत्र न्यायाधीश के लिए उच्च न्यायालय द्वारा यह लिखा गया है कि वह उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश का नाम भेजने में असमर्थ हैं? यदि हां, तो किस कारण से?

(3) 1 अप्रेल, सन् 68 से अब तक कितने और कौन सत्र न्यायाधीश जो न्यायापालिका में कार्य कर रहे हैं, को सेवा काल समाप्त होने पर सेवा-निवृत्त किया गया?

उत्तर

(1) सूची (एनेक्सचर 'ए') सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) केवल राजस्थान स्टेट कोओपरेटिव ट्रिब्युनल एवं ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्युनल के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जब उच्च न्यायालय से अधिकारियों की सूची मांगी तो उच्च न्यायालय ने यह उत्तर

Page No 35

(न्याय मंत्री)
भेज कर मजबूरी प्रकट की कि सीनियर व अनुभवी न्यायाधीशों के अभाव के कारण किसी अधिकारी को उस पद के लिये स्पेयर नहीं कर सकते। अन्य किसी पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं की गई।

(3) सूची (एनेक्सचर 'बी') सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

नगरपालिका व परिषदों पर सन् 64 से बिजली चार्जेज में बढ़ोतरी

720. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या विद्युत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका व परिषदों से सन् 64 से बिजली चार्जेज 19 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 28 पैसे प्रति यूनिट करदी गई है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या चार्जेज बढ़ा देने से पूर्व की अपेक्षा अधिक सुविधायें विभाग द्वारा दी गई हैं? अगर हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1964 से सार्वजनिक प्रकाश के लिये दी जाने वाली विद्युत की दर वाष्प व जल विद्युत क्षेत्र में 28 पैसे प्रति यूनिट और डीजल विद्युत क्षेत्र में 35 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है। ऐसा राज्य सरकार द्वारा गठित टैरिफ एडवाईजरी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया इस दर पर माह सितम्बर 1966 से 10% सरचार्ज लगाया गया है।

(2) जी हां, मई 1964 से नई दरों के अनुसार राज्य विद्युत मन्डल की स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयर एन्ड एटेन्डेन्स (Repair and attendance) व फिलामेन्ट वल्बों के एक वर्ष में कुल वल्बों की संख्या तीन गुने तक बदलाव की जिम्मेदारी है।

बारां जेल भवन का विस्तार

721. श्री देवीदत्त गाड़िया: (बारां) क्या जेल मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां जेल भवन को बड़ा बनाने की आज से कुछ वर्ष पूर्व स्वीकृति हो गई थी? यदि हां, तो उसका क्या हुआ?

(2) बारां सब जेल में कितने कैदियों को रखने का स्थान है और गत एक वर्ष में प्रति माह कितने 2 कैदी रहे? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जेल में अपराधियों की संख्या को देखते हुए जेल भवन के विस्तार की आवश्यकता है।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उप-कारागृह, बारां प्रथम श्रेणी का उप कारागृह है, जहां साधारणतया 50 साथियों को रखने की व्यवस्था है। गत एक वर्ष में जितने साथी इस उपकारा-

(जेल मंत्री)
गृह में हर माह रखे गये, उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उप-कारागृह भवन के विस्तार की फिलहाल कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि साधारणतया इस उपकारागृह में 50 साथी रखे जाते हैं जबकि इस उप-कारागृह में 80 साथियों को भी सहूलियत से रखा जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बाड़मेर जिले में कृषि की उन्नति के लिये कुओं का विद्युतिकरण

722. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या विद्युत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में कृषि की उन्नति के लिहाज से किन किन गांवों में किन किन व्यक्तियों के कितने कितने कुओं का विद्युतिकरण किया गया? सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) विद्युत बोर्ड के समक्ष, कितने व्यक्तियों की कुओं का विद्युतिकरण की दरख्वास्तें पैंडिंग है? सूची मय नाम व पते के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विद्युत बोर्ड उक्त दरख्वास्त के बारे में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेता है? यदि हां, तो उन कुओं का कब तक विद्युतिकरण करा देगा?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

कुओं पर बिजली के कनेक्शन

723. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले तीन साल में स्वीकृत गांवों में अभी तक बिजली के कनेक्शन किसानों को नहीं दिये गए हैं? यदि हां, तो किस गांव में यह शिकायतें हैं?

(2) सावा, घोसुण्डा, सेमलपुरा, देवरी, सेगवां, सतनवा आदि गावों में कितने किसानों को कुओं पर कनेक्शन मिले, कितने की सिक्योरिटी असिसटेन्ट इन्जीनीयर के दफ्तर में जमा है कितने कनेक्शन देना बाकी है? सूचना देने की कृपा करें।

(3) इस वर्ष कितने कुओं पर बिजली देने का कार्यक्रम हाथ में लिया है व कितने गांव स्वीकृत किये गये हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। कुछ स्वीकृत ग्रामों में सामग्री के अभाव एवं अन्य कारणों से कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

(2) कोई ग्राम विशेष की शिकायत ध्यान में नहीं है। सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) इस वर्ष 6010 कुवों को बिजली दिये जाने का लक्ष्य है। अभी तक इस वर्ष में करीब 120 ग्रामों की स्वीकृति हुई है। शेष योजना विचाराधीन है।

गुजरात राज्य से बिजली की 66 के. वी. लाइन

724. श्री मोतीलाल (रेवदर सु.): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने गुजरात राज्य से बिजली की 66 के. वी. लाइन आबूरोड़ एवं रेवदर तहसील में लाने की स्वीकृति प्रदान करदी है ?

(2) यदि हां, तो कार्य किस माह तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्सी तहसील के किसानों को बिजली देने की योजना

725. श्री कन्हैयालाल (बस्सी सु.) क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बस्सी तहसील में किसानों को बिजली देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा इससे कितने ग्रामों को लाभ मिलेगा ? यदि योजना नहीं बनाई है तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम जटवाड़ा के लिये बिजली देने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक व कौनसी लाइन से दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, जहां तक किसानों को कनैक्शन देने का प्रश्न है, विद्युतिकृत ग्रामों में प्रायोरिटी के अनुसार कनक्शन दिये जा रहे हैं। और इससे सभी विद्युतिकृत ग्राम लाभान्वित होंगे। जिलाधीश के पास से अभी तक योजना प्राप्त न होने के कारण इस वर्ष की ग्राम विद्युतिकरण की योजना अभी नहीं बन सकी है।

(2) सन् 1965-66 के क्रैश प्रोग्राम (कृषि विकास योजना) के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई थी लेकिन धनाभाव के कारण से क्रियान्वित नहीं किया गया। भविष्य के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

लाडनूं निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में बिजली योजना

726. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या विद्युत मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं जिला नागौर के किन किन गांवों में कब कब बिजली दी गई ?

(2) कौन-कौन से गांवों में बिजली देने की स्वीकृति हो चुकी है और उन्हें कब कब बिजली दी जावेगी ?

(3) इस वर्ष किन किन गांवों में बिजली दी जा सकेगी ?

(4) ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जिनमें गांव वाले बिजली की मांग बराबर

Page No 38

(श्री हरजीराम बुरड़क)

करते आये हैं और उनको अब तक बिजली नहीं दी गयी तथा नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) वर्ष 1969-70 में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई ।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

(4) गांवों के विद्युतिकरण के लिये मांग-पत्र निम्बी-जोधा, रिंगण, दुजार, रोडू आदि आदि के लिये प्राप्त हुए । धनाभाव के कारण स्वीकृति योजना में सम्मिलित न होने से इन ग्रामों को बिजली नहीं दी गई ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

जिला नागौर के गांवों में बिजली

727. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या विद्युत मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर के किन किन गांवों में कब कब बिजली दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि गांवों में बिजली देने के लिये आवश्यक हैं कि उन गांवों में खेती के कुओं पर बिजली दी जाय ? यदि हां, तो उपरोक्त गांवों में ऐसे गांव कैसे लिये गये जिनमें खेती का कुआ एक भी नहीं है ?

(3) क्या सरकार ने कोई नीति निर्धारित कर रखी है कि इतनी मात्रा में बिजली खर्च होने से या इतने कनैक्शन होने पर ट्रान्सफॉर्मर लगाकर बिजली दी जावेगी ? यदि हां, तो कितने कनैक्शन और कितनी बिजली खर्च होनी चाहिये ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त कई गांवों में बिजली देने से विद्युत मण्डल को घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन गांवों के स्थान पर अन्य गांवों में बिजली देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि नागौर जिले में कई गांव ऐसे भी हैं जिनमें बिजली की लाइनें पहुंच चुकी हैं और गांव वाले बिजली के लिये बराबर मांगें कर रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से गांवों की मांग है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(6) उपरोक्त गांवों में जिनमें बिजली दी जा चुकी है बिजली देने से पूर्व कितने कितने कनैक्शन की किस किस कार्य के लिये मांग थी जिसके आधार पर उनको बिजली दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

तहसील निवाई में किसानों पर मुकदमें

728. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निवाई तहसील में लैण्ड रेवेन्यू

Page No 39

(श्री जयनारायण सालोदिया)

एक्ट की धारा 91 के तहत कितने मुकदमें किसानों पर चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि अतिक्रमण के मामलों के जरिये किसानों से लगान से 20 गुना तक पैनल्टी आठ साल पहले से एक मुश्त वसूल की जाती हैं जो एक एक किसान से हजारों रुपये होते हैं ? इस प्रकार की पेनेल्टी के नोटिस तहसील के किसानों को सन् 66-67 व 67-68 में कितने रुपयों के दिये गये और उनमें से अब तक कितना वसूल किया गया ? आंकड़े हर गांव के अलग अलग सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त वसूली के समय किसानों को डराया धमकाया जाता है व पीटा जाता है ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1969 के अन्त तक ऐसे 2205 मुकदमें शेष थे।

(2) यह सही नहीं है। धारा 91 के अन्तर्गत अधिक से अधिक पैनल्टी 15 गुनी होती हैं। पैनल्टी के नोटिस वर्ष 1966-67 व 67-68 में क्रमशः 15,046) रुपये व 10,533) रुपये के जारी किये गये। अतिक्रमण की पैनल्टी उसी वर्ष से वसूल होती है जिस वर्ष से अतिक्रमण किया हो। व वसूली की नई ग्राम वार आँकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पटवारियों का स्थानान्तरण

729. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिलाधीशों व रेवेन्यू कमिश्नरों के आदेशों व रेवेन्यू मैन्युअल में भी यह बात अंकित है कि जो पटवारी जिस सर्किल (हल्के) से प्रशिक्षण (रिफ्रेशर्स कोर्स) में जावेगा, प्रशिक्षण के बाद भी उसी सर्किल में आकर अपना कार्य भार सम्भालेगा ? यदि हां, तो फिर पटवारियों के स्थानान्तरण प्रशिक्षण के मध्य ही क्यों किये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बहुत से पटवारियों के स्थानान्तरण तो एक स्थान पर एक वर्ष की अवधि बीतने से पूर्व ही अन्य स्थानों पर कर दिये जाते हैं जबकि कुछ एक का स्थानान्तरण दस दस वर्ष में भी नहीं किया जाता ?

उत्तर

(1) जी नहीं, किन्तु राजस्व मण्डल द्वारा समस्त जिलाधीशों को दिनांक 24 सितम्बर, 1962 को यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम में जाने वाले कर्मचारियों के पदों की पूर्ति स्थायी तौर पर न की जाय और वे उनके ही लिये आरक्षित रखे जावें जिससे कि ऐसे कर्मचारियों में यह विश्वास बना रहे कि पाठ्यक्रम से लोटने के बाद उन्हें उन्हीं के पूर्व स्थान पर पदस्थ किया जायेगा। आमतौर पर पटवारियों के स्थानान्तरण प्रशिक्षण के मध्य नहीं किये जाते।

(2) साधारण तौर पर पटवारियों के स्थानान्तरण दो वर्ष की अवधि के पूर्व नहीं

(राजस्व मंत्री)

किये जाते और यदि किये जाते हैं तो उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने या प्रशासनिक दृष्टि के कारण ही। जिसके लिये संबंधित अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करते हैं। आमतौर पर पटवारियों को एक ही स्थान पर 10-10 वर्ष तक नहीं बने रहने दिया जाता है।

जैसलमेर जिले के स्वर्णकारों को ऋण

730. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्वर्ण नियन्त्रण कानून लागू होने के पश्चात पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा जैसलमेर के कितने स्वर्णकारों को ऋण दिया गया है? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि कलेक्टर जैसलमेर ने इस प्रकार के जितने भी प्रार्थना-पत्र थे उसकी सूचना राज्य सरकार को दी है? अगर हां, तो इसके लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की? अगर कार्यवाही नहीं की तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में 44 स्वर्णकारों को अब तक 24,800) रुपया ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है।

(2) जी हां, जैसलमेर जिलाधीश की मांग के अनुसार प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा ऋण का आवंटन किया गया है।

आलनियां नदी के सिंगाड़ों का ठेका

731. श्री बृजवल्लभ वोहरा (दीगोद): क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने कि कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि आलनियां नदी के सिंगाडों का ठेका सन् 1968-69 में तीन सौ रुपयों में दिया था?

(2) क्या यह भी सही है कि यह रकम उक्त ठेकेदार से वसूल नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक वसूल की जावेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1968-69 में आलनिया नदी के सिंगाडों का ठेका 305) रु० में दिया गया था।

(2) जी हां, रकम अभी वसूल नहीं हुई है वसूली की कार्यवाही जारी है।

जिला गंगानगर में इन्तकाल के मामले

732. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में हर प्रकार के इन्तकाल बन्द किये गये हैं? यदि हां, तो यह आदेश कब व क्यों किया गया है? आदेश नम्बर व तारीख सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन्तकाल बन्द करने से काश्तकारों को भारी कष्ट

Page No 41

(श्री रामचन्द्र आर्य)
उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो ऐसा आदेश क्यों दिया गया है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

तहसीलदार हिन्डोली के विरुद्ध मामले

733. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार हिन्डोली लेवी की वसूली के दौरान जनता से गाली गलौज से पेश आते हैं ? क्या इसी प्रकार की हरकत से सथूर ग्राम में एक कलाल ने तहसीलदार को जूतों से पीटा ?

(2) क्या यह सत्य नहीं कि इस तहसीलदार हिन्डोली के इस प्रकार के अनेकों केस चल रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

गम्भीरी एवं ओराई बांध के कमाण्ड एरिया में भूमि का अलाटमेंट

734. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 68-69 व 69-70 के वित्तीय वर्ष में गम्भीरी एवम् ओराई बांध के कमान्डेड एरिया में भूमिहीनों को भूमि का अलाटमेंट किया है ? यदि हां, तो कब कब और कितने भूमिहीनों को भूमि आवन्टित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इसमें कई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गम्भीरी में अलाटमेन्ट कराने के बाद ओराई में भी अलाटमेन्ट कराया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करेगी ? कृपया ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । सन् 68-69 व 69-70 में (1) गम्भीरी प्रोजेक्ट में 1562 भूमिहीनों को ।

(2) ओराई प्रोजेक्ट में 1135 भूमिहीनों को ।

सूची आवंटन की प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है झोंपड़ों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

केकड़ी तहसील में भूमि पर अतिक्रमण के मामले

735. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी तहसील में कितनी भूमि पर आज दिन तक अतिक्रमण द्वारा कितने आसामियों ने नाजायज कब्जा किया ?

Page No 42

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(2) कितनी भूमि व कितनों को खातेदारी व रेग्यूलराइजेशन के तहत कब्जा दिया गया ? जुदा जुदा सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) कितनी भूमि पर से कितनी आसामियों को बेदखल किया जाकर कितनी पेनेल्टी वसूल की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) कितने मुकदमें रेग्युलराइजेशन खातेदारी से बाकी हैं और खातेदारी हेतु क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) केकड़ी तहसील में आज दिन तक 9,869 एकड़ भूमि पर 6,872 आसामियों ने नाजायज कब्जा किया है ।

(2) 585 अतिक्रमियों को 837 एकड़ भूमि पर रेग्युलराइजेशन के तहत कब्जा दिया गया है ।

(3) 4,399 आसामियों को 6,295 एकड़ भूमि से बेदखल किया गया व 43,539·97 रुपये की पेनल्टी की गई व 1,157·95 रुपये की वसूली की गई ।

(4) 6,872 मुकदमें रेगुलराईजेशन व बेदखल होने से बाकी हैं । इन मुकदमों को शीघ्र निबटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

तहसील लाडनूं में नाजायज कब्जों का नियमन

736. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री ने यह बताने की कृपा करेंगे.-

(1) तहसील कार्यालय लाडनूं जिला नागौर द्वारा 1 जनवरी, 67 से अब तक कौन कौन से नाजायज कब्जों को किन किन के द्वारा कब कब तक नियमित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) राजस्व भूमियों पर किये गये नाजायज कब्जों को नियमित करने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

(3) उपरोक्त अवधि में किस किस वर्ष में कितने कितने केस नाजायज कब्जों के दर्ज हुए और उनमें से कितने कितने फैसले हुए ? फैसलें में कितने कितने अतिक्रमियों को बेदखल किया गया और कितने कितने अतिक्रमियों के कब्जों को नियमित किया गया ?

उत्तर

(1) सूची (क) सदन की मेज पर रखदी गई है । इनमें से श्री मानाराम का मुकदमा श्री दीपसिंह तहसीलदार व बाकी सभी मामले श्री भैरूंसिंह पंवार, तहसीलदार के द्वारा नियमित किये गये हैं ।

(2) इस विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं० एफ.3 (50) राज० । ख 764, दिनांक 5-10-67 के अनुसार मामले नियमानुसार नियमित किये जाते हैं ।

(3) वांछित सूचना संलग्न सूची (ख) अंकित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 43

पटवारियों की नियुक्ति

727. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष कितने पटवारी किस किस जिले में नये नियुक्त किये गये ?

(2) पटवारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(3) जो भी पटवारी नियुक्त किये गये उनमें ट्रेण्ड कितने थे और अनट्रेन्ड कितने ?

(4) क्या ट्रेण्ड पटवारी मोजूद हैं जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है ? और अनट्रेण्ड को नियुक्त कर दिया गया है?

(5) इस वर्ष कितने कितने पटवारी किस किस जिले में ट्रेनिंग में भेजे गये ?

(6) क्या ट्रेनिंग में सरकार द्वारा भेजे गये पटवारियों को सेवा में नियुक्त करना आवश्यक है ? यदि हाँ, तो अनट्रेण्ड पटवारियों को क्यों नियुक्त किया गया ?

(7) ऐसे कितने पटवारी हैं जो ट्रेण्ड हैं और उनको राज्य सेवा में नहीं लिया गया है तथा उसका कारण क्या है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष निम्न जिलों में पटवारियों की नियुक्ति की गई:—

अजमेर	60
बांसवाड़ा	3
बाड़मेर	13
भरतपुर	15
डूंगरपुर	6
जयपुर	4
जैसलमेर	2
जालौर	4
झालावाड़	4
जोधपुर	2
नागौर	16
पाली	5
सवाई माधोपुर	8
सीकर	3
टौंक	5
उदयपुर	27

(2) भू-अभिलेख नियमावली, 57 के अन्तर्गत वर्ष में दो बार उम्मीदवारों का चयन कर प्रशिक्षण में भेजा जाता है। प्रशिक्षण अवधि 6 माह की होती है। इसके पश्चात् परीक्षा होती है और परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पटवार पद पर नियुक्त किया जाता है। ट्रेन्ड उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर नियमानुसार राजस्व मण्डल द्वारा प्राप्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् जिला नियोजन कार्यालय के मार्फत पटवारियों का साक्षात्कार कर नियुक्तियां की जाती है।

(3) जिन पटवारियों को नियुक्त किया गया उसमें ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड की जिलेवार सूची इस प्रकार है—

जिला	ट्रेन्ड	अनट्रेन्ड
अजमेर	7	53
बांसवाडा	3	—
बाड़मेर	—	13
भरतपुर	10	5

(राजस्व मंत्री)

जिला	ट्रेन्ड	अनट्रेन्ड
डूंगरपुर	6	—
जयपुर	4	—
जैसलमेर	2	—
जालौर	4	—
झालावाड़	4	—
जोधपुर	2	—
नागौर	7	9
पाली	5	—
सवाईमाधोपुर	8	—
सीकर	3	—
टौंक	5	—
उदयपुर	13	14

(4) जिन जिलों में ट्रेन्ड उम्मीदवार उपलब्ध हैं, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध अभी तक लगा होने के कारण नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व जिन जिलों में नियुक्तियां की गई वे ट्रेन्ड उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अनट्रेन्डों की नियुक्ति की गई।

(5) इस वर्ष में भेजे गये उम्मीदवारों की जिलेवार सूची निम्न प्रकार है:—

अजमेर	8
जयपुर	9
टौंक	6
भरतपुर	9
सवाईमाधोपुर	8
कोटा	8
बून्दी	3
पाली	5
बांसवाड़ा	3
डूंगरपुर	3
चित्तौड़	7
उदयपुर	12
झालावाड़	5
जालौर	4
भीलवाड़ा	7
सिरोही	3
गंगानगर	3
बीकानेर	4
झुन्झुनू	3
चूरू	4
नागौर	8
जैसलमेर	2
जोधपुर	5
अलवर	7
सीकर	4

(6) जी हां। ट्रेनिंग में भेजे गये उम्मीदवारों द्वारा पटवार परीक्षा पास कर लेने पर पटवार पद पर नियुक्त करना आवश्यक है। अनट्रेन्ड उम्मीदवारों की नियुक्ति नियमानुसार तभी की जाती है जबकि ट्रेन्ड उम्मीदवार उपलब्ध न हो और ट्रेन्ड पटवारी मिलने पर अनट्रेन्ड को हटाया जाता है।

(7) जिलेवार ट्रेन्ड उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है। अब ये ट्रेन्ड उम्मीदवार प्रतिबन्ध हट जाने से नौकरी में ले लिये जावेंगे। आज तक प्रतिबन्ध था इस लिये नहीं लगाये गये।

भीलवाड़ा	7
बीकानेर	5
बून्दी	3
चित्तौड़	7
चूरू	4
गंगानगर	12
जयपुर	10
जोधपुर	8

Page No 45

(राजस्व मन्त्री)

कोटा	7
पाली	5
सिरोही	1

जिला अलवर से कोई जवाब नहीं आया है।

ग्राम छाबड़िया में भूमि का अलॉटमेन्ट

738. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार, केकड़ी द्वारा सम्वत् 2022 में छाबड़िया ग्राम में अलॉटमेन्ट किया गया था? सूची नामवार मय अलॉट बीघा के सदन में रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अलॉटियों को पटवारी द्वारा संवत् 2022 में जमीन नापी गई थी ?

(3) क्या उक्त अलॉटियों को जमीन चारागाह में आने से उनका इस्तीफा लिया गया और संवत् 2025 में दुबारा जमीन नापी गई ?

(4) क्या यह सही है कि अलॉटियों को जिनके 40 बीघा से ज्यादा जमीन है उनको भी अलॉट की गई ?

(5) क्या यह सही है कि जब उक्त अलॉटियों को संवत् 25 में जमीन नापी गई तो सारे ग्राम निवासियों ने केकड़ी एस. डी. एम. के पास ऐतराज किया ? अगर हां, तो ऐतराज के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन में रखें।

(6) एस. डी. ओ., केकड़ी ने उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम छाबड़िया में सम्वत् 2022 में अलॉटमैन्ट किया गया जिसकी सूची नामवार मय अलॉट शुदा नम्बर व रकबे के संलग्न है।

(2) यह सही है कि अलॉटीज को संवत् 2022 में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10, 11 व 12-7-65 को भूमि नाप कर कब्जा दिया गया।

(3) अलॉटीज को चारागाह में कोई भूमि नहीं दी गई इसलिए अलॉटशुदा भूमि का इस्तीफा नहीं लिया गया और न संवत् 2025 में दुबारा किसी को नापी गई।

(4) भूमि आवंटन केवल भूमिहीनों को ही किया गया व 40 बीघा से अधिक भूमि वाले व्यक्तियों को भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

(5) सं० 2025 के अलॉटीज को संवत् 2025 में अलॉटशुदा भूमि नापी गई तो ग्राम निवासियों ने ऐतराज का प्रार्थना-पत्र उप-जिलाधिकारी, केकड़ी को प्रस्तुत किया जिस पर उप-जिलाधिकारी, केकड़ी ने रिव्यू खोलने के आदेश दिये। आदेश के मुताबिक रिव्यू की कार्यवाही स्वयं विधान सभा सदस्य (एम० एल० ए०) के रूबरू दिनांक 20-7-68 को की गई जिसमें श्री सलाम व नन्दलाल दो व्यक्तियों का आवंटन केकड़ी के निवासी होने के कारण खारिज किया गया। ग्रामवासियों के ऐतराजों के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(6) उप-जिलाधिकारी, केकड़ी ने प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर रिव्यू खोलने के आदेश दिये जो संलग्नपत्र की प्रतिलिपि पर अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

श्यामलात की भूमि

739. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी तहसील के केकड़ी नगर में कितनी जमीन बिना नाम पर है ? और बिना नाम जमीन पर किन किन आसामियों का कब्जा है और कितनी जमीन पड़त जमीन है ? खसरावार व आसामियोंवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1956 में केकड़ी तहसील की श्यामलात विभाग को कितनी जमीन सम्भलाई गई ? खसरा व रकबावार जमीन की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्यामलात जमीन का हाँसिल नहीं लिया जाता था ? अगर हां, तो हाँसिल क्यों नहीं लिया जाता था ?

(4) क्या यह सही है कि श्यामलात की जमीन जिस पर आसामियों का सन् 56 से पहले का कब्जा है उनको बेदखल किया जा रहा है और अत्यधिक रूप से शास्ती वसूल की जा रही है ?

(5) सरकार विचार करेगी कि श्यामलात की जमीन का निपटारा किया जाय ? अगर हां, तो इसका निपटारा किस रूप में किया जायगा ?

उत्तर

(1) केकड़ी तहसील के केकड़ी नगर में 7, 304 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि बिना नाम है। इसमें से 6,432 बीघा 9 बिस्वा भूमि पड़त है व 872 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर 333 काश्तकारों का कब्जा है।

(2) सन् 1956 में तहसील केकड़ी को श्यामलात विभाग की कोई भूमि नहीं सम्भलाई गई, क्योंकि सन् 1956 में श्यामलात कमेटी बरकरार थी और श्यामलात की कुल भूमि उस समय 10,675 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी थी।

(3) जी नहीं।

(4) श्यामलात की जमीन पर जिन आसामियों का नाजायज कब्जा था उनको बेदखल किया जाता है। और पैनेल्टी भी नियमानुसार वसूल की जाती है।

(5) नियमानुसार निपटारा किया जा रहा है ?

झोड़ला तालाब की भूमि

740. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी तहसील के जूनियां ग्राम का एकीकरण कब हुआ था ?

Page No 47

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(2) क्या यह सही है कि ग्राम जूनिया के भोड़ला तालाब के नीचे की जमीन का सैटिलमैन्ट की गलती से किस्म चेंज हो गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन की तालाबी से बारानी में चेंज कर देने से पटवारी उनको तालाब से पानी नहीं पिलाने देता है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जमीन को आसामी लोग आजन्म से भोड़ला तालाब से पिलाई करते आ रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जमीन सारी अनुसूचित जाति की है ?

(6) क्या सरकार केकडी एस. डी. एम. को किस्म चेंज करने का आदेश देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस जिले की तहसील केकड़ी के ग्राम जूनिया में भूमि ऐकीकरण संवत् 2021 (सन् 1964) में हुआ।

(2) ग्राम जूनिया का प्रथम सैटलमन्ट सन् 1950-51 ई० में हुआ था उस समय भोड़ला तालाब के नीचे की जमीन की किस्म जो था मौके पर दर्ज की गई है वह दुरुस्त है। सैटिलमैंन्ट की गलती से कोई किस्म चेंज नहीं की गई।

(3) सैटलमैन्ट द्वारा तालाब भोड़ला दर्जा सोयम घोषित किया गया है और इस तालाब के पिछोड़ में जो बन्दोबस्त तालाबी भूमि है उस पर मुस्तकिल सिंचाई कर तसखीस किया गया है जो लगान के शामिल वसूल किया जाता है, इसी कारण तालाबी किस्म की भूमि को तालाब का पानी सिंचाई के लिए नियमानुसार पहले दिया जाता है व अन्य किस्म की भूमि के सिंचाई करने के पूर्व स्वीकृति लेकर सिंचाई करने का प्रावधान है।

(4) प्रश्न 3 के उपरोक्त उत्तर में बताये नियमों तथा प्रावधानों के अनुसार सिंचाई करते आ रहे हैं।

(5) इस तालाब के पिछोड़ में सारी भूमि अनुसूचित जाति की नहीं हैं केवल 15 एकड़ तालाबी व 34 एकड़ बारानी भूमि अनुसूचित जाति की है।

(6) उप-खण्ड अधिकारी, केकड़ी को अन्य उप-खण्ड अधिकारियों की तरह सभी अधिकार प्राप्त हैं जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधि-अधिनियम में वर्णित हैं अलग से अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है।

केकड़ी के उप-खण्ड में तकावी की वसूली

741. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के केकड़ी उप-खण्ड में तकावी वसूली की कच्ची रसीदें दी जाती हैं ? यदि हां, तो ऐसी कितनी कच्ची रसीदें किस किस आसामी को किस किस तारीख को दी गई। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

Page No 48

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(2) कच्ची रसीद देने के पश्चात् उक्त आसामियों को पक्की रसीदें कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार की ओर से कुछ नियम बने हुए हैं कि सरकारी रकम पटवारी व गिरदावर अपने पास नहीं रख सकते ?

(4) अगर हाँ, तो जिन जिन पटवारियों व गिरदावरों ने रकम अपने पास रखी उन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ? ऐसे कितने पटवारी व गिरदावर हैं जिन पर कार्यवाही की गई ? सूची कार्यवाही वार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार भविष्य में ऐसी कार्यवाहियाँ करने वाले पटवारियों व गिरदावरों पर कठोर कार्यवाही करने का निर्णय लेगी ?

उत्तर

(1) तहसील केकड़ी में तकावी वसूली कोई कच्ची रसीदें दिया जाना नोटिस में नहीं आया, तहसील सरवाड़ में गिरदावर श्रीराम द्वारा ग्राम सूधां के श्री केशवदास साधू के 150) रु० व श्री रघुनाथ करोगा के 200) रु० की दिनांक 10-7-68 की कच्ची रसीदें दी गई थी।

(2) दिनांक 23-7-1968 को उक्त रकम खजाने में जमा होने पर पक्की रसीदें दी गई हैं।

(3) राजस्व लैन्ड रेवेन्यू (लैंड रिकार्ड) नियम, 1657 के पैरा 110 (ii) के अनुसार पटवारी प्रत्येक सात दिवस के बाद अथवा 2,000) रु० की राशि होने पर उसे कोष में जमा करायेगा तब तक वह धन राशि अपने पास रख सकता है।

4. नियम विरुद्ध रकम रखने के लिए तहसील केकड़ी के दो पटवारी सर्व श्री नेमीचन्द व कैलाशनारायण और भूतपूर्व पटवारी श्री लक्ष्मीनारायण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई जिसमें श्री नेमीचन्द व कैलाशनारायण के मामलों की जांच जारी है व श्री लक्ष्मीनारायण के मामले का फैसला हो गया है। विभागीय जांच में वह निर्दोष पाया गया है।

तहसील सरवाड़ में गिरदावर श्रीराम द्वारा प्रश्न 1 के उत्तर में बताई गई राशि जो 10-7-68 को वसूल की जाकर 23-7-68 को जमा कराई गई, की जांच उप-जिलाधिकारी केकड़ी द्वारा की जा रही है।

(5) जी हां, ऐसे पटवारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच करके नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

सहकारी बैंक बूंदी

742. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या। सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी जिले के सहकारी बैंक की मूल पूंजी कितनी है ? गत पांच सालों में बैंक द्वारा कितना कितना कर्जा दिया गया तहसीलवार बतावें ?

(2) उपरोक्त कर्जा कितने अर्से के लिए दिया गया, किश्तों का चुकारा कितनी

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
अवधि में होगा और सूद किस दर से लिया जावेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सहकारी बैंक के अध्यक्ष को मासिक वेतन क्या दिया जाता है ?

(4) अध्यक्ष को क्या जीप की सुविधा प्राप्त है यदि हां, तो वर्ष सन 1967-68 व 68-69 में जीप पर वार्षिक क्या व्यय हुआ है।

उत्तर

(1) बूंदी जिले के सहकारी बैंक की मूल पूंजी 14,71,075) रु० है। गत 5 साल के कर्जे की तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) अल्पकालीन ऋण एक फसल तक के लिए व मध्यकालीन ऋण 3 वर्ष तक के अर्से के लिए दिया गया है। अल्पकालीन ऋण का चुकारा उसी फसल से किया जाता है, जिसके लिए ऋण दिया गया है, इसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होती। मध्यकालीन ऋण समिति के कृषक सदस्य द्वारा उसकी देय शक्ति को ध्यान में रखकर प्राय: 3 वर्ष की अवधि के भीतर निश्चित की गई किश्तों में चुकाया जाता है। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल के हिस्से खरीदने के लिए जो ऋण कृषकों सदस्यों को दिया गया है उसके चुकाने की अवधि 5 वर्ष की है और यह ऋण 4 किश्तों में चुकाया जावेगा। बैंक द्वारा सदस्य समितियों से सूद 6 प्रतिशत की दर से लिया जाता है।

(3) सहकारी बैंक के अध्यक्ष को कोई मासिक वेतन नहीं दिया जाता।

(4) जी हां। अध्यक्ष को व, जब भी बैंक के कार्य से दौरे पर जाते हैं जीप की सुविधा प्राप्त है। वर्ष 67-68 में जीप पर कुल 10,932) रु० 40 पैसे का व 1968-69 में 17,035) रु० 40 पैसे व्यय हुये हैं। वर्ष 68-69 के खर्चे में बैंक द्वारा एक और क्रय की गई जीप की कीमत भी सम्मिलित है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

सहकारी भवन

743. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)। क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में रियासत के समय में बारां आदि स्थानों पर सहकारी विभाग या सहकारी संस्थान द्वारा सहकारी भवन बनाये गये थे।

(2) यदि हाँ, तो ये किस किस स्थान पर बने हुए है और क्या वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) यह भवन बांरा, अटरू, अन्ता, सांगोद एवम् दीगोद स्थान पर बने हुऐ हैं वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हैं।

चूरू नगर को सहकारी संस्थाएं

744. श्री लाभ चन्द वैद (सुजानगढ़): क्या सहकारी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू नगर में सहकारी संस्थाएं आज तक कितनी और किस किस किस्म

(श्री लाभचन्द वैद)

की बनीं ? उनमें से कितनी चल रही हैं ? और किस किस किस्म की चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या जो सहकारी संस्थाएं बन्द हो चुकी है उनमें सहकारी धन की हानि हुई है ? अगर हां, तो किस किस सहकारी संस्था के बन्द होने के कारण कितनी 2 धन राशि की हानि हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) चूरू नगर में 64 सहकारी संस्थाएं जिस जिस किस्म की बनी हैं व इनमें से 54 सहकारी संस्थाएं जिस जिस किस्म की चल रही है, के बारे में सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है ।

(2) जी, नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

चूरू व नागौर की ऊनी मिल

745. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या उद्योग मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू व नागौर की ऊनी मिल्स को स्थापित किये जाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे और उन मिलों की स्थापना से वे उद्देश्य किस हद तक पूरे हुए हैं ?

(2) स्वीकृत योजना के अनुसार इन मिलों के लिए कितनी कितनी धन राशि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मशीनरीज एवं अन्य कार्यों के लिए स्वीकृत की गई थी ?

(3) स्वीकृत धन राशि में से कुल कितनी रकम किस किस कार्य के लिए मिल स्थापित करने वाली एजेन्सीज को किस किस वर्ष में दी गई ?

(4) उक्त एजेन्सी ने लाडनूं व चूरू में बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, मशीनरी खरीद एवं अन्य कार्यों में प्रति वर्ष कितनी धन राशि किस किस पार्टी को चुकाई है ?

(5) क्या सम्पूर्ण धन राशि का यूटिलाइजेशन हो चुका है ?

(6) इन दो मिलों का उद्घाटन कब कब और किस के द्वारा सम्पन्न हुआ और उसके बाद से अब तक इन मिलों से कितना कितना माल बना और किस किस का बिक्री किया गया ?

(7) मिलों में चलाने के लिए रॉ-मैटेरियल कितना और कब कब कहां से किस पार्टी से खरीद किया गया ? अलग अलग से बतलाने की कृपा करें ।

(8) इन मिलों से कितने स्किल्ड, सेमि-स्किल्ड एवं अन्य स्किल्ड लोगों को रोजगार दिया जा रहा है ? अलग अलग से बतलाने की कृपा करें ।

(9) रॉमैटीरियल खरीद के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है ?

(10) अब तक इन हर दो मिलों का कितनी खर्च-आमदनी प्रति वर्ष का है ? नेट प्रोफिट व नेट लोस प्रतिवर्ष कितना है हर दो मिल का अलग अलग बतलाने की कृपा करें ।

Page No 51

(श्री मेघराज पंवार)

(11) क्या इसके हिसाब का कोई ऑडिट अब तक ए. जी. की पार्टी ने किया है ? हां, तो ऑडिट पार्टी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इन मिलों को स्थापित करने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

1. ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

2. इस इलाके में पैदा हुई ऊन को बाहर भेजने के बजाय यहीं काम में लेना ताकि ऊन उत्पादकों को उनके माल का पैसा यहीं मिल जावे।

3. स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। यह उद्देश्य किसी हद तक पूरे हुये हैं।

(2)	स्पिनिंग इकाई	कोम्बिंग इकाई
(i) बिल्डिंग कन्सट्रक्शन	93,000)	93,000)
(ii) मशीनरी	4,56,300)	4,53,000)
(iii) अन्य कार्य	49,700)	55,000)
	5,99,000)	6,01,000)

(3) स्वीकृत धनराशि में से भवन निर्माण, मशीनरी एवम् अन्य कार्यों के लिए निम्न प्रकार से राशि राज्य सरकार द्वारा निगम को प्रदान की गई:—

दिनांक	रुपया
31-3-65	5,20,000)
23-9-66	9,00,000)
26-2-67	5,80,000)
31-3-67	4,00,000)
कुल योग···	24,00,000)

(4) 1. मुख्य मशीनरी मैसर्स पार्स कैमिकल इन्जीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री वर्क्स प्रा० लि०, लुधियाना द्वारा सप्लाई की गई है, जिस पर कुल लागत 18,34,762) रु० आई है।

2. भवन निर्माण का कार्य मुख्य रूप से मैसर्स मंगल कनीसा जयपुर द्वारा निष्पादित किया गया है, जिस पर कुल लागत रु० 4,18,064) आई है।

3. इलैक्ट्रिक इन्सटालेशन का कार्य मैसर्स इलैक्ट्रोलाईट्स, जयपुर द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में रु० 1,62,952) का खर्चा हुआ है।

4. शेष अन्य सामान्य विभिन्न पार्टियों से क्रय किया गया है।

(5) युटिलाईजेशन का विवरण की तालिका 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) चूरू मिल का उद्घाटन दिनांक 9 नवम्बर, 1967 को राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, एवं लाडनूं मिल का उद्घाटन दिनांक 21 जनवरी, 1968 को राजस्थान के वित्त मन्त्री

Page No 52

(उद्योग मन्त्री)
श्री मथुरादास माथुर के द्वारा सम्पन्न हुआ था :

(7) अब तक (28 फरवरी, 1969 तक) के उत्पादन की तालिका व विक्रय की तालिका (ब,स,द) सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (तालिका 'र')

(8) चूरू एवं लाडनूं मिलों में इस समय निम्न लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जो कि अधिकतर इसी इलाके के हैं एवं उन्हें यहीं पर प्रशिक्षित किया गया है, या किया जा रहा है:—

	चूरू	लाडनूं
(1) स्किल्ड वर्कर		
(अ) कैटेगरी I	9	8
(ब) ,, II	7	15
(2) सेमीस्किल्ड वर्कर		
(अ) कैटेगरी I	1	—
(ब) ,, II	10	3
(3) अनस्किल्ड वर्कर	3	6
कुल योग······	30	32-62

(9) मिलों के लिए कच्चे माल की खरीद बाजार से, अखबारों में विज्ञापन देकर एवम् विक्रेताओं से सम्पर्क द्वारा सीधे नमूने मंगवाकर व बाजार से दलालों की मार्फत नमूने लेकर एवं व्यक्तिगत व पत्रादि द्वारा नेगोसिएशन करके तय कर ली जाती है। मिल सम्बन्धी अन्य माल सीधे उत्पादकों से एवं सोल सेलिंग ऐजेन्टों से खरीदे जाते हैं।

(10) चूरू तथा लाडनूं, दोनों ही मिलों का आरम्भ वित्तीय वर्ष 67-68 के दौरान हुआ था। इन पर व्यय, आय तथा हानि का विवरण निम्न है:—

वर्ष	व्यय रु०	आय रु०	हानि रु०
चुरू मिल :			
1967-68	2,05,207-35	972-93	2,04,234-42
1968-69	4,93,176-61	3,04,588-17	1,38,588-44
लाडनूं मिल :			
1667-68	1,67,437-66	550-00	1,66,867-66
1968-69	3,47,626,19	1,52,243-07	1,95,383-12

(11) इसके हिसाब का ऑडिट ए०जी० द्वारा किया गया है। ए० जी० (महालेखाकार, राजस्थान) के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखदी गई है। (तालिका 'प')

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पावर लूम इन्सपैक्टर्स की पोस्ट

76. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या उद्योग मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

उद्योग विभाग में पावरलूम इन्स्पेक्टर्स की कितनी पोस्ट इस समय है और कौन कौन इन पोस्टों पर कब कब से कार्य कर रहे हैं ? इनकी विभागीय प्रथम नियुक्ति कब की व किस पद की है ? विवरण

(श्री मेघराज पंवार)
सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

चार।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

टोंक में चर्म उद्योग

747. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोंक खास में चर्म उद्योग स्थापित करने हेतु विश्व के विभिन्न देशों से टेन्डर्स आमंत्रित किए गए थे? यदि हां, तो किस किस देश से आये? कृपया सूची सदन में रखें:—

(2) किसका टेन्डर स्वीकार किया गया?

(3) क्या यह सच है कि इस उद्योग हेतु भूमि अवाप्त कर ली गई है? यदि हां, तो किस जगह और कुल कितनी भूमि है? और किस किस व्यक्ति की है सूची सदन में रखें?

(4) क्या यह सही है कि भूमिधारों को मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो कितना कितना? आंकड़े सदन में रखें।

(5) क्या यह सही है कि यह उद्योग अभी तक इसलिए स्थापित नहीं किया गया क्योंकि चेकोस्लोवाकिया ने इसे अलाभकारी समझा? यदि नहीं तो फिर विलम्ब के क्या कारण है? और अब कब तक स्थापित होने की आशा है?

(6) क्या यह सही है कि गृह मन्त्रीजी द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इसे उप-चुनाव पूर्व स्थापित कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां, निम्न चार पार्टियों से निविदायें प्राप्त हुई हैं:—

1. मैसर्स सोफीमेक्स व मरसियर फ्रेरस, फ्रान्स।

2. मैसर्स इन्वेस्ट इम्पोर्ट, युगोस्लाविया।

3. मैसर्स मित्तर फोरेन ट्रेड कारपोरेशन, चैकोस्लोवेकिया।

4. मैसर्स टेक्नो एक्सपोर्ट स्टेट कर्मशिप एन्टर प्राइजेज, बलगेरिया।

(2) इन निविदाओं पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) जी हां, टोंक जिले के महा गांव की 193 बीघा भूमि अवाप्त की गई हैं। किस किस की कितनी भूमि है उसकी सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं, यह मामला अभी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा तय किया जाना है।

(5) जी नहीं, अभी सभी विदेशी सहयोगियों से बातचीत चल रही है। और आवश्यक शर्तों पर समझोता होना बाकी है। आशा है शीघ्र ही शर्तें तय हो जावेगी एवं योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा

Page No 54

(उद्योग मंत्री)

(6) इस योजना का उप-चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वूलन मिल बीकानेर में सामान को खरीद

748. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नौखा) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर राजकीय वूलन मील ने किन किन व्यापारियों से व अन्य लोगों से गत एक वर्ष में कुल कितनी ऊन क्या क्या भाव में खरीदी ?

(2) इससे अब तक कितनी कीमत के मूल्य का माल बनाया गया ?

(3) इस वर्ष मार्च से जुलाई तक कुल कितना माल बेचा गया ?

(4) यदि इस वर्ष मार्च तक के घाटे मुनाफे की कोई रिपोर्ट तैयार की हो तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जुलाई, 1969 तक 44,27,944.10 रुपये का माल बनाया गया है।

(3) कुल 24,35,153.37 के मूल्य का माल बेचा गया।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सब-डिवीजन प्रतापगढ़ से लाइम स्टोन

749. श्री हुरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु.): क्या खनिज मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिवीजन प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत अचनारा कामलिया पाल पर बढ़िया लाइमस्टोन का बहुत बड़ा भन्डार है ? यदि हां, तो क्या सर्वे करवा कर राज्य सरकार इस काम को अपने हाथ में लेगी ?

(1) क्या यह भी सत्य है कि स्टेट के टाईम में इस खान का ठेका दिया जाता था, जो प्रतापगढ़ को छोड कर अन्य जगह भी जाता था ?

(3) क्या यह सही है कि एक आदिवासी एरिया होने के नाते अगर राज्य सरकार इस काम को चालू कराये तो हजारों आदिवासी लोगों के लिये मजदूरी का साधन बन सकता है ?

उत्तर

(1) कामलिया पाल पर लाइम स्टोन के भंडार का होना अभी तक विदित नहीं हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है। सर्वेक्षण का कार्य प्रोग्राम के अनुसार किया जावेगा।

Page No 55

(खनिज मंत्री)

(2) ऐसा बताया गया है किन्तु पूरी जानकारी नहीं होने से मालूमात की जा रही हैं।

(3) पूर्वेक्षण कार्य हो जाने पर यदि यह साबित हो जायेगा कि इधर लाइम स्टोन के अच्छे भण्डार हैं तो आवश्यक कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

भीमड़ा ट्यूब वैल की क्षमता

750. श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में जो भीमड़ा ट्यूब वैल खोदा गया है उसकी जल क्षमता कितनी है?

(2) उक्त ट्यूब वैल को कमीशन कराने में विलम्ब होने के क्या कारण है?

(3) उक्त ट्यूब वैल का कब तक कमीशन करा दिया जायगा?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में जो नलकूप खोदा गया है उसकी जल क्षमता 18000 गैलन प्रति घंटा है। भीमड़ा नलकूप जो कि इ.टी.ओ. द्वारा निर्मित किया गया था, उसकी टैस्ट रिपोर्ट अभी हाल ही में इ. टी. ओ. द्वारा प्राप्त हुई है। पम्प व मशीन आदि लगाये जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है इसके उपरान्त इसे शीघ्र ही करा दिया जायेगा।

बीज की बकाया रकम

751. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या कृषि मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति की बागोली तथा मनकसास पंचायतों के सरपंचों में बीज की कितनी रकम बकाया है तथा कितने समय से बकाया चली आ रही है?

(2) इस बकाया वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) विकास विभाग इस विषय में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

मालकाना टैक्स

752. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सन् 1955 से पूर्व के कब्जे की भूमि पर मालकाना टैक्स ढालबाछ में दर्ज कर दिया गया हैं? यदि हां, तो किस रेट से व कुल कितने रकबा पर मालकाना टैक्स कायम किया है? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(2) क्या यह सही है कि सन् 1955 से पहले का रकबा खातेदारी है ? यदि हां, तो फिर मालकाना टैक्स क्यों लगाया गया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के सन् 1955 के पूर्व की भूमि पर मालकाना ढालबाँछ में लगाया गया है। मालकाना की शरह सिंचित क्षेत्र में 4 रु० प्रति बीघा, असिंचित क्षेत्र में 1 रु० प्रति बीघा एवं बारानी क्षेत्र में 25 पैसे है। 1955 के पूर्व में कृषकों की पूर्व की भूमि जिस पर इस शरह से मालकाना दर्ज किया है उनकी उपनिवेशन तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

जिला गंगानगर में गन्ने की पैदावार

753. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या कृषि मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में गन्ना अधिक पैदा होता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा काश्तकारों से गन्ना खरीदने का क्या इन्तजाम है ? गंगानगर शुगर मिल से इस वर्ष कुल कितना गन्ना लिया गया जिससे कितनी चीनी पैदा हुई ? तादाद गन्ना व चीनी की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि काश्तकारों को अपने गन्ने की कीमत पूरी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? प्रति मन कितनी कीमत काश्तकारों को दी जाती है ? तालिका मुताबिक रेट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल जिले भर के काश्तकारों का गन्ना खरीदनें में असमर्थ रही है ? यदि हां, तो दूसरी शुगर मिल खोलने का प्रबंध सरकार क्यों नहीं करती हैं ? क्या राज्य सरकार इस प्रकार की तकलीफ को ध्यान में रखकर एक शुगर मिल हनुमानगढ़ या रायसिंहनगर में चालू करने पर विचार करेगी।

उत्तर

(1) जी हां। गंगानगर शुगर मिल गन्ना खरीदती है। गंगानगर शुगर मिल द्वारा 94382 टन गन्ना क्रय किया गया तथा 76724 टन चीनी पैदा हुई।

(2) जी नहीं। 1968-69 के क्रशिंग सीजन में निम्न दर से गन्ना क्रय किया गया।

	दर जो दी गई प्रति क्विंटल	राज्य द्वारा नियत दर
फैक्टरी गेट पर	10 रु०	7.37
बाहर के स्टेशनों पर	9.68 रु०	7.05

(2) जी नहीं। मिल को गन्ने की कमी के कारण समय से पहिले बन्द करना पड़ा।

निलम्बित अधिकारी

754. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान जिला भेड़ व ऊन अधिकारियों में से कौन कौन से कब कब किस

(श्री हरजीराम बुड़रक)
किस आरोप में निलंबित हुए थे और कब कब किन किन सूरत में बहाल किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन आरोपों में निलंबित हुए थे उनकी जांच के क्या क्या परिणाम निकले ?

(3) उक्त अधिकारियों में से जो बहाल किये गये हैं उनके खिलाफ चल रही जांच सम्पूर्ण हुई या नहीं ? यदि हुई तो बहाल करने के पहले या बाद में ?

(4) उक्त अधिकारियों में से किन किन के खिलाफ विभागीय कार्यवाहियां कब कब से चल रही हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान जिला भेड़ व ऊन अधिकारियों में से श्री सत्यकीर्ति शर्मा जिला भेड़ व ऊन अधिकारी नागौर को दिनांक 7-3-68 को जोधपुर ऊन वर्गीकरण केन्द्र पर ऊन के क्रय में अनियमिततायें करने के आरोप में निलंबित किया गया गया था दिनांक 6-3-69 को उनके विरुद्ध जांच के परिणामों पर किसी प्रकार के विपरीत प्रभाव न होने की अवस्था में राज्य सरकार द्वारा जांच विचाराश्रित बहाल किये गये।

(2) जांच अभी विचाराधीन है।

(3) जांच संपूर्ण नहीं हुई है। जाँच विचाराश्रित बहाल किया गया है।

(4) विभागीय जाँच दिनांक 12-6-69 को राज्य सरकार को प्राप्त हुई और विचाराधीन है।

पशु चिकित्सालय लाडनू

755. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पशु चिकित्सालय लाडनू में कब से चल रहा है और वह यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से कोई इकरार दिया हो तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या किसी दानदाता ने कोई भवन सरकार को पशु चिकित्सालय के लिये बनवाकर दिया है ? यदि हां, तो कब कहां पर और जहां पर यह भवन बना है वह जमीन किसकी है ?

(3) क्या उक्त भवन को सरकार ने अधिग्रहण किया है ? यदि हां, तो कब किन किन शर्तों पर और क्यों ?

क्या उक्त भूमि पर भवन बनाने वाले का कोई मालिकाना हक नहीं है ?

(4) क्या यह भवन कृषि भूमि पर अनाधिकृत निर्माण कर बनवाया था ?

(स्थगित किया गया)

जैसलमेर जिले की प्राचीन सम्पदा

756. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जैसलमेर प्राचीन संस्कृति व सम्पदा का प्रतीक है ? अगर हां,

Page No 58

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

तो राज्य सरकार इस सम्पदा के संरक्षण की भविष्य में क्या व्यवस्था करने का योजना बना रही है ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

समाचार पत्रों को विज्ञापन

757. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या जन सम्पर्क विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1966 से फरवरी, 69 तक राजस्थान के किन किन दैनिक पत्रों, साप्ताहिक आदि पत्रों को एवं राजस्थान के बाहर के दैनिक व साप्ताहिक आदि पत्रों को कितने कितने रुपयों के विज्ञापन दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1967 के चुनाव कार्यकाल के दो माह में राज्य के किस किस दैनिक व साप्ताहिक पत्रों को कितने कितने रुपयों के विज्ञापन दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) राजस्थान के अधिकृत व पंजीकृत समाचार पत्रों में से किस किस दैनिक व साप्ताहिक पत्रों को वर्ष 1968 में विज्ञापन नहीं दिया और उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) राजस्थान के पत्रों को दिये गये विज्ञापनों की सूची परिशिष्ट क-1-3 व राजस्थान के बाहर के पत्रों को दिये विज्ञापनों की सूची परिशिष्ट (क-4) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(परिशिष्ट 'क' 'ख' व "ग" देखिये)

(3) गणराज्य बीकानेर
अनियमित रहने के कारण।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

ग्राम बिलणियासर में चरागाह की भूमि पर काश्त करने के मामले

349. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील नोखा के ग्राम बिलणियासर में चरागाह की भूमि को किसी व्यक्ति ने काश्त की है ? यदि हां, तो सरकार इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, यह सही है कि ग्राम बिलणियासर में चरागाह की भूमि एक व्यक्ति ने काश्त की है उसके विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही जारी है।

स्थगित प्रश्न
(20-8-69)

जिला उद्योग अधिकारी, नागौर द्वारा प्रशिक्षण इकाइयों के सामान की नीलामी

331. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला उद्योग अधिकारी, नागौर द्वारा जिले की पंचायत समितियों के अन्तर्गत चल रही उद्योग प्रशिक्षण इकाइयों का सामान नीलाम किया गया था? यदि हाँ, तो किन किन पंचायत समिति का सामान कब कब कितने कितने मूल्य के किस किस व्यक्ति को नीलाम किया गया और उक्त सामान की लागत कीमत क्या क्या थी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) लागत कीमत को देखते हुए सामान की बिक्री से हुई आय की तुलना करने पर क्या यह सामान इसी कीमत पर बेचना उचित था? यदि हां, तो यह निर्णय किस अधिकारी द्वारा किस आधार पर किया गया?

(3) यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हों तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों में चलाये गये बन्द केन्द्रों के सामान के निस्तारण के लिये राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 31 (10) उ० क०/62, दिनांक 1-4-64 के अनुसार गठित कमेटी द्वारा नीलामी की जाती है। इस कमेटी का अध्यक्ष सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति होता है उद्योग विभाग की ओर से सम्बन्धित अधिकारी इस कमेटी के सदस्य होते हैं।

निम्नलिखित पंचायत समिति, का सामान अब तक नीलाम किया जा चुका है:—

1. जायल
2. डीडवाना
3. लाडनूं

इससे सम्बन्धित विस्तृत जानकारी अभी तक सम्बन्धित विकास अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई है।

(2) वांछित सूचना विकास अधिकारियों से प्राप्त होने पर ही उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(3) जी नहीं।

सरकार पर देनदारियों के दावे

356. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या विधि विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के निर्माण के बाद में सरकार पर कितनी देनदारियों के दावे दायर किये गए? सालवार व जिलेवार बतलावें।

(2) अब तक जितनी देनदारियों के दावे किए गए उनमें से कितनों पर अदालत से वादी सरकार पर कुर्की लाया और किस पर?

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(3) सरकार का देनदारियों के मुकदमें लड़ने में कितना खर्चा लगा, कितना अदालती खर्चा दिया गया और कितना देना बाकी है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(20-8-69)

तहसील छबड़ा के गांवों में बिजली सिंगल फेस मीटर्स की खरीद के लिए आमन्त्रित टेन्डर्स

350. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 67-68 व 68-69 में सिंगल फेस मीटर्स का क्रय करने के लिए टेन्डर्स आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में किस किस फर्म ने टेन्डर्स दिये थे ? कृपया उन टेन्डरर्स के नाम, दरों की तुलनात्मक सूची सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) किस किस फर्म के टेन्डर्स स्वीकार हुए व किस किस आधार पर ?

उत्तर

(1) सन् 67-68 व 68-69 में सिंगल फेस मीटर्स के लिए टेन्डर्स आमंत्रित किये गये थे तथा टेन्डर्स के नाम मय दरों के तुलनात्मक सूची संलग्न है।

(2) सूचना सूची 'द' पर संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(20-8-69)

परचेज कमेटी का पुनर्गठन

361. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मई, 1969 के पूर्व आर. एस. ई. बी. द्वारा गठित परचेज कमेटी में बोर्ड के चेयरमैन निरन्तर भाग लेते रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि मई, 1969 में कमेटी का पुनर्गठन किया गया ? यदि हां, तो इस कमेटी के कौन कौन सदस्य व अध्यक्ष हैं तथा इससे पूर्व की कमेटी में कौन कौन थे ?

उत्तर

(1) मई 1969 से पूर्व किस समय की सूचना चाही गई है यह प्रश्न से स्पष्ट नहीं है।

(2) जहां तक मई 1969 से तुरन्त पूर्व (इमीडियेट बिफोर) का प्रश्न है अध्यक्ष विद्युत् मण्डल द्वारा अपनी 103वीं बैठक जो 3-4-68 को हुई के निर्णय के आधार पर भाग ले रहे हैं।

जी हां।

(विद्युत मंत्री)

मई, 1969 में गठित कमेटी के सदस्य निम्नलिखित थे :—

अध्यक्ष संयोजक
तकनिकी सदस्य सदस्य
लेखा एवं वि० सदस्य सदस्य
मुख्य अभियन्ता सदस्य सचिव।

इससे पूर्व की कमेटी जो मण्डल की दिनांक 3 अप्रेल, 1968 को 103 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर गठित हुई थी उसके सदस्य निम्नलिखित थे :—

अध्यक्ष संयोजक
तकनिकी सदस्य सदस्य
लेखा एवं वि० सदस्य सदस्य
मुख्य अभियन्ता सदस्य सचिव।

इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया था कि तकनिकी सदस्य का भाग लेना सम्भव हो सके तब प्राप्त कर लिया जावे।

स्थगित प्रश्न
(22-8-69)

अकाल पीड़ित क्षेत्रों में मंत्रियों को भेंट की गई थैलियां

451. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अकाल पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करते समय किन किन मन्त्रियों को रुपयों की थैली किन किन गांवों में भेंट की गई तथा वह राशि किस कार्य में लगाई गई ?

उत्तर

(1) अकालग्रस्त क्षेत्रों में दौरा करते समय निम्नांकित मन्त्रियों को थैली भेंट की गई—

1.—मुख्य मन्त्री—

(क) बीकानेर (कोलायत) 53,000) रु.

(ख) पाली 53,000) रु.

(ग) नागौर 53,000) रु.

ये थैलियां मुख्य मन्त्री जी के 53 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपलक्ष में भेंट की गई थीं और यह धनराशि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जमा कराने हेतु दे दी है।

2.—वित्त मन्त्री—

(क) बीकानेर 6,000) रु.

(ख) नोखा कोलायत 30,000) रु.

36,000) रु.

इस राशि को निम्नांकित अनुसार उपयोग में लाया गया है :—

(1) प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 15,000) रु.

(2) खण्ड कांग्रेस कमेटी नोखा व कोलायत को 15,000) रु.

(3) राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल व बाढ़ सहायता कोष में 6,000) रु.

(मुख्य मंत्री)

मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों को दौरे के समय अकाल सहायता कोष हेतु चन्दे के रूप में एकत्रित धन राशि नकद या चैक के रूप मे कई स्थानों पर दी गई हैं जिन्हें सम्बन्धित कलेक्टर अथवा मुख्य मन्त्री कार्यालय में जमा करवा दिया गया है। ये राशियां चन्दे के रूप में थीं अत: इनके सम्बन्ध में सूचना संकलित नहीं की गई।

स्थगित प्रश्न
22-8-69

मंत्रियों, उप-मंत्रियों आदि के दौरों पर हुआ खर्च

455. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या मुख्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मई, सन् 1967 से जनवरी सन् 1969 तक मन्त्री व उप-मन्त्रियों व राज्य मन्त्री तथा संसदीय सचिवों ने दौरों पर व अन्य सरकारी व गैर सरकारी समारोहों में कितना कितना टी. ए. व डी. ए. पैट्रोल खर्च किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त मन्त्री व उप-मन्त्री आदि के साथ में किस प्रकार का कितना कितना स्टाफ रहा और उन प्रत्येक को कितना कितना टी. ए. व डी. ए. आदि में भुगतान करना पड़ा ? सूची सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है। (परिशिष्ट 1 व 2 देखिये)

(2) आवश्यकता के अनुसार मंत्रियों के साथ निम्नांकित अनुबंधित स्टाफ में से कर्मचारीगण उनके साथ भ्रमण के समय जाते है:—

स्टाफ का प्रकार	संख्या		
	मंत्री	राज्य मंत्री	उप-मंत्री
1	2	3	4
निजी सचिव	1	1	) इनमें से
निजी सहायक	2	1	) केवल दो
कनिष्ठ लिपिक	1	1	)
च. श्रे. कर्मचारी	4	4	3

उक्त स्टाफ पर हुए खर्चे की सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
22-8-69

सुमेरपुर में आबादी भूमि पर नाजायज कब्जा

461. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सुमेरपुर, जिला पाली में किस किस का कितनी कितनी आबादी भूमि पर कब कब से नाजायज कब्जा है ? किस किस नाजायज कब्जे को हटाने हेतु अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या क्या फल हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने सुमेरपुर की आबादी भूमि के राज्य के खर्चे से दो बार मास्टर प्लान बनाये ? यदि हां, तो इन मास्टर प्लानों का अब तक क्या उपयोग हुआ ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
22-8-69

बंगाली विस्थापितों की कॉलोनी की चद्दरें

463. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा की तहसील किशनगंज में स्थित बंगाली विस्थापितों की तीन कॉलोनी घट घट्टी, परानिया एवं गोरधनपुरा में बने विस्थापितों के मकानों पर कितनी कितनी नालीदार चद्दरें लगी थीं और अब कितनी कितनी चद्दरें लगी हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि विस्थापित कॉलोनी में लगाई गई चद्दरों में से बहुतसी चद्दरें गायब हो गई है ?

यदि हां तो कब कितनी चद्दरें गायब हुई और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
22-8-69

चम्बल के नहर के लीकेज व सीपेज के पानी से पास की भूमि का खार आदि से खराब होना

464. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला क्षेत्र की तहसील लाडपुरा, दिगोद, पीपलदा, मांगरोल आदि क्षेत्र में चम्बल नहर के लीकेज व सीपेज के पानी से नहर के निकट के किसानों की कई बीघा भूमि खार आदि से खराब हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी खार आदि के कारण खराब पड़त भूमि का लगान व सरचार्ज भी सरकार द्वारा वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और किन कारणों से ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग की सूचना के अनुसार मांगरोल, पीपलदा, दीगोद में कोई

Page No 64

(राजस्व मंत्री)
भूमि नहर के सीपेज से खराब नहीं हुई है। तहसील लाडपुरा में नहर के लीकेज व सीपेज के कारण कुछ भूमि खराब हुई है जिसका मुआवजा सिंचाई विभाग द्वारा दे दिया है।

(2) जब तक खातेदार के खाते में जमीन है तब तक वे लगान सरचार्ज के देनदार हैं। जमीन त्यागने पर सरचार्ज कम हो सकता है।

स्थगित प्रश्न
22-8-69

रामगंज मंडी में भूमि का गलत अलाटमेंट

469. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ऊंडवा, ईश्वरपुरा व रामगंज मन्डी के अनेकों दूसरे गांवों में तहसीलदार द्वारा गलत अलॉटन्मैट कर देने के फलस्वरूप सरकार द्वारा 1966 में तहसील के सारे अलॉटमैन्ट केंन्सिल कर दिये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कितने क्षेत्र में अलाटमेन्ट केन्सिल किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अलाटमेन्ट किस कारण रद्द किये गये थे जो कि 15 बीघा से अधिक भूमि वाले व्यक्तियों को जमीनें अलाट करदीं गई थी जब कि उन्हीं गांवों के भूमिहीन किसान भी मौजूद थे और उनकी भी जमीन की मांग थी ? यदि हां, तो भूमि वाले और भूमिहीन काश्तकारों का अलाटमेन्ट किस अनुपात में रद्द किया गया था ?

(3) क्या सरकार ऐसे अलॉटमैन्ट को जो भूमिहीनों को किये गये थे रेगूलेराइज करने का आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो उक्त जमीन के लिये भविष्य में क्या प्रोसीजर अपनाया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम ऊंडवा तहसील रामगंजमन्डी में इस अलॉट शुदा जमीन को चरागाह में परिवर्तित करने की मांग ग्राम पंचायत व शिकायत करने वाले भूमिहीन काश्तकारों ने मिलजुल कर की हुई है व चरागाह की इतनी ही जमीन को भूमि अलॉटमैन्ट के लिये निकाल देने व नये ढंग से अलॉट करने की मांग है ? यदि हां, तो इस मामले पर अब तक गौर नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) ग्राम ऊन्डवा का कोई भूमि आवंटन निरस्त नहीं किया गया है। ग्राम ईश्वरपुरा में किया गया भूमि आवंटन तहसीलदार द्वारा ही निरस्त समझा गया है। रामगंज मण्डी तहसील के अन्य 32 ग्रामों में किया गया भूमि आवंटन राज्य सरकार के आदेश से सन् 1966 में निरस्त किया गया था। जिसकी सूची संलग्न है।

(2) राज्य-सरकार द्वारा भूमि आवंटन के निरस्त के 116 मामलों में से 55 मामलों में आवंटन इस कारण निरस्त किया गया था कि आवंटनी के पास पहले से ही 15 बीघा से अधिक भूमि थी।

Page No 65

(राजस्व मंत्री)

(3) वर्तमान नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी ।

(4) यह सही नहीं है । इसलिये गौर करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(22-8-69)

ग्राम कनवास को जमीन का अलॉटमेन्ट

474. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) क्या यह सही है कि ग्राम कनवास, तहसील सांगोद में श्री छीतर वल्द गणेश भील को दिनांक 21-8-64 को आराजी नं. 161 में 5 बीघा व आराजी नं. 186 में 5 बीघा कुल 10 बीघा जमीन अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा अलाट की गई थी और उक्त जमीन का गणेश लगान देता आ रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि आराजी नं. 186 की जमीन पथरीली होने के कारण गणेश ने इसी नम्बर की अतिरिक्त भूमि से तब्दील करने की दरख्वास्त की थी जो मन्जूर नहीं की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि 186 नम्बर खसरा की अतिरिक्त भूमि में से कुछ जमीन फूल-खां नाम के व्यक्ति को अलॉट कर दी गई थे और इसकी आड़ में पटवारी गणेश अलाट शुदा भूमि को भी छुड़ाने का प्रयास कर रहा है ।

(4) क्या सरकार भूमि सम्बन्धी अनेकों व्यवहारिक कठिनाइयों की वास्तविक जानकारी करने व उन्हें स्थायी तौर से सुलझाने की व्यवस्था करने का विचार करती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(22-8-69)

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण

482. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन 68-69 एवं 69-70 में राजस्थान के किस किस जिले के कितने कितने गांवों को किस किस माह में बिजली दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन गावों में अधिकांश ग्राम ऐसे हैं जो वार्षिक योजना में शामिल नहीं थे ? यदि हां, तो फिर इन गांवों में बिजली किस आधार पर लगाई गई थी, कृपया इन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।
जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

Page No 66

स्थगित प्रश्न
(22-8-69)

एग्जीक्यूटिव इन्जिनीयर, चूरू के कार्यालय की जीपें

489. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या विद्युत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आर एस. ई. बी. चूरू के एग्जीक्यूटिव इन्जिनीयर के कार्यालय स्टाफ में कितनी व्हीकल्स हैं (जीप, ट्रक, ट्रैक्टर पिक-अप) ? इन व्हिकल्स से क्या क्या कार्य लिये जाते हैं और वे किसके चार्ज में है ? इन व्हिकल्स में से कितने खराब है और कितने चालू स्थिति में हैं ? अगर चालू स्थिति में नहीं है तो कब से और कौन कौन सी गाडियां ? इन गाडियों पर कितना स्टाफ तैनात है। नामवार सूची सदन में रखवाने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि आर. एस. ई. बी. चूरू द्वारा मंजूर किये गये कनेक्शन्स के एस्टीमेट में जो लेबर चार्ज व ढुलाई का प्रोविजन होता है वह रकम कार्य शुरू होने के पहले कनज्युमर्स से जमा करवाली जाती है और खम्भों की ढुलाई कनज्युमर्स को अपने पास से खर्च करनी पडती है ?

उत्तर

(1) कार्यालय में तो वही वाहन समझी जाती है जो कार्य करने योग्य है । और ऐसी गाड़ी दो हैं । जिनका विवरण संलग्न है । इन पर दो ड्राइवर तैनात है । जो वाहन कार्य योग्य नहीं है उनकी सूची पृथक रुप से संलग्न है कृषि हेतु दिये जाने वाले कनैक्शनों में कोई ट्रान्सपोरेटेशन चार्जेज नहीं लिये जाते अन्य प्रकार के करेक्शनों में लिये जाते हैं ।

(2) विशेष परिस्थिति में कन्जूमर्स स्वेच्छा से ऐसा करते है ।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(22-8-69)

चूरू और लाडनूं की ऊन मिलें

492. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि चूरू और लाडनूं में शुरू होने वाली ऊन मिलों में उत्पादन शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कब कब से और अब तक प्रति माह कितने कितने मूल्य का कितना कितना उत्पादन हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त दोनों मिलों में अब तक कच्चा माल कहां से कब कब कितने कितने रुपयों का खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) माल कच्चा खरीदने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? यदि इस सम्बन्ध में कोई नियम बनायें हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त मिलों से उत्पादन हुए ऊनी धागे को बेचा है ? यदि हां, तो कब कब कितना कितना धागा किस किस को बेचा ? किस किस रेट

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पर बेचा तथा उसका उत्पादन मूल्य क्या था तथा कितना मार्जिन रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उपरोक्त मिलों में उत्पादन हुए धागे को किस प्रकार से बेचा जाता है और इस सम्बन्ध में कोई नियम बना रखे हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) उपरोक्त दोनों मिलों के निर्माण में कुल कितने कितने रुपये चालू होने तक खर्च हुए थे और उसके बाद कार्यशील पूंजी कितनी कितनी है तथा कितना कितना माल स्टॉक में है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) उक्त मिलों के उत्पादन शुरू होने के बाद अब तक प्रति माह किस किस मद में कितना कितना खर्चा और कितनी कितनी आय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8) उत्पादन शुरू होने से लेकर अब तक उक्त मिलों में प्रति माह कितना कितना नफा या नुकसान रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(9) मिलों में बनने वाले धागे का उत्पादन मूल्य निर्धारित करते समय क्या क्या खर्चा शामिल करते हैं और उसको बेचने के मूल्य में कितना मार्जिन रखते हैं ?

(10) उक्त मिलों को खोलने का उद्देश्य क्या था और उसकी पूर्ति कहां तक हो रही है ?

(11) उक्त मिलों के संचालन के संबंध में कोई नियम बना रखे हैं तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(12) उक्त मिलों में शुरू से लेकर अब तक किन किन कर्मचारियों ने किस किस पद पर तथा उक्त पद के लिये क्या क्या योग्यतायें होनी चाहियें थी तथा उस पर नियुक्त कर्मचारियों की क्या क्या योग्यतायें हैं और अब इनमें कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा किसी की सेवायें समाप्त की गई तो किन किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और कर्मचारियों की सेवाओं के संबन्ध में कोई नियम बने हुए हों तो उनकी प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(13) उपरोक्त मिलों का किसी अधिकारी द्वारा अब तक निरीक्षण किया हो तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन का मेज पर रखने की कृपा करें।

(14) उक्त दोनों मिलों में कितने कितने मूल्य की कौन कौन सी मशीनें कब कब किस किस फर्म से खरीदी गई तथा उनका मूल्य किस आधार पर तय किया गया था तथा उनको कितना कितना पेमेन्ट कब कब किया और कितना कितना पेमेन्ट किन किन कारणों से बकाया है ? मशीनें सप्लाई करनेवाली फर्मों के साथ किये गये एग्रीमेन्ट की प्रतियो सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(15) उक्त मिलों में यदि घाटा हो रहा हो तो किन किन कारणों से तथा उसको पूरा करने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं और भविष्य में क्या क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(16-8-69)

तहसील लाडनूं में काश्तकारों से गलत रूप से वसूल की गई वृक्षों की कीमत

156. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं, जिला नागौर में कुछ काश्तकारों से वृक्षों की कीमत गलत रूप से वसूल करली गई थी जो वापस काश्तकारों को देनी थी? यदि हां, तो किन किन काश्तकारों से कितनी कितनी रकमें कब कब वसूल की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि कुछ काश्तकारों ने उपरोक्त रकम को वापिस करने के लिये तहसील कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश कर रखे हैं? यदि हां, तो किस किस काश्तकार ने कब कब कितनी कितनी रकम के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था और अब तक उनमें क्या कार्यवाही हुई?

(3) अब उपरोक्त रकम काश्तकारों को कब तक लौटादी जावेगी? और आज तक नहीं लौटाने के क्या कारण थे?

उत्तर

(1) जी नहीं। रकम नियमानुसार वसूल की गई है। सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां। निम्नलिखित काश्तकारों ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए हैं:

1. श्री अमरराम पुत्र श्री जालाराम जाट सा. कृष्णापुरा ने दिनांक 15-4-69 को 60) रु० के लिए।

2. श्री सावलदान पुत्र श्री रामरतन चारन सा. चुण्डासर ने दिनांक 26-7-69 को 30) रु० के लिए।

यद्यपि वसूली नियमानुसार हुई है, फिर भी मामले का निरीक्षण किया जा रहा है।

(3) परीक्षण के बाद यदि रकम लौटाना आवश्यक हुआ तो रकम लौटा दी जावेगी।

स्थगित प्रश्न
(16-8-69)

तहसील सांगोद व रामगंज मंडी की पंचायतों द्वारा आबादी की जमीन की मांग

163. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील रामगंज मंडी व सांगोद की कितनी पंचायतों ने राजस्व विभाग से आबादी की जमीन के लिये मांग की हुई है व कब से?

(2) क्या सरकार पंचायतों द्वारा आबादी हेतु मांगी गई जमीनों के विषय में फैसला करने की कोई अवधि तय करेगी जिससे इनमें परिवर्तन के होने वाले आवश्यक विलम्ब को रोका जा सके?

Page No 69

(श्री जुझारसिंह)

(3) रेवेन्यू लैंड पर अनधिकृत रूप से मकान बना लेने के कितने मामले उपरोक्त तहसीलों में सरकार के विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) तहसील रामगंज मंडी की 6 ग्राम पंचायतों ने सन् 68-69 से, तहसील सांगोद की 20 ग्राम पंचायतों ने सन् 66-67 से राजस्व विभाग से आबादी विस्तार हेतु भूमि की मांग की है।

(2) अवधि निश्चित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

(3) राजस्व भूमि पर अनधिकृत रूप से मकानात निर्माण करने के तहसील रामगंज मंडी में 103 व सांगोद के 53 मुकदमें तहसीलों में विचाराधीन हैं।

स्थगित प्रश्न

(13-8-69 व 20-8-69)

छीपाबडौद व छाबड़ा तहसील की कृषि योग्य भूमि

38. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा जिले की छीपाबडौद व छबड़ा तहसील में एक जुलाई, 1969 के बाद कितनी कृषि योग्य भूमि एलोटमैन्ट के लिये रह गई है ? दोनों तहसीलों के पटवार सर्किल में जो भूमि काबिल एलोटमेन्ट शेष बची है उसके नम्बरान की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

तहसील छीपाबड़ौद की 20474-15 व छबड़ा की 14,679 बीघा 5 बिस्वा बंजड़ भूमि आवंटन हेतु शेष है। दोनों तहसीलों की सूची संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(19-8-69 व 20-8-69)

दी रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डैटेडनैस एक्ट

44. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दी रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डैटेडनैस एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले सुलझाये गए और कितने परिवारों को लाभ हुआ ? यह कानून कब से लागू है ?

(2) राजस्थान में कुल कितने ऐसे कर्जदार हैं जो उपरोक्त कानून के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं ?

(3) इस कानून से लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसके लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(4) क्या इस कानून के अन्तर्गत बनने वाले नियम बन चुके हैं ? यदि हां, तो कब, उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(20-8-69)

ग्राम गाडराटा में भूमि का बेचान

345. श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना) : क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जमीन खसरा नं० 645 रकबा 201) 4 ग्राम गाडराटा तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं में ग्राम की मवेशियान चरने के कार्य में आती हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) यह जमीन राजस्व अभिलेख में किस किस्म में दर्ज है और इस भूमि का कोई लगान निश्चित है या नहीं?

(3) यह भूमि आज तक कभी काश्त हुई है या नहीं? इस भूमि की स्थिति क्या है?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत गाडराटा के चार्ज में प्रबन्ध हेतु दे दी गई? यदि हां, तो कब?

(5) क्या इस सरकारी भूमि का रजिस्टर्ड डीड द्वारा विक्रय हुआ है? यदि हां, तो किसके द्वारा, कब और कितने रुपयों में किसको कितना रकबा बेचा गया है?

(6) क्या यह सही है कि इस जमीन का खरीददार द्वारकाप्रसाद पुत्र महादेव वैश्य है जो राजस्व मन्त्री महोदय के निजी सचिव श्री मदनलाल गुप्त, आर. ए. एस., का सगा चचेरा भाई है और उन्हीं के द्वारा यह सारी अनियमिततायें कराई गई हैं?

(7) क्या यह सही है कि विक्रय-पत्र होने के बाद ग्रामवासियों ने तहसीलदार खेतड़ी के समक्ष प्रार्थना-पत्र दिया था और तहसीलदार ने नामान्तरकरण न करने के व काश्त न करने हेतु पाबन्द किया था?

(8) क्या यह सही है कि तहसीलदार के आदेश के बाद भी पटवारी ने इन्तकाल दर्ज कर तस्दीक करा दिया? यदि हां, तो कैसे हुआ?

(9) क्या यह सही है कि मदनलाल, आर. ए. एस. बिना छुट्टी लिए अपने गांव बबाई जाकर इस जमीन की काश्त के लिए पुलिस मुकामी व सम्बन्धित एस. डी. एम. खेतड़ी से सांठगांठ करके अनियमिततायें करा रहे हैं और एक मुकदमा अनुमानी सरकार बनाम गणपतलाल आदि धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी पेश कराया है?

(10) क्या यह सही है कि गणपत आदि प्रार्थीगण ने एस. डी एम. श्री जगदेव सिंह के विरुद्ध मुन्तकिली मुकदमा की दरख्वास्त अदालत डी.एम. झुन्झुनूं को पेश की है? यदि हां, तो यह दरख्वास्त किन आरोपों से पेश हुई है और उसमें क्या हो रहा है?

(11) क्या यह सही है कि न्यायालय सिविल जजी झुन्झुनूं से इस जमीन को काश्त न करने एवं किसी भी प्रकार से स्थिति में परिवर्तन न करने व ग्राम के मवेशियान को चरने से न रोकने हेतु द्वारकाप्रसाद को पाबन्द कर दिया है? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(12) क्या यह सही है कि श्री मदन लाल, आर. ए. एस. के विरुद्ध राज्य सरकार

(श्री मोहनलाल मोदी)
के समक्ष इस विषय में ग्रामवासियों की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो क्या और सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम गाडराटा की आराजी भूमि खसरा नं० 645 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा चरागाह की भूमि बरवक्त बन्दोबस्त बन्जड़ सिवाय चक थी।

(2) यह भूमि राजस्व रेकार्ड में बन्जड़ चरागाह दर्ज है और इसका कोई लगान निश्चित नहीं है।

(3) यह भूमि केवल 15 बिस्वा के रकबे को छोड़कर जो सम्वत् 2021 में काश्त हुआ है आज तक कभी काश्त नहीं हुई। ऐसा सम्वत् 2008 से रेकार्ड तहसील खेतड़ी का इस ग्राम का है, से जाहिर है।

(4) यह सही है कि इस भूमि को ग्राम पंचायत गाडराटा को प्रबन्ध हेतु दिनांक 24-8-58 को संभलवाया गया। फिर दिनांक 27-7-65 को सीमा ज्ञान कराया गया।

(5) यह सही है कि इस भूमि के 4 बीघा 9 बिस्वा रकबे को श्री नाथू वल्द कालू माली साकिन गाडराटा जरिए बिचौती पत्र संख्या-365, दिनांक 17-11-66 को 400) रु० में श्री द्वारकाप्रसाद पुत्र महादेवप्रसाद महाजन साकिन बवाई को बेचा। यह रजिस्ट्री सब-रजिस्ट्रार खेतड़ी के कार्यालय में तस्दीक की गई है।

(6) यह सही है कि खरीददार श्री हरिरामप्रसाद पुत्र महादेव महाजन ब्राह्मण बवाई के निवासी हैं। श्री मदनलाल गुप्ता, आर. ए. एस., निजी सचिव माननीय राजस्व मन्त्री भी बवाई का निवासी है।

(7) हां, इसमें श्री मोहन पुत्र होला माली निवासी गाडराटा द्वारा दिनांक 10-1-67 को एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 3-1-67 को प्रार्थना-पत्र तहसीलदार खेतड़ी को प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया था कि उक्त भूमि चरागाह के काम आती है। इसलिए इसका नामान्तरकरण पुरा न करने का आदेश प्रदान किया जावे। इस पर तहसीलदार खेतड़ी ने अपना फैसला दिनांक 24-7-67 को देते हुए आदेश दिया कि उक्त भूमि का नामान्तरकरण पुरा न किया जावे तथा पटवारी उक्त भूमि किसी को काश्त न करने देवें क्योंकि भूमि सरकारी है, गोचर है।

(8) तहसीलदार खेतड़ी ने बताया हैं कि रजिस्टर इन्तकाल ग्राम बवाई के देखने से स्पष्ट है कि इस भूमि के इन्तकाल नं० 180, 181 व 193 भरे गए हैं। प्रथम इन्तकाल नं० 180 से कालू पुत्र बला माली साकिन गाडराटा कि इस खसरा नं० कि. 41) 4 आराजी लगानी 3-3 पर खातेदारी हकूक दिए गए हैं जो ठिकाना खेतड़ी के आदेश दिनांक 20-11-1949 जिससे यह 41)4 भूमि कालू को अलाट की गई के अनुसरण में इन्तकाल भरा गया था। इन्तकाल नं० 181 से कालू की फौतगी पर उसके पुत्र नाथू के नाम विरासत का इन्तकाल भरा गया है। यह दोनों इन्तकाल नं० 193 से नाथू द्वारा विक्रिय इस आराजी का कर

Page No 72

(राजस्व मंत्री)

देने पर श्री द्वारकाप्रसाद पुत्र महादेवप्रसाद महाजन साकिन बबाई के नाम खातेदारी के परिवर्तन का भरा गया है। यह दिनांक 19-11-66 को भरा गया है। हर इन्तकालों पर दिनांक 19-1-68 को तत्कालीन तहसीलदार श्री नरेन्द्रदेव शुक्ला के आदेश दर्ज हैं कि भूमि गोचर है। इन्तकाल पटवारी द्वारा क्यों भरा गया है, जवाब तलब हो। पटवारी द्वारा ठिकाने से भूमि 41)4 दिनांक 2-11-49 को अलॉट होने की रिपोर्ट करने पर दिनांक 15-5-67 को उसी तहसीलदार श्री नरेन्द्रदेव शुक्ला द्वारा तीनों इन्तकाल तस्दीक किये गए हैं।

(9) उप-मंडलाधिकारी, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनसे श्री मदनलाल, आर. ए. एस. उस संबन्ध में कभी नहीं मिले तथा किसी प्रकार की अनियमिततायें कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुकदमा अनुवानी सरकार बनाम गणपत वगैरहा 107/117 जाब्ता फौजदारी जरूर उप-मंडलाधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में पुलिस द्वारा पेश हुआ है।

(10) हां, यह सही है। गणपत, मोहन आदि की तरफ से अन्तर्गत धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी का मुकदमा जो उप जिला दण्डनायक खेतड़ी के न्यायालय में चल रहा था को मुन्तकिल करने की दरख्वास्त जिला दन्डनायक झुन्झुनू के न्यायालय में पेश की थी जो संख्या 36 सन् 1968 द्वारा दर्ज की गई थी। उपरोक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में उप-जिला दन्डनायक, खेतड़ी का विपक्षी पार्टी से मिलना, सिविल जजी, झुंझुनू द्वारा इस संबन्ध में स्टे दिनांक 2-8-68 की प्रति पेश करने पर भी कार्यवाही द्वारा न करना तथा न बहस सुनना तथा औरतों की हाजरी के प्रार्थना-पत्र पर भी कोई विचार न करना तथा बिना बहस सुने ही दिनांक 6-8-68 की तारीख से 6-9-68 तारीख दे देना तथा 6-9-68 को भी कोर्ट में कोई बहस न सुनना आदि आरोपों के आधार पर उप-जिला दन्डनायक, खेतड़ी के न्यायालय में न्याय न मिलने के आभास से यह प्रार्थना पत्र जिला दन्डनायक, झुंझुनू के न्यायालय में पेश दिया गया था। जिला दन्डनायक ने उपरोक्त मुन्तकिली प्रार्थना-पत्र के स्वीकृत करते हुए दिनांक 25-11-68 को अपना निर्णय दे दिया और मुकदमा न्यायालय उप-जिला दण्डनायक, खेतड़ी से न्यायालय उप-जिला दण्डनायक, झुंझुनू में मुन्तकिल कर दिया गया।

(11) इस संबंध में सिविल जजी द्वारा प्राप्त की गई आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(12) राजस्व विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ठ 20 देखिये)

(12.20 म. प.)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृजबल्लभ बोहरा!

श्री वृजबल्लभ बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम राणपुर, पंचायत समिति, लाडपुरा जिला कोटा में आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाने से सम्बन्धित चार

(श्री बृजबल्लभ बोहरा)
याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल (अनुपस्थित) श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कस्बा नौहर में वाटर वर्क्स का पानी खारा होने के कारण भाखरा नहर से पीने के पानी के लिए खाला शीघ्र तैयार कराने से सम्बन्धित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील कार्यालय को अलीगढ़ से उनियारा में स्थानान्तरण कराने से सम्बन्धित याचिका 15 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करता हूं।

(विराम)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम बागोली में खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट के लिए पानी हेतु बनाए जाने वाले कुओं को चाही जमीन से अलग नदी के किनारे पर बनाने से संबंधित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जसवंतगढ़ में पंचायत द्वारा करवाये गए रुपयों के पेटे गांव में विद्युत् लाइनों का विस्तार करने सम्बन्धी दो याचिका देने वालों द्वारा याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(विराम)

मैं ग्राम ललासरी तहसील डीड़वाना के चारागाह की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बारां पंचायत समिति के ग्राम बोरदा के अनुसूचित जाति के परिवारों की कालोनी बनाने के सम्बन्ध में 4 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

मैं कोटा तहसील की मांगरोल क्षेत्र की प्रमुख सड़क अन्ता-सीसवाली रोड़ को पक्का बनाने के सम्बन्ध में 4 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

मैं तहसील बारां में कोयला अप्रोच रोड़ को पक्का बनाने सम्बन्धी 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

मैं बारां नगर के गन्दे नाले को पक्का बनाने के सम्बन्ध में 4 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

श्री देवीलाल बुरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जुनिया-केकड़ी रोड पर डाई नदी की रपट बनाने व सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

मैं बिसुन्दनी बांध का निर्माण कराने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम

मैं पंचायत समिति केकड़ी के ग्रामों में कुओं पर बिजली दिलाने के सम्बन्ध में याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

(श्री देवीलाल बुरासिया)

मैं खारी नदी में व केकड़ी से सावर रोड़ पर रपटें बनवाने के सम्बन्ध में 4 याचिकाएं देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

मैं ग्राम बघेरा में कुओं पर बिजली दिलवाने सम्बन्धी याचिका देनें वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

मैं केकड़ी खादेड़ा सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूँ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री परसराम मदेरणा।

विधायी कार्य

श्री रामप्रसाद लड्ढा (श्री परसराम मदेरणा की ओर से) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री मदनसिंह दांता, सदस्य विधान सभा, ने दांता रामगढ़ के हरिजनों को भूमि के आवंटन के प्रश्न को लेकर, हरिजनों की भूमि की रजिस्ट्री तहसीलदार, दांता रामगढ़ द्वारा न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है…

श्री मदनसिंह : यह नहीं है, रजिस्ट्री कैंसिल करके……

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दिया जायगा।

इसके अतिरिक्त श्री सुवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा, ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने सरपंच, ग्राम पंचायत बिचून, तहसील दूदू जिला जयपुर के विरुद्ध यह शिकायत की है कि उक्त सरपंच द्वारा भूमि से हुई आमदनी को

(श्री उपाध्यक्ष)
पंचायत कोष में जमा नहीं करवाया गया है तथा सरकारी रकम को भी उनके द्वारा जमा नहीं करवाया गया है। यह मामला स्थगन प्रस्ताव का नहीं है तथा इस सम्बन्ध में प्रश्न की सूचना देकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य, विधान सभा, से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जयपुर नगर चार दरवाजे बाहर मंडी खटीकान की बस्ती है जिसमें अधिकांश लोग अनुसूचित जाति के निवास करते हैं। वहां पर नवीन योजना के अन्तर्गत मूल निवासियों को भूमि अलॉटमैंट में प्राथमिकता नहीं दी गई है तथा अन्य व्यक्तियों को भूमि अलॉट की गई है। वहां रहने वाले मूल निवासियों को नगर विकास न्यास द्वारा कोई अन्य स्थान नहीं दिया गया है और पुलिस द्वारा लोगों को तंग किया जा रहा है।

उपरोक्त मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त दो स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है:—

(1) श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री बृजबल्लभ बोहरा तथा श्री महेन्द्रसिंह, सदस्य विधान सभा, द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी जिसमें चम्बल सिंचित क्षेत्र में सीपेज व वाटर लोगिंग से उत्पन्न विषम परिस्थितियों की उपेक्षा करके राज्य सरकार द्वारा सुधार कर की वसूली किसानों से किए जाने का उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत 40 हजार एकड़ भूमि जलावरोध से प्रभावित हुई है तथा जलोत्सारण कार्य वर्ष 1965 से प्रारम्भ कर दिया है जिसके फलस्वरूप 45 लाख रुपये की लागत से जलोत्सारण योजना बन कर लगभग 12 हजार एकड़ भूमि में पूर्णतया सुधार किया जा चुका है तथा प्रारम्भ हो चुका है। 5 योजनायें और स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनका कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिला है तथा समय पर फसलों को पानी न मिलने की सरकार के सामने कोई शिकायत नहीं आई है।

सुधार कर उसी क्षेत्र से वसूल किया जा रहा है जिसमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की जा चुकी हैं।

(2) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें रोडवेज के फ्लाइंग स्क्वेड के थानेदार द्वारा एक बस को रोक कर रुपये मांगने की शिकायत की गई थी। राज्य सरकार से जो सूचना मिली है उसमें यह कहा गया है कि दिनांक 17 अगस्त 1969 के सायंकाल आमेर थाने के पास जयपुर की ओर जाते हुए बस को चैक किया गया और यह पाया गया कि गाड़ी में विभिन्न स्थानों की सवारियां बैठी हुई थीं और गाड़ी राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अनधिकृत रूप से किराए पर चल रही थी। गाड़ी की जब्ती नियमानुसार की गई है और कानून

(श्री उपाध्यक्ष)

के प्रावधानों के तहत मोटर व्हिकल एक्ट की धारा 129-ए० के अन्तर्गत गाड़ी का चालान अदालत में दिनांक 20 अगस्त 1969 को पेश किया गया है। इसमें यह कहना गलत है कि सब-इन्सपेक्टर ने कोई मेला खर्ची मांगी थी तथा बिना किसी कानून के गाड़ी को जब्त किया गया था।

गाड़ी की जब्ती नियमानुसार की गई है और नियमानुसार गाड़ी जब्त करने के बाद प्रार्थी को अदालत से किसी भी वक्त गाड़ी जमानत पर छुड़वाने का अधिकार हासिल था।

अतः मैं उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि यह रिपोर्ट बिलकुल गलत है। इसका रिकार्ड मेरे पास है। होम मिनिस्टर ने खुद ने रिकार्ड चैक किया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

व्यवस्था देने के बाद सदन में चर्चा नहीं उठायी जा सकती।

श्री मदनसिंह : एक टेक्निक मैंने पकड़ी है। एन्टी करप्शन के अधिकारी खुद कह रहे हैं कि बदमाशी है। यह परमिट शुदा है। सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। थानेदार के दस्तखत हैं। परमिट है। उसका खुद का लिखा हुआ है कि परमिट उसके पास है। नयी टेक्निक थी। सदन की मेज पर यह चीजें रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! माननीय सदस्य। सदन की मेज पर अब रखने से क्या फायदा है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : आपने आपकी व्यवस्था पर स्टेटमैन्ट दिलाने की कृपा नहीं की। मैंने स्वयं ने मौका देखा है और सही रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामकिशोर जी व्यास स्वयं उस इलाके की पार्टी हैं वे स्वयं वहीं गए हैं, बरकतुल्ला खां साहब गए हैं और उस जगह को मैदान कर दिया। आस पास जो बसने वाले हैं उनको वहां से फेंका जा रहा है। यू० आई० टी० नए निर्माण करवा रही है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! भाषण नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : स्टेटमैन्ट तो मिल जाय। एक बात और निवेदन कर दूं कि बस्ती के लोग माननीय भीखाभाई के पास गए तो उन्होंने स्टे कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लेकिन कोई भी उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बोहरा।

श्री बृजबल्लभ बोहरा : कोटा डिविजन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। दो बातें निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री बृजबल्लभ बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि नालियां बनायीं और खर्चा किया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, तहसील दीगोद, लाडपुरा में एक एक फुट नमक ऊंचा आया हुआ है उस जमीन में घास भी पैदा नहीं होता। बीज डालते हैं तो खत्म हो जाता है। उसका भी लगान लिया जाता है। नंगे पांव चलते हैं तो मिट्टी पैर के लग जाती है। बैल गाड़ी चल नहीं सकती। ज्यादा काम का बूंदी जिले में खर्चा देखिए। तहसील लाडपुरा में चार मील टेम्परेरी रिसाऊ का काम हुआ है। इसलिये जो जानकारी दी गई है सरकार की ओर से वह असत्य जानकारी है।

इसी तरह से पानी के मामले में भी अर्ज करूंगा कि धोरे खुदे हुए हैं लेकिन नहर से समय पर पानी नहीं मिलता। लोग पानी को आड़ लगा कर बन्द कर देते हैं और जब शिकायतें करते हैं तो एस. डी. ओ. वगैरा नाजायज तरीके से परेशान करते हैं। यही नहीं, वहां फसलें सूख गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री बृजबल्लभ बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना बोया था उसको भी बरबाद कर दिया। यहीं नहीं हजारों रुपया लगा कर गन्ने की फसल किसानों ने बोई थी उसको बरबाद कर दिया। ढ़ाई महीने तक नहर को बन्द रखा। बूंदी जिले में गन्ना नहीं सूखा है वहां पर गन्ने को प्रोत्साहन दिया गया। तहसील लाडपुरा, दीगोद, अन्ता वगैरा में पानी बन्द रखा। नहर को तो चला दिया लेकिन उनको पानी नहीं दिया।

बैटरमैन्ट लेवी के लिये निवेदन करूंगा यहां पर बैटरमैन्ट लेवी ली जा रही है जब कि मध्यप्रदेश में नहीं ली जाती है। यही नहर राजस्थान से होकर मध्यप्रदेश में गयी है। उसी नहर से मध्यप्रदेश का इलाका खुशहाल हुआ और इधर राजस्थान में बैटरमेन्ट लेवी वसूल की। पानी समय पर नहीं देने से इलाका बरबाद हुआ है। सैंकड़ों बीघा जमीन बरामद हुई है। बैटरमेन्ट लेवी देने के काबिल नहीं है। तहसीलदार और अधिकारी जाते हैं और कुर्की करके वसूल करते हैं। बैल वगैरह की कुर्की करते हैं। बरसात के दिन हैं लगान देने के लिये पैसा नहीं हैं, बैटरमेन्ट लेवी भी कहां से देंगे। उनको तो सरकार को चाहिये था कि तकावी देकर बैलों की खरीद करवाती और दूसरी व्यवस्था करती। लेकिन उनको बरबाद किया जा रहा है। उनको पकड़ कर बेइज्जत किया जाता है। बूंदी जिले की बैटरमैन्ट लेवी बन्द है उसी तरह से इस जिले की भी बैटरमैन्ट लेवी बन्द की जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री देवीदत्त गाड़िया !

आधे घंटे की चर्चा

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): उपाध्यक्ष महोदय, बैटरमैन्ट लेवी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी जुल्म और ज्यादतियां की जा रही हैं। लगान की रक़म को बैटरमैन्ट लेवी में जमा कर लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! आधे घन्टे की चर्चा। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान टैक्स देता है। सेल्स टैक्स देता है, इन्कम टक्स देता है, सारे के सारे टैक्स किसान पर पड़ते हैं। नहर के नाम पर, बैटरमेन्ट लेवी के नाम पर किसान की गर्दन पर तलवार लटका कर बड़े जुल्म किये जा रहे हैं। काफी जुल्म किसानों पर ढाये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा। माननीय सदस्य ! आॅर्डर, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किसानों पर जुल्म कर रहे हैं। इसलिये आज सरकार से मुकाबला करने के लिये तैयार होगया है किसान। किस आधार पर बैटरमेन्ट लेवी लेते हैं ? शहरों में कॉलेज, अस्पताल, खोलते हैं। लाखों रुपयों के काम करते हैं उन पर सुधार कर नहीं और किसानों की पैदावार पर बैंटरमेन्ट लेवी फसल चाहे हो या न हो। अन्न उत्पादन की समस्या को हल करना चाहते हैं तो उस पर इस प्रकार का भेदभाव नहीं चल सकता। यदि इस आधार पर कि वहां से जनसंघ जीता है इस आधार पर जुल्म करना चाहते हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं। कोटा जिले का किसान पिछड़ा हुआ है। नहरों के कारण खुशहाल नहीं हुआ। लीकेज और सीपेज के कारण हजारों बीघा जमीन बंजर हो गयी उसका तो उनको मुआवजा देना चाहिये लेकिन उनको मुआवजा तो नहीं देते और बैंटरमेन्ट लेवी वसूल करते हैं। फसलें सूख जाती हैं, गन्ने को पानी नहीं मिलता। गन्ना सूख गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि लीकेज और सीपेज की समस्या को हल नहीं किया तो हजारों बीघा जमीन और ऊसर हो जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आडर प्लीज ! आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर आॅर्डर माननीय सदस्य।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात सिंचाई मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कोटा जिले से पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स के के आधार पर वसूल की जा रही है बैंटरमेन्ट लेवी और और जिलों में अधिक पानी मिलता है और वहां पर बैंटरमेन्ट लेवी वसूल नहीं की जा रही है और कोटा जिले से वसूल करते हैं तो मैं चुनौती देता हूं कि किसान कभी यह लेवी नहीं देगा।

श्री सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आपने स्टेटमेन्ट देना ओवर रूल किया है। मैं स्टेटमेन्ट नहीं दे रहा हूं। डिस्क्रिमिनेशन के सवाल पर कोटा से आये माननीय सदस्य ने कहा कि राजनैतिक आधारों पर बूंदी जिले में वसूल नहीं किया जा रहा है और कोटा में वसूल किया जा रहा है, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा और बूंदी दोनों में वसूल किया जा रहा है। बूंदी में कोटा के बजाय ज्यादा है। बूंदी में वसूल नहीं किया जा रहा है और कोटा में वसूल किया जा रहा है यह आरोप गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री देवीदत्त गाड़िया। आधा घंटे की चर्चा।

आधे घंटे की चर्चा—पत्रकारों को सुविधा देने सम्बन्धी

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने एक प्रश्न विधान सभा में रखा था और उस प्रश्न के ऊपर जो श्रम जीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में है जयपुर नगर के अन्दर उनको गृह निर्माण के लिये प्लॉट दिये जाने के सम्बन्ध में, मकान बनाये जाने के सम्बन्ध में दिये जाने वाले कर्जे के विषय में और उसके साथ साथ अन्य प्रान्तों में पत्रकारों को सुविधायें दी जाती हैं उनके मुकाबले राजस्थान सरकार पत्रकारों को क्या सुविधायें दे रही है।

इस सम्बन्ध में उत्तर मेरी समझ में नहीं आता कि किन कारणों से दबा करके गलत सूचना मुझे दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा था कि जयपुर के अन्दर किन किन पत्रकारों को कितने कितने क्षेत्रफल के प्लॉट्स दिये, और कितने पत्रकारों के प्रार्थना-पत्र कितने लम्बे समय से पैंडिंग पड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जन संपर्क विभाग और राजस्थान की सरकार जो यह कहती है कि हम पत्रकारों को गृह निर्माण के लिये प्लाट की सुविधा देते हैं। फिर यू. आई. टी. के पास इतने समय से सूची पड़ी हुई है, उसके पास कितने ही प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं।

(12.43 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति पदासीन)

यह कह कर कि यू. आई. टी. के पास है, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से ऐसी सूचना देकर, सूचना को दबाकर लोकतन्त्र की नींव जिन पत्रकारों को हम कहते हैं, यह कहते हैं कि ये लोकतन्त्र की सबसे बड़ी कड़ी हैं, उन पत्रकारों को अभी तक सभापति महोदय, अप्रेल, मई, 69 के प्रार्थना-पत्र हैं, उन पत्रकारों के प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक राज्य सरकार निर्णय नहीं कर पायी है। यू. आई. टी. को क्यों नहीं दबाया गया? मैंने जो पूछा था कि आप उनको प्लॉट देने के बारे में क्या क्या सुविधा, क्या क्या कन्सेशन देते हैं? बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राज्य सरकार ने जो उत्तर दिया है, यह सरकार यह मानकर चलती है कि एक सामान्य नागरिक की तरह उनको प्लॉट किये जाते हैं। सामान्य नागरिक की तरह प्लाट देने से क्या सुविधा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उनको दी जाती है ? अन्य प्रान्तों में जैसे दिल्ली, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब की सरकारों ने पत्रकारों को प्लाट्स सस्ती कीमत पर ही नहीं दिये बल्कि दिल्ली के प्रशासन ने पत्रकारों को और अच्छे स्थानों पर सस्ती कीमत के ऊपर मकान बनाकर उनको मकान आवंटित किये हैं और वह दीर्घकालीन ऋण के ऊपर । इन पत्रकारों को सस्ती कीमत के ऊपर, लम्बे समय के दीर्घकालीन ऋण पर मकान दिये हैं लेकिन हमारी राजस्थान की सरकार, जिन पत्रकारों को हम लोकतन्त्र की कड़ी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उन पत्रकारों को मकान बना कर देना तो दूर रहा लेकिन उनको प्लाट्स तक नहीं दिये । इतना ही नहीं पहले राजस्थान की सरकार ने जो प्लॉट पत्रकारों को आवंटित किये थे, उस समय उनके साथ कोई शर्तें नहीं थीं, किसी को 1,000 वर्ग गज, किसी को 1,500 वर्ग गज और किसी को 1,200 वर्ग गज के प्लाट दिये गये हैं लेकिन दूसरी बार सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसमें कटौती करके उसे 600 वर्ग गज कर दिया, 600 वर्ग गज में बदल दिया ।

इतना ही नहीं, तीसरी बार राज्य सरकार ने इस सुविधा पर अंकुश लगा दिया और इन्हें 330 वर्ग गज का प्लाट आवंटित करने का निर्णय लिया । इतना ही नहीं, बड़े दुख: के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार यह कहती है, सभापति महोदय, कि यू. आई. टी. के पास विचाराधीन है । यू. आइ. टी. राज्य सरकार के अधीन है । उस पर राज्य सरकार ने दबाव नहीं डाला है। यह जो श्रमजीवी पत्रकार है, जिनकी एक्रीडेशन कमेटी ने सिफारिश की है, उनको तो प्लाट नहीं दिए गए लेकिन, सभापति महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार के कुछ मन्त्रियों की सिफारिश पर, अपने मन्त्रियों और अधिकारियों के दबाव में आकर उन व्यक्तियों को पत्रकार के रूप में प्लाट दिये हैं । एक है श्री आर. डी. गुप्ता जो फील्ड आफीसर है, एल.आई.सी. के जीवन निगम के डवलपमेंट आफिसर हैं । उनको पत्रकार बनाकर पत्रकार के नाम पर प्लाट दिया है जब कि सभापति महोदय, इस लिस्ट के अन्दर जो यह बताया है कि वे महावर नवजीवन के संपादक हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह पत्र दैनिक है, या मासिक है, या साप्ताहिक । क्या यह महावर नवजीवन लगातार निकल रहा है ? क्या राज्य सरकार से यह एप्रूव्ड है ? मैं यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय, श्रमजीवी पत्रकार उन्हीं को माना जाता है, जैसे कि राज्य सरकार के नियम हैं, जो पांच साल तक लगातार पत्रकारिता करता हो, जिसकी आजीविका, उपार्जन का साधन पत्रकारिता हो, वही श्रमजीवी पत्रकार माना जाता है । माननीय मन्त्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या श्री आर. डी. गुप्ता श्रमजीवी पत्रकार हैं ? उनकी आजीविका पत्रकारिता है ? और क्या यह सही है कि वे जीवन बीमा निगम के फील्ड ऑफीसर है, वहां से उनको 600 रुपया वेतन का मिलता है ? क्या वह एप्रूव्ड है और क्या यह पत्र लगातार निकलता है ? आपने इसके प्रति जो सूचना दी है, वह गलत है या यह आश्वासन देंगे कि यह पत्र महावर नवजीवन लगातार निकलता है, सदन को,

(श्री देवीदत्त शर्मा)

मुझे इससे अवगत कराने का कष्ट करेंगे। इतना ही नहीं, सभापति महोदय इस पत्रकारिता की आड़ के अन्दर जिन लोगों को वास्तविक पत्रकारों को प्लाट दिए जाने चाहिये, उनको तो नहीं दिए गए हैं। और जो दिए गए हैं ऐसे व्यक्तियों को दिए गए हैं उनमें एक हैं श्रीमती निर्मलादेवी जोशी यह श्रीमती जोशी जिसके पति हैं श्री राजेन्द्र जोशी, उनके लिए प्लाट दिया गया है, वह "वैज्ञानिक बालक" की संपादिका है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह "वैज्ञानिक बालक" की संपादिका नहीं हैं। यह आड़ लेकर श्रीमती निर्मलादेवी जोशी ने यह प्लाट लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे राजस्थान के होम कमिश्नर श्री विष्णुदत्त शर्मा की लड़की हैं। उनकी लड़की होने के नाते उसको पत्रकारिता की आड़ में यह प्लाट दिया गया है। इस जमीन का आज कितना महत्व है? आज अगर इस जमीन की बोली लगाई जाये तो 60 रुपया प्रति वर्ग गज में बिक सकती है। मुझे यह दो सूची दी गई हैं, जिसके अन्दर पत्रकारों की लिस्ट है, जिनको कि एप्रूव्ड किया है, उसके अन्दर "वैज्ञानिक बालक" का संपादक उसमें यह दिया है श्री सूरजप्रकाश। इसके अन्दर सम्पादक हैं श्री सूरजप्रकाश। श्रीमती निर्मलादेवी, "वैज्ञानिक बालक" की सम्पादिका की रूप में नहीं हैं। इतना ही नहीं ऐसे ऐसे व्यक्तियों को प्लाट दिए हैं जो पत्रकार नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये विश्वनाथ वामन काले कौन हैं? ये कौनसे अखबार के सम्पादक हैं? ये कौनसे अखबार के रिपोर्टर हैं? कि दैनिक अखबार के रिपोर्टर हैं, मान्यता प्राप्त है? सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन्हें कांग्रेस आफिस के पी.आर.ओ. होने के नाते, राजनैतिक पार्टी में काम करने वाले होने के कारण षडयन्त्र रचकर उनको प्लाट दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर के अन्दर जिन लोगों को प्लाट दिए हैं, उनके क्या नियम हैं? आपने क्या क्राइटेरिया रखा है? क्या इस तरह के जयपुर के बाहर के लोगों को जो साप्ताहिक पत्र निकालते हैं, दैनिक निकालते हैं, चाहे वह अखबार बन्द हो गया है, लेकिन उन लोगों को, कुछ लोगों को जो मन्त्री जी की चापलूसी करते हों, उनको जयपुर के अन्दर प्लाट दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस नियम के अन्दर आपने यह किया है? जोधपुर, कोटा अन्य जिलों के अन्दर पत्रकार हैं, साप्ताहिक पत्र निकालते हैं, क्या उनको प्लाट दिए हैं? नहीं दिए हैं। सभापति महोदय, जो डिवीजनल पत्रकार हैं, बार बार लिखते हैं, कोटा के अन्दर पत्रकारों को प्लाट दिलाए जायं; परन्तु उनको नहीं दिलाए जाते हैं। इसी प्रकार उदयपुर, जोधपुर हैं। क्या राज्य सरकार ने यह कोशिश की है कि उन जिलों के अन्दर वहां के पत्रकारों को गृह निर्माण के लिए प्लाट दिलाए जायं? लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को जो मुंह लगे हैं, सीमा सन्देश हो, चाहे उन जैसे दूसरे पत्र हों, जो मन्त्री जी के कृपा पात्र हैं, चाहे अखबार निकालते हों या नहीं, उन लोगों को प्लाट दे दिए गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले जो प्लाट दिए हैं 1,000, 1,500 उस समय आपकी शर्त क्यों नहीं थी और जब दुबारा निर्णय किया तो शर्त क्यों लगा दी? लेकिन जो कन्डीशन लगाई है, वह 25 साल की है। 25

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

साल तक वे अपने प्लाट को नहीं बेच सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि जो अन्य सामान्य नागरिक हैं, वे प्लाट खरीदते हैं, उनके लिए क्या यह कन्डीशन है ? क्या आपने पत्रकारों को कोई सुविधा दी है ? आप प्लाट देना चाहते हैं किन्तु उसके साथ कोई कर्जा नहीं देते हैं। समझ में नहीं आती आपकी नीति क्या आपने जिनको सुविधा दी है, वे पत्रकार हैं ? पत्रकार होने के नाते उनकी पे स्केल के अनुसार श्रमजीवी हैं, उसके लिए कम से कम निर्धारित करना चाहिए। नियमानुसार प्रत्येक पत्रकार को प्लाट मिले और उसके साथ ही दस हजार का कर्जा उसको दिया जाए और लांग टाइम पर दिया जाये। लेकिन आपने इसका निर्णय नहीं किया। कह दिया प्लाट नहीं बेच सकते। उसके घर में बीमार है, लड़के लड़की की शादी है, तो क्या वह प्लाट नहीं बेच सकता ? एक निश्चित अवधि आप कर दीजिए 5 साल तक वह नहीं बेचे लेकिन 25 साल तक का बन्धन नहीं होना चाहिये। यह हमारे संवैधानिक अधिकारों के प्रतिकूल है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं पत्रकारों को आप 2½ रुपया वर्ग गज में जमीन देते हैं लेकिन हमारे यहां के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री भगवतसिंह जी मेहता को 1½ रुपया वर्ग गज के हिसाब से सचिवालय के पीछे की जमीन जो बहुमूल्य है, उनको 1½ रु० में दिया और पत्रकारों को, श्रमजीवी पत्रकारों को जो लोकतन्त्र की रीढ़ हैं, उनको आप 2½ रुपया में देना चाहते हैं, यह उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैंने जो आपके सामने प्रश्न रखे हैं उनमें श्री आर.डी. गुप्ता को आपके द्वारा प्लाट दिया गया या नहीं ? उसको प्लाट दिया गया वह नियम विरुद्ध दिया गया ? क्या उसके बारे में स्वीकृति ली थी ? प्लाट दिये जाने के बारे में एक्रीडेशन कमेटी की सिफारिश नहीं मानी। लम्बी चौड़ी लिस्ट दी है लेकिन इसमें ऐसे भी नाम हैं जो न तो किसी पत्र के प्रतिनिधि हैं और न किसी पत्र के सम्पादक ही हैं। बाहर के पत्रों के प्रतिनिधि नहीं थे फिर भी उनको प्लाट दे दिये गये। मैं आपसे पूछना चाहूंगा यह जो अनुसूयाप्रसाद जो दैनिक नवज्योति में काम करते थे दस साल तक जिन्होंने सेवा की है, उसको पत्रकार के नाम प्लाट अलाट कर दिया लेकिन वह बाद में विकास न्यास ने केन्सिल कर दिया। उसके ऊपर चार्जेज यह थे कि दुर्गाप्रसाद चौधरी जो नवज्योति के सम्पादक हैं उन्होंने यह लिख दिया कि ये हमारे यहां नौकरी में नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं उनको इस प्रकार से कहने का अधिकार नहीं है कि वे उनके यहां सर्विस नहीं करते। उनका सबसे बड़ा अपराध यह रहा है कि जयपुर गोलीकांड के अन्दर श्री अनुसूयाप्रसाद ने अपनी जान की बाजी लगाकर दनदनाती गोलियों में सही रिपोर्ट की और वह रिपोर्टिंग दैनिक नवज्योति में प्रकाशित हुई। उनको इस बात के लिये दबाया भी गया कि वे गोलीकांड के बारे में बेरी आयोग के समक्ष गवाही न दें। इसके बावजूद भी उन्होंने यह कहा कि अगर बेरी आयोग ने उनको बुलाया तो वे अवश्य जायेंगे। और यही हुआ जब वे बेरी आयोग के सामने उपस्थित हुए उन्होंने सही सही बातें कमीशन के सामने रखी। उन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिये अपने ईमान को नहीं बेचा इसलिये उनको दन्ड दिया गया उनको

(श्री देवीदत्त गाडिया)

दिया हुआ प्लाट केन्सिल कर दिया। श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी जो इस नवज्योति के प्रबन्ध सम्पादक हैं उन्होंने और मुख्य मंत्री सुखाड़िया ने दबाव डाला इन पर कि तुम कमीशन के सामने गवाही देने मत जाओ। वे गये इस अपराध में उनसे प्लाट छीन लिया गया। एक तरफ तो आप पांच पांच रुपये की बात को लेकर श्रम अदालतों में जाते हैं दूसरी तरफ इस अनुसूयाप्रसाद का मामला है उसको श्रम अदालत में सुपुर्द नहीं करना चाहते। इस अनुसयाप्रसाद के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ यह लोकतंन्त्र पर कुठाराघात होगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपने यह कहा कि पत्रकारों की सुविधा के बारे में हम उनको तरह तरह की सुविधायें देते हैं। लेकिन समय समय पर जो सरकारी आयोजन होते हैं या हिन्दुस्तान से आये हुए लोगों द्वारा आयोजन होते हैं उनमें उनको सुरक्षा पास की सुविधायें दी जाती हैं। क्या ये सुविधायें हैं तो मैं समझता हूं इसको कोई भी सुविधा नहीं मानेगा आपको अपने फोटो छपवाने होते हैं आपको समाचार छपवाने होते हैं तो यह सुविधा देनी ही पड़ेगी। मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, यू. पी. इन प्रान्तों में पत्रकारों को काफी सुविधायें मिली हुई हैं। वहां पत्रकारों को लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी माना है। इन प्रान्तों में पत्रकारों को मेडिकल एड दी जाती है, इसके साथ साथ बस यातायात के पासेज दिये हुए हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर कुछ पत्रकारों को जरूर पासेज दिये हुए हैं। अन्य पत्रकारों को सरकारी बसेज में यात्रा की सुविधा नहीं है न किसी को मेडिकल एड ही दी जाती है। अन्य प्रान्तों में हायर स्टैडीज की सुविधा दी गई है जिस प्रकार से प्राइवेट टीचर्स पढ़ते हैं परीक्षा दे सकते हैं उसी प्रकार पत्रकारों को भी हायर स्टैडीज की सुविधा होनी चाहिये। इतना ही नहीं सभापति महोदय, पत्रकारों को आपने जयपुर से पांच मील दूर तिलक नगर में प्लाट्स अलाट किये हैं। जो नाला वहां है उसके किनारे किनारे प्लाटस दिये हुए हैं जिनमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, प्लाट्स के किनारे भर जाते हैं ऐसी जगहों पर इनको प्लाट्स दिये जहां से आवागमन का कोई साधन नहीं है। बसेज की सुविधा नहीं। पत्रकारों का समय बडा अमूल्य होता है इसलिये जो कोई पत्रकार स्कूटर की मांग करे तो वह उपलब्ध किया जाना चाहिये, और उसके लिये दीर्घकालीन कर्जा भी दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अन्य प्रान्तों में सचिवालय में प्रेस रूम की व्यवस्था है जहां पर जाकर पत्रकार कहीं भी फोन कर सकते हैं। राजस्थान सचिवालय में कोई प्रेस रूम की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के जितने भी श्रमजीवी पत्रकार हैं दैनिक और साप्ताहिक पत्र निकालते हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इनको विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं। आज विज्ञापन तो उन पत्रों को दिया जाता है जिसमें मंत्री महोदय के बड़े बड़े फोटो छपते हों उनका स्तर चाहे कितना ही गिरा हुआ हो, उन्हीं को विज्ञापन दिये जाते हैं। दूसरे पत्र जिनको विज्ञापन देने को कहा जाता है तो यह कहा जाता है कि आपके रजिस्ट्रेशन हुए पांच साल हो गये क्या? आपका पांच साल का अनुभव बतलाइये। जो पत्र पन्द्रह बीस साल

Page No 84

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

से निकलते आ रहे हैं उनको विज्ञापन नहीं मिलता है। इसमें भी राजनैतिक आधार पर जो सोचने का ढंग है वह दूषित है जनतन्त्र के प्रतिकूल है।

सभापति महोदय, अगर लोकतंत्र को स्वतंत्र और स्वस्थ रखना है तो आपको पत्रकारों को जो भी उचित सुविधायें हैं देनी होंगी। हमारे यहां के मंत्री लोगों ने अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये यह जो नीति अपना रखी है कि जो पत्र इनके अनुकूल चलते हों, इनके फोटो छापते हों उन्हीं को विज्ञापन देते हैं। हमारे यहां इतना भीषण अकाल पड़ा लेकिन हमारी राज्य सरकार ने यहां के पत्रकारों को अकालग्रस्त इलाकों में ले जाना उचित नहीं समझा यदि इनको लेजाया जाता तो ये अपनी रिपोर्ट अखबारों में छपवाते उससे राजस्थान का हित ही होने वाला था। वास्तव में यदि आप लोकतन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं तो आप पत्रकारों को सभी सम्भव सुविधायें प्रदान करें। आप पत्रकारों को विज्ञापन देने में बदले की भावना भी काम में लेते हैं जो आपके चाटुकार पत्र होते हैं चाहे उनका स्तर कितना ही गिरा हुआ हो उनको बड़े बड़े विज्ञापन मिल जाते हैं। अब तो हमारे परिवार नियोजन मंत्री श्रीमती सुमित्रा में और जन सम्पर्क मंत्री में इस बात की होडसी लगी हुई है कि कौन अपना बड़े से बड़ा फोटो छपवा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : इससे तो पत्रकारों को फ़ायदा ही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमारे जन सपर्क मंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं क्या कभी उन्होंने अपने किसी पत्र के कार्यालय में जाकर देखा है, कभी पत्रकारों को बुलाया है? वे जनसम्पर्क मंत्री कैसे जो पत्रकारों के साथ सम्पर्क नहीं रखें उनकी समस्याओं के बारे में न सुनें। पत्रकारों की समस्यायें हैं जैसे लोकवाणी का मामला है, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है लोकवाणी के कर्मचारी, सह सम्पादक, रिपोर्टस इनके मामले सालों से उलझे हुए हैं, उनको सुलझाने की ओर आपका कोई प्रयत्न नहीं है। आप लोकवाणी के मालिक को सुविधा दे सकते हैं। लेकिन पत्रकारों की समस्यायें नहीं सुलझा सकते उनको न्यायालय में नहीं लेजाना चाहते।

अन्त में सभापति महोदय, मैं राज्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पत्रकारिता को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के लिये कोशिश करें। आज पढ़े लिखे नौजवान बेकार फिर रहे हैं उनका ध्यान आप जर्नलिज्म की ओर आकर्षित करें। आपने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया जयपुर में 70 के करीब इनकी संख्या है जिनमें से 10 करीब ऐसे पत्रकार हैं जो बेकार हैं, कई तो यहां से छोड़कर भी चले गये हैं। कई पत्रकार जो यहां पर बसना चाहते थे वे भी जयपुर को छोड़कर चले गये हैं।

(1 म० प०)

क्या कारण था? क्या आपने जांच कराई? तो क्या आप यह आश्वासन देंगे कि पत्रकारों की समस्याओं और उनके अभाव अभियोगों की जानकारी के लिए

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
जांच करावेंगे और उनकी कठिनाइयों को हल करेंगे। इससे राजस्थान की पत्रिकारिता स्वस्थ होगी।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

क्या आप यह भी आश्वासन देंगे कि विज्ञापन देने में भेदभाव नहीं बरता जावेगा चाहे वह कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर कहीं का मामला हो? जहां जिनके संगठन बने हुए हैं उनके माध्यम से यह सब किया जावेगा?

इसके साथ ही उनके आवास हेतु भूखंडों का वितरण भी किया जावेगा। सस्ते प्लाट दिए जावेंगे और सस्ती ब्याज दर और लम्बी अवधि के ऋण मकान बनाने के लिए उनको दिए जावेंगे। जो पत्रकार जहां हों और जहां काम करते हों और जहां लेना चाहते हों उनको वहां यह सुविधा दी जानी चाहिए।

आप यह भी घोषणा करें कि पत्रकारों को बढ़ावा देने के लिए और स्वस्थ पत्रकारिता को पनपाने के लिए जैसे अन्य प्रान्तों में उनको सहूलियतें दी जाती हैं, जैसे दिल्ली, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास देते हैं वैसी आप भी दें। आप कहते हैं कि हम वैसी ही सहूलियतें देते हैं। पर यह गलत है। जन सम्पर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भट्ट साहब जिनके × × × आपने इस विभाग में बिठा रखे हैं। वे क्या पत्रकारों का भला कर सकेंगे? इसलिए मैं कहूंगा कि राजस्थान की पत्रकारिता को स्वस्थ रखने के लिए आप भट्ट साहब से जांच करावेंगे तो वह नहीं हो पावेगी। श्रमजीवी पत्रकारों को श्रमजीवी समझना है, नवज्योति को ये देते हैं।

श्री सभापति : गवर्नमैन्ट के अधिकारी के बारे में जो अपशब्द कहे गए हैं वे एक्सपन्ज कर दिए जावें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पत्रकारिता के इम्तिहान के लिए उनको प्रोत्साहन दें, इसके लिए पढ़ाई हेतु कर्जा दें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

छोटे पत्रकारों को जिन्दा रखने के लिए निष्पक्ष रूप से उनको विज्ञापन दें। अन्य सुविधाएं दें, कर्जा दें ताकि ये पत्र जीवित रहकर राजस्थान में लोकतन्त्र को स्वस्थ रखने के लिए अपना पूरा सहयोग दे सकें और जनता का मनोबल ऊंचा करने के लिए वे अपना पूरा योगदान मनोयोग से दे सकें। छोटे छोटे स्थानों से कई दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्र निकलते हैं उनको भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। स्वस्थ पत्रकारिता पनप सकेगी। आज सरकार की विज्ञापन की नीति गलत है।

आपने यह जो उत्तर दिया कि यू० आई० टी० के पास लिस्ट है वह आप मंगावें और उनको देखकर घोषणा करें कि जिनके प्रार्थना-पत्र काफी लम्बे अरसे से पड़े हैं उनको एक महीने के अन्दर अन्दर प्लाट दे दिए जावेंगे। उनकी प्रतिनिधि कमेटी से भी आप राय लीजिए कि किन किन को देना चाहिए, और कौन कौन इसके योग्य हैं और कौन कौन नहीं हैं। गलत ढंग से जिनको आपने अलाटमैन्ट किया है उनको कैंसिल करिये।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गए।

(श्री देवीदत्त गाडिया)

कालेज में एक लाईब्रेरी भी बनाइये। पर्याप्त उनको कर्जा दीजिए। तभी पत्रकारिता स्वस्थ होगी और उनको भी राहत मिलेगी और जनता और सरकार को भी उनकी अच्छी सेवा का लाभ मिलेगा। व्हिकल्स देने के बारे में भी विचार करें, प्राइवेट बसों में दिक्कत हो तो कम से कम सरकारी बसों के लिए उनको पास दिये जावें, परीक्षा देने जावें तो उनको यात्रा की सहूलियत दी जाय। निष्पक्ष रूप से विज्ञापन दिए जायें। सरकार को अपनी थोथी इज्जत का ख्याल न रखते हुए पत्रकारों का जिसमें हित हो वह काम करें और अन्य प्रान्तों की तरह आप भी इस बारे में उदाहरण प्रस्तुत करें।

श्री सभापति : श्री सांवरमल बासोतिया।

श्री सांवरमल बासोतिया : बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने पत्रकारों को सुविधा देने के बारे में दो तरह की बातें रक्खी।

सभापति महोदय, एक तरफ प्लाट अलाट करने की बात उन्होंने कही और इसी सिलसिले में किसी पत्रकार को दिए गए प्लाट को वापिस छीनने की बात भी कही। छीनने की बात से मैं सहमत नहीं हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने पत्रकारों से छीनने की बात नहीं कही। पर पत्रकारिता की आड़ में छद्म रूप में फर्जी कार्यवाही कराकर जिन्होंने प्लाट लिए हैं उनकी जांच करके उनका अलॉटमैन्ट कैंसिल करने की बात कही है।

श्री सांवरमल बासोतिया : निर्मला देवी का नाम था। वह पत्रकारिता क्षेत्र में पत्रकार की हैसियत से काम कर रही हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं कहना चाहता हूं कि न तो उन्हें पांच साल का अनुभव है, न वे किसी पत्रकारी संस्था में नौकरी करती हैं। न उनके पति नौकरी करते हैं। उनकी आजीविका का साधन भी पत्रकारिता नहीं है।

श्री सांवरमल बासोतिया : अगर पांच साल का अनुभव नहीं है पर अगर वह पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गई हैं तो उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। तो वापिस छीना झपटी के प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूं। बाकी जो सुविधाएं देने और प्लाट अलाट करने और लम्बी अवधि के और अल्प ब्याज की दर से ऋण देने सम्बन्धी जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

सबसे बड़ा मामला उनका यात्रा से सम्बन्धित रहता है और इस सम्बन्ध में हमारे देश के पत्रकार बहुत पिछड़े हैं। हमारी राजस्थान सरकार की तरफ से रेल्वेज की सुविधाएं दी जाती हैं पर इस स्टेट में रेल्वेज का मामला इतना पिछड़ा है कि पत्रकार के द्वारा समय पर गन्तव्य स्थान पर पहुंचना मुश्किल है, समय अधिक लगता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सभी बसों का इन्तजाम न किया जा सके तो कम से कम जहां राष्ट्रीयकृत बसें चलती हैं उनके पास पत्रकारों को दिए जावें जैसे मध्यप्रदेश ने किया है। जहां जावें वहां उनके ठहराने करने की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे सर्किट हाउस में, विश्रान्ति घर हैं उनमें जैसे वी. आई. पी. लोगों को फैसीलिटी

(श्री सांवरमल बासोतिया)

दी जाती है वैसी पत्रकारों को दी जाय। पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाकर ये सुविधायें दी जानी चाहिए।

इसके अलावा उनके आवास की समस्या है, राजस्थान के पत्रकारों की आर्थिक स्थिति भी बड़ी नाजुक है, कुछ की ठीक हो सकती है, कुछ के पास अपने प्लाट हों और अपने पैसे से मकान बना सकने में समर्थ हों, पर अधिकतर की अच्छी हालत नहीं है कि वे अपने पास से मकान बना सकें। अधिकतर की हालत काफी नाजुक है तो उनको सुविधायें दी जानी चाहिए जैसा गाड़िया जी ने कहा है।

अगर प्लाट न भी दिये जा सकें कहीं उनको तो कम से कम आवास के लिए एक स्टेण्डर्ड के हिसाब से क्वार्टर या बंगले बनाकर अलाट किये जा सकते हैं और उसका बहुत ही सामान्य किराया उनसे वसूल किया जा सकता है। ताकि वे आवास की समस्या से निश्चिन्त होकर अपनी पूरी शक्ति पत्रकारिता को ऊँचा उठाने में लगा सकें। निश्चिन्त होकर काम कर सकें।

इसके अतिरिक्त एक बात तो बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कही कि शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। वास्तव में यह तथ्य है कि राजस्थान में टीचर्स और लाइब्रेरियन्स को ऐसी सुविधायें दी गई हैं कि वे पढ़ाई चालू रख सकते हैं। पत्रकारिता की लाइन में भी यह नितान्त आवश्यक है। इनको भी यह सुविधा दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त अभी मध्यप्रदेश सरकार ने पत्रकारों के लिए अच्छी सुविधा दी है दवा दारू और इलाज की। पत्रकारों के परिवार के सदस्यों के लिए भी फ्री दवा दारू की सुविधा देने की बात की है। राजस्थान को भी चाहिए कि वह भी ऐसा प्रबन्ध करे।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मन्त्री जन सम्पर्क) : माननीय सभापति महोदय, श्री गाड़िया ने पत्रकारों को भूखण्डों के आवंटन को लेकर एक प्रश्न पूछा था। उस सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया था उस पर आपत्ति करते हुए यह बताया कि उसमें सूचनाएं गलत दी गई हैं और इसलिए आधे घण्टे की चर्चा के लिए माननीय अध्यक्ष से अनुमति चाही। जिस पर यह चर्चा आज यहां प्रारम्भ हुई। माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो प्रश्न श्री गाड़िया जी ने पूछा है उसका जवाब जहां तक मैंने दिया और उस जवाब के सम्बन्ध में अभी गाड़िया जी ने जो कुछ कहा यह नहीं पाया जाता कि मैंने गलत बात रखी है अलबत्ता मैंने यह कहा अपने जवाब में साफ कहा है भू-खण्डों के आवंटन का सीधा सम्बन्ध जन सम्पर्क विभाग से नहीं है। यह सूचना जो चाही गई है वह जन सम्पर्क विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध नगर विकास न्यास से है। इसमें कोई गलती की बात नहीं है। गलत बात होती यदि कोई बात छिपाता तो मैं अवश्य गलती स्वीकार करता। प्रश्न के उत्तर में कोई गलत उत्तर नहीं दिया गया पत्रकारों को भू-खण्डों के आवंटन के रूल्स बने हुये हैं। सभापति महोदय वे रूल्स जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्ध नहीं रखते हैं वह जयपुर यू. आई. टी. ने बनाये हैं और जयपुर यू. आई. टी. ने स्वायत्त शासन के मारफत बनाये हैं। जो पत्रकार

Page No 88

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अपने रहने के लिये मकान या प्लाट, जयपुर में चाहता है उन्हें सीधा प्रार्थना-पत्र नगर विकास न्यास को देना होता है। वह जांच के लिए कि पत्रकार है या नहीं वह प्रार्थना-पत्र जन सम्पर्क विभाग को भेजते हैं। जन सम्पर्क विभाग भी उसकी जांच नहीं करता है बल्कि एक अक्रेडेशन कमेटी है उससे सम्मति लेने के लिए भेजते हैं। अक्रेडेशन कमेटी में पत्रकारों के प्रतिनिधि व सम्पादकों के प्रतिनिधि बैठते हैं। जन सम्पर्क विभाग में वह कमेटी बनी हुई है। वह कमेटी इस बात का सर्टिफिकेट देती है कि आया प्रार्थना-पत्र जो भू-खण्ड के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिन महानुभावों के लिए प्रस्तुत किया गया है वह पत्रकार है या नहीं।

समिति उस प्रार्थना-पत्र को पुनः नगर-विकास न्यास को भेज देती है। उसका सीधा सम्बन्ध है कि वह प्लाट अलाट करे। वे अवेलिबिलिटी के हिसाब से अलाट करती है। इस समय जो प्रार्थना-पत्र नगर विकास न्यास को दिये गये हैं और जो तथ्य के लिए कमेटी के सामने रखे गए हैं उन प्रार्थना पत्रों को अलाट किए गए हैं। अभी कुछ अर्से पहले 10-20 के करीब संख्या होगी अभी आये हैं सम्मति के लिए जो अक्रेडेशन कमेटी की बैठक होने वाली है उन पर विचार करके अपनी सम्मति देकर वह प्रार्थना-पत्र नगर विकास न्यास को भेजे जायेंगे जिन पर आगे की कार्यवाही नगर विकास न्यास को करनी है। माननीय गाडिया जी ने जो बात कही भू-खण्डों की सम्मति देने की वह इस विभाग के पास पत्र आता है। इस विभाग के अलावा, दूसरों से नहीं मांगी जाती है। आगे का सारा काम नगर विकासन्यास को करना है। भू-खण्ड जो पत्रकारों को दिये जाते हैं—आम तौर पर एक आधार पर दिये जाते हैं भू-खण्ड दूसरे लोगों को नीलाम करके दिए जाते हैं और पत्रकारों को निर्धारित दरों पर दिये जाते हैं। यह सहूलियत तो है। जहां तक कर्जा देने की बात है इसमें कोई विशेष रियायत नहीं है। मकान बनाने के लिये राज्य सरकार हर एक को कर्जा देती है और जैसे राज्य सरकार अन्य लोगों को कर्जा देती है उसी प्रकार उनको भी होता है और कर्जा मिलता है। जो सबको सहूलियत है वह पत्रकार बन्धुओं को भी है। उनके लिए यह नहीं कहा जा सकता है। उनके लिए यह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि कर्जा प्रायरिटी से मिल जाय बाकी इन्टरेस्ट का सवाल आयेगा जो इन्टरेस्ट दूसरे लोगों को देना है वह इन्टरेस्ट पत्रकारों को भी देना होता हैं। उसमें कोई भेद नहीं किया जाता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा एक निवेदन है······

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरी बात आपने पत्रकारों के नाम बताये जिनको प्लाट दिये गये हैं कि ये पत्रकार नहीं है। आपके पत्र में एक प्लाट आर. डी. गुप्ता को देने के लिए जिक्र है इसके लिए माननीय सभापति जी, उत्तर में जवाब दे दिया गया है। आपने कहा यह मामला अक्रेडेशन कमेटी के सामने नहीं रखा गया, मैं आपको विश्वास देता हूं यह बात गलत है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आपकी यह गलत सूचना है। उनका प्रार्थना-पत्र अक्रेडेशन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कमेटी के सामने आया है। पत्रकार होने की सम्मति दी है फिर यह प्लाट दिया गया है। वह पत्रकार "महावर नवजीवन" के हैं। इसके पूर्व जो प्रार्थना-पत्र दिया है वे अलवर में थे और वहां पर वे संवाददाता रहे हैं इस प्रकार पत्रकारिता का जीवन बिताया है। अक्रेडेशन कमेटी ने यह मानकर कि पत्रकार हैं मार्च 69 में, 68 में अक्रेडेशन कमेटी के सामने गया था और जुलाई के बाद प्लाट दिया गया। यह कहना पत्रकार नहीं हैं, गलत है। आपने कहा वे पत्रकार नहीं हैं और एल आई. सी. में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। यह सूचना मेरे विभाग को नहीं है कि वे अपनी पत्रकारिता के अलावा और दूसरा कौनसा धन्धा करते हैं। पत्रकार की उन्होंने सूचना दी है और वह मामला अक्रेडेशन कमेटी में गया जिसमें संवाददाताओं के प्रतिनिधि और पत्रकारों के प्रतिनिधि होते हैं जिनको पत्रकार बन्धुओं के बारे में मालूम होता है। उनकी सम्मति के आधार पर ही दिया गया है। श्री अनुसूयाप्रसाद के लिये निवेदन किया गया, मैं साफ निवेदन करना चाहता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं इस सदन को इस प्रकार की सम्मति और सहूलियत जो दी जाने वाली है उसमें पत्रकारों के बीच में कोई भेद नहीं किया जाता रहा है और न भविष्य में किया जाता रहेगा। श्री अनुसूया-प्रसाद को कारणवश प्लाट नहीं मिला, लेकिन जो कुछ आपने कहा वह गलत है बल्कि उनको प्लाट दे दिया गया था प्लाट 31-10-67 को, 29-3-69 को निरस्त किया गया है उसकी वजह है कि जो प्लाट का पैसा जमा कराना था वह जमा नहीं कराया, नोटिस दिया गया फिर भी जमा नहीं कराया। यह सूचना यू. आई. टी. से मिली है। उनके पैसे जमा नहीं कराने की वजह से......

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सम्बन्ध में एक बात पूछना चाहता हूं—जिन जिन लोगों ने अभी तक पैसे नहीं दिये, क्या उन पत्रकारों के सारे प्लाट केन्सिल कर दिये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने प्रारम्भ में कहा यह यू. आई. टी. के देखने की बात है, जन सम्पर्क को नहीं देखना है। पत्रकारों की जानकारी प्राप्त कर उत्तर दिया। आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये। आप इस प्रश्न को स्वायत्त शासन विभाग से पूछ लीजिये कि किन किन के प्लाट निरस्त किये गये हैं और किन किन के प्लाट निरस्त नहीं किये गये हैं। मैं स्पष्टतौर से निवेदन कर चुका हूं। पत्रकारों के आवंटन का सवाल है उस सम्बन्ध में निवेदन किया। माननीय गाड़िया जी ने इसके साथ साथ पत्रकारों की अन्य सुविधाओं के बारे में जिक्र किया। सभापति जी मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में साफ बताया है। आज जो सुविधायें पत्रकारों को दे रहे हैं वे बताई हैं। आपने भविष्य के लिये न कोई बात पूछी और न कहने की आवश्यकता है.........

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने पूछा है प्रश्न नं. 4 में......

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। पहले बोल लेने दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं सब बता रहा हूं, आपने यह पूछा अन्य राज्यों में जो सुविधा दी जा रही है उसी के अनुसार राज्य सरकार

(श्री हीरालाल देवपुरा)

भी विचार रखती है मैंने आपसे निवेदन किया उत्तर में हमने दूसरे राज्यों से जानकारी प्राप्त की है। अभी तक केवल चार राज्यों से ही जानकारी आई है। उन राज्यों में अमूमन वही सुविधायें दी जा रही हैं जो राज्य सरकार दे रही है... ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : कौन कौन से राज्य हैं वो।

श्री हीरालाल देवपुरा: अब प्रश्न यह रहता है कि पत्रकारों को और क्या सुविधायें दी जा सकती हैं और उस पर राजस्थान सरकार क्या विचार करती है।

आज जो पत्रकार बन्धुओं को सुविधाएं दी जा रही हैं वह हमारे एक्रेडेशन रूल्स बने हुए हैं उनके आधार पर दी जा रही हैं और यह सही है कि आज के बने हुए रूल्स केवल जयपुर तक के ही पत्रकारों के लिए सीमित हैं। मैं मानता हूं कि उनका असर हमारे डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए पत्रकार बन्धुओं पर नहीं आता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सभापति महोदय कि राजस्थान सरकार इस बात पर विचार कर रही है। रूल्स अण्डर फार्मेशन्स हैं। जिनके आधार पर डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हुए हमारे पत्रकार बन्धुओं को एक्रेडेशन रूल्स के तहत ले लिया जायेगा और उनको भी वही सुविधायें दी जा सकेंगी जो सुविधायें जयपुर में बैठे हुए पत्रकार बन्धुओं को प्राप्त हो रही हैं और वे उनको भी मिल सकेंगी।

जहां तक सवाल आपके कुछ सुझावों का है कि सचिवालय में पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष होना चाहिए तो यह विषय भी राज्य सरकार के विचाराधीन है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ही हम इस पर निर्णय ले पायेंगे। आज भी पत्रकार बन्धुओं को सुविधायें हैं सचिवालय के मेन भवन में नहीं लेकिन उसके अहाते में ही जो जन सम्पर्क विभाग का भवन है उसमें पत्रकारों के बैठने के लिए पत्रकार कक्ष की सुविधा उपलब्ध है और जल्दी ही यह सुविधा सेक्रेटेरियट की मेन बिल्डिंग में भी हो सकेगी, इसका प्रयत्न किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही यह सुविधा भी हम यहां के पत्रकारों को उपलब्ध करा सकेंगे।

साथ ही साथ कुछ बातें आपने दूसरी कही। आपने बस की सुविधा के लिए कहा कि राजस्थान के अन्दर जो रोडवेज की बसेज चलती हैं उनमें पत्रकारों को कन्सेशनल रेट्स की सुविधा मिलनी चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार का जन सम्पर्क विभाग रोडवेज कारपोरेशन से सम्पर्क किये हुए है और उनमें विचार-विमर्श चल रहा है। और इस पर भी जल्दी ही निर्णय लिया जा सकेगा ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि क्या सुविधा इस संबंध में दी जा सकेगी यह कह सकूं लेकिन राज्य सरकार और जन सम्पर्क विभाग इस ओर जागरूक हैं और मैं चाहता हूं कि पत्रकार बन्धुओं को अधिक से अधिक सुविधायें मिलें वे सही रूप में पत्रकारिता के व्यवसाय को चला सकें और लोकतंत्र में जैसा वह अपने आपको जिम्मेदार मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि वह लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए अपना बहुत बड़ा भाग अदा कर सकते हैं तो वह सही रूप से इस काम को करते रहें।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यह जन सम्पर्क विभाग है और जैसा विज्ञापन के बारे में आपने कहा वैसे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा उसका सीधा संबंध विज्ञापन से नहीं था और उनका सीधा संबंध पत्रकार बन्धुओं को मिलने वाली सुविधाओं से था लेकिन फिर भी इस सदन में कई बार विज्ञापन के बारे में पूछा गया मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बात में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता और सबको विज्ञापन दिये जाते हैं। आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, रोका नहीं जा सकता लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पत्र राजस्थान में निकल रहे हैं वह चाहे किसी भी विचारधारा के हैं। चाहे वह कांग्रेसी विचारधारा के हैं, चाहे समाजवादी विचारधारा के हैं और चाहे दूसरी विचारधाराओं के पत्र हैं राजस्थान सरकार ने उनकी शर्तों को पूरा करने पर मान्यता दी है और साथ ही साथ उनको समय समय पर विज्ञापन भी दिये हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उनको विज्ञापन नहीं दिये गये हैं। पत्रों की हर एक की अपनी अपनी श्रेणी है—श्रेणी ए. श्रेणी बी. और श्रेणी सी.। इसलिए जो पत्र जिस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है उसके आधार पर ही उसको विज्ञापन मिलते हैं और इसके अलावा उनकी रेट्स तय होती हैं और उसके हिसाब से उनको पेमेन्ट किया जाता है। तो यह कहना कि कोई भेदभाव बरता जाता है, गलत है मैं विश्वास दिलाता हूं कि कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया और न भविष्य में बरता जायेगा।

तो मैंने अभी पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में निवेदन किया। अंत में मैं यह सदन के माध्यम से पत्रकार बन्धुओं को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि किसी प्रकार का भेदभाव जन सम्पर्क विभाग की ओर से नहीं बरता जायेगा। सुविधाओं और विज्ञापन देने के बारे में और इसके अलावा और दृष्टि से भी कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा और इसके बारे में किसी प्रकार का सन्देह किसी पत्रकार बन्धु को नहीं रखना चाहिए। या माननीय श्री गाडिया जी को भी नहीं रखना चाहिए।

श्री सभापति : (श्री देवीदत्त गाडिया के बोलने पर) चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीदत्त गाडिया : स्पष्टीकरण चल रहा है। अनुसूयाप्रसाद के लिए आपने कहा। क्या यह सही नहीं है कि नवज्योति प्रेस के मालिक श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी ने यू० आई० टी० को लिखकर भेजा ··

श्री सभापति : स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित है।

श्री हीरालाल देवपुरा : केवल आपका प्रश्न था कि उनको प्लाट दिया गया वह क्यों वापिस लिया गया। मैंने कहा कि उनके प्लाट की रकम जमा नहीं हुई इसलिए प्लाट वापिस लिया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या उनको नोटिस दिया है? और यदि नोटिस दिया तो कब दिया? मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो उस व्यक्ति को नोटिस दिया है··· ··

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने साफ निवेदन किया कि यह सारी डिटेल्स का

(श्री हीरालाल देवपुरा)
सम्बन्ध मुझसे नहीं है। आपने सूचना मांगी थी वह मैंने दी है और अनुसूयाप्रसाद को नोटिस दिया या नहीं और क्या हुआ क्या नहीं इसके लिए मैंने बहुत ही साफ कहा है इसका सम्बन्ध जन सम्पर्क विभाग से नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : ऐसा बेरी आयोग के समक्ष बयान देने से किया। इस सम्बन्ध में सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि यह सिद्धनाथ जी तिवारी जिनको प्लाट कई वर्षों से दे रखा है उन्होंने पैसे जमा नहीं कराये आपने इनका प्लाट कैंसिल नहीं किया और अनुसूयाप्रसाद का किया जब कि उनके ऊपर केसेज चल रहे हैं, वह बेकार हो गये और आज भी प्रेस गैलेरी में बैठे हैं उनको नोटिस नहीं दिया। वह पैसे जमा कराने गये उनसे पैसे नहीं लिए

(1.25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए माननीय मन्त्री जी आश्वासन दें कि वह पैसा जमा करा दें तो उनको प्लाट वापिस दे दिया जायेगा।

दूसरे मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरे जिले के पत्रकारों को सुविधायें देने के बारे में आपने कहा और आश्वासन दिया उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन श्री आर. डी. गुप्ता के बारे में कहा कि वह अखबार के सम्पादक थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्रमजीवी पत्रकार की जो डेफीनेशन है, क्या यह सही नहीं है कि जो 5 साल से पत्र निकालता हो और जिसकी आजीविका का साधन पत्रकारिता हो वही श्रमजीवी पत्रकार माना जाता है तो क्या वह उसकी संज्ञा में यह श्री आर. डी. गुप्ता आते हैं ? क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुसूयाप्रसाद की जांच के लिए मुझे कहा है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन सम्पर्क विभाग का सम्बन्ध न तो जांच से है और न एक्शन से है। इसका सीधा सम्बन्ध यू. आई. टी. से है इसलिए यह प्रश्न उन्हीं से पूछा जाना चाहिए और यह जांच उन्हीं से की जानी चाहिए।

दूसरा प्रश्न आर. डी. गुप्ता के बारे में कहा तो मैंने अभी कहा था कि सन् 64 से उन्होंने 'महावर नवजीवन' का सम्पादक बताया। यह मासिक पत्रिका है और इससे पूर्व उन्होंने संवाददाता का काम अलवर के किसी पत्र में किया बताया। उससे भी अन्दाजा लगायें तो 5 साल की अवधि जो आप खुद मानकर चलते हैं जब उनको प्लाट मिला है तब तक अवधि पूरी हो जाती है। अब आप जानकारी देंगे कि आपको जो फैक्ट्स मैंने दिये हैं वह गलत हैं तो मैं उस आधार पर जांच कर लूंगा उसमें आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाडिया : प्लाट्स दिये जाने के क्या क्या नियम हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुद्दे आज इस आधा घण्टे की चर्चा के लिए उठाये हैं उसके सम्बन्ध में आपने उत्तर दिया है—वह तो माननीय सदस्य से सम्बन्धित है। उन्होंने कई मुद्दे उठाये लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स का डिपार्टमेन्ट है और आप जिसके मन्त्री हैं वह डिपार्टमेन्ट आज जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक सैट-अप में फंक्शन करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है, ऐसा आप भी महसूस करते होंगे। आपने गवर्नमैन्ट एडवरटाइजमेन्ट के लिए एक एड्वाइजरी बोर्ड बनाया। गवर्नमैन्ट एडवरटाइजमेन्ट रिलीज करने के बारे में पेपर्स के सेलेक्शन के बारे में और उनके एक्रेडेशन के बारे में आज किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और जो सरकार ने नियम बनाये हैं वह रद्दी की टोकरी में हैं और सारे अधिकार जो एडवाइजरी बोर्ड में थे वह डाइरेक्टर को दे रखे हैं और उस डाइरेक्टर के आचरण के बारे में कई बार सदन में चर्चा का विषय बना है इसलिए यह सारे झगड़े इस प्रकार के हैं कि आप स्टीरियो टाइप वे में इस डिपार्टमैन्ट को नहीं चलने दें और बाकी स्टेट्स में यह पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमैन्टस किस प्रकार से फंक्शन करते हैं उसके बारे में जानकारी करें और मैं कहता हूं कि ऐसे पत्रकार को जिसको अनुभव हो और जिसकी निष्पक्षता में किसी को सन्देह नहीं हो उसको इस डाइरेक्टोरेट का हैड बनायें और जरनेलिज्म को राजस्थान में सही दिशा देने के लिए एडवाइजरी बोर्ड को रिवाइज करें और जो विज्ञापनों के रिलीज करने के बारे में शिकायतें हैं वह भविष्य में न रहें इसलिए उन रूल्स के मुताबिक काम हो तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हो सकता है। आपका काम यह नहीं होना चाहिए कि मन्त्रियों की तस्वीरें छप जायें बल्कि आपका काम यह होना चाहिए कि राजस्थान में समाचार उद्योग चले, अन्य अखबार नये निकलें, पुराने अखबार पनपें, उनको प्रोत्साहन मिले इस प्रकार का हैल्दी जरनेलिज्म राजस्थान में पनपे, उसका भरण-पोषण हो। उसके लिए आपके डिपार्टमैन्ट की बहुत जिम्मेदारी है। आप सिर्फ यह सोचकर नहीं चल सकते या यह कहकर नहीं चल सकते कि लैण्ड का मामला हाउसिंग से है, प्लाट का मामला यू. आई. टी. से है। मैं समझता हूं कि ओवरआल आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो वर्तमान डाइरेक्टर को एग्जीबीशन का काम दे द, जहाँ पैसे का मामला आता है वह उनको दे दें अगर आप बहुत मेहरबान हैं तो लेकिन जो पत्रकारिता से सम्बन्धित विषय है उसके लिए तो किसी ओल्ड एक्सपीरियेन्स्ड व्यक्ति को आप एम्पलाय कर सकें तो राजस्थान के जरनेलिज्म को बहुत लाभ मिलेगा और ऐसे व्यक्ति को इस डाइरेक्टोरेट का काम दिया जाये तो ज्यादा अच्छा हो सकता है और आये दिन जो कई शिकायतें आती हैं वह शिकायतें भी दूर हो सकेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। (मंत्री महोदय, के जवाब देने के लिए उठने पर) वह आपने सलाह दी है।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय उपाध्यक्ष कहने दें। एक स्पष्टीकरण हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया है। आधे घन्टे की चर्चा पर आपने एक घन्टे से अधिक ले लिया है।

अगला, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही गत सत्र समाप्त हुआ मैं बूंदी गया और वहां जाने पर मुझे मालूम पड़ा की मेज नदी के ऊपर एक पिकअप वैयर की योजना बनाई है और तीसरे प्लान के बाद बनाया जायेगा। यह भी कहा गया कि उसके लिये चन्द पूंजीपतियों का आवेदन-पत्र था, और उन्हें लाभान्वित करने के लिए यह योजना बनाई जा रही है। पिकअप वेयर जो मेज नदी पर बना रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उससे काफी हानि होने की सम्भावना है।

सबसे पहले इस पिकअप वेयर की जो योजना थी वह 34 हजार की योजना थी, और इस योजना का सारा कार्य चूने से कराने का था। दो मास ही नहीं बीते कि यह योजना 1,31,000 रु० की बनाई गई। मैं नहीं समझ पाया कि जो योजना 34 हजार की थी वह योजना एक मास में ही 1,31,000 रु० की क्यों कर हो गई? इसके अतिरिक्त सारा काम सीमेंट में रखा। इसके अलावा जो ठेका 34,000 रु० में अमीरअली ठेकेदार को दिया गया था उसी को यह ठेका इसका भी 1,31,000 रु० में दिया गया मैं इतना पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि जब ठेके को रिवाईज किया गया और 34,000 से 1,31,000 रु० का किया गया तो सरकार द्वारा क्यों नहीं बन्द टेन्डर बुलाये गये? क्यों नहीं बन्द टेन्डर के थ्रू दुबारा ठेका नीलाम किया गया? उससे हो सकता था कि सरकार को दूसरे ठेकेदार भी इस कार्य के लिए अपने टेन्डर दे सकते थे। मगर सरकार ने यह नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है वह समाजवाद का नारा तो बहुत अच्छा लगाना जानती है। शुरू में इन्होंने कदम समाजवाद का उठाया और बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया, उसमें भी जितना पैसा मिला वह पूंजीपतियों को मिला। ऐसे ही बैंकों का है उनका जो लाभ मिल रहा है। वह पूंजीपतियों को मिल रहा है। इसके अन्दर भी केवल जो मदनलाल तापड़िया हैं उनके फार्म को और पास में पंजाबियों के हैं उनको लाभ मिलने वाला है। आम काश्तकार जो गरीब हैं, जो इसके लिए चाहते हैं कि हमारी जमीनों को भी पानी मिले, हमारे यहां भी इस तरह से गुढ़ा बान्ध की झरन के जरिये पानी जो इस नदी में जाता है वह बेकार नहीं जाकर उस पर छोटा सा बन्ध बने और हम उससे फायदा उठायें। इस नदी के पास अनेक डेरियें हैं और डेरियों से छोटे काश्तकार पानी लिया करते थे, और गर्मियों के दिनों में जो पानी बीच नदी में भरा रहताथा, उसको मवेशी पीकर लाभ उठाते थे। मगर क्या होगा कि जो यह पिकअप वेयर बनने जा रहा है उसकी पहले सिर्फ 4 फुट की हाइट रखी थी, और 4 फुट की ऊंचाई से 9 फुट की ऊंचाई इसकी कर दी। उसके बाद तीन-तीन फुट के खम्भे लगाकर, उपाध्यक्ष

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

महोदय, उसके अन्दर फाटक लगाये जायेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 67 के अन्दर जब कि ज्यादा वर्षा हुई थी तो इसी नदी पर जो पुल कोटा से जयपुर सड़क जाती है उस पर पानी आ गया था। अब जो प्रस्तावित पिकअप वेयर है वह वहां से केवल डेढ़ मील के फासले पर है। जब बान्ध का फाटक खोल दिया जायेगा और आस-पास के बाजू से पानी आयेगा और सामने यह 12 फुट की दीवार खड़ी होगी तो क्या यह पानी कराड़ों से बाहर नहीं निकल जायेगा? क्या प्लानिंग और सर्वे डिपार्टमैंट ने इसको पूरी तरह से एग्जामिन किया है कि इसके जरिये अगर 12 फुट की दीवार सामने आयेगी तो पानी कूद कर बाहर निकल जायगा और बगल में जो फसलें होगीं और जो गांव होंगे उनकी जान-माल की हानि करेगा?

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इससे बहुत सी हानियां और होने वाली हैं। वे इस प्रकार हैं कि जहाँ पर इन लोगों ने पम्प लगा रखे हैं और सामने 13 फुट का बान्ध होने के कारण वह सब रेत और सिल्ट से भर जायेंगे। जहां पर नदी में देह हैं वे सब खत्म हो जायेंगे और रेत से भर जायेंगे। सिंचाई विभाग का कहना है कि वे केवल 2 पर्सेन्ट की लागत से 9 रु० फी एकड़ का फायदा उठायेंगे, तो चन्द ही वर्षों के अन्दर सारा वेयर रेत से भर जाने वाला है। इसके ऊपर मंत्री जी ध्यान देगें कि यह सिल्ट के भरने के उपरान्त कितना खर्चा सरकार को और आयेगा?

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग कहता है कि हमको उस क्षेत्र में पानी देने के लिए अवसर मिलेगा जहां अब तक पानी नहीं पहुंचा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि गुढ़ा कमाण्ड एरिया में ऐसी हजारों जगहें हैं, हजारों बीघा जमीन ऐसी हैं जहां पर अब तक एक बार भी पानी नहीं पहुंच पाया है, और इस क्षेत्र में खास तौर से तापड़िया के फार्म को लाभान्वित करने के लिए दोहरी पिलाई कर रहे हैं नहरों से अलग पिलाई होगी और पिकअप वेयर से अलग पिलाई होगी। इसके आंकड़े मैं निवेदन करूँ कि यह केवल 364 एकड़ का क्षेत्र इससे लाभान्वित होने को बताते है। बीचड़ी एग्रीकल्चर फार्म में 14 एकड़, और 38 एकड़ भूमि पर जो कि करतारसिंह, अमरसिंह और तेजसिंह के पास है और उसका खसरा नम्बर 10, 11, 12 है, वह नहरों से भी पीयेगी और पिकअप वेयर से भी पीयेगी। इसके अतिरिक्त 7 एकड़ और 23 एकड़ खसरा नम्बर 19/1, 19/2, 19/3 व 20, 1147 व 1163 इनकी कुल 28, 76 और 38 एकड़ जमीन होती है, यह पिकअप वेयर और नहर दोनों से पियेगी। इसके अतरिक्त जो बिचड़ी एग्रीकल्चर फार्म है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका खसरा नम्बर 380 है वह 30 एकड़ है। जो गुढा बान्ध से भी पीती है। 16 एकड़ और 14 एकड़ जमीन वह गुढ़ा से पीती है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 3077/4, 3097/4, 237/4, 237/1 और 323 कुल 110 एकड़, कुल नहर से और पिकअप वेयर से पानी पियेगी। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय. निवेदन करूंगा कि सरकार एक तरफ नारा लगाती है समाजवाद का उधर पहले वियर नहीं बनाना चाहती है उधर बनाना चाहती है जहां पहले से

Page No 96

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

पानी मिल रहा है। किसी हद तक इसमें सरकारी कर्मचारी भी इण्ट्रेस्ट ले रहे हैं। जो बूंदी जिले के स्थानीय अखबार हैं, उन में भी ऐसे समाचार आये हैं कि जो असिस्टेंट इन्जीनियर हैं, उन्होंने कूलर आदि सामान श्री तापड़िया से लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य फोरम का भी अभाव हो गया है।

(गण-पूरक घण्टी)

श्री केसरीसिंह हाड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूं कि 9 एकड़ की पिलाई इन्होंने रखी है इसके प्रति कोई एग्रीमेंट उनके पास नहीं है पम्प लगाने का काम भी काश्तकार करें। किस को पिलाना, कब पिलाना, वह काश्तकारों का। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अपनी खुशी से जिसको पिलायेगा, पिलायेगा नहीं पिलायेगा तो नहीं पिलायेगा। तो यह मानकर कैसे चलते हैं कि 364 एकड़ भूमि सिंचित होगी। और इससे हम को फायदा मिलेगा। यह जो बताया गया है, वह सब्ज बाग है। इसका मतलब यह, खास बात यह है कि इस नदी से सेठ लोग अपने ही खर्चे से अपना पम्प लगा लगा कर पिलाते रहे हैं। पिकअप वेयर लगने के बाद भी सिंचाई 9 रु० प्रति एकड़ लगेगी ही। लेकिन अब तक निःशुल्क पिलाते थे। पानी सरकार का था। देखिये काश्तकार बड़ी मुश्किल से कुआ खोदता है। वह बीच में टूट जाये, ढह जाय तो उसे उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। जैसा कि गत साल कुओं में पानी टूट गया, कुओं को गहरा कराना पड़ा। और खर्चा करना पड़ा। एक तरफ तो यह काश्तकार जो अपने खर्चे से पानी का जलाशय बनाते हैं, उनसे सिंचाई की दर लेते हैं। एक तरफ राज्य के पानी से बिना पैसा दिये पिलाते हैं। यह सरकार के लिए बहुत ही निन्दनीय बात है। समाजवाद का नारा लगाकर सरकार काश्तकारों को लूटे और पूंजीपतियों को संरक्षण दे। उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं, डाबेरा के सरपंच ने एक प्रार्थना-पत्र भेजा है। उनका प्रार्थना-पत्र मेरे पास है। अगर डाबेरा के पास पिकअप वेयर बन जाता है तो उधर की सूखी जमीन को भी पानी मिल सकेगा। मेरा यही कहना है कि पहले उन काश्तकारों के लिए यह होना चाहिए जिनको इस कमाण्ड एरिया में होते हुए भी पानी नहीं मिल पाता है। सरकार जिन्हें काश्तकार कहती है, मैं उन्हें पूंजीपति कहता हूं। पहले यह काश्तकारों को देना चाहिए उसके बाद में उनको देना चाहिए। नहीं तो वहां पिकअप वेयर से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, मैंने जो 9 पत्र उनको लिखे हैं, उनका उत्तर दे देते और मुझे सन्तुष्ट कर देते तो मैं सदन का समय खराब नहीं करता। मगर माननीय मन्त्री जी ने 9 पत्रों का उत्तर नहीं दिया है। मैंने दो पत्र माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी भेजे। एक पत्र अध्यक्ष महोदय को भी दिया है। मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। यही कारण था कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाना पड़ा है। वर्ना वहां ही समझ लेते तो सब कुछ जनता का ठीक हो सकता था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री केसरीसिंह हाडा : आवाज नहीं आ रही है। जोर से कहें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक एनीकट बनाने के सिलसिले में एक प्रश्न भी पूछा था। उसका जवाब मैंने माननीय सदस्य को मय नक्शे के दिया था। साथ ही साथ उन्होंने पत्र भी लिखा था कि उनकी तामीरों को रोक दिया जाये। मैंने उसका जवाब नहीं दिया।

श्री केसरीसिंह हाडा : कम से कम प्राप्ति की सूचना तो हो जाती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीन सदस्य ने इस पिकअप वेयर के बारे में कुछ मुद्दे उठाये। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा और रैक्टिस नदी पर बनाने का उधर उद्देश्य क्या है। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं। गुढ़ा बांध हमेशा ओवर फ्लो होता है। काफी पानी आता है। इसलिए उसमें काफी पानी होने की वजह से आमतौर से किनारे कट से जाते हैं। उसको लेना और साथ ही साथ पानी का उपयोग जन हित में हो सके इसलिए जब एक काश्तकार ने यह कहा कि इस पानी को रोका जाये। इससे लिफ्ट इरीगेशन हम करें। इससे सरकार की आमदनी भी बढ़े और अनाज पैदा करने में भी सहयोग हो। इसलिए यह कार्यक्रम हाथ में लिया। पहला उद्देश्य यह था। दूसरा यह भी जैसा कि गुढ़ा बांध की आस-पास की जमीन, जंगल की जमीन है। कटाव होने के कारण समतल नहीं है इसी कारण गुढ़ा बांध से कई जगह पानी नहीं पहुंचता है। ऐसे हिस्सों में काश्त करने वालों को, चाहे 10, 15, 6 जितने भी हैं, उनको भी एक सुविधा मिल जाए। आखिर वह पिलाई देकर इस सुविधा को भोगना चाहते हैं, उसको हमने मुनासिब समझ कर, जो सारे राजस्थान में नदी नालों में पानी बहता है, उसको कोई पम्प लगाकर पानी लेता है, तो आज के नियम के अनुसार पानी की पिलाई नहीं ली जाती है। तो पानी को चार छः पम्प से लोगबाग ले रहे थे, उस नदी के पानी, नाले के पानी की पिलाई हमको नहीं मिलती है। अगर यह एनीकट्स बन जाता है और उससे हम अपना इंजिन लगा कर, अपनी मशीनरी लगा कर उनको पानी सप्लाई करते हैं तो इस छोटे से एनीकट से राज्य सरकार को बीस हजार की आमदनी होती है। अगर वह स्वयं अपने खर्च से, अपने पम्प से, अपनी मजदूरी से पिलाते हैं तो राज्य सरकार को दो, ढाई हजार की आमदनी होती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नो नुकसान है, लेकिन जिसकी जमीन में पहले पानी नहीं पहुंचता था, उसकी जमीन के पास में पानी मिल जायेगा, इसके साथ ही साथ भूमि का कटाव होता है वह भी बच जायेगा और इससे भूमि का उत्पादन भी बढ़ जायेगा। माननीय सदस्य ने कहा कि गुढ़ा बांध का पानी मिले, उसके साथ साथ इससे भी मिले। अलबत्ता जिस पत्र को मैंने सदन के माननीय सदस्य के पास भेजा है और जिसकी प्रति माननीय सदस्य के पास भी है उसमें मैंने आंकड़े दिये हैं, लेकिन मैं आपको यह बताने की कोशिश करना चाहता हूं कि किस क्षेत्र को पानी नहीं मिलता है.....

श्री केसरीसिंह : मेरे पास चिट्ठी नहीं पहुंची है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी उसके आंकड़े माननीय सदस्य चाहें तो मैं रिपीट भी कर सकता हूं। वैसे मैं इससे दूर की बात करता हूं, दूर की बात यह है कि आज कल हाई ब्रीड क्राप्स बोई जाती हैं जो आपके किसी बांध से तीन चार पानी से भी उतना प्रोडक्शन नहीं दे सकती जितना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में थोड़े दिन पहले एक आल इंडिया इरिगेशन मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस नैनीताल में हुई थी, वहां पर इस बात का दूरदर्शितापूर्ण एक निश्चय किया था कि बांध के कमांड में आने वाली भूमि है जिसको कम पानी मिल पाने की वजह से हाई ब्रीड क्राप पैदा नहीं होती है और अधिक प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसी योजना बनानी चाहिए, चाहे वह ट्यूब वैल की हो, चाहे दूसरी कोई योजना हो, एनीकट्स को हो या स्माल टैंक्स की हो ताकि उस बांध से मिलने वाले पानी के अलावा भी और पानी उसे दिया जा सके जिससे अधिक प्रोडक्शन हो सके और आज जो हाई ब्रीड क्राप अधिक पानी न मिलने की वजह से फेल होती है वह नहीं हो। उस तरह से यह स्कीम है इससे थोड़े से आदमियों को लाभ पहुंचाने का ही सवाल नहीं है और योजना में एक ही एनीकट बनाने का सवाल नहीं है बल्कि जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, डांवटा और खटावदा और एक जिसका नाम माननीय सदस्य ने लिया है यह तीनों एनीकट बना रहे हैं। यह तीन एनीकट बनाने की योजना थी इसमें से एक पर काम शुरू किया, लेकिन उसका क्योंकि विरोध हो गया इसलिए उसका काम रुका हुआ है, नहीं तो तीन जगह पर एनीकट्स बनाने की योजना है। तीन एनीकट बनाने से जो इन तीन के क्षेत्र में आने वाले काश्तकार हैं उनको लाभ पहुंचेगा। माननीय सदस्य की जो ओपिनियन है कि वहां के एनीकट को पहले बनावें और इनको बाद में बनायें, तो जब सबको बनाना है तो इसमें पहले और पीछे का सवाल पैदा नहीं होता है। हमें इस योजना को पूरा बनाना है।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा कि बारह तेरह फीट ऊंचाई होगी, इसलिए यह पानी बहुत रोक लेगा और उस कारण ओवर फ्लेकिंग हो जायेगा। यह असल में नौ फीट ऊंचा है सुपरिन्टेन्डिंग इंजिनियर के यहां से जो स्वीकृति हुई है उसमें, उससे पहले यह पांच फीट ऊंचा रखा जाने वाला था, उसको नौ फीट किया। नौ फीट करने के बाद में भी पानी की इतनी अधिकता है कि नौ फीट करने के बाद पानी नहीं बचे—यह सवाल पैदा नहीं होता है। इसके उपरान्त भी इसकी ऊंचाई का ही प्रश्न है तो ऊंचाई के सम्बन्ध में जो भी माननीय सदस्य ने तथ्य रखे हैं उनके आधार पर इसको हम एग्जामिन कर सकते हैं और इसकी वाजिब ऊंचाई रखी जा सकती है। साथ ही माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें सिल्ट जमा हो जायेगा। इसके कारण इसमें जो पैसा लगेगा वह बेकार हो जायगा। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पिकअप वेयर बनाते हैं उनके अन्दर गेट रखते हैं जिसके जरिये सारा जो रेत का भरना करना है वह सब खाली हो जाता है—ऐसे कई पिकअप वेयर हैं जिनमें गेट रखा हुआ है, और गेट से यह रेत वगैरह निकल जाती है और डीसिल्टिंग

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस लिए डीसिल्टिंग कराने का खतरा, शंका या आशंका माननीय सदस्य के दिमाग में है तो वह निकल जाना चाहिये।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रपोजिशन से यह जो दो एनीकट्स इसके नीचे खटावदा और डांवटा में बनने को हैं और एक जो माननीय सदस्य ने बताया—इन तीनों से इनके क्षेत्र के काश्तकारों को लाभ पहुंचेगा और जो पानी बिना पैसे अभी वह ले रहे हैं, उसके बदले इस इन्वेस्टमेंट की वजह से सरकार को सिंचाई कर और इरिगेशन चार्जेज में आमदनी होगी, साथ ही उनको भी इससे सहूलियत और सुविधा मिलेगी—इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए यह योजना हाथ में ली गई है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए बाकी के बचे हुए दो एनीकट्स हैं उनको बनाने की योजना सरकार की है। मैं समझता हूं, इससे माननीय सदस्य को संतोष होगा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो पिकअप वेयर की ऊंचाई बारह फीट रखी गई है, इसको कम करने के लिये सरकार तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया, इसकी ऊंचाई नौ फीट अभी तक स्वीकृत है, इस ऊंचाई को कम किया जाय या नहीं—इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो तथ्य रखे हैं उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वास्तव में इसकी कम ऊंचाई होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिए—इस पर हम विचार करेंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : नौ फीट नहीं है, बारह फीट है। नौ फीट का पिकअप वेयर है और तीन फीट का खम्भा है, जिससे नौ और तीन—बारह फीट होती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खम्भे में पानी नहीं भरता है, चौड़ाई में पिकअप वेयर का लेवल होगा उसमें पानी भरेगा, बीच में खम्भा दो फीट का ऊंचा होगा उसमें पानी नहीं भरेगा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : बीच में फाटक लगाया जायेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बीच में गेट लगायेंगे, जिससे सिल्टिंग नहीं हो।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : बीच में फाटक लगाने से नौ और तीन—बारह फीट हो जायेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फाटक लगाने का मुझे ध्यान नहीं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : है, मेरे पास सूचना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है। कहां पर फाटक लगेगा, कहां पर गेट लगेगा, इतनी डिटेल्स का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई नौ फीट रखी है, और किसी भी अप्रत्यक्ष रूप से इसकी ऊंचाई ज्यादा न हो इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: क्या आप उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अभी गुढा डेम का पानी नहीं आ रहा है और जहां पर पिकअप वेयर बनाना परमावश्यक है—दूसरी जगह न बना कर पहले यहां बनाना चाहेंगे ?

Page No 100

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले और पीछे का सवाल नहीं है। मैंने कहा कि हम तीनों बनायेंगे, इसलिये पहले और पीछे का सवाल नहीं है। कोई एक महीने पहले बन जाय और कोई एक महीने बाद बने—इससे खास फर्क पड़ता है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैंने एक अतारांकित प्रश्न पूछा था.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां आपने अतारांकित प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में मैंने कहा था कि अभी विचार नहीं हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सुनिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेकिन मैंने अब कहा है कि स्कीम विचाराधीन है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : खटावदा पिकअप वेयर की कोई योजना विचाराधीन नहीं है यह उसमें कहां हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसमें लिखा है वह भी सही है और सारी स्थिति को ध्यान से देखने के बाद जो निर्णय किया है वह भी सही है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अब यह विचाराधीन हो गई है, तो क्या यह बतायें कि जो काश्तकार अपने खर्चे से कुए बनाते हैं और जिनके गिरने या ढह जाने का खतरा रहता है, उससे सरकार पिलाई की दर लेती है लेकिन जो लोग नदी के वाटर से पानी लेते हैं उनसे पैसा नहीं लेती है, तो कुए से सिंचित जमीन पर सिंचाई दर न लेकर क्या सरकारी जो पानी उपयोग में लेता है उससे सिंचाई की दर लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आपका सुझाव है। अभी सारे राजस्थान में नदी से जो पानी लेते हैं, तालाब का नहीं, लेकिन नदी के अन्दर द्रह, खड्डे में पानी भरा हुआ रहता है उससे किसान पम्प लगा कर पानी लेते हैं, उससे सरकार एक पैसा भी पिलाई नहीं लेती है, केवल जहाँ इन्वेस्टमेंट करें और एनीकट्स वगैरह बनायें उसके पानी पर पिलाई लेती है। वैसे आपने जो सुझाव दिया है कि जो नदी और नाले से पानी लिया जाये उस पर भी सिंचाई दर वसूल होनी चाहिए तो इस सुझाव पर विचार करके निर्णय लेंगे। अभी नहीं ले रहे हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: मेरा सुझाव यह था, एक तरफ काश्तकार अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं.........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि आपके सुझाव पर विचार करेंगे। अभी तक नहीं ले रहे हैं। अभी तक किसानों को यह प्रिविलेज दे रहे हैं, यह उनको रियायत है कि नेचर का पानी ले रहे हैं, अपना पम्प लगा कर ले रहे हैं उस पर सिंचाई दर नहीं लेते हैं। आप इस रियायत को खत्म करना चाहते हैं तो इसे खत्म करने पर विचार करेंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आप मांडा मेरे ऊपर नहीं फोड़े.........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एकदम तो कैसे करें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं मोटे मोटे पूंजीपतियों के लिए कह रहा हूं। गरीब काश्तकारों को तो यह रियायत जारी रखनी चाहिए, जो कि वर्षों से लेते आ रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुएं के पानी को तो इरिगेशन डिपार्टमेंट देता नहीं है ...

श्री केसरीसिंह हाड़ा : डेम बांध कर, बांध बनाकर बारह फीट पानी की ऊंचाई रखना चाहते हैं यह सरासर अन्याय है। गरीब काश्तकारों की स्थिति ऐसी नहीं है कि उनके ऊपर किसी तरह का कर लगायें। मेरा निवेदन यह था कि एक तरफ काश्तकार कुएं बनाते हैं उन पर खर्च लगता है और आप सिंचाई दर भी लेते हैं लेकिन जो पूंजीपति और.........

(2 म. प.)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुए के पानी की पिलाई नहीं लेते हैं, लगान लेते हैं।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : एक इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है......

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। ऑर्डर प्लीज !

श्री जुझारसिंह : मंत्री महोदय ने एक बात कह दी है, उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि अभी तक सरकार किसी प्राइवेट इन्डिवीज्यूअल से यदि वह नदी या नले में लिफ्ट करता है तो उससे कोई चार्जेज नहीं लेते हैं लेकिन सरकार की तरफ से भविष्य में विचार हो सकता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी जो लिफ्ट रेट्स हैं वह 108) पर एकड़... ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह नहीं है। आप मतलब नहीं समझे। इनका मतलब था कि नदी नालों में पानी बह रहा है, सरकार उसमें कुछ नहीं करती, न कन्सट्रक्शन करती है न मशीन लगाती, काश्तकार अपना पम्प लगाकर नदी से बहते हुए पानी से स्वयं ले जाता है, तो उससे हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। यदि हम बनाते हैं तो चार्ज करते हीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री केसरीसिंह : पम्प तो मोटी मुर्गियां लगाती हैं।

राज्य की अकाल स्थिति पर अग्रेतर विचार

श्री उपाध्यक्ष : राज्य की अकाल स्थिति पर विचार। श्री हरलालसिंह। (श्री फतेहसिंह के खड़े होने पर) आपके एक माननीय सदस्य कल बोल चुके हैं। पहले उनको अवसर दिया जाता है जिनकी तरफ से कोई नहीं बोला है।

श्री मूलचन्द डागा : समय बहुत थोड़ा है। दो बजे से 5 बजे का समय है और एक तारीख को सरकार उत्तर देगी। वक्ताओं को आधे घंटे के बजाय यदि एक घंटा बोलने दिया जायेगा तो दूसरे सदस्य महरूम हो जायेंगे। आप समय निर्धारित कर दें ताकि हरेक माननीय सदस्य अपनी बात कहे।

श्री उपाध्यक्ष : भाषणों पर समय सीमा आधा घंटा।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से सीकर जिले में जो राहत कार्य हुए, सार्वजनिक

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

निर्माण विभाग द्वारा कार्य चलाए गए, उनमें खुलकर भ्रष्टाचार हुआ, उनकी तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सीकर जिले में करीब 31 कार्य शुरू किए गए जिनमें करीब 40 लाख रुपया खर्च हुआ। जो सा० नि० विभाग द्वारा चलाए गए थे उन कार्यों में [से मैं खासतौर से फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ तहसील और सीकर तहसील के बारे में जहां ज्यादातर कार्य किए गए और जिनके लिए कल एक माननीय सदस्य ने भी सड़क के बारे में सवाल रखा था। मैं खुलकर निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़क मुकंदगढ़ से फतेहपुर की बनी उसमें करीब 4,18,000) खर्च हुआ...

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मंत्री) : कौनसी सड़क ?

श्री हरलालसिंह खर्रा : मुकंदगढ़ से फतेहपुर, उस पर 4.18 लाख करीब खर्चा हुआ है। यह सड़क पहले भी अकाल राहत कार्यों में ली गई है। मिट्टी बह गई होगी या टूट गई होगी लेकिन फिर भी सड़क पर कुछ मिट्टी थी।

अकाल राहत समिति की जो मीटिंग्स हुई, उनमें सा० नि० विभाग के सुप्रिटेन्डिंग इंजीनीयर वहां पर मौजूद थे और हमने उस समय सवाल किया और जिलाधीश ने बताया कि बारबार इन कार्यों की जांच के लिए बी०डी०ओ० को लिखा, फतेहपुर के एस० डी०ओ० को लिखा, प्रधान, विकास अधिकारी और तहसीलदार फतेहपुर को एक बार नहीं कई बार लिखा गया और वहां जो ओवरसीयर्स थे उन्होंने न तो मस्टर रोल दिखाया, न मजदूरों की गिनती ही करवाई। उन्होंने बहाना बनाया कि मस्टर रोल हमारे पास नहीं है और किसी के पास है। एस० डी०एम० को लिखा गया। न तो एस०डी० ओ० ने न बी०डी० ओ० ने मस्टर रोल दिखाया और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने एस्टीमेट बताया कि इस पर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपये खर्चा हो सकता है। यह जो सड़क बनी, उसमें जो पैसा लगाया, यदि वह सा० नि० विभाग द्वारा न बनवाकर किसी दूसरी एजेन्सी द्वारा बनाई जाती तो डबल सड़क बन जाती व मजदूरों को दूना पैसा मिलता।

दूसरी सड़क है फतेहपुर से मंडावा। उसमें एक मील सड़क डामर की बनी है। उस पर 6.16 करीब खर्च हुआ है। मैं समझता हूं कि कोई भी पी०डब्ल्यू०डी० का इंजीनियर या व्यक्ति नहीं कहेगा कि एक मील डामर की सड़क जिसमें मिट्टी का गोला भी बना, इसमें इतना पैसा खर्च हुआ होगा पी०डब्ल्यू०डी० रेट पर। तो इन दो कामों पर विशेष रूप से खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। पता नहीं किस हिसाब से जिला प्रशासन ने बरदाश्त किया। आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई जब कि जिला प्रशासन जानता था कि खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। इन सड़कों के अलावा फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ व सीकर तहसील में जो राहत कार्य हुए हैं, उनमें घोटाले हुए हैं, आधा पैसा भी जनता को राहत पर नहीं गया है।

इसके अलावा और भी जो अनियमितताएं पी०डब्ल्यू०डी० ने की हैं, वो भी निवेदन करना चाहूंगा। बहुत सी सड़कें जिन पर

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

कार्य शुरू हुआ वो रास्ते रेवेन्यू रिकार्ड में काटे हुए थे, जो नहीं कटे हुए थे व जो प्लान में थी, उन सड़कों पर मन माने ढंग से सीधे कटे हुए रास्तों को चेन्ज किया। सरकार को बहुत नुक्सान हुआ है क्योंकि जो रास्ते कटे हुए थे, वे सीधे थे, दूरी कम थी लेकिन मनमाने ढंग से बदले गये रास्तों पर ज्यादा पैसा खर्च हुआ है और इन चेन्जेज की परमिशन न जिलाधीश से ली न एस०डी०ओ० से। अपने स्वार्थ से ही किया गया है जिससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ है व गरीब कृषकों के खेत दबे हैं।

लक्ष्मणगढ़ में ए० ई० एन० का हैडक्वाटर जो बना रखा था, वहां हमेशा पी० डब्ल्यू० डी० के लोग जीप से सीकर से सुबह जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। जिसका 50 मील का फासला है। राज्य सरकार को इससे घाटा हुआ है। जब हैडक्वार्टर लक्ष्मणगढ़ में था तो सीकर आने की जरूरत क्या थी? कोई कार्य होता तो किसी चपरासी या अधिकारी को भेजकर बस के द्वारा कागज भेज सकते थे। इस तरह सरकारी रकम का दुरुपयोग किया है। यह जीप जहां तक मुझे जानकारी है, पी० डब्लू० डी० ने किराये पर ले रखी थी।

मैं समझता हूं ये जो भी दो तीन नमूने मैंने पेश किये, इस भयंकर अकाल में जो मन्त्री महोदय ने काम किया है, उसकी तो सराहना करता हूं लेकिन, कांग्रेस हो चाहे विरोधी दल हों, राजनैतिक दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार आपने राहत कार्यों में मुस्तैदी दिखाई उसी प्रकार दोषी आदमियों को सजा देने में मुस्तैदी दिखावें तो भ्रष्टाचार मिटने में बड़ी मदद मिलेगी। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव गत मार्च में हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसल को नुक्सान हुआ था, उस बारे में रखा था। उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो 31 मार्च को कुछ पैसा सरकार की तरफ से बिना ब्याज के तकावी के रूप में गया। वह पैसा तहसीलदार ने 31 मार्च को ड्रा किया और वह 31 मार्च में ही बहा हुआ दिखाना था। इस प्रकार एन टाइम पर पैसा दो दिनों में बांटा गया और बहुत से किसान जिनको सेन्ट पर सेन्ट नुक्सान हुआ था, उनको पैसा नहीं मिल सका यह ओलावृष्टि ऐसी थी कि पुराने काश्तकार भी कहते हैं कि इस तरह का ओला नहीं देखा। जो दो दिन में सहायता नहीं ले सके उनको एक पैसा भी नहीं मिल सका। इस प्रकार कम से कम 40 प्रतिशत काश्तकार सहायता से वंचित रह गए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने कौन सा गुनाह किया था कि पड़ौस वाले को तो सहायता मिल जाय और दूसरे पड़ौसी को सहायता न मिले जब कि सब की फसल ओला वृष्टि से चौपट हो गई थी? माननीय मन्त्री महोदय से मैंने पहले भी इस बारे में निवेदन किया था और उन्होंने मुझे इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये कहा था। सम्भवतः वित्त विभाग में या कहीं यह मामला अटका हुआ होगा, कलेक्टर सहाब से सहायता की सिफारिश आई है उसके बारे में कुछ न कुछ वे सोचेंगे।

इसके अलावा सहायता के रूप में 25 हजार रुपये दिये। आज तक उन 25 हजार रुपयों में से एक पैसा भी काश्तकारों को नहीं बंटा। जिला प्रशासन के कारण या

Page No 104

(श्री हरलालसिंह खर्रा)
और किन्हीं कारणों से नहीं बांटा गया उस पर मन्त्री महोदय विचार करेंगे और हरिजन और गरीब काश्तकारों को यह पैसा बांटने के लिये मेरा निवेदन मन्जूर करेंगे।

यदि मन्त्री महोदय परिस्थितियों वश बिना ब्याज का लोन न देवें तो एक किलो भी जिनके पास जौ गेहूं का बीज नहीं है उनको तकाबी के रूप में जौ गेहूं का बीज दिलाने की व्यवस्था करें ताकि वे लोग अगली फसल बो कर अपने बच्चों का पालन कर सकें। यह व्यवस्था नहीं की गई तो दस बारह हजार गावों के काश्तकार जिनके पास खाने को ही अन्न नहीं तो जौ और गेहूं का बीज तो कहां से आयेगा जब कि जौ गेहूं ओलों से बर्बाद हो गया था वे दूसरी फसल के लिये भी महरूम रह जावेंगे।

मालपानी को-ऑपरेटिव सोसाइटी यू० पी० ने आपके विभाग को लेटर लिखा था कि फ्री दस वेगन पशुओं का चारा देने के लिये तैयार हैं। ढाई महीने बाद विभाग ने लिखा कि कौनसा स्टेशन लगता है। वह तो यहां तक कह रहे थे कि तीस चालीस वेगन चारा इकट्ठा करके भेज सकते थे। विभाग के किस अधिकारी की गलती रही यह मुझे मालूम नहीं। मन्त्री महोदय इसको देखें और जिसने भी लापरवाही की हो उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

इस प्रकार की भयंकर स्थिति भविष्य में न आवे यह ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ अकाल को सदा के लिए मिटाना है तो लघु सिंचाई और बिजली की समस्या को हल करके स्थाई रूप से हम अकाल का मुकाबला कर सकते हैं। सिंचाई के लिये छोटे 2 साधन बनायें, कुंए बनायें और छोटी 2 योजना लागू करें। जहां पर बिजली पहुंच गई है वहां पर कम पैसा हो तो उसके लिये विशेष बजट बना कर किसी जगह से भी पैसा लाकर इसमें खर्च करें ताकि भविष्य के लिये किसान देश के लिये अनाज पैदा कर सकें ताकि ऐसा समय आये तो देश इस प्रकार के भयंकर समय का मुकाबला कर सके।

फिर मैं माननीय मन्त्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अकाल का मुस्तैदी से मुकाबला किया। जिस प्रकार से आपने इसको मुस्तैदी से संचालन किया है उसी प्रकार से भ्रष्टाचार जिन कार्यों में जहां 2 भी हुआ है, मैं उम्मीद करूंगा कि उनमें भी वैसी ही कार्यवाही करेंगे जैसी जिस मुस्तैदी से अकाल का मुकाबला किया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की ओर से संचालित अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

नागौर जिले में इस साल भयंकर अकाल था और 1,100 गांवों में से 900 गांवों में अकाल घोषित किया था। जहां तक मेरी तहसील जायल का सम्बन्ध है 91 गांवों में अकाल था और कुल 113 में से 4 गांव गैर आबाद हैं। अकाल घोषित करने के जो आधार हैं, उनके जो नियम हैं उनके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अकाल घोषित करने के जो आधार हैं वे सीमित हैं उनको इस तरह से मोड़ा जा

(श्री रामसिंह कुड़ी)

सकता है कि सरकारी अधिकारी चाहे जिस गांव को अकालग्रस्त घोषित करता है और चाहे जिसको अकालग्रस्त घोषित नहीं करता चाहे वह अकालग्रस्त हो। इसलिये जो नियम हैं उनमें सरलता लाई जाय। फसलों के नुकसान का माध्यम ही मुख्य मानना चाहिये। सरकार को इस विषय में मैं सचेत करना चाहता हूं वह यह है कि पटवारी के आंकड़ों को लेकर सरकार अकाल की घोषणा हर गांव में किया करती है। जिस गांव के बारे में पटवारी गड़बड़ी कर बैठता है और नुकसान गिरदावरी में दर्ज नही करता है उसका इलाज कुछ नहीं है। उजरदारियों का जहां तक सवाल है वह जनवरी-फरवरी में मांगी जाती है और जब मांगी जाती हैं तो जांच में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, जो कुछ पटवारी ने लिख दिया उसको गलत नहीं कहना चाहता। और इसी प्रकार तहसीलदार और एस० डी० ओ० करते हैं। यह जांच जब तक होती है तो फसल ही खत्म हो जाती है इसलिये उसका आंका जाना फिजूल है। पटवारी के द्वारा आंके जाने के आधार में सतर्कता बरती जानी चाहिये या सही नहीं माना जाना चाहिये इसलिये इसकी तहसील में या ग्राम पंचायत में कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। गिरदावरी के लैंड रिकार्ड के रूल्स है उसमें भी अस्पष्टता है। पटवारियों को भी इस सम्बन्ध में पूरा ज्ञान तक नहीं है और किस फसल को किस हिसाब से किस ढंग से नुकसान में दर्ज करना चाहिये यह अस्पष्ट होने से हमारे यहां पर कई अनियमिततायें होती हैं और इस साल कई उजरदारियां हुई हैं। इसलिये अकाल घोषित करने के जो नियम हैं उनमें सरलता लायी जाय।

दूसरा यह है कि इस अकाल में भी काश्तकारों से वसूलियों का सवाल रहता है। लगान के अलावा दूसरी वसूलियां रोकी नहीं गयी हैं और इस कारण काश्तकारों के सामने बड़ी भारी समस्यायें आई हैं। सरकार कहती है सहकारी समितियों का कर्जा वसूल होना चाहिये। मैं मानता हूं कि सहकारी समितियों का कर्जा वसूल होना चाहिये। काश्तकारों पर पंचायत समितियों का भी कर्जा है जो कुल नगण्य कर्जा है। राज्य पर आपत्ति आयी हो तो सरकार को चाहिये कि खेती पर आधारित रहने वालों पर वसूली बन्द करे और दूसरों से जिनमें बकाया है उनसे वसूल करे। चार पांच रोज पहले रेडियो पर आया कि 6 करोड़ की किसानों में पंचायत समिति ऋण बकाया है। राजस्थान के कई पूंजीपति और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनमें एक एक व्यक्ति में ही छ: छ: करोड़ की बकाया है, ओवर ड्यू है और मियाद से आगे बढ़े हुए हैं फिर भी उन पर चर्चा नहीं होती है। अकाल हो तो काश्तकारों के साथ सख्ती न बरती जाकर जो खेती पर आधारित नहीं हैं उन पर सख्ती बरती जाकर बेलेन्स को ठीक करना चाहिये। इस सम्बन्ध में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

एक बात विशेष है। अकाल में जो सहायता दी जाती है, वह सहायता, हर जिले में हर स्थान में उसको अलग अलग प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए। मैं नागौर जिले के हिसाब से, पश्चिमी राजस्थान के हिसाब से, कहना चाहूंगा कि अकाल की जब भी सम्भावना हो, घोषणा हो तब जो साण्डों की सहायता दी जाती है, गाय के साण्ड हैं, भैंस के साण्ड हैं, दोनों प्रकार के सांडों को विशेष प्रकार की सहायता अवतु-

(श्री रामसिंह कुडी)

बर, नवम्बर के शुरू में ही देने के वहां आदेश भेजें ताकि उनका नियमित पोषण होता रहे। ये जो सार्वजनिक पशु हैं उनकी हालत बिगड़ जाती है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नागौर जिले में इस बार मार्च के पहले ऐसी सहायता नहीं दी गई है। इसलिए भविष्य में जैसी कि आशंका है, आशंका बनती जा रही है। गांव गांव से जैसे समाचार प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार हमारे नागौर और जायल तहसीलों में अकाल भीषण हो गया है। फसलें नष्ट हो गयी हैं। कई गांवों में बुवाई नहीं हुई है और अब जमाना होने के आसार नहीं हैं। हमारे यहां दूसरी फसल नहीं होती। एक फसली इलाका है इसलिए पहले ही सूचित करना चाहता हूं।

अकाल के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएं शुरुआत में करनी है। एक विशेष व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो कुए बेकार पड़े हुए हैं, जिन कुओं पर मरम्मत कराकर या मशीन आदि के लिए ऋण देकर या खुदाई का प्रबन्ध करके यदि उनको गहरा कराया जाय तो ये कार्य अगर शुरू में कर दिए जांय तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है। गत साल एक अमाउन्ट दिया था और उससे करीब 50-60 कुओं पर मशीनें लगाई गयीं और उनसे कुछ लोगों को राहत मिली। इसी तरह से नागौर जिले के बहुत बड़े इलाके में बहुत बड़ी तादाद में कुए हैं, उनको काश्तकार अकाल के वक्त काम में लेते हैं। पंपिंग सैट, उनको गहरा करने के लिए सहायता आदि ऐसी व्यवस्थाएं समय पर करा दी जाये तो अकाल में एक प्रकार की विशेष सहायता का बड़ा महत्व होगा और आगे के लिए काश्तकारों की समस्या का हल हो जायगा ....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य बतायेंगे कि वे जो कुए की बात कह रहे हैं, वे सार्वजनिक कुए हैं पीने के पानी के कुए हैं या इरीगेशन के, जिन पर तकाबी दी जाती है।

श्री रामसिंह कुड़ी : मैं खेती के कुए के बारे में बात कर रहा हूं। यदि अकाल पड़ने की सम्भावना है तब इस तरह का ऋण दिया जाये तो खेती की सिंचाई का काम होगा और कुए के लिए अक्तूबर, नवम्बर में ही ऋण आवंटित कर दिया जाये तो उन गांवों के लोग खेती कर सकेंगे जिससे कई परिवारों का भरण पोषण होगा और अकाल की विषमता में भी काफी राहत मिलेगी।

अपाहिजों की राहत के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो सरकार की जो पैंशन है उससे कुछ लोगों को राहत होती है। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी खेती की वजह से इस तरह का दान लेना पाप समझते हैं, ऐसी कुछ लोगों की आस्था है। ऐसे लोग विशेष आपत्ति आने पर ही सहायता लेते हैं। ऐसी सहायता के लिए, जब अकाल की सम्भावना हो, जिस दिन उसकी घोषणा हो तो इस तरह की व्यवस्था करने के लिए अधिकारीगणों को सूचित कर दिया जाये तो यह बड़ा भारी पुण्य का काम होगा।

दूसरे जो सरकार के राहत के कार्य हुए हैं और सरकार ने उनके लिए जो

(श्री रामसिंह कुड़ी)

व्यवस्थाएं की हैं, उनमें एक और सुझाव देना चाहूंगा। जैसी कि अब अकाल की आशंका है और इस अकाल के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो सार्वजनिक कुए हैं उनकी मरम्मत करायी जाये, उनको गहरा करवाया जाये। उनकी खुदाई की व्यवस्था की जाये। यदि अकाल की सम्भावना है तो अनुदान भी दिया जाय तो इससे प्लान का टारगेट पूरा होगा और जनसुविधा बढ़ेगी।

मैं इसके अलावा सरकार ने जो राहत के काम किये हैं वे काम बहुत बड़ी तादाद में थे और बहुत सतर्कता के साथ शुरू किये गये और जैसा कि सभी साथियों ने अकाल राहत मन्त्री जी की प्रशंसा की है, मैं भी उनका समर्थन करूंगा और इसी के साथ साथ एक बात के लिए विशेषतौर से सरकार को सूचित करने के लिए आगे के लिए यह बुराई नहीं रहेगी, इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस अकाल राहत कार्यों में जब से यह सड़क का काम लिया गया है तब से जैसा भ्रष्टाचार हुआ है, वह भ्रष्टाचार ही नहीं रहा शिष्टाचार बन गया है। इस भ्रष्टाचार-शिष्टाचार ने जिस चरम सीमा तक कदम बढ़ा लिया है कि उसके लिए सावधान होना चाहिए। गत बजट सैशन में यह बात मैंने यहां कही थी कि जोधपुर डिवीजन में एक अधिशासी अभियन्ता के मातहत जितने राहत कार्य सड़कों के जोधपुर में खुले हैं 89 ऐसे राहत कार्य हुए हैं, उन राहत कार्यों में प्रति सप्ताह, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बदल दिया हैं यह सप्ताह 15 दिन का हो गया है। हम तो इसको पक्ष या पखवाड़ा कहते थे, परन्तु करामात से यह अब सप्ताह 15 दिन का है, इन सड़कों पर प्रति कैम्प पर 1,000 रुपये वे वसूल करते हैं। इसलिए इसकी जांच मुस्तैदी से की जाय। यह बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। इसकी रोकथाम नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। नागौर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसका एक उदाहरण गत सैशन में आपके सामने आया था। एक्स. ई. एन. ने ओवरसीयर अपने पक्ष के नियुक्त करा लिये। उस अधिशासी अभियन्ता को अकाल में भ्रष्टाचार करने का अनुभव था कि अकाल कार्यों में किस प्रकार की भ्रष्ट कार्यवाही, किस तरीके से की जानी चाहिये। संवत् 2020 के अकाल में अपने खिलाफ की शिकायत में, जिसके बारे में इन्क्वायरी हुई, उनका अनुभव बढ़ गया। इसके बाद संवत् 2022, 2023 और 2025 में अनुभव प्राप्त किया हुआ है। इसके लिये उन्होंने पहले से ही व्यवस्थाएं कर लीं। जितने भी कैम्प लगाये गये उन पर अपने वे ही गत सालों वाले अपने परमानेन्ट सुपरवाईजर लगवा दिये। उनके माध्यम से, वे सुपरवाइजर ओवरसीयर की परवाह नहीं करते, असिस्टेंट इन्जीनियर की परवाह नहीं करते थे और उनको कोई भी हटा भी नहीं सकता था क्योंकि वे एक्स. ई. एन. के आदमी हैं। इसलिये उनके माध्यम से वे मस्टर रोल फर्जी तैयार करा लेते और उनके आधार पर उनसे वसूली करता। अभी एक दो ओवरसीयर ने गिरफ्तार होने बाद मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने एक अधिशासी अभियन्ता के बारे में कबूल किया है कि उन्हें यह हिदायत थी कि फेमिन के कामों में से उन एक्स. ई. एन. ने इस क्षेत्र के तीन

(श्री रामसिंह कुड़ी)

ओवरसियर के जिम्मे यह किया था कि 11 हजार रुपया एक व्यक्ति को देना है। उन तीनों ने उस 11 हजार में से चार हजार तो दे दिये और 7 हजार देने अब बाकी हैं, जिसके लिये बार बार उन तीनों ओवरसीयरों को तकाजा आता रहा और निकालने की धमकी दी जाती रही है। मौजूदा फेमिन एक्स. ई. एन., नागौर को एक ऐसे ओवरसीयर ने यह बात कही है। आप जांच कराइये।

एक माननीय सदस्य : उस व्यक्ति का नाम बता दीजिये।

श्री रामसिंह कुड़ी : व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहता हूं और वह उपयुक्त भी नहीं है। यह सब जानते हैं, जिनसे संबन्धित है वे स्वयं जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : नाम बता देने से सदन भ्रम में न रहेगा।

श्री रामसिंह कुड़ी : इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत मन्त्री जी के दौरे हुए, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी के दौरे हुए फिर भी उनमें से ही एक सड़क पर, पांचोड़ी वाली सड़क पर, जो अकाल राहत मन्त्री जी जानते हैं, उस सड़क के एक पेमेंट में 22 गेंग्स के एक पक्ष के फर्जी मस्टर रोल पकड़े गये और उसका पेमेंट ड्रा कर लिया। मगर पेमेंट करने एक नया ओवरसीयर व नया असिस्टेन्ट इन्जीनियर वहां नियुक्त हो गये। उसे इस फर्जी कार्यवाही का पता नहीं था। उसने देखा कि 22 गेंग्स का मस्टर रोल वसे का वैसा बाकी कैसे पड़ा हुआ है। उसका 38 हजार रुपया भी पड़ा था उसका वह क्या करें। उसने मजदूरों को पूछा, किसी का पेमेंट तो बाकी नहीं है : मजदूरों ने बताया कि इस सड़क पर जितने मजदूरों ने काम किया था, उतना पेमेंट हम को मिल गया है। उसी समय एक जीप पहुंचती है। उसमें कुछ व्यक्ति पहुंचते हैं, एक ओवरसीयर पहुंचता है। उस ओवरसीयर के साथ एक और एक्स. ई. एन. का एक परमानेन्ट सुपरवाइजर भी पहुंचता है और वह सुपरवाइजर व ओवरसीयर कहते हैं कि वे मस्टर रोल हम को दे दो। हमें बांटना है। उसने कहा मैंने हरेक आदमी से पूछ लिया है, कोई इसको क्लेम नहीं करता है। इसलिये यह मैं नहीं दे सकता। तब उसको धमकाया गया। उसको जान से खतम करने की धमकी दी गयी। तब बाद में उसने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर शरण ली। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय, आपका यह टैकनिकल विभाग हैं, मेजरमेन्ट बुक भरी जाती। कहा जाता है कि एम. वी. एम. बुक नहीं भरे जाने के कारण टैकनिकल ऑफिसर यह पता नहीं लगा सकते कि कितने गड्ढे खोदे गये और कितने आदमियों को भुगतान किया जाय मगर इससे होता क्या है कि कभी कुछ नाप कर देते हैं कभी कुछ। इससे ठीक ठीक हाजरी का और कितने आदमी काम करते हैं इसका पता नहीं चलता। इसी से 22 गेंगों का पेमेन्ट भी गलत उठा है। मैंने पांच जगह की सर्वे करायी। मुरड के चट्टे के नाप पूरी तरह मेजरमेन्ट बुक में नहीं भरा गया, इस तरह का काम ओवरसीयर या इन्जीनियर कर सकते हैं ? तो फिर इस एम. बी. का क्या फायदा ? मुझे आप बताइये कि आपकी

(श्री रामसिंह कुड़ी)

एम. बी. में इसका पता नहीं चले कि एक हफ्ते में हजारों आदमियों का 15 दिन का एक गेंग के साठ आदमियों के पेमेन्ट का एवरेज लीजिये, 12 सौ करीब रुपये आते हैं इस तरह से 22 गेंग्स का मिला लीजिये. 28 हजार रुपये की थी जो रकम ट्रेजरी में जमा हुई है, इस तरह से एक हफ्ते में 38 हजार की रकम उठ जावे एवं आपकी एम. बी. को इसका कुछ भी पता नहीं है। इसी कारण से ये सारे आरोप सही थे। एक ए. इ. एन. के बारे में कलेक्टर साहब को दूसरे ए. इ. एन. ने व ओवरसीयरों द्वारा कम रकम देने बाबत कहा गया। कलेक्टर साहब ने विभाग को जांच के लिए लिखा एवं ट्रेजरी के अकाउन्टेन्ट से तुरन्त जांच करा कर उन ए. इ. एन. के काम का ब्यौरा तैयार किया गया एवं पुलिस को सूचना इस सब की दे दी। सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं अपने विभाग के कारनामें तो चैक कर लें। तब वे एक्स. इ. एन. आते हैं तथा मामले को दबा कर पुलिस को वहीं पर लिख कर दे देते हैं कि इसकी जांच नहीं की जाय। जो मस्टर रोल पकड़े गये थे उनको अलमारी में बन्द कर गये। मामला दबा दिया। दो लाख से ऊपर के मस्टर रोल बिना पेमेन्ट किये हुए पड़े हैं। इस प्रकार की गड़बड़ियों के बारे में मैंने मन्त्री जी के नाम पर पत्र भी दिये उनके द्वारा अधिकारियों को जांच आदेश भी दिये गये। मैंने इस बारे में अखबारों में भी खबरें दीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से खुली जांच की मांग की कि आपके विभाग के जो ईमानदार अधिकारी हैं एडीशनल चीफ इन्जीनियर और दूसरी जगह के एस. ई.। जोधपुर के एस. ई. तो इनसे मिले हुए हैं इसीलिये मैंने निवेदन किया था कि एडीशनल चीफ इन्जीनियर से या अन्य जगहों के एस. ई. से इसकी जांच करवाई जाय। जयपुर, सीकर, कोटा के एस. ई. से या एडीशनल चीफ इन्जीनियर से जांच कराई जाय। मैंने उसमें यह भी कहा है कि एक एक कार्य के तीन तीन बोगस पेमेन्ट उठाये गये हैं, फ्लड से, रिपेअर बजट से व अकाल से। इस तरह से अकाल राहत नहीं हुआ बल्कि सार्वजनिक धन की खुली लूट हुई है। ऐसे मौके पर भी सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय जहां आपको मानवीय दृष्टिकोण से अपने कर्त्तव्य को पूरा करना चाहिये वहां आपने उसको निभाने की चेष्टा नहीं की जिसका यह स्पष्ट सबूत है। इसी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत मैं बराबर जनवरी से करता आ रहा हूं, गांव वालों ने बराबर शिकायतें की हैं कि अधिकारीगण, तहसीलदार, बी. डी. ओ. भी बराबर शिकायतें कर रहे हैं। परन्तु एक भी शिकायत पर जांच किसी ने भी नहीं की, जांच अधिकारी ने एक भी शिकायत पर जांच कर सूचना पुनः नहीं दी। किसी ने भी यह नहीं कहा कि हमने फलां शिकायत की जांच कर ली है। इस तरह से अकाल राहत के नाम पर जनतन्त्र को बरबाद किया है उसको आने वाला जमाना माफ नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब भी अकाल है आपके एरिया में ?

श्री रामसिंह कुड़ी : अब भी अकाल है, जनता के धन का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है उसको अब जनता सहन नहीं कर

(श्री रामसिंह कुड़ी)

सकती। हमारा दायित्व है जो बात हो उसको विधान सभा में कहें। लेकिन न अधिकारीगण उसको नोटिस में लेते हैं न मंत्रिगण ही इस बारे में सोचते हैं। अब समय वह आ रहा है जिसमें अधिकारीगण एवं मंत्रियों की नहीं चलेगी, यदि वे सचेत नहीं रहे तो।

श्री नत्थीसिंह : जमाना बदल रहा है ऐसी जो आज चल रही है नहीं चलेगी।

श्री रामसिंह कुडी : सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, आप एक ओवरसीयर को नियुक्ति दिला कर चले गये उस ओवरसियर को बाद में हटा दिया गया। जोधपुर के दफ्तर में कम्प्यूटर लगा दिया क्योंकि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की मन्शा को वे पूरी नहीं कर सकते थे। जो ईमानदारी से काम करते थे ऐसे ओवरसीयर्स को हटा दिया गया। तीन तीन दफा विथड्रा किया गया। डेगाना पंचायत समिति के ओवरसीयर ने जब काम करना ठीक शुरू किया तो वहां देखा कि यदि यह ओवरसीयर रहा तो भंडाफोड हो जायगा। उसको तीन बार विथड्रा किया गया। मगर आपके ये इंजीनियर इस तरह से वहां के प्रधान के रहते वह गड़बड़ नहीं कर पाये। प्रधान ने उस ओवरसीयर को वहीं पर लगाये रखा, वहां से जाने नहीं दिया।

मेरे यहां के ओवरसीयर्स का तबादला कर दिया गया ऐसा न हो कि कहीं ऐसा ओवरसीयर अकाल राहत के कार्य में लगा दिया जाय एवं गड़बड़ी हो तो पंचायत समिति के सरपंच को दुखःदर्द की बात कह सके वो उनकी बात को सुन सके। इसी प्रकार पंचायत समिति के ओवरसीयर अकाल राहत कामों में नहीं लगाये जाते। कलेक्टर ने हमें कुओं की मरम्मत हेतु रुपये दिये थे मगर ओवरसीयर हमें नहीं दिया गया। दूसरे एस्टीमेट नहीं बना सकते। जिससे वे काम हम नहीं करा सके। इस तरह से अनेकों शिकायतें हुई मैं आपसे निवेदन करूं हमने मिन्नतें की कि थली का इलाका है, यहां सड़कें बननी चाहिये। जिससे आकोड़ा का राहत कार्य खोला गया। मगर जब पेमेन्ट हुआ तो दस आने का हुआ क्यों कि दूसरे ओवरसीयर ने आकोड़ा केम्प के काम को भी पहले के काम के शामिल एम.बी. में चढा दिया। जिससे आकोड़ा केम्प के पैसे काट दिये गये। सीलगांव केम्प परभीइसी प्रकार की गड़बड़ी हुई। जिस केबारे में अधिकारियों ने कुछ बातें कहीं हैं। जोरावरपुरा से शंकवास तक सीलगांव के पास से सडक बन रही थी, उसका पेमेंट नहीं किया। उन दिनो में इस सड़क पर जो लेबर था, तीन हजार के आसपास मजदूर बाद में भी थे फिर उन 15 दिनों में क्या वहां की लेबर लुप्त हो गई थी। यह जो लेबरर्स लगाये थे, उनको जूनियर इन्जीनियर जैन ने लगाया था मगर उन 41 गेंगो को इस सड़क का भी पेमेंट नहीं हुआ, उनको यह कहा गया कि मस्टररोल कल भेज देंगे फिर नहीं भेजे एवं 41 गैंगों का दस बारह रोज का पेमेन्ट नहीं किया गया। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उनको पहले के पेमेन्ट का चुकारा नहीं किया गया।

सिरकियों की खरीद, बास और मूंज की खरीद की गई उनमें घोटाला है। ट्रैक्टर जो लगाये गये थे उनका पेमैन्ट नहीं किया है छकडे जो लगाये गये उनका 6 रुपये रोज

(श्री रामसिंह कुड़ी)

का भी पेमैन्ट नही किया गया, वह भी तीन रुपया प्रति रोज के हिसाब से । क्या आप यह अन्दाज लगा सकते हैं कि एक छकड़े वाला तीन रुपये रोज में खुद दो बैंल व छकड़े से मुरड डाल पायेगा जब कि एक रुपया सेर पाला है, एक रुपया सेर चारा है एवं एक रुपया सेर का लूंग है, क्या इस भाव में कोई छकड़े वाला तीन रुपया रोज पर काम कर सकेगा ? लेकिन वहां छकड़े वाले को तीन रुपया प्रति दिन के हिसाब से पेमेन्ट किया गया है । छकड़े लगाने से पहले ही हमने कह दिया था कि पेमेंट पूरा करना है, काम पूरा लेना है नहीं काम करते हों तो उसको उसी समय निकाल देना । सरपंच ने कहा था कि हम मनावेंगे, अगर नाराज होगा तो । फिर भी ऐसा नहीं किया गया । डेढ़ महीने बाद पेमेन्ट किया गया तो तीन रु० के हिसाब से किया । मैं पूछना चाहता हूं कि 56 हजार का एक लोड का पेमेन्ट हो जावे और एक छकड़ा वाले को आप 15 दिन का 90 रु० भी देने को तैयार नहीं हैं । 90 रुपया देना भी आपके लिये पाप हो गया । सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय आप अन्दाज लगावें जेठ के महीने में एक महीने तक खाली छकड़ा लेकर काम करे तो किसी की भी हिम्मत इस रेट पर चुकारा करने की नहीं हो सकती । पर इसकी किसी को परवाह है ? उनको उनका शेयर चाहिये । जब तक उनका शेयर नहीं बने तब तक सही पेमेन्ट वे कभी किसी को नहीं देंगे । जब तक पैसा नहीं दें उनको तब तक वे पानी वाले को नहीं लगावेंगे । एक बार मैं असिस्टेन्ट इन्जीनियर के साथ सड़क पर चला गया मैंने कहा गांव वालों के नाम तो थोडा पढ़ कर सुना दो। बताया एक बैल जोड़ी वाला । पर इस नाम का कोई आदमी नहीं था सारे गांव में। सारे मजदूरों ने कहा कि इस नाम का आदमी नहीं । इसी प्रकार के कई फरजी अनेक नाम पाये गये थे । हमने बार बार कहा, सरकार ने भी कहा था कि पिता का नाम, निवासी और उम्र जरूर मस्टर रोलों में लिखें । पर वह नहीं किया गया । सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय नवम्बर से अप्रेल के घोटालों की आप जांच करवाइये । आपको पता लगेगा कि कैसी कैसी बातें हुई हैं । और जिस ओवरसीयर ने कहा है कि हमें सुपरवाइजर मस्टर रोल नहीं देते । तब उन्होंने फरजी मस्टर रोलों की तस्दीक नहीं की तो एक्स. ई. एन. ने ओवरसीयर से अपने सामने बिठाकर उस पर ओवरसीयर के दस्तखत कराये । अब कौनसा ओवरसीयर कब गया, कब चैकिंग किया यह मालूम नहीं हो सकता । तो ऐसी सूरत में केवल ओवरसीयर को सस्पेण्ड करने से समस्या का हल होने वाला नहीं है । एक्शन आप उन पर लीजिये जो ऊपर बैठे हैं और ऊपर के उन अधिकारियों के इशारों पर वे सुपरवाइजर काम करते हैं । आप अचम्भा करेंगे । कइयों ने हिसाब नहीं दिया । कइयों को सस्पेन्ड किया । बड़े बड़े चार्जेज उन पर लगे हैं । पर आज तक सब लापता हैं, न रिकार्ड मिल रहा है न हिसाब । फिर भी चार्जेज की जांच के लिये आप किनको नियुक्त करते हैं, ? उनको ही नियुक्त करते हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और व्यभिचार के हमारे आरोप हैं । उन अधिशासी अभियन्ता को जांच अधिकारी बनाकर भेजा है । हमारी नहीं सुनी जाती । हमसे नहीं पूछा जाता । क्या तरीका है यह आपका जांच कराने का । हम शिकायत

(रामसिंह कुड़ी)
करते हैं। हम आपको व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ आपसे शिकायत करते हैं। आप जांच नहीं कराते।

श्री मूलचन्द डागा : व्यभिचार ?

श्री रामसिंह कुडी : व्यभिचार की बातें भी हैं, मैं कहना नहीं चाहता। जहां जहां अकाल राहत कार्यों में सड़कों का काम हुआ हैं इस तरह की शिकायतों के पत्र मेरे पास हैं। अगर मैं उनको पढकर सुनाऊं तो आपका दिल कांप जावेगा। पर मैं नहीं कहना चाहता इस बारे में। पर आप किसी की भी जांच कराना नहीं चाहते। फिर आप चाहते क्या हैं ? आप कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये तो आप हज करने पधार गये थे।

श्री रामसिंह कुडी : पी.डब्लू.डी. विभाग के मुख्य अभियन्ता जो एक बार नागौर पधारे थे वहां हमें मालूम हुआ। हम पीछे भी दौड़े पर हाथ नहीं लगे। उनको शिकायतें करना चाहता था। मगर वे नहीं मिले तब अखबारों में खबर आई। आप तो बैठे बैठे ही अखबारों के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते थे मगर नहीं की एवं न जांच की इसलिये मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में पूरी जांच करावें।

मैं जानता हूं कि इसमें सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का हाथ नहीं है। उनकी ईमानदारी पर हमें भरोसा है। पर आप इन अधिकारियों की जांच नहीं करा सकते। आपको ईमानदारी से कह देना चाहिये कि मेरा अधिकारियों पर नियन्त्रण नहीं है। हम यह समझकर सन्तोष करके बैठ भी जावेंगे। हम मुख्य मन्त्री जी से बात करेंगे। उनका तो कुछ नियन्त्रण होगा उन पर।

श्री नत्थीसिंह : उनकी आत्मा बलवान होगी। बैठ जावेंगे।

श्री रामसिंह कुडी : अकाल मन्त्री ने सतर्कता से काम किया और वे यह भूल गये कि यह विरोधी खेमे के व्यक्ति का क्षेत्र है या कांग्रेसी का। हालांकि मैं उनसे कभी भी नही मिला। फिर भी मेरे क्षेत्र में इस तरह की शिकायत नहीं हुई। उन्होंने फरवरी, मार्च से मेरे क्षेत्र में सारे काम चालू कर दिये थे। इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेजर फतहसिंह।

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राजस्थान को एक बहुत भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। और राजस्थान की जनता ने जिस साहस, धैर्य और बहादुरी के साथ इस अकाल का मुकाबला किया उसके लिये मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और उसको बधाई भी देता हूं।

इस अकाल का मुकाबला करने के लिये राजस्थान सरकार ने भी अपने साधन जुटाये। यह बात अलग है कि राज्य सरकार इतने साधन नहीं जुटा सकी, जितने कि उसको जुटाने चाहिये थे, फिर भी जो कुछ उसने किया उसके लिये मैं राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं।

(मेजर श्री फतेहसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, अब सब राहत कार्य बन्द हो गये हैं। अब तो कहां इनमें गलती हुई, कहाँ क्या हुआ इस तरह का पोस्ट मार्टम करना ही बाकी रह गया है। विशेष बात नहीं है बाकी।

श्रीमन्, राजस्थान में इस अकाल से 1 करोड़ 31 लाख 62,941 जनसंख्या प्रभावित हुई और 30 लाख 1,231 श्रमिकों को रोजगार दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार केवल 15 प्रतिशत लोगों को ही सहायता दे सकी थी और अधिकतर लोगों को काम नहीं मिल सका था।

अजमेर जिले की प्रभावित जनसंख्या 8 लाख 68,550 थी और अगर सरकारी आंकड़ों को सही माना जावे तो 28 मार्च, 69 को मजदूरों की संख्या 37,155 थी। अर्थात् कुल प्रभावित जनसंख्या का केवल चार प्रतिशत को ही काम मिल सका था। इसी प्रकार 20, जून, 69 को अजमेर जिले में 80 हजार मजदूर काम पर थे। मैं इस फिगर को चुनौती देता हूं लेकिन अगर इस फिगर को सही भी मान लिया जावे तो भी यह स्पष्ट है कि अजमेर की अकाल प्रभावित जनसंख्या काम केवल दस प्रतिशत को ही रोजगार मिल सका था। अर्थात् वहां की अधिकतर जनसंख्या को राहत कार्यों पर काम नहीं मिल सका।

इसका नतीजा वहां की जनसंख्या पर बहुत भयंकर पड़ा। मैं अधिक नहीं कह कर इतना ही कहूंगा कि ऐसे बहुत से घर थे, जिनमें दो दिनों में एक वक्त चूल्हा जला हो, ऐसे बहुत से घर थे। कई व्यक्ति थे, सैंकड़ों थे, जिन्होंने अनाज के अभाव में, रोजगार के अभाव में खेजड़ों की छाल को पीस कर रोटियां खाई होंगी। यही नहीं, ऐसे कई व्यक्ति थे जिन्होंने जौ के तुसों को पीस कर और चने की चापड़ को पीस कर रोटियां बनाकर खाई हैं।

श्री हंसराज आर्य : (मादरा) ऐसा कहां है?

मेजर श्री फतहसिंह : अजमेर जिले की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले 56 के अकाल में ऐसा हुआ था।

मेजर श्री फतेहसिंह : 30 जून, 69 को 80 हजार जनसंख्या काम पर लगी हुई थी। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि 80 हजार की जनसंख्या को केवल पांच सात दिन के लिये ही वहां काम मिल सका होगा इतनी बड़ी तादाद को काम नहीं मिल सका था। मैं इन कार्यों के बड़े निकटतम सम्पर्क में रहा हूं।

श्रीमन्, इस राज्य में करोड़ों रुपया इस अकाल राहत काम में खर्च किया गया। लेकिन जो यह राज्य सरकार द्वारा यह प्रतिवेदन हमको प्राप्त हुआ है इसको देखने से मालूम पड़ता है कि इस राहत कार्य को चलाने में भी एक ओर जहां इतना धन खर्च किया गया वहाँ दूसरी ओर इसमें भी सरकार राजनैतिक आधारों पर भेदभाव बरता है। दलगत राजनीति के आधार पर किसी जगह कम खर्च किया है, किसी जगह बहुत खर्च किया है। मैं केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं समझूंगा बल्कि जो प्रतिवेदन यह हमें मिला है उससे आंकड़े

(मेजर श्री फतेहसिंह)

जो मैंने देखे हैं उनके अनुसार मैं अपने कथन को सत्य साबित करने की कोशीश करूंगा।

श्रीमान्, जैसा कि मैंने कहा इस प्रतिवेतन के परिशिष्ट 2 में बताया गया है कि अजमेर जिले में 8,68,550 जनसंख्या अकाल से प्रभावित थी और इस जिले में 60 लाख 98 हजार रुपया 1969-70 में अकाल राहत कार्य पर खर्चा किया गया। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, इसको नोट करें। इन्हीं अकाल राहत कार्य के दिनों में भीलवाड़ा जिले में जहां 7,40,276 जनसंख्या अकाल से प्रभावित थी वहां पर 71 लाख 94 हजार रुपया खर्च किया गया। याद रखें 7 लाख जनसंख्या पर करीब 72 लाख खर्च किया गया और अजमेर जिले में करीब 9 लाख जन संख्या प्रभावित थी तो भी वहां पर केवल 61 लाख ही खर्च किया गया। अगर जनसंख्या का ही मापदंड होता तो भीलवाड़ा के मुकाबले में अजमेर जिले में 81 लाख रुपये खर्च किये जाने चाहिये थे। इसी प्रकार श्रीमान्, पाली जिले में 8,05,682 जनसंख्या अकाल से प्रभावित थी इस अकाल से और वहां पर खर्च किया गया 97 लाख 72 हजार रुपया। इसलिये अगर अजमेर में जो कुछ खर्च किया गया उसका पाली जिले से मुकाबला किया जाये तो मालूम होगा कि जिस मापदंड से पाली जिले में खर्च किया गया उसी हिसाब से यदि अजमेर में खर्च किया गया होता तो अजमेर में एक करोड़ रुपये के लगभग खर्च करना चाहिये था। अब उदयपुर जिले की मिसाल ले लें। उदयपुर में 9,98,040 जनसंख्या इस अकाल से प्रभावित थी और वहां पर एक करोड़ 60 लाख का खर्च किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : आपका मापदंड जनसंख्या के आधार पर ही है न ?

मेजर श्री फतेहसिंह : श्रीमान्, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, माननीय सदस्य या मंत्रीजी, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वे मेरे वक्तव्य के समाप्त होने पर पूछें, I would not like to be disturbed like this.

तो उदयपुर में 9,98,040 की जनसंख्या अकाल से प्रभावित थी उन पर एक करोड़ 60 लाख खर्च किया गया जब कि अजमेर की 9 लाख की जनसंख्या पर केवल 61 लाख ही खर्च किया गया। यानि उदयपुर के हिसाब से यदि अजमेर में खर्च किया गया होता तो एक करोड़ 20 लाख खर्च किया जाता।

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो पैसा खर्च किया गया वह राजनैतिक आधार पर किया गया। इस प्रकार के कार्यों में जहां जनता दुखी है वहां राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिये। अजमेर जिले के साथ क्यों उपेक्षा बरती गई यह तो सदन जानता है, राजस्थान जानता है और दुनिया जानती है कि अजमेर जिले के विधान सभा में 9 स्थान हैं, और पिछले चुनावों में उन 9 स्थानों में से 7 स्थान विरोधी पक्ष प्राप्त कर आया और कांग्रेस दल को केवल स्थान ही मिले, पुष्कर और मसूदा में। इसलिये अजमेर जिले की उपेक्षा की जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से और उस तरफ जो समझदार व्यक्ति बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की बात नहीं होने दें। इससे

(मेजर श्री फतेहसिंह)
प्रजातन्त्र को नुकसान पहुंचता है। मैं यह भी कहूंगा, और मैंने पिछले अधिवेशन में भी कहा था......

एक माननीय सदस्य : पाली का।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

एक माननीय सदस्य : आपका मतलब क्या है?

मेजर श्री फतेहसिंह . मेरा मतलब वह है जो आपकी समझ से बाहर है।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, और पश्चिमी राजस्थान के कई माननीय सदस्यों के दिमाग में जो बात है उसको भी दोहराना चाहता हूं, कि अगर इस तरह से विकास की असमानता बनी रही और अजमेर जिले की उपेक्षा करते रहे तो हमको मजबूर होकर प्रधान मंत्री की अन्तरात्मा को पुकार करनी पड़ेगी और हमको कहना पड़ेगा कि वे अजमेर जिले को पुनः केन्द्र के शासन में लें, ताकि अजमेर जिले के साथ यह कांग्रेस सरकार, यह सुखाड़िया सरकार अत्याचार न कर सके। मैं जनता की भावनाओं को आप के सामने प्रकट कर रहा हूं

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता की भावना नहीं है, आपकी भावना है।

मेजर श्री फतेहसिंह : श्रीमान्, इस प्रतिवेदन के अनुसार असहाय व्यक्तियों को सहायता दी गई, ऐसा इसमें वर्णन है और अजमेर जिले में 53 हजार रुपये असहाय व्यक्तियों को दिये गये। फरवरी में 332 व्यक्तियों को सहायता दी गई, मार्च में 1135 व्यक्तियों को सहायता दी गई, अप्रेल में 1192 व्यक्तियों को, मई में 1152 व्यक्तियों को, जून में 1814 व्यक्तियों को और जुलाई में 147 व्यक्तियों को सहायता दी गई। लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि यह किन व्यक्तियों को दी गई। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटी की प्रत्येक मीटिंग को अटेंड किया है, वहां पर भी मैंने इस प्रश्न को उठाया कि यह किन किन व्यक्तियों को किस किस आधार पर दिया गया है, तो वहां भी यह उत्तर दिया गया कि तहसील से यह बात मालूम की जाये क्योंकि तहसील के द्वारा ही यह दिया गया है। तो इस प्रकार का जवाब देकर टाल दिया गया। तो इसमें बहुत गड़बड़ हुई है, और मैं तो यह समझता हूं कि यह पैसा भी अपने अपने लोगों में बांटा गया है। इसमें भी राजनैतिक दृष्टिकोण रखा गया है और पक्षपात किया गया है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किस किस क्षेत्र में कितने कितने रुपये दिये गये और किस किस को दिये गये, अगर हो सके तो इसकी जानकारी दीजिये।

(2.57 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

श्रीमान्, इसी प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि पशुओं के लिये पर्याप्त मात्रा में घास का इन्तजाम किया गया। कुछ डिपो भी खोले गये, अजमेर में भी खोला गया लेकिन वहां घास की कमी थी और मुझे यह भली प्रकार से मालूम है कि घास की कमी के कारण कई पशु मर गये। मेरे क्षेत्र के कई लोग मेरे पास आये और

Page No 116

(मेजर श्री फतेहसिंह)

रोने लगे कि मेजर साहब हम अपने पशुओं को ब्यावर में लाकर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम तो आधी रोटी खाकर ही निर्वाह कर देंगे लेकिन गायें रोती हैं भूख से वह हम नहीं देख सकते। वे भूखों मरती हैं। और जो कुछ घास उपलब्ध हुआ और भूसा आया, उसके देने में भी भ्रष्टाचार हुआ है। यह बात हमने वहां के एस. डी. ओ. की जानकारी में लाई थी। भ्रष्टाचार तो इस प्रशासन का एक अंग होगया है जैसा कि माननीय मनोहर-सिंह जी मेहता ने कहा था, इसलिये मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहूंगा।

मजदूरी के रेट्स के बारे में इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि खोदने वाले को डेढ़ रुपया, वाहक को सवा रुपया और बालक को एक रुपया मिलेगा, लेकिन इस महंगाई के जमाने में ये रेट्स पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा इस छोटी सी रकम में से भी कई बार कटौती की गई है जुर्माने और फाइन के रूप में। तो वास्तव में डेढ़ रुपये वाले को मुश्किल से चौदह आने मिल पाये, सवा रुपये वाले को 12 आने और एक रुपये वाले बालक को मुश्किल से दस आने मिल पाये होंगे। ऐसा हजारों केसेज में हुआ है। अकाल मंत्री महोदय, यह भेद रखा गया था कि खोदने वाले को डेढ़ रुपया और वाहक को, ढोने वाले को सवा रुपया दिया जावेगा, लेकिन हुआ यह है कि मर्द को डेढ़ रुपया दिया गया है और औरतों को सवा रुपया दिया गया है। इरादा यह था कि खोदने का काम मर्द करेंगे और ढोने का औरतें। लेकिन मेरे क्षेत्र में और सभानेत्री महोदया, आप भी जानती हैं, कि अजमेर व भीम तहसील में ऐसी हजारों औरतें हैं जिन्होंने खोदने का काम किया था और उनको खोदने वालों का रेट डेढ़ रुपया दिया जाता, लेकिन सवा रुपये का रेट दिया गया। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये। जो खोदने का काम करती है उसको खोदने का रेट मिलना चाहिये।

(3 म. प.)

तो यह मजदूरी और बढ़ाई जाये और यह आपस का भेदभाव है इसको भी मिटाने का प्रयत्न किया जाये।

मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय श्री शंकरलाल जी उधर बैठे हुए हैं और मेरा क्षेत्र जैतारण क्षेत्र से मिला हुआ है। मैंने यह देखा है कि जैतारण क्षेत्र में जो सड़कों का काम चल रहा था उसमें हजारों आदमी काम कर रहे थे, करने ही चाहिये थे। वह काम उपलब्ध कराया गया उसके लिए सरकार को और वहां के माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं लेकिन उधर के काम करने वालों ने हमारे इधर बड़ी मुसीबत पैदा करदी। यह देखा गया था कि हमारे समीप के जैतारण क्षेत्र में काम हो रहा था वहां पर काम नहीं नापा जाता था और हमारे यहां पर काम नापा जाता था। इसलिए हमारे ब्यावर क्षेत्र में काम नापा जाता था तो हमारे लोगों में असंतोष है। जब उन्होंने हमसे कहा तो हमने कहा कि ऐसे नियम हैं तो वह कहने लगे कि एक राज्य में दो नियम कैसे हैं? हमारे इधर तो काम नापा जाता है और दूसरी तरफ काम नहीं नापा जाता है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : इर्रीगेशन का कह रहे हैं या पी. डब्लू. डी. का ?

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं श्रीमान् पी. डब्लू. डी. की बात कर रहा हूं।

श्री शंकरलाल : वह तो उनके वर्क के हिसाब से देते हैं।

मेजर श्री फतेहसिंह : हमारे यहां नापा जाता था। सब जगह नापा गया था और मैं यह कहूंगा कि शायद मंत्री महोदय भी जानते हैं और आप जांच करायेंगे कि ऐसा था या नहीं। जो वहां के लोगों को राहत मिली उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। लाखों रुपयों का व्यय किया गया लेकिन केवल हाजारों का काम हुआ। यह भी देखा गया कि भ्रष्टाचार वहां इतनी चरम सीमा पर था कि मेरे क्षेत्र में व्यावर के मिल में काम करने वाले मजदूर जिनको रोज के पांच-पांच और छः-छः रुपये मिलते थे वह मिल में काम नहीं करके मिल से छुट्टी लेकर वहां पर काम करने जाते थे ताकि वहां के मेट मिस्त्रियों से मिल कर फर्जी मस्टर रोल बनाने में मदद दे सकें। मैं चाहता हूं कि आप जांच करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो इस तरह की अनियमिततायें हुई हैं उनके सम्बन्ध में भी जांच की जाये। मैं नहीं कहता कि जैतारण के बारे में ही जांच की जाये।

श्रीमान् जहां हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तो हमें एक बात याद आती है। इस प्रतिवेदन में ऐसा लिखा है कि सर्दी के दिनों में अकाल पीड़ित लोगों को रजाइयां बांटी गई और व्यावर नगर में भी हज़ारों रजाइयां बनाई गई और मैंने यह सुना है लेकिन सही क्या है य मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं। उन रजाइयों की कीमत सरकार से 18 या 20 रुपये वसूल की गयी लेकिन वह रजाइयां 7 या 8 रुपये से अधिक की कीमत की नहीं थी। उनमें इतनी खराब रुई डाली गयी थी वेस्ट काटन डाली गई थी और ऊपर जो कपड़ा था वह मुर्दे के कफन का जैसा था। इसलिए ऐसे पुन्न के काम में भी लोगों ने खुलकर भ्रष्टाचार किया और उधर जहां रजाइयां बांटी गई, जिन माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में बांटी गई हैं उनकी आपको जानकारी होगी। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इस संबंध में और जानकारी करें!

श्रीमान कल इधर बातें की जा रही थीं कि कोआर्डीनेशन की कमी थी। मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक अजमेर जिले का सवाल है अजमेर के प्रशासनिक अधिकारियों में राहत कार्यों को चलाने के मामले में पूरा कोआर्डीनेशन था और उसके लिए मैं वहां के कलेक्टर बोरडिया जी को और वहां के जितने भी एस. डी. ओ. हैं उनको बधाई देता हूं। अच्छी बात को करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दूसरे विभागीय अधिकारी थे जैसे इर्रीगेशन विभाग के या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी उन्होंने कलेक्टर को और एस. डी. ओ. को उतना सहयोग नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था। आपको मालूम है कि सारे काम एस. डी. ओज. के मार्फत प्रत्येक क्षेत्र में संचालित होते थे, एस. डी. ओ. आदेश दे दिया करते थे कि उस काम को शुरू कर दिया

(मेजर श्री फतहसिंह)

जाये सड़क के काम को या सिंचाई के काम को शुरू कर दिया जाये लेकिन फिर भी टालमटोल करके इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों ने या पी. डब्लू. डी. के अधिकारियों ने उस काम को 15 दिन तक कई मौकों पर प्रारम्भ नहीं किया । यह तो हुई अधिकारियों के कोआर्डीनेशन की बात लेकिन मैं एक बात यहां स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस अकाल राहत कार्यों को देखने के लिए इस मंत्रिमण्डल के कई सदस्य मेरे क्षेत्र में आये हैं—यों कहिये अजमेर जिले में आये हैं लेकिन जब कभी भी कोई मंत्री मेरे क्षेत्र में आया वह अजमेर जिले में आया तो उनमें से नवाब सहाब ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे अपने आने की सूचना दी, श्रीमती सुमित्रा जी ने भी सूचना दी, श्री शोभाराम जी ने भी सूचना दी, श्रीमती प्रभा मिश्रा ने भी सूचना दी लेकिन जिन मंत्रियों का इस अकाल राहत कार्यों से विशिष्ट सम्बन्ध था उन्होंने कभी हमें सूचना नहीं दी । मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं और इस सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही परम्परा है ? मन्त्री महोदय जो वहां काम की देखभाल करने के लिए जायें, लोगों की हालत की जानकारी करने के लिए जायें और वह वहां के विधायक को सूचना नहीं दें ? चाहे वह विरोधी पक्ष का क्यों न हो लेकिन उनको सूचना नहीं देते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, जून में सुखाड़िया जी इस फेमिन रिलीफ के काम को देखने के लिए अजमेर जिले में आये और ब्यावर क्षेत्र में भी आये । उन्होंने मुझे सूचना तो नहीं दी—उसका मैं सख्त एतराज करता हूं लेकिन उन्होंने बड़ाखेड़ा नाम के गांव में एक सभा का आयोजन किया और वहां जाकर भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि कहां हैं आपके मेम्बर मेजर साहब । मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेजर साहब इन पिछले 5 महीने से अपनी जनता के साथ निकटतम सम्पर्क रख रहे हैं इसका सबूत आप कलेक्टर से पूछ सकते हैं, सम्बन्धित एस. डी. ओ. से पूछ सकते हैं लेकिन मुख्य मन्त्री जी का इस प्रकार से भाषण देना और यह कहना कि आप यहां काम तो खुलवाना चाहते हैं लेकिन मौका पड़ने पर आप हमारी मदद नहीं करते । उनका संकेत पिछले आम चुनावों की तरफ था । तो इस तरह की बातें करना मुख्य मन्त्री जैसे मन्त्री को शोभा नहीं देता । मैं यह कह सकता हूं कि ऐसी बातें कोई आम गली में फिरने वाला व्यक्ति करे तो बरदाश्त की जा सकती है । मैं मुख्य मन्त्री जी के प्रति श्रद्धा रखता हूं लेकिन ऐसी बातें सुनता हूं तो मैं समझता हूं कि यह उनके विवेक में कोई कमी आ गयी है । इसी तरह से नारायणसिंह जी जो कि अजमेर जिले के सारे राहत कार्यों के लिए इस मन्त्रिमण्डल की तरफ से जिम्मेदार बनाये गये थे जब कभी भी वह आये, हर हफ्ते या पन्द्रहवें दिन में आते थे लेकिन उन्होंने कभी सूचना नहीं दी । यहां तक कि 27 अप्रेल, 69 को वह एक काम का उद्घाटन करने के लिए गये और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि राहत कार्यों में भी राजनीति आई है । 2 लाख 40 हजार का काम था उसकी मन्जूरी नहीं मिली थी, सिंचाई विभाग का कार्य था, मन्त्री महोदय आपने मन्जूरी नहीं दी थी लेकिन एक सरपंच के कहने से वह वहां पर उद्घाटन करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए । कोई फीडर खुदने वाली थी जिसकी मन्जूरी नहीं हुई थी ।

(मेजर श्री फतहसिंह)

मैंने राव साहब को लिखा कि पहले ही उद्घाटन किस बात का ? जिस वक्त पानी आने लगे उस वक्त उद्घाटन करें अभी तो उद्घाटन की जरूरत नहीं, हैं। लेकिन फिर भी वह वहां पर गये और 2,40,000 रुपए लगाए जाने वाले फीडर का उद्घाटन हुआ। सिंचाई विभाग द्वारा यह काम कराया जा रहा है उसकी मन्जूरी नहीं हुई। वहां पर उद्घाटन के लिए जाने के लिए आप वहां के सदस्य को सूचना न करें, यह कहां तक उचित हैं, आप इस पर सोचें। मैंने इसलिए कहा कि कोआर्डिनेशन नहीं था।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पहले हमारे क्षेत्र के 10 प्रतिशत लोगों को भी रोजगार नहीं मिल सकता था, लेकिन फिर भी इस सरकार की वित्तीय स्थिति को समझते हुए, सरकार की कठिनाइयों को समझते हुए मैंने लोगों को हमेशा ढ़ाढ़स बंधाने की कोशिश की हमने वह रुख अख्त्यार नहीं किया जो माननीय मुख्य मंत्रीजी और राव नारायणसिंह जी ने अख्त्यार किया था। मुझे उत्सुकता नहीं थी। मैं नारायणसिंह जी और सुखाड़िया जी से मिलने के लिए लालायित नहीं था। मैं उनके दर्शनों का अभिलाषी नहीं था। मैं सोचता था कि उनसे मिलने के बाद जनता की वाकई जो तकलीफें हैं उनकी उनको जानकारी करा सकता।

माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो काम वहां पर कराए हैं, उनके लिए धन्यवाद, लेकिन यह बात सही है लेकिन वहां पर पेमेन्ट समय पर नहीं हुआ, यह विशेषकर पंचायत समिति द्वारा कराए गए कामों के बाबत है। विभागीय अधिकारियों द्वारा जो काम कराये गए, इरिगेशन या पी० डब्लू० डी० द्वारा, उन द्वारा, कराए गए कामों का पेमेन्ट अधिकतर समय पर हुआ था और अब तक पिछली जुलाई की बात है कि जो काम वहां पर किया गया था उनका भी पेमेन्ट अभी तक नहीं हो पाया है। अभी मैं 5-4 दिन से आया हूं तब तक यह स्थिति थी। इसलिए जो आदमी अपने पेट पर पट्टी बान्ध कर काम करेगा उसको डेढ़ महीने तक मजदूरी न मिले तो जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने काम शुरू किया था वह उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।

सभापति महोदया, सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि 15 जुलाई से बच्चों को हटा दिया जायगा, काम में 31 जुलाई से 50 प्रतिशत लोगों की कमी कर दी जायगी और 15 अगस्त से काम बन्द कर दिए जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह समझदारी का काम नहीं था। आपने किस आधार से 15 जुलाई से बच्चों की कमी की ? जो आपने दलील दी है कि स्कूल खुलने वाले हैं स्कूल खुल गए हैं, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ऐसे भी हजारों बालक थे जो कि स्कूल के विद्यार्थी नहीं थे और जिनको दोनों वक्त खाना भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता था। उनके साथ में यह घोर अन्याय किया गया है। और 15 अगस्त से काम बन्द कर देना यह भी जनता के साथ में उचित नहीं किया गया। बरसात हुई है, सभापति महोदया, लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं

(मेजर श्री फतहसिंह)

कि यह बरसात अजमेर जिले में और विशेष-कर मेरे क्षेत्र में, भीम क्षेत्र में, जैतारण क्षेत्र में पर्याप्त नहीं हुई है। वहाँ पर फसलें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर एक हफ्ते और बरसात नहीं हुई तो वहां पर फसलें सब सूख जायंगीं। और मंत्री महोदय, मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि आप उसके लिए तैयारी रखें कि अगर वहाँ पर फसल बिल्कुल बरबाद हो जाती है और अकाल की परिस्थिति हो जाती है, जो भगवान करे ऐसा न हो, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से बरसात नहीं हुई है समय पर उससे तो यही मालूम पड़ता है कि वहाँ पर अकाल के बादल मंडरा रहे हैं।

आखिर में इन सब बातों के बाद मैं इस सरकार को संक्षेप में कुछ सुझाव देना चाहता हूं वे यह हैं:—

मंत्री महोदय, आपने जो उत्पादक काम शुरू किये थे जैसे इर्रीगेशन के, तालाब खोदने के काम, नाडी बान्धने के काम हैं वे 15 अगस्त से बन्द कर दिये गये हैं, उन जिलों में, गांवों में चाहे क्षेत्र में अकाल की परिस्थिति है या नहीं? जहाँ तक मेरे अकाल के क्षेत्र का सवाल है राताभाटा बाजोरा फीडर की जो योजना थी वह अधूरी पड़ी हुई है। उसमें कुल एक लाख खरचा हो पाया है, उस कार्य को तत्काल शुरू किया जाय। इस सम्बन्ध में वहां की जनता के प्रार्थना-पत्र और तार भी आपको प्राप्त हुए होंगे।

इसी तरह से माननीय पी०डब्लू०डी० मिनिस्टर महोदय, एवं इर्रीगेशन मिनिस्टर महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपके भी जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं सड़क वगैरह के या तालावों के, उनको पूरा कराया जाय। साथ में यह भी चाहता हूं जिसके लिए हमें विशेषतौर से ध्यान देना है कि जब अकाल की परिस्थिति हो तो मंत्रिमंडल भाग-दौड़ करता है कि कौन से काम शुरू किये जायं और कौन से नहीं किये जायं, एक तरह की भागा-दौड़ी मचती है, इसलिए हर क्षेत्र के लिए, हर जिले के लिए आप पहले से ही अकाल की स्थिति में जो जो काम किये जायेंगे उसका एक ब्लूप्रिन्ट तैयार करें कि हमें ये ये काम करने हैं अगर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है तो।

मैं यह चाहता हूं कि घास की समस्या को हल करने के लिए जब अकाल की परि-स्थिति नहीं होती है उन दिनों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में घास के भंडार कायम किये जायं। जहाँ तक ब्यावर क्षेत्र का सवाल है भीम क्षेत्र का सवाल है, जैतारण क्षेत्र का सवाल है और दूसरे क्षेत्रों का सवाल है वहां पर ये भंडार अच्छी तरह से कायम किये जा सकते हैं। इसके बारे में किस तरह से काम किया जाय इसके बारे में भी आप सोचें।

बरसात की कमी होने के कारण और बरसात की कमी से अकाल की परिस्थिति पैदा होती है तो उसका एक कारण जंगल का काटा जाना भी होता है। हमारे अजमेर जिले में जंगल भरपूर तरह से काटे गये हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिससे जंगल का काटना कम हो।

जब मैं ब्यावर क्षेत्र की जनता को खुश-हाल करने और वहाँ की जनता को अकाल से बचाने की बात करता हूं तो मैं

(श्री फतेहसिंह)

दो बातों पर और, सभापति महोदया, आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—एक है सुरेघाटा योजना और दूसरी है करिडादे योजना। इनको क्रियान्वित किया जाय ताकि इससे पानी की कमी दूर हो जायगी। जहां तक सुरेघाटा योजना का प्रश्न है मैं माननीय गिरधारीलालजी से निवेदन करना चाहता हूं, उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में आप लिव एण्ड लैट लिव की पालिसी एडाप्ट करें। आप भी जिन्दा रहें और दूसरों को भी जिन्दा रहने दें, और यह दलील कि सुरेघाटा योजना अगर क्रियान्वित हो जायगी तो पाटन के तालाब में पानी कम हो जायगा, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। पिछली बार भी बजट सैशन के दौरान मैंने निवेदन किया था। अब आपका भी इस सरकार में एक प्रमुख स्थान है, आप इसमें पहल कर जायं, और सुरेघाटा योजना को क्रियान्वित कराने की कोशिश करें और क्रियान्वित करायें ताकि इधर के पानी का भी नुकसान न हो और उधर का भी नुकसान न हो। करडियादेह की योजना में जो अधिक खर्चा होगा, सभापति महोदया, आप भी इसको जानती हैं कि वहां पर पानी को रोककर ब्यावर की तरफ लाया जाय तो ब्यावर नगर की पेयजल की समस्या हल हो सकती है और जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है जवाजा पंचायत समिति का और आगे जाकर मसूदा पंचायत समिति का क्षेत्र है उसको सिंचाई के साधन अच्छी तरह से उपलब्ध हो सकते हैं।

कल एक बात कही गई और उस बात को मैं भी दोहराता हूं कि आखिर बरसात की कमी के कारण अकाल की परिस्थिति पैदा होती है, तो अकाल की परिस्थिति को रोकने के लिए क्या साइन्टिस्ट या वैज्ञानिक हमारी मदद कर सकते हैं? जो साइन्टिस्ट और वैज्ञानिक अपनी अक्ल के जरिये से मानव को चन्द्रमा पर पहुंचा सकते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा और सरकार से निवेदन करूंगा कि वह साइन्टिस्ट्स से कहें कि किस तरह से आर्टिफिशियल रेन्स से इस समस्या का किसी हद तक समाधान हो सकता है या नहीं? अगर कोई करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाय।

अन्त में जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और चूंकि समय की सीमा आधा घन्टा ही बान्धी गई है, और अनुशासित, डिसिप्लिन्ड सोल्जर के नाते मैं अधिक समय नहीं लूंगा और धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदया, आज राज्य की अकाल की स्थिति पर विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस बार अकाल ने राजस्थान में एक इतिहास का निर्माण किया है। एक इतिहास का निर्माण इस प्रकार हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान का प्रश्न है अगर हम राजस्थान में अकाल की स्थिति को देखें, पिछले वर्षों को देखते हैं तो जैसा कि मुझे विदित हुआ है कि राजस्थान बनने के पश्चात मैं समझता हूं कि केवल 1959-60 की एक फसल को छोड़कर राजस्थान में

(श्री शंकरलाल)

सन् 1950 से लगातार कहीं न कहीं अकाल की स्थिति बनी रही है। हमें राज्य सरकार द्वारा जो सन् 66 और 67 के अन्दर तालिका दी गई थी उससे यह मालूम हुआ है कि 49-50 से लगाकर 66-67 और अब 68·69 आगया है लगातार अकाल कहीं न कहीं रहा है, केवल 1959-60 को छोड़ कर।

परन्तु, सभापति महोदया, इस वक्त जैसा अकाल रहा है, जितनी जनसंख्या प्रभावित हुई है और जैसा इन आंखों से पता लगता है, ऐसी भयंकर स्थिति और भयंकर वातावरण कभी नहीं रहा है। जब हम देखते हैं राजस्थान के अन्दर सन् 1950-51 में 30 लाख 50 हजार, 51-52 में 23 लाख, 52-53 में 13 लाख, 53-54 में 23 लाख 54-55 में 23 लाख, 55-56 में 11 लाख, 70 हजार, 56-57 में 92 हजार 200, 57-58 में 22,07,230, 58-59 में 10,77,161 जनसंख्या प्रभावित हुई है। इन सभी आंकड़ों के गत वर्ष में आंकड़े आते हैं और 65-66 में 55 लाख 120 जनसंख्या प्रभावित हुई है, जो अकाल हमारे सामने आया है, जिससे कि हम गुजर रहे हैं, राजस्थान की 1,21,62,941 जनसंख्या प्रभावित हुई है। राजस्थान सरकार ने जो उसका मुकाबला किया है, वह भी एक ऐतिहासिक मुकाबला किया है। सभापति महोदया, अकाल के अन्दर अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। सबसे बड़ी व्यवथा मनुष्यों को भूख से बचाने की और रोटी-रोजी देने की होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के अन्दर इतने भयंकर अकाल के होते हुए भी एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है। 30 जून, 69 तक के आंकड़े हैं, 20 लाख मजदूरों की संख्या पहुंच गई है। जहां 20 लाख मजदूरों की जनसंख्या पहुंच गई है और एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है। हमारे यहां के मुख्यमंत्री, अकाल राहत मन्त्री, वित्त मन्त्री और मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों ने युद्धस्तर पर उसका मुकाबला किया है।

(3.22 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं समझता हूं कि वास्तव में उन्होंने युद्धस्तर पर मुकाबला किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि जहां और समय अकाल पर कोई सुझाव अगर रखते थे तो वह सुझाव पहले तहसील कमेटी में जाता था। तहसील कमेटी से जिले में आना था उसके बाद वह राज्य में आता था स्वीकृति होते होते 15 दिन या महीना लग जाता था। लेकिन इस अकाल में राज्य सरकार ने इतनी तत्परता से कार्य किया है, इतना कभी मैंने राजस्थान में नहीं देखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण बताता हूं कि मेरी कान्स्टेटूयेन्सी में मजदूर सड़क पर काम कर रहे थे। 5-6 हजार गरीब मजदूर काम कर रहे थे। वहां के सरपंच ने मुझे तार दिया कि वहां 6 हजार मजदूर बेकार होने वाले हैं। मैंने कहा कि तार देने से काम नहीं चलेगा। मुझे यहां उनको लाना पड़ेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि तार देने पर कलेक्टर से काण्टेक्ट किया गया। कलेक्टर से उनको मालूम हुआ कि वास्तव में 6 हजार मजदूर बेकार होने वाले हैं। तो उन्होंने दूसरे काम की सैंक्शन दे दी।

(श्री शंकरलाल)

तो यह जो बात कही जाती है कि इसके अन्दर कोई पार्टीबाजी की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि हमको पार्टीबाजी का उदाहरण नहीं मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाली जिले की बात बताई। जब शुरू से अकाल राहत के कार्य शुरू किये गये हैं वह 9 जिलों के अन्दर जो कि पहाड़ी इलाके हैं, जिस इलाके से पृथ्वीसिंह जी आये हैं जो स्वतंत्र पार्टी के हैं, उनके उस क्षेत्र मे गिरासिये बसते हैं। और दूसरे इलाके हैं जिनमें रावत मेहरात बसते हैं। अभी जिसके लिए माननीय सदस्य ने कहा है, वह ब्यावर की तरफ का इलाका है। सबसे पहले उन क्षेत्रों में काम शुरू किया गया है। मैं समझता हूं कि पाली क्षेत्र में, जहाँ से कोई कांग्रेस का आदमी नहीं है, वालो में काम शुरू हुआ है। अकाल राहत मन्त्री जी ने पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर कुछ काम शुरू किये जो पाली क्षेत्र की ओर चले गये हैं। दूसरे रायगढ़ की ओर चले गये हैं। अभी अभी ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि जनसंख्या के हिसाब से जितना पैसा खर्च किया गया है वह अजमेर जिले पर खर्च नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें राजनैतिक झलक है। पक्षपात नजर आता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्य जिला स्तर पर नहीं हुए हैं। राजस्थान स्तर पर हुए हैं। ब्यावर से बाबरा-जैतारण सड़क बनी, आपके इलाकों के सैकड़ों ही नहीं हजारों मजदूरों ने कार्य किया है। ब्यावर-बाबरा सड़क पर अजमेर जिले के मजदूर नहीं लिये जायें, पाली के मजदूरों को लिया जाये, यह नहीं हुआ है।

श्री फतेहसिंह : इसके लिए मैं पहले से ही धन्यवाद देता हूं।

श्री शंकरलाल : ब्यावर-चांग सड़क पर, जिसकी माननीय सदस्य ने प्रशंसा की हैं, मैं आप को कहना चाहता हूं कि वहां उन अधिकारी ने पाली के मजदूरों को कहा है कि पाली के मजदूरों को नहीं लिया जाएगा। सरकार से बात की गई तो कहा गया कि यह किसी जिले की बात नहीं है। चांग-ब्यावर सड़क ही है, मैं समझता हूं माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि ब्यावर के इलाके के सैंकड़ों ही नहीं हजारों मजदूर काम कर रहे थे। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो एक जिले में चालू नहीं किये गये हैं। ब्यावर की सड़क है, लोगों का यह कहना है कि यह पाली में होनी चाहिए, यह संकुचित भावना हमें नहीं रखनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे ही इलाकों में दिलचस्पी रखनी चाहिए।

श्री शंकरलाल : सुमेरपुर का बांध है। वह वहाँ की योजना है। दूसरी जगह नहीं ली जा सकती है। लेकिन वहां पर ब्यावर के मजदूर भी काम कर रहे हैं। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि आपके मजदूरों को मजदूरी मिली या नहीं? अगर आपके मजदूरों को काम मिलता है, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में काम है या नहीं। मैंने पहले भी कहा है आज भी कहता हूं कि राजस्थान में ऐसे परमानेंट नीति के काम होने चाहिएं जिससे आगे कोई राजस्थान में अकाल नहीं पड़े।

(श्री शंकरलाल)

मैं राजस्थान कैनाल की बात करता हूं, राजस्थान कैनाल पर जाकर मजदूरों को काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक क्षेत्र की बात कहूंगा जहां राजस्थान के अन्य इलाकों से आकर मजदूर काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसलिए यहां क्षेत्र की बात कहने से स्थायी हल नहीं निकलता है, स्थायी हल तब निकलता है जब ऐसी योजना हाथ में ली जाय जो कार्यान्वित की जा सके, जिनको हाथ में लेने से धन का उपयोग हो और उसके अन्दर दूसरे लोग काम कर सकें। जो डिस्ट्रिक्टवाइज वर्क को स्पिलिट-अप करना चाहते हैं माननीय सदस्य, वह एक बड़ी भारी भूल होगी। अकाल राहत कार्यों को डिस्ट्रिक्टवाइज न लेकर राजस्थानवाइज लेना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर जो भी अकाल राहत कार्य हुए हैं, उनके सम्बन्ध में यह बात कही गई है और कही जाती है कि प्राडक्टिव नेचर के काम लिये जाने चाहिए यह बात सही है कि सन् 1966-67 का जो विवरण हमारे सामने आया है, और जो केन्द्रीय अध्ययन दल आया था—उसने भी कहा था कि प्राडक्टिव नेचर के काम हाथ में लिये जायें। यह सही बात है कि प्राडक्टिव नेचर के काम हाथ में लेने चाहिए लेकिन जहां सम्भव नहीं हो वहां के मजदूरों को भी काम पूरा मिलना चाहिए। मैंने जहां तक देखा है और रिपोर्ट को पढ़ा है, उसके पेज 6 पर दिये गये विवरण को देखा है, तो आंकड़ों से पता लगता है कि यह आरोप गलत है कि प्राडक्टिव नेचर के काम हाथ में नहीं लिये गये। आप इसका पेज 56 देखें तो आपको मालूम होगा कि सिंचाई विभाग के द्वारा कितने कार्यों को हाथ में लिया गया, 1692 कार्यों को, इसी प्रकार 20-7-69 को स्थिति यह थी कि भू संरक्षण के कार्य 427, वन विभाग के काम 172, सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम 992 हाथ में लिये गये। तो कार्यों की सूची जो पेज छः पर है, उसको देखें तो मालूम होगा कि सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य कराये गये हैं वह सबसे ज्यादा हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्राडक्टिव नेचर के काम हाथ में लिये गये हैं, इरिगेशन के वर्क्स हाथ में लिये गये हैं, इनकी संख्या 1692 है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा काम किये गये हैं वह 992 हैं। मैं आप से बताऊं कि मेरा क्षेत्र जैतारण है और रायपुर इलाका है, वहां पर एनीकट्स बना सकते हैं और स्वीकार भी हुए हैं लेकिन पोकरण का इलाका है वहां रेतीला इलाका आता है, इसी तरह जैसलमेर है, बाड़मेर है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): माननीय सदस्य को यह जानकारी होगी कि उत्पादक कार्यों पर केवल 422 लाख रुपया खर्च किया गया है जब कि टोटल अब तक 32 करोड़ 98 लाख रुपया खर्च किया गया है, इसमें से 422 लाख रुपया उत्पादक कार्यों पर खर्च किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा: आपके पास आंकड़े हैं वह केवल सिंचाई कार्यों के हैं और नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण: मेरे पास कृषि, सिंचाई और वन तीनों के हैं जिन्हें आपने पढ़ा नहीं है।

श्री शंकरलाल : प्रश्न तो यह है कि अगर कोई उत्पादक कार्य जो अकाल राहत विभाग को लेना चाहिये था उसको रिजेक्ट करके किसी अनप्राडक्टिव कार्य को ले लिया गया है तो हम कह सकते हैं कि बात ठीक है लेकिन जहां पर प्राडक्टिव वर्क या इरिगेशन वर्क को हाथ में नहीं लिया जा सकता है, जैसे बाड़मेर की स्थिति है या जैसलमेर इलाके की स्थिति है जहां पर रेतीला इलाका है, और जो राजस्थान के अन्दर ज्यादा अकाल से प्रभावित इलाके हैं, जैसे बीकानेर का इलाका है, जालौर का इलाका है, जोधपुर का इलाका है—इन पश्चिमी राजस्थान के इलाकों के अन्दर अकाल की स्थिति गम्भीर थी, वहां पर इस प्रकार के प्राडक्टिव या इरिगेशन के काम नहीं हो सकते थे तो वहां पर क्या किया जाय ? तो वहाँ पर दूसरे राहत कार्य कराये जायेंगे, जैसे वहां पर सड़कों का काम हाथ में लिया जा सकता है। प्रश्न तो यह है कि प्राथमिकता उत्पादक कार्यों को दी ही गई है और दी जानी चाहिए लेकिन जहां पर ऐसे काम हाथ में नहीं लिये जा सकते वहां पर दूसरे काम, सड़कों के काम हाथ में लिये गये हैं। मैं समझता हूं वहां पर सड़कों का काम हाथ में लेना अनिवार्य था, वह नहीं लिये जाते और उत्पादक कार्य हाथ में लेना सम्भव नहीं था तो इसका तात्पर्य यह होता कि हम लोगों को रोजगार नहीं देते। वैसे यह बात कहना गलत है कि प्राडक्टिव काम हाथ में नहीं लिये गये। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करूं कि पाली जिले के बारे में मैं जानता हूं, जितने इरिगेशन वर्क्स आये, और प्लान बनाये गये, उनके बारे में बैठक में विचार किया गया और फिर इरिगेशन के वर्क्स को प्राथमिकता दी गई, लेकिन जहां पर ऐसे कार्य हाथ में लेना सम्भव नहीं था वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के काम हाथ में लिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक दूसरी बात भी निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री दौलतराम सारण : मिट्टी खोदने के काम से तो मुफ्त में पैसा दे देते।

श्री शंकरलाल : दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरी की दर के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मजदूरी कम है। मैं भी यह कहूंगा कि वास्तव में मजदूरी जितनी है उससे मजदूरों का पेट-पालन नहीं होता है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस अकाल के अन्दर क्या मजदूरी उतनी ही मिली है जितनी कि पिछले अकाल में मिलती थी। जहां पहले चौदह आने मिलते थे वहां पर सवा रुपया दिया गया है...

एक माननीय सदस्य : चन्दा कितना लिया गया है ?

श्री शंकरलाल : जहां डेढ़ पहले मिलते थे वहां पर दो रुपये दिये गये हैं, जहां बारह आने पहले मिलते थे वहां रुपया अब दिया गया है। एक आदमी को डेढ़ रुपया जहां पहले मिलता था, वहां अब उसको दो रुपये मिलते हैं, औरत को चौदह आने मिलते थे वहां अब उसको सवा रुपया दिया गया है, जहां बच्चों को पहले बारह आने मिलते थे वहां अब सवा रुपया दिया गया है। इस बात से यह बात साफ नजर हमारे को आती है कि गत अकाल में जितनी मजदूरी लोगों को मिली थी उससे ज्यादा

(श्री शंकरलाल)

मजदूरी इस अकाल में मिली है। इसलिये यह कहना कि सहकार ने इसके अन्दर मजदूरी कम दी है, मैं समझता हूं यह आरोप बिल्कुल गलत मालूम होता है। यह बात सही है...

श्री रामकिशन (वैर): ज्यादा दे दी है तो वापिस ले लें।

श्री शंकरलाल : आप यह कहें कि केन्द्रीय सरकार ने 17 करोड़ की सीमा निर्धारित की थी, वहां 55 करोड़ रुपया खर्च हो गया है और हो जाने का है जहां राहत कार्य चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह कहना कि सरकार ने मजदूरी कम दी बिल्कुल गलत है। मैं चाहता हूं कि मजदूरी इससे ज्यादा मिले, मुझे इससे खुशी होगी लेकिन इस बात को लेकर आरोप लगाये जायं तो मै समझता हूं कि वह आरोप असत्य होंगे, उनमें कोई तथ्य नहीं होगा ...

श्री रामकिशन: शंकरलाल जी, ज्यादा दे दी है तो वापिस ले लें।

श्री फतेहसिंह : मेरा मतलब यह था कि रेट कम है।

श्री शंकरलाल : जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के इलाके हैं......

श्री रामकिशन : कुछ ज्यादा दे दी है तो वापिस ले लें।

श्री शंकरलाल : इन जिलों को छोड़ कर दूसरे जिलों के अन्दर पन्द्रह अगस्त से राहत कार्य बन्द कर दिये जाने के ऑर्डर हुए हैं, और वहां कार्य बन्द कर भी दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में काम चालू रहने भी चाहिये, लेकिन शेष जिलों में जहां पर पैसा खर्च हो, मैं समझता हूं कि कार्य पन्द्रह अगस्त से वहां बन्द करने की बात की है, उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये क्योंकि इसके साथ में यह बात भी है कि ऐसे बहुत से कार्य बन्द कर दिये गये हैं जो कि अभी अधूरे पड़े हुए हैं, ऐसे कार्यों के बारे में मुझे मालूम है और मैं उदाहरण के रूप में बता सकता हूं, जगह जगह जो कार्य चालू कर दिये गये थे और अधूरे थे, वह पन्द्रह अगस्त के बाद में कार्य बन्द कर दिये गये। मैं समझता हूं, उन हेगी, इसलिये अकाल राहत कार्य के तहत जहां निर्माण के कार्य हाथ में लिये हैं उन निर्माण कार्यों को पूरा कराना चाहिये, भले ही वहां अकाल की स्थिति नहीं रही है लेकिन वह ऐसे आवश्यक कार्य हैं जिनको पूरा नहीं कराने से पहले जो उन पर व्यय हुआ है वह व्यर्थ जाने वाला है। इसलिये मैं समझता हूं कि उन कार्यों को पूरा कराना चाहिये। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि मेरे क्षेत्र में गेरसिया के तालाब की खुदाई हुई, लोगों को तालाब के पानी की जरूरत थी, इसलिये 31 जुलाई से काम शुरू हुआ, लेकिन थोड़े दिन ही काम को हुए थे कि पन्द्रह अगस्त से वह बन्द कर दिया। उस पर थोड़ा अमाउन्ट खर्च हुआ है, लेकिन वह कार्य भी पन्द्रह अगस्त से बन्द कर दिया गया। इसी तरह से बहुत सी जगह सड़कें बनाई गई हैं, उन पर मिट्टी डालने का काम बाकी रह गया

(श्री शंकरलाल)

है वह नहीं डाली जाती है तो जो लाखो रुपया उन पर खर्च किया गया है वह बेकार जायगा। इसलिये वह काम पूरा कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आज अकाल पीडित जनता है उसको राहत अवश्य दी जाय, इस काम को प्राथमिकता दी जाय लेकिन उन क्षेत्रों में जहां अकालके कार्य, राहत कार्य अधूरे रह गये हैं उनको पूरा करना जरूरी है। इसलिये में नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाय नहीं तो लाखों रुपया लगा हुआ हैं वह बेकार जायगा और उससे धन की बरबादी होगी।

मैं एक निवेदन पेय जल के बारे में भी करना चाहूंगा। पेय जल की समस्या है, इसमें यह बात जरूर है कि अकाल की स्थिति राजस्थान में, जसा बताया, 1950 से लगातार रहती है, केवल 1959-60 को छोड़ कर, लेकिन यह पेय जल की व्यवस्था का सवाल है, चाहे अकाल हो या नहीं हो-यह ड्रिंकिंग वाटर की प्राबलम है, राजस्थान में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर यह पेय जल की प्राबलम रही है तो पेय जल के लिए मान लीजिए कि आपने कुआ निर्माण का कार्य चालू किया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, मेरे क्षेत्र में दीगरना गांव में जो नागौर जिले से लगा हुआ है, कुएं का काम चालू किया। अब 15 अगस्त आ गया और काम बन्द हो गया लेकिन कुएं का काम अधूरा रह गया। अगर ज्यादा बरसात हो जाती है तो किया हुआ काम भी बेकार हो जाता है। तो ऐसे काम जहां पेय जल की समस्या की बात हो वहां अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पेय जल की समस्या को सुलझाने के लिए जो कार्य है, उनको ऐसा समझना चाहिए कि जैसे वे अकाल कार्य हों और उन सब को पूरा करने के लिए सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इस पेय जल के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सी जगह कलेक्टर द्वारा एक एक हजार रुपए स्वीकृत करने का अधिकार था और जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में तीन हजार रुपए तक की राशि मन्जूर की है। तीन हजार रुपए की स्वीकृति हुई, एक हजार डेढ़ हजार खर्च हुआ है, बाकी पैसा खर्च करना है, काम अधूरा है। तो इस प्रकार की हिदायतें होनी चाहिए पेय जल के बारे में कि जो काम अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए।

जैसा मैंने निवेदन किया कि परमानेन्ट नेचर के काम हों तो राजस्थान कैनाल का मैंने सुझाव दिया था। साथ ही साथ जो नलकूप हैं उन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बारे में सरकार ने हमें जो विवरण दिया है उसके पेज 11-12 को मैंने पढ़ा। पढ़ने से मालूम होता है कि 136 नलकूप चालू किए जा चुके हैं। शेष तीन में से एक पर मशीन खराब हो गई है और दो अभावग्रस्त क्षेत्र के बाहर हैं एवं उन पर कार्य चालू हैं। इस वर्ष 60 नए नलकूपों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। इनमें से 43 नलकूप सफलतापूर्वक खोदे जा चुके हैं। शेष सफल नहीं हुए हैं। 17 सफल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? पाली जिले में नलकूप मन्जूर हुए और एक भी चालू नहीं हुआ। एक जैतारण के अन्दर, दूसरा मोराई और तीसरा मिडा, तीनों जगह अकाल राहत में कार्य खोले जाने वाले थे।

(श्री शंकरलाल)

अब कहते हैं कि 15 अगस्त को बन्द हो गए। वे काम भी चालू नहीं होंगे। मैं समझता हूं, जहां नलकूप स्वीकृत हो चुके हैं चाहे अकाल न भी हो लेकिन उस योजना को अपने हाथ में लें क्योंकि आज शायद उस क्षेत्र में अकाल न हो लेकिन जैसे हमने अकाल की हिस्ट्री देखी है, मैं चाहता हूं कि अकाल न पड़े लेकिन भविष्य में अकाल का मुकाबला करने के लिए नलकूप, जहां योजना को चालू कर दिया गया है, उनको पूरा करना पड़ेगा और जो स्वीकृत हैं लेकिन चालू नहीं किए हैं तो उनको चालू करके पूरा करना पड़ेगा।

अन्त में लिखा है कि केन्द्रीय सरकार के विशेष दल की अनुमति की आशा में राज्य सरकार ने 100 और नलकूप बनाने की योजना इस वर्ष चालू की थी। 15 जुलाई, 1969 तक स्थानों का चयन लगभग पूर्ण कर लिया गया था। शेष 15 पर कार्य प्रगति पर था। परन्तु केन्द्रीय विशेष दल ने इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकार नहीं किया है। अर्थाभाव के कारण अब इस योजना को बन्द करना होगा।

शेष 15 पर जिन पर कार्य प्रगति पर था, उनको पूरा करना चाहिए और नलकूप जहां जहां स्वीकृत हुए हैं उनके निर्माण को पूरा करना चाहिए, चाहे सरकार को इसके लिए खर्च करना पड़े और केन्द्रीय सरकार से और निवेदन किया जाय, सारी स्थिति से उसको अवगत कराया जाय और हमेशा के लिए अकाल का मुकाबला करने के लिए राजस्थान कैनाल जैसी योजना और नलकूप जैसी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा देना होगा।

इसके साथ साथ और भी मेरे जिले की समस्याएं हैं। जहां पर पशुओं के माइग्रेशन का सवाल आया और चारे का सवाल आया, तो हम देखते हैं कि यह सही है कि राज्य सरकार ने किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया लेकिन पशुओं के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती और इसका कारण यह है कि चारे का इंतजाम बराबर नहीं हो सका और पशुओं के माइग्रेशन के अन्दर भी कोई वेल प्लान्ड तरीके से माइग्रेशन नहीं हुआ। पाली जिले के अन्दर जो अकाल पीड़ित क्षेत्र था वहां से मवेशियां गुजरीं, वहां झगड़े हुए, वे वापस लौटने लगी हैं। हालांकि यह सही है कि जैसा सरकार ने कहा कि पशुओं को माइग्रेट करने के लिए सुविधा भी दी। कई जगह बाड़मेर वगैरह पर उनको कन्सेशनल रेट पर चारा घास दिया गया लेकिन माइग्रेशन की जो समस्या है, यह सफलतापूर्वक हैंडल नहीं हुई है—चाहे प्रशासन के कारण चाहे किसी कारण। माइग्रेशन की समस्या है, लेकिन वह ठीक तरह से हैंडल नहीं हुई। इससे बहुत बार कई जगह झगड़े हुए। लोगों को चोटें आई, मुकदमें दर्ज हुए और कई जगह गम्भीर स्थिति हुई। और भी जहां से माइग्रेशन हो रहा है, वहां देखना चाहिए। जो हमारे सामने स्थिति है, अब आगे के लिए इस समस्या पर विचार करें। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य सरकार ने बहुत ही सौहार्द्रपूर्ण तरीके से और हिम्मत के साथ इस अकाल का मुकाबला किया है और ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन इस अकाल को हमेशा के लिए,

Page No 129

(श्री शंकरलाल)
राजस्थान से इस भूत को निकालने के लिए जितनी बातें हैं, उन पर विचार करना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान अपनी जो चौथी पंच वर्षीय योजना है, उसके पेज 177 की तरफ आकर्षित करता हूं। इसमें कहा गया है कि :

"Adverse weather conditions during the Third Plan period and particularly during 1965 have brought into sharp focus the problems of areas exposed to frequent draught. Apart from the human sufferings and heavy expenditure on relief measures caused by draughts......"

श्री रामकिशन : यह तो खतम हो गया।

श्री शंकरलाल : मैं बता रहा हूं, इसके अन्दर कन्क्लूजिव पैरा है:

"A provision of Rs. 40 Crores has been made in the Plan for surveys and pilot programmes which would suggest the direction of action necessary for effective utilisation of natural resources based on new strains suited to the agronomic and climatic conditions of these areas."

मेरे कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने 40 करोड़ रुपये पाइलट प्रोग्राम और इसकी कन्डीशन्स की सर्वे के लिए रखा। मैं यह निवेदन इसलिए करना चाहता था कि राजस्थान में जहां 1950 से लगातार अकाल पड़ा है, सन् 1959 और 1960 को छोड़कर वहां इसके लिए एक समिति पाइलट प्रोग्राम के लिए बनानी चाहिये और इस पर स्थाई हल खोजने के लिए योजना बनानी चाहिए, क्योंकि 1966 और 1967 के अन्दर जो हमें रुपया मिला, 1967 के अन्दर एक सदस्यीय समिति भारत सरकार से आई और राज्य सरकार को उसने सुझाव दिया कि इसके लिए मास्टर प्लान बननी चाहिए और तब राजस्थान इस समस्या का हल कर सकता है। मैं सम्बद्ध दो लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। श्री मेघनाथन्,आई०सी० एस० प्रोग्राम एडवाइजर, योजना विभाग, जो 18 जुलाई से 21 जुलाई 1966 तक राजस्थान में रहे हैं, उन्होंने कहा है कि : "एक सदस्यीय दल ने उक्त राय व्यक्त की कि जिन क्षेत्रों में लगातार अकाल पड़ता रहा है, उनके लिए अलग से योजना बनाई जाय व प्रत्येक जिले के लिए विकास के कार्यों के लिए एक मास्टर प्लान बनाई जाय ताकि मौका पड़ने पर राहत कार्यों को उसके अन्तर्गत पूरा किया जा सके।"

जो परमानेन्ट नेचर के काम हैं, उनके लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए समिति राजस्थान में होनी चाहिए जिससे कि वह कमेटी सर्वे करके एक ऐसी योजना बनाये कि किन किन क्षेत्रों में अकाल लगातार पड़ रहा है, स्थाई हल कैसे किया जाय, तब आने वाले समय के अन्दर राजस्थान को अकाल से बचा सकेंगे।

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि आपने हर एक के लिये आधा घन्टे का समय मुकर्रर कर रखा है, माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे अकाल ने राजस्थान में इतिहास का निर्माण किया उसी प्रकार आप मान कर चलिये कि राजस्थान सरकार और राजस्थान के युवक अकाल राहत मन्त्री जी ने रात दिन काम किया उनकी भी छाप हमारे हृदय में होनी चाहिये। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अकाल राहत मन्त्री जी को बधाई दी है। यह हर एक माननीय सदस्य का फर्ज हैं। अपने स्वास्थ्य की परवाह न करके आशा से अधिक काम किया और अकाल पीड़ित हर जिले का दौरा किया, मुख्य मन्त्री महोदय ने भी पाली जिले और दूसरे जिलों के दौरे किये और उन्होंने अपने मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य को जिम्मेदार बनाया। बरकतुल्ला साहब पाली जिले के जिम्मेदार थे। बीमार थे फिर भी आये।

श्री उपाध्यक्ष : सड़क पर नीचे मोटर से उतरे भी ?

श्री शंकरलाल : उतरे साहब। उनको हार्ट की बीमारी। है सोजत डाक बंगले में ठहरे थे, हार्ट की बीमारी है, डाक्टरों ने कहा है कि आपको दौरा नहीं करना चाहिये फिर भी वे आये। हमने उन्हें कहा कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आपको चला जाना चाहिये। अकाल राहत मन्त्री जी और राजस्थान सरकार बधाई की पात्र हैं।

अब मैं अनपेड लेबर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पी० डब्ल्यु० डी० के द्वारा अकाल के कार्यों पर सतर्कता नहीं बरती गई। उनकी ईमानदारी में भी सन्देह होता है। सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स आदि दौरे कर रहे थे, नये नये ओवरसीयर्स टेम्परेरी मुकर्रर किये गये थे, अब उनको निकाला जा रहा है, उन्होंने देखा कि पांच छः महीने का काम है जितनी बटोर सकें बटोरें। ऐसी शिकायतें आई हैं। राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि करोड़ों रुपया खर्च करके राहत पहुंचायी है, सरकार में विश्वास है लेकिन साथ साथ जिन लेबरर्स का पेमेन्ट नहीं हुआ है या गड़बड़ी हुई है उसके लिये राज्य सरकार को स्ट्रिक्टली कदम उठाना पड़ेगा। जहां जहां की शिकायतें आ रही हैं कि पेमेन्ट नहीं हुआ है वहां पेमेन्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक दो उदाहरण में अपने क्षेत्र के देना चाहता हूं। बावरा में विनोदकुमार जैन आये। पेमेन्ट किया। सरपंच ने कहा कि मेरे सामने पेमेन्ट किया जाय। उसने कहा कि तुम कौन होते हो। उसने उसके सामने नहीं किया। फिर उसने पाँच रुपये की जगह दो रुपये पकड़ा दिये और मैं गया तो लोगों ने कहा कि इस प्रकार की बात हुई है। दो रुपये दे दिये पाँच के बजाय और अंगूठे लगवा लिये। उसने मंजूर भी किया कि रात के समय अंधेरा था इसलिये ऐसा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : नये ही थे ?

श्री शंकरलाल : विनोदकुमार जैन नये ही आये थे। चले भी गये हों।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : टेम्परेरी भेजे गये थे दूसरी जगह से या टेम्परेरी थे ?

श्री शंकरलाल : बिरांटिया से चितरा की बहुत सी गैंग का पैसा बाकी है इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं। एक जगह गाँव के गैंग को ही पैसा नहीं मिला। कोट किराना का है। पी० डब्ल्यू० डी० के इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अकाल राहत की स्वीकृति हो गयी, मजदूरों को कहा गया कि दस तारीख को लगायेंगे। मजदूर वहाँ पहुंच गये लेकिन मस्टर रोल लेकर नहीं पहुंचे। काम शुरू हुआ तो मस्टर रोल के बिना ही। अकाल राहत मंत्री जी के सामने लाये हैं यह प्रश्न, काम शुरू हो गये और मस्टर रोल देरी से पहुंचा और बीच का समय रहा उसका असैसमैन्ट कराया जा रहा है--यह कहा गया है। पेमेन्ट कराया जा रहा है। इसको पी०डब्ल्यू०डी० वालों ने मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखा है। पेमेन्ट की शिकायतें आती हैं उनमें बहुत कुछ सत्यता होनी चाहिये। आपने काम खोले वाहवाही मिली। मजदूरों ने काम किया फिर भी पैसा नहीं मिला। प्रत्येक मजदूर जिसने भी काम किया है उसको मजदूरी मिलनी चाहिये। और पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों ने जो इस प्रकार के काम किये हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। यह नहीं कि एक रिपोर्ट आय और फिर लम्बी इंक्वायरी हो। जल्दी व्यवस्था होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा......

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया है।

श्री शंकरलाल : मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा। माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप भी सुझाव दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इनके देखने की बात है।

श्री शंकरलाल : नलकूप योजना कोई परमानेन्ट योजना हो जिससे परमानेन्ट हल निकालें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल हादी।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से हाउस में अकाल के बारे में काफी चर्चा हो रही है। काफी बातें कही गयी हैं। उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजिश्ता साल बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में बड़ा जबरदस्त अकाल पड़ा। हमने हमारी जिन्दगी में ऐसा अकाल नहीं देखा। मगर हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग और बूढ़े लोग हैं उनसे जब मालूम किया तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने हमारी जिन्दगी में इस सर जमीन पर ऐसा भयंकर अकाल कभी नहीं सुना। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि सरकार ने इतने जबरदस्त अकाल का मुकाबला करने में कोई कसर नहीं रखी और लाखों इन्सानों को मौत के मुंह में से बचाया। इसलिये हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अकाल का मुकाबला किया और लाखों मवेशी और इंसान मौत के मुंह से बचाये। इसलिये मैं राजस्थान सरकार को मुबारकबाद देता हूं। खास कर के हमारे मुख्य मंत्री महोदय और हमारे अकाल राहत मंत्री महोदय हमारे यहाँ कई दफा आये। उन्होंने हालात का जायजा लिया और वक्तन फवक्तन हमको सम्हाला और लोगों को रोजगार देने में पूरी कोशिश की।

(श्री अब्दुल हादी)

(4 म० प०)

हमारे इलाके में, हमारा जो खासकर बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला है, वह बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है। उस इलाके में सिवाय सड़कों के और कोई काम नहीं था। इसलिये सरकार ने बड़े पैमाने पर वहाँ सड़क का काम कर लोगों कोभ जदूरी पर लगाया। सिवाय इसके और कोई काम नहीं था जिससे कि लाखों इन्सानों को मजदूरी मिल सकती थी। मैं समझता हूं कि कोई महानुभाव यह समझते होंगे कि वहाँ रेगिस्तान में इधर-उधर क्या है। सरकार ने बिल्कुल नाजायज तौर से पैसा खर्च किया। मैं समझता हूं ऐसा नहीं हुआ है। जो कुछ वहाँ सड़क का काम हुआ है, वह काम ठीक हुआ है क्योंकि लोगों को इसके अलावा इतनी बड़ी तादाद में रोजगारी नहीं मिल सकती थी और इलाके में काफी आने जाने की तकलीफ थी, वह तकलीफ भी हमारे यहाँ हल हो गयी। मैं यह जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि जो सड़कें वहाँ बनी हैं, उन सड़कों के ऊपर जल्दी से जल्दी ग्रेवल डाला जाय तो मैं समझता हूं कि ये सड़कें काफी कामयाब रहेंगी। काफी कुछ सड़कों पर ग्रेवल डाला गया है और जो सड़कें बच गयी हैं उन पर भी जल्दी से जल्दी ग्रेवल डलवाने की सरकार व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बाड़मेर जिले में पानी की बड़ी तकलीफ है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी खारा है। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी बिल्कुल नहीं हैं। सरकार ने इस अकाल की हालत में टंकियों के द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की और लाखों रुपया खर्च किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ इस साल हैजे की बीमारी बड़ी जबर्दस्त रूप से फैली। उसने जबर्दस्त हमला किया। मगर सरकार ने वहाँ पर काफी डाक्टर स्पेशली लगवाये और हर कैम्प पर डाक्टरों की एक टीम रही जिन्होंने हैजे के इन्जेक्शन लगाये हालांकि हैजे में कुछ लोगों की मौत वाकई में हुई है, फिर भी सरकार ने बहुत जल्दी ही उसे कन्ट्रोल किया और आज वहाँ हैजे की बीमारी खत्म हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का विशेष टाइम, ज्यादा समय न लेकर एक निवेदन करना चाहूंगा। मुझे बड़े अफसोस और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुदरत ने हमारे साथ बेवफाई की। अगस्त का महीना खत्म होने को आया है। बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले के फिगर्स तो मुझे मालूम नहीं है, मगर बाड़मेर के लिये यहां अर्ज करना चाहूंगा कि 400 गांव अभी ऐसे हैं जहाँ बरसात की एक बूंद भी नहीं हुई है और सरकार ने कुछ रोज पहले यह फैसला किया था कि 15 अगस्त के बाद फेमिन के तमाम काम बंद कर दिये जायं और काम बंद कर दिये गये। लोग बड़े परेशान हैं। जो कुछ सरकार ने किया हम उसके लिये शुक्रगुजार हैं। अब वह वक्त फिर आ रहा है और सरकार टाइम पर नहीं चेती तो जो लोग कहते हैं कि भूख से मर गये, कहीं वह सपना सचमुच सच्चा न हो जाये। इसलिए मैं फेमिन मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे पास तार, टेलिग्राम्स, चिट्ठी आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि हजारों की संख्या में लोग चौहटन, बाड़मेर में बैठे हैं। वे कह रहे हैं हम भूखे हैं। हमें रोजगार पर

(श्री अब्दुल हादी)

लगाइये। इसलिये निवेदन करूंगा कि वहां बरसात नहीं है। जैसा की आप फर्मा रहे हैं 15 तारीख के बाद भी काम चलावायेंगे। हमें आशा है कि कुछ जगह काम आपने शुरू करवा दिये हैं। मगर लाखों की तादाद में लोग हैं। सब लोग फेमिन पर नहीं लग पाये हैं, इसलिये सरकार मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी रोजगारी दे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सुनने में आया कहते हैं ऐसा इरादा है सरकार का कि सरकार इन लोगों को राजस्थान कैनाल पर भेजने का इरादा रखती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि जहां लाखों लोगों का सवाल है, रोजगार देने का सवाल है, उन लोगों को राजस्थान कैनाल पर आप एडजस्ट करेंगे, यह मुझे समझ से नहीं आता। हालांकि मै इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूं, टैक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन इतना हम समझते हैं कि लाखों आदमियों को वहां आप कैसे एडजस्ट करेंगे। इसलिये मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूं। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो भी लोग वहां जवान हैं, औरत हो चाहे, मर्द हो चाहे उनको उधर भेज दें मगर जो बूढ़े लोग हैं अगर उनको आप वहाँ पर फ्री राशन दें तो मैं समझता हूं कि यह ...ल्यू. डी. द्वारा बेईमानी, गड़बड़ करने की क... हद तक यहां बात कही गयी है। पी. डब्ल्यू. डी. वाले हमारे आदमी बेईमान हो सकते हैं, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हमारे आदमी बेईमान नहीं हैं। अगर आप उन लोगों को जो गरीब हैं जो दान के लायक हैं, अगर आप उनको राशन फ्री दे दें तो मैं समझता हूं कि सरकार का पैसा इसमें ज्यादा बचेगा और अगर यह भी नहीं कर सकते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उन्हें वहां पर कच्ची सड़कों पर लगावें काफी तादाद में। जो कच्ची सड़कें हैं उनको पक्की करवा दी जायें, डामर रोड़ बनवा दी जायें तो इन पर काफी लोग लग सकते हैं मजदूरी पर। मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगस्त के महीने में, मेरे ख्याल में बरसात नहीं हुई है और अब तक सरकार इस तरफ नहीं सोच रही है। हमें रोजाना लोग तंग करते हैं। मेहरबानी करके इस पर जल्दी ध्यान नहीं देंगे तो नतीजा यह होगा कि वहां पर लोग मरने लग जायेंगे तो लोगों को बोलने का मौका मिलेगा और सरकार की भी बदनामी होगी।

जहां तक मवेशी का सवाल है, पिछले साल हमारे यहां काफी मवेशी मरी है। मगर फिर भी काफी मवेशी बची है और लोग अपनी मवेशी को बाहर, गुजरात की तरफ भी ले गये हैं। हरियाणा वगैरह की तरफ ले गये हैं और कुछ लोग वहां पहुंचे हैं, कुछ नहीं पहुंचे हैं। इस साल जहां तक मवेशी का सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार कहां तक इन्तजाम कर पायेगी। यह तो चीज बाद में देखने की है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि सरकार पशुओं को बचाने की कोशिश करे। लाखों की तादाद में खास कर के जो हमारा इलाका है, वह रेगिस्तानी है उसमें लोगों का कोई सहारा नहीं है जो मवेशी थी, वह बड़ी संख्या में बाहर चली गयी, कुछ मर चुकी है। काफी लोग बाहर ले गये हैं और उनको खरीदने वाला नहीं है और लोगों का कोई गुजारा नहीं है। इसलिये निवेदन करूंगा कि जल्दी

(श्री अब्दुल हादी)
से जल्दी वहां पर काम खुलवाये जाय और आप नहीं करवायें तो राजस्थान कैनाल पर भेजने के लिये जल्दी ही लोगों को वहां पर भिजवाने का प्रबन्ध करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्नाथ।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय जी, सदन में दो दिन अकाल राहत के कामों पर चर्चा चल रही है। यह जो अकाल है उसी प्रकार का अकाल विक्रम संवत् 1925 में भी पड़ा था। जहां बिक्रम संवत् 1925 का विवरण देखा होगा उनको पता चलेगा कि उसके मुकाबले 2025 का अकाल बड़ा भयंकर अकाल मालूम पड़ेगा। इस भयंकर अकाल में हमारे अकाल राहत मंत्री जी ने जिस दिल से काम किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस भयंकर अकाल के समय 9 महीने 3 दिन तक जिस लगन के साथ काम किया गया और इस संकट को दूर किया इसका मैं स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय जी, यह काम विक्रम संवत् 1925 में जिस प्रकार का अकाल पड़ा था उस अकाल के अन्दर राजा महाराजाओं ने, जागीरदारों ने, अपनी हैसियत के मुताबिक जनता का पालन पोषण किया उसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं लेकिन 2025 का जो यह अकाल है उससे भी भीषण और बड़ा अकाल है। इतिहास से यह मालूम हो जयागा कि पहले के अकाल से यह कितना भीषण अकाल था।

उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं अब अपने क्षेत्र टोडारायसिंह क्षेत्र के अन्दर जो अकालग्रसित गांव थे उसके लिये जो सहयता दी गई, वहां अकाल राहत के काम चार भागों में बांटे गये थे—एक तो तालाब की मरम्मत, नहरों की मरम्मत (2), सड़कों काम (3), वन विभाग के वनों की सुरक्षा के लिये बाड बनाना और (4) हम जिसे पेड़ बन्दी कहते हैं वह काम। इन कामों के अन्दर जो काम हुये हैं वह काम जहां तक मेरे क्षेत्र का ताल्लुक है मैं कहता हूं कि बहुत ही ... जनक हुये हैं। मेरे को जहां कहीं से इत्तला मिली सुपरवाइजर, मेट इन्जीनियर या ओवरसियर पैसा खाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास मोटर तो है नहीं, जिस किसी प्रकार की सवारी मिली बैल, ऊंट गाड़ी से मैं उन जगहों पर गया हूं और इस तरह के काम करने वालों को पकड़वाया।

श्री श्रवणलाल : ये करने वाले आप जैसे ही होंगे ?

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरे क्षेत्र के अन्दर 12 जगह और टोडारायसिंह तहसील में 27 पंचायतें हैं, देवली तहसील में 16 पंचायतें हैं। इन क्षेत्रों में जिन जिन गांवों में अकाल था वहां वहां फेमिन वर्क्स शुरू करवाये गये। जहां जहां काम हुआ है उस जगह मैं पहुंचा हूं। मैंने वहां पहुंच कर वहां काम करने वालों से पूछा हैं किसी प्रकार की आपको तकलीफ तो नहीं है, जहाँ कहीं पीने के पानी की तकलीफ थी, समय पर पैसा न मिलने की तकलीफ थी, या गर्मी या धूप में बचाव की बात थी—सब को सुविधा देने की बात की गई।

श्री श्रवणलाल : आपके साथ में माननीय मंत्री महोदय भी गए या नहीं ?

श्री जगन्नाथ : मैंने वे क्षेत्र भी देखे हैं जहां जहां भी अकाल राहत के कार्य हुए हैं वे सब ठीक तरह से हुए हैं। मैं यह कह सकता हूं कि जब तक सुखाड़िया जी का राज्य है यहां कितने ही भयंकर अकाल पड़ जाय किसी भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया जायगा।

श्री श्रवणलाल : आप जैसे व्यक्ति उनके साथ है तभी तो अकाल पड़ता है।

श्री जगन्नाथ : यह तो भगवान कृष्ण गीता में लिख गये हैं कांग्रेस 300 साल तक राज्य करेगी। सुखाड़िया जी का राज्य 30 वर्ष तक रहेगा ......

श्री दुर्गालाल बाड़दार : यह कौन से अध्याय में लिखा है ?

श्री जगन्नाथ : हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री ही थे जिन्होंने इतने भयंकर अकाल में पूरा बन्दोबस्त किया। हमारे मुख्य मंत्री ने अकाल क्षेत्र के अन्दर हजारों लाखों मील का दौरा दिया। हरेक जगह पर उनका स्वागत हुआ। माननीय मंत्री महोदय ने जो अकाल का काम देखते हैं उन्होंने टोंक में होने वाले सब काम को देखा है। हमारे यहां बरकतुल्ला जी जैसे मंत्री हैं जिन्होंने इस अकाल के काम में बहुत सहयोग दिया है जैसा कि शंकरलाल जी ने कहा है। मुख्य मंत्री जी के आदेश से अकाल राहत मंत्री जी सब जगहों पर गये हैं। सभी जगहों पर अच्छा काम हुआ है। आलोचना तो इतने बड़े काम करते हैं उनकी होती है, इस तरह की आलोचना करने वाले उधर काफी हैं।

विक्रम संवत् 2025 में जो अपोजिशन ने गल्तियां कीं वे अब नहीं करेंगे इसको भी भी देखकर चल रहे हैं। आज हमारे राजस्थान के अन्दर भारी संकट पैदा हुआ है, दक्षिणी राजस्थान के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री जी से सहायता के लिये कुछ अनुदान मागेंगे तो वे क्या कहेंगे ? राजस्थान सरकार ने अन्दर पहले ही भ्रष्टाचार और घोटाला है, इस अकाल में 55 करोड़ दे दिया। यदि आप इसी प्रकार आलोचना करते रहोगे तो आयन्दा कुछ भी नहीं मिलने वाला है।

एक माननीय सदस्य : तो भ्रष्टाचार को दबाओ।

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्ष महोदय, अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट माननीय सदस्य दे रहे हैं। मैं भी अपने क्षेत्र की रिपोर्ट सदन में देना चाहूंगा।

जिस जगह का मैं रहने वाला हूं उस जगह अब कोई अकाल राहत काम नहीं है। वहां वर्षा हुई है। अभी दस रोज भी हल खड़े नहीं सकते। मैंने बार बार सिंचाई मन्त्री जी से अर्ज किया है कि टोंक जिले में टोरडी सागर बांध है। वह चालीस में बना था। वह बांध एक बार भर जावे तो दो साल काम दे सकता है, मालपुरा से पूर्व टोरडी के नीचे नीचे वाले क्षेत्र में। मैंने इसके साथ साथ डाई नदी के लिये कहा है। आप लसाड़िया के लिये कहते हैं। इसके बजाय तो इस नदी को समेल की जगह बान्ध कर अगर उत्तरी हिस्से में सप्लाई काट कर दो मील सोघरी नदी के नाले में पानी पड़ जावे तो सब समस्या टोडारायसिंह की हल हो जावे। तो इस नदी का

(श्री जगन्नाथ)
इस तरह उपयोग हो जावे तो हमारे यहां पानी की समस्या हल हो जावेगी।

श्री नत्थीसिंह : आप व्यास जी को वहां से खड़ा कर दें, यह सब हो जावेगा।

श्री जगन्नाथ : व्यास जी ने आपसे कहा। पठान के पास में पकड़ा गया। कब्रिस्तान में पकड़ा गया। तो ऐसे वकीलों के चक्कर में तो मैं नहीं आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय जी, नदी बनास के आसपास के ऐरिया में रहकर भी हम प्यासे रह गये। कारण कुओं में जो पनघट के थे नीचे पत्थर आ गया। पानी इससे कम वढ़ा। सेजा नहीं आता। तो नदी से पश्चिमी टोडे की तरफ के गांव पानी से बहुत तंग हैं। इसके लिये मैं बड़ी योजना के लिये तो नहीं कहता पर बनास पर गांव किशनपुरा के पास, गोकुलपुरा के पास नाले की योजना रक्खा करें जो पानी टोड़ा के ऊपरले गांवों में सांवरिया में चले जावे। जैसा मिडत गांव है वहां से कुंड होते हुए नसीराबाद होते हुए अजमेर को पानी दिया है। इसी तरह से इस क्षेत्र में भी इस योजना से पानी जा सकता है। बनास के पानी की रूपरेखा जयपुर में पहुंच जावे तो जयपुर के पानी की समस्या भी हल हो सकती है।

तो कहना तो काफी था।

अब मैं चरागाह के बारे में निवेदन करूंगा। जगह जगह चारे का प्रबन्ध करके उत्तर प्रदेश और हरियाणा और गुजरात में पशुओं को भेजने का प्रबन्ध किया। तो मैं राजस्व मन्त्री जी का इन चरागाहों के विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चरागाह की जमीन पर जगह जगह लोगों ने काश्त कर रखी है। इसकी रिपोर्ट पटवारियों से लेकर जिलेवार सूची मंगाकर चरागाह को छुड़ाया जावे। क्योंकि मनुष्य को भूख लगती है तो वैसे ही मवेशियों को भी भूख लगती है। और तो क्या कहूं राजस्थान के पशु मध्यप्रदेश में जाते हैं जिनकी काफी चिन्ताजनक रिपोर्ट मिली है। हमारे कई ग्वालों को डाकुओं ने जान से मार दिया है। मेरे भी मवेशी गये हुए हैं, मेरे भी दो बच्चे मवेशी लेकर गये हुए हैं उधर। जैसे मैं लड़ाई में था उस वक्त मेरी फिक्र मेरे बच्चों को थी। आज उनकी मुझे है। मुझे वह वक्त याद आता है। अगर वे डकैतों के पंजों में फंस गये तो क्या होगा। मवेशी तो गये सो गये लेकिन बच्चे चले जावे तो मारेंगे नहीं तो कहेंगे कि इनका बाप एम. एल. ए. है तो लावो दस बीस हजार रुपया तो छोड़ें।

तो इसलिए ऐसा हो कि मवेशियों के लिये हर जिले में चरागाह छोड़े जावें। कई जगह बारानी जमीन पड़ी है जिसमें अनाज नहीं उपजता है तो उसको भी चरागाह कायम कर दो। तो नुकसान नहीं है। जंगलों में बीड उनको भी कुछ चरागाह बना दो। पुराने आदमियों के पास जमीन नहीं है तो उनका भी फिक्स हो। पश्चिमी इलाकों में रेगिस्तान के अन्दर रबी की फसल नहीं होती। इसी तरह मवेशियों के लिये है। हरेक गांव में सभी काश्त नहीं करते। चरागाह रखे हैं। काश्त कर रक्खे हैं। पत्थरगढ़ी हो रक्खी है तो उनको काश्त से छुड़ाकर या तो पंचायतों को सुपुर्द कर दें। सिंचाई विभाग के कमाण्ड

(श्री जगन्नाथ)

एरिया में जो एरिया आ गया है तो वहां भी चरागाह कायम रखे जावे। इस साल एग्रीमेन्ट लिखा लिया जावे उनसे कि अगले साल काश्त नहीं करें। चरागाह की जमीन खाली कर दें नहीं तो अगले साल चरागाह खाली करा लिया जावेगा और अगर फसल बोई तो जानवरों को खिला दी जावेगी। यह मेरी अर्ज है।

और, एक छोटी सी अर्ज और करता हूं। अभी यह खुशहाली कर सिंचाई विभाग ने लगाया है और माननीय सदस्यों ने कहा है कि खुशहाली कर जो लगाया गया है वह ठीक नहीं है। बान्ध बनाये गये हैं उन के नीचे जो जमीन आई है बारानी में खुशहाली कर लगाया गया है। 20 गुणा एक रुपया के हिसाब से 30 गुणा होता है तो 10 साल में कितना हो जाता है। हर एक काश्तकार को हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है। यह जो खुशहाली कर की योजना बनाई है, इसके बदले तो सिंचाई की दर काफी लगा देते। खुशहाली कर नहीं लगाया जाय। सिंचाई चाहे बढ़ा दें क्योंकि जीरा, बाजरा, गेहूं, मूंग, चना के लिये जमीन खोदें तो वह पानी इतना ही खींचेगी जितनी उसकी क्षमता है। चाही भूमि में अलग अलग दरों के अनुसार सिंचाई होती हैं—मैं कहता हूं सिंचाई की दरें बान्धी हुई है तो मेरी अर्ज यह है चना एक पानी से पैदा हो जाता है; मैं और किसी तहसील के लिये नहीं कहता, मेरी तहसील के लिये कहता हूं। बान्ध में पानी हो तो उस जमीन को पहली दफा जिसे हम पड़ाव कहते है पड़ाव करके चना हो जायगा। एक ही पिलाई में चना हो जायगा। मोतीसागर बान्ध का जिक्र करता हूं चाहे पानी न हो तो भी काश्तकार की फसल न नष्ट होने कारण मामूली मामूली दे दे। गेहूं के क्षेत्र में 7.50 रु. बीघे के हिसाब से बताते हैं, उपाध्यक्ष जो, एकड़ का हिसाब नहीं है—

श्री उपाध्यक्ष : अब भाषण काफी लम्बा हो गया है।

श्री विजयसिंह : 14 गुणा पूरा हो गया।

श्री जगन्नाथ : पिलाई एक दफा होनी चाहिये और मेरा निवेदन यही है। अब भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालसिंह।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने अकाल का सबजेक्ट चल रहा है। गत वर्ष इसी सत्र में यही मसला सदन में इसी तरह वाद-विवाद हुआ था। इस सत्र जैसी गत वर्ष में यही स्थिति जैसलमेर की थी जो आज है और मैं यह कहूंगा आज की स्थिति गत वर्ष से भयंकर है। इस सत्र में माननीय अकाल मंत्री जी ने यह भाषण में कहा था कि गत 1968 के सितम्बर में जिलाधीश जैसलमेर को फुल पॉवर है कि वह जो कुछ वाजिब समझेंगे कार्य खोलेंगे परन्तु आज स्पष्ट है कि इन्होंने कलेक्टर को अन्दरूनी तरह से वह पॉवर नहीं दिये थे। इसी सदन में सितम्बर में यह ऐलान किया था कि कलेक्टर जो वाजिब समझेंगे और किसी आदमी को बेकार नहीं रखेंगे परन्तु अक्टूबर तक अकाल की घोषणा नहीं होने दी, अकाल मंत्री जी ने जो घोषणा की थी जैसलमेर

Page No 138

(श्री जगन्नाथ)

में अकाल की घोषणा अक्टूबर में की गई थी। उसके बाद मुख्य मंत्री जी का और अकाल मंत्री जी का दौरा होना है। इसी प्रकार में तो कहूंगा कि आज राज्य सरकार ने करोड़ो रुपया खर्च करके...

(4. 35 म. प)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

अकाल का समाधान करने में असफल रही है। राज्य सरकार ने करोड़ों रुपयों का क्रिमिनल वेस्ट किया है। मैं यों कहूंगा कि जो भी अकाल राहत कार्य खोले गये हैं उनमें दूरदर्शिता का नाम नहीं है। अक्टूबर में अकाल राहत कार्य खोल दिये जाते हैं परन्तु मजदूरों की कोई व्यवस्था नहीं होती है, समय पर उनको भुगतान नहीं होता है ये सब इनके काम के द्योतक हैं। अलग अलग प्रान्त वाईज जो इस सूची में दी है, अकाल मजदूरों के साथ खिलवाड़ की गई है किसी मन्थ में संख्या कुछ हो गई तो किसी मन्थ में कुछ। संख्या को फ्लक्चुऐट करने का क्या हो सकता है? यह सब सरकार की व्यवस्था का अभाव था या प्रशासन नहीं संभाल पाया? गत वर्ष को जाने दीजिये, आज की स्थिति गत वर्ष से भयानक है। जून में मजदूरों की संख्या 77 हजार थी परन्तु आज अगस्त में घटा कर 44 हजार या 45 हजार कर दी गई है। यह राजस्थान सरकार की कौनसी दूरदर्शिता है? जून में मजदूरों की संख्या 77 हजार और आज वह 44-45 हजार। मैं यह मानकर चलता हूं राजस्थान सरकार ने सूझ-बूझ से काम नहीं लिया है। आज 45 हजार मजदूरों की जिन्दगी का सवाल बना हुआ है, उनको खाने के लिये रोटी नहीं है।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने संकल्प किया था कि मेरा चक्का चलता रहेगा जब तक बरसात नहीं होगी, उनका चक्का चलता रहेगा क्योंकि उनका अपना खुद का चक्का है परन्तु जैसलमेर की, जनता बाड़मेर की जनता का चक्का बन्द हो गया। आप जिस तरह चाहें अपना चक्का चला सकते हैं परन्तु मुझे खेद है राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके मजदूरों की रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं की। आज 20-22 वर्ष बाद भी वही स्थिति है जैसलमेर की। सरकार कह सकती है—आप रुपयों को पानी की तरह बहाने में एक्सपर्ट हैं इसमें कोई शक नहीं है। आज देख लीजिये राजस्थान में भयंकर अकाल है परन्तु राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जो पैसा आया उसको भी बिखेरने की कोशिश की लेकिन यह नहीं कि कोई स्थाई हल निकाले, पश्चिमी जिले का निराकरण करे, ऐसा निवारण हो कि आगे अकाल नहीं पड़े और आगे पैसा खर्च नहीं करना पड़े। आज जैसलमेर, बाड़मेर में शिव और चौहटन तहसीलों में भयंकर दुर्दशा है। कई लोग भूख के मारे शिव और चोहटन तहसील वाले पाकिस्तान चले गये है। मैंने कई बार समाचारपत्रों में सूचना दी है, यह कोई नहीं कह सकता है कि भूख से मारे नहीं गये है। अगर कोई पाकिस्तान में 65 में चला जाता तो हम कहते भूख से नहीं गया लेकिन 69 में गया है तो भूख से गया है लेकिन उसको बार बार मुख्य मंत्री जी और अकाल राहत मंत्र

(श्री जगन्नाथ)
जो ने यह कहा भूख से एक भी नहीं मरा है। मैं, सभापति महोदया...

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, मैं यह जानना चाहूंगा माननीय सदस्य किसी बात का ऐलीगेशन लगाये और कहते है कि पाकिस्तान चले गये भूख के मारे तो वे नाम बतावें, कौन चला गया पाकिस्तान ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपके पास ऐजेन्सी है। बाड़मेर पुलिस ने सूचना दी है कि सीमा से 500 आदमी चले गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : यदि आपको नाम बता दिया जाय तो।

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी करा लूंगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं गत मई में गड़रा रोड जैसलमेर की तरफ गया था और वहां के लोगों से मिला, था मैंने उनसे पूछा आप फैमिन कार्य किस प्रकार चलाते है ? गडरा रोड के लोगों ने बताया फैमिन कार्य नहीं है, लोग नहीं जाते तो क्या करते ?

आपके यहां गेहूं का भाव 100) रु० क्विन्टल हैं और वह मुसलमान हैं और मुझे तो कई मौकों पर कहा कि ऐसी व्यवस्था रही तो हम इस देश में रह कर क्या करेंगे ? आप तो गाड़ी से नीचे उतरते नहीं, सड़क पर ही रहते हो।

श्री परसराम मदेरणा : हम तो सड़क पर ही रहे और आप तो पूरे राजस्थान में देख रहे थे। आप नाम तो बताओ कि कौन से आदमी भूख की वजह से चले गए ? आपको कम से कम नाम तो देने चाहिए।

श्री बालसिंह सोढ़ा : हां, हाँ आप सुन लीजिए। गत सत्र में मैंने बताया कि पूनमा चौधरी का लड़का सूरा पुत्र पूनमा भूख से मरा क्या आपने उसकी जांच कराई ? दूसरे ग्राम छायण में मरे उनकी आपने जांच कराई ?

श्री परसराम मदेरणा : आप जिस कारण से कह रहे हैं वह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और सदन भी जानता है। आप तो पाकिस्तान कौन गए वह बता दें आप तो यह बता दें मैं जानकारी कर लूंगा। कइयों को आप मार चुके हो, कइयों को आज मारने की कोशिश करेंगे और कइयों को उसके बाद में मारने का प्रयत्न करेंगे।

श्री बालसिंह सोढा : आप जब जैसलमेर में टूर में आए थे तो वहां पर कैम्प बड़या सीडार था उसमें मरने वालों के नाम मैं आपको बता दूं। छतरसिंह पुत्र पाबूदान सिंह सा० आसाड़ी। आप बतायें यह आदमी कैसे मरा ? इसके अलावा वहां पर एक सड़क कार्य खोला जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि कलेक्टर जैसलमेर द्वारा कोई करप्शन का केस पुलिस को पकड़ाया जाता है। उसमें क्या होता है कि वहां के ओवरसियर भाग गए और सड़क कार्य बन्द कर दिया गया और 3 महीने तक वहां पर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ और वहाँ के लोग इसलिए बैठे रहे कि कार्य वापिस खुलेगा और हमारा भुगतान होगा। वहां के बनियों ने अनाज उधार देना लोगों को बन्द कर दिया और यह छतरसिंह 25 और 26 मई को भूख के मारे वह आदमी केम्प से पीलखाने

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
चला गया और मर गया और उसकी लाश बईया से ` मील दूरी पर मिली। उसके बाद में रिलीफ केम्प पर ही सदीक मंजालिया साकिन आसाड़ी कैम्प पर मरते दम तक रोटी-रोटी करता मरा और इसको तीन दिन तक गांव वालों ने खिलाया, बाद में मरा है। इसकी भी सूचना माननीय मंत्री जी को डाक बंगला जैसलमेर में दी। आपने कहा कि ऐसी गैर-जिम्मेदारी की बात मत करो। इसके बाद में हमीदा सन आफ इब्राहीम तेजराना भूख से मर गया। फिर हीरा वाइफ आफ बहादुर भूख से मरी। बांमरा गांव की एक लड़की भी मरी। इसी तरह से अमली वाइफ आफ जमा मर गई। अब अकाल मन्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि भूख से किस प्रकार से मरते हैं तो वह भी बता दें ......

श्री परसराम मदेरणा : बईया वाली बात आपने कही यह कौनसे महीने की बात है ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह मई की बात है। अब मुख्य मंत्री जी और अकाल मंत्री जी कहते हैं कि आदमी भूख से मरा नहीं करते हैं। मैं विवरण कर दूं कि किस प्रकार से आदमी मरते हैं। किसी एक जगह पर तीन महीने तक भुगतान नहीं किया जाये और भुगतान किया जाये तो टास्क वर्क के नाप से 70 पर्सेन्ट डिडक्शन हो और 3 महीने तक वापिस अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किए जायें तो आदमी नहीं मरेंगे तो क्या करेंगे ? यह इस केम्प में आदमी मरा है, यह इसी कारण ही मरा है। लोगों को अनाज मिलना मुश्किल हो गया। आप कहते हैं कि मजदूरी 1.11 रुपया बढ़ा दी गयी। आप प्रपोर्शन देख लीजिए कि आपने गेहूं के दाम कितने बढ़ाये हैं ? यह तो लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। मजदूरी बढ़ी और अनाज के भाव बढ़ गए, यह लोगों को क्या राहत दी है ?

श्री परसराम मदेरणा : हमने क्या बढ़ाये भारत सरकार ने बढ़ाये हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : फिर भी बच गया जैसलमेर ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : जैसलमेर तो अभी भी बचा हुआ है और आगे भी बचा रहेगा.........

श्री रामकिशन : सभापति महोदया, यह कोई भीलवाड़ा का सिनेमा नहीं है जहां लोग सीटी बजाते हैं। माननीय गिरधारी लाल जी इसी तरह बीच बीच में बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप क्या सिनेमा देख रहे हैं जो इस तरह से सुन रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्च करके जैसलमेर के अन्दर लोगों में व्यवस्था रखी और जानवरों की व्यवस्था रखी, लोगों को अनाज दिया और सभी कुछ दिया और गलत बातें यहां आकर कहते हैं उसको हम मान लें आपकी तरह से और आप कहते हैं कि सिनेमाघर हैं।

श्री नत्थीसिंह : आपको इस बात की मजदूरी मिलती है यह ठीक है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: एक लाख की आबादी में से 80 हजार से ऊपर लोगों ने काम किया है।

श्री भैरोंसिंह : यह कौनसे जिले में किया है कि 1 लाख की आबादी और 80 हजार लोगों ने काम किया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जैसलमेर जिले की बात कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपको नॉलेज में कौनसा जिला है कि जहां की आबादी 1 लाख की है और 80 हजार आदमी काम कर रहे हों ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गनीमत है यह नहीं कहा कि 80 हजार की आबादी और 1 लाख ने काम किया।

श्री मदनसिंह : जैसलमेर में आप कितनी दफा पधारे हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो एक बार भी नहीं गया। मेरा तो काम ही नहीं पड़ा, यह सही बात है।

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्री बालसिंह सोढ़ा : सभापति महोदया, अब अकाल राहत कार्य किस प्रकार से खोले जाते हैं। अब माननीय कांग्रेस के मुख्य सचेतक जो कि भीलवाड़ा से आते हैं उनके यहां के कामों के खुलने की संख्या देख लें और जैसलमेर में खुले कामों की संख्या देख लें। जैसलमेर का 16 हजार स्क्वायर मील को क्षेत्र में और नियमों में है कि अकाल-राहत-कार्य विद इन 10 मील खोले जाने चाहिए। भीलवाड़ा में कामों की संख्या 275 है ....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप आबादी का भी तो हिसाब लगाइये।

श्री बालसिंह सोढ़ा : लेकिन विद इन 10 मील खोलने का है। इस अकाल राहत में सरकार ने राजनैतिक आधार पर करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग किया है। ...

श्री रामचन्द्र आर्य : आप रसीदें मंगवा लें। इस राज्य में रिश्वतों की रसीदें भी मिलने लग गयी हैं।

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्री बालसिंह सोढ़ा : माननीय श्री गिरधारीलाल जी ने कहा कि 80 हजार लोगों को मजदूरी दी गयी और 1 लाख की आबादी है लेकिन कहीं भी 80 हजार मजदूरों की संख्या नहीं है और गत सत्र में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 85 हजार की संख्या बताई थी और 77 हजार हाई-एस्ट थी। तो हाउस के अन्दर यह भी गलत घोषणा की गयी थी कि हम जैसलमेर में 85 हजार मजदूरों को मजदूरी दे रहे हैं। अब जैसलमेर, फलौदी पास में ही हैं। 1 लाख की आबादी की जहां बात आती है फलौदी की आबादी 1 लाख 9 हजार है वहां पर मजदूरों की संख्या 77 हजार है जब कि जैसलमेर की आबादी 1 लाख 40 हजार है और 77 हजार मजदूरों को मजदूरी दे दी तो आपने कौनसी बड़ी बात कर दी ? फलौदी के आधे गांवों में अकाल भी ऐसा नहीं था और लोगों के खाने के लिए कुछ न कुछ हुआ था परन्तु मैं इसको राजनैतिक आधार नहीं कहूं तो और क्या कहूं ?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

फलौदी के अन्दर चाड़ी करके अकाल मन्त्री जी का गांव है उसमें खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। उस सड़क में अधिकारियों ने लिखकर दिया कि भ्रष्टाचार हमसे कन्ट्रोल नहीं होता है। इसको उन्होंने खोला जो लोग उसके बाद भी अकाल मन्त्री जी ने खुलकर भ्रष्टाचार पनपाया और सड़क को चलाया...

श्री परसराम मदेरणा : आपको झूंठ बात इस सदन में नहीं कहनी चाहिए। झूंठ बात कहते हैं फालतू सदन में बैठकर। आपने जो कहा है उसके बारे में एन्क्वायरी मैंने कराई है। वह एन्क्वायरी मेरे ऑर्डर से हुई है। सड़क वगैरह जो बन्द हुई हैं तो वह मैंने बन्द की हैं, और वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर को सस्पेन्ड कराया है तो वह मैंने सस्पेन्ड कराया है, और आप इस प्रकार से चार्जेज लगाने की बात कर रहे हैं......

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं कह रहा हूं...

श्री परसराम मदेरणा : यह सदन है विधान सभा का इसमें इस तरह से बेबुनियाद चार्ज लगा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी एन्क्वायरी से कोई साबित नहीं होता है। आप न्यायिक जांच कराइये कि किस तरह के घोटाले हुए हैं राजस्थान के अन्दर।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अकाल मन्त्री जी × × × आकर बात कर रहे हैं.....

श्री दिग्विजयसिंह : × × × कैसे आये ?

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज। यह अभी शब्द जो माननीय सदस्य ने कहे हैं उनको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कौन से शब्द ?

श्रीमती सभानेत्री : ये शब्द उचित नहीं हैं।

श्री रामकिशन : इसमें क्या अनुचित है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपको गलत बात नहीं कहनी चाहिए सदन में। कैसे मैंने भ्रष्टाचार को पनपाया है वह बतायें ? मैंने किस आदमी को संरक्षण दिया है ? एक प्रश्न में आपने कहा है कि उसको बन्द किया है तो कहने के लिए आप स्वतन्त्र हैं, लेकिन कौनसी तारीख से किया है वह मैं तारीख आपको बताऊंगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : गत बजट सैशन में प्रश्न पूछा गया तथा तो उस प्रश्न के बाद में यह सब कराया गया है। उसके पहले करते तो मैं मानता कि आप जागरूक मन्त्री थे। जब हम सदन के सामने ले आये उसके बाद आपने एक्शन लिया।

श्री परसराम मदेरणा : कोई सदन के सामने प्रश्न नहीं आया था और न सदन के किसी माननीय सदस्य ने मुझे इत्तिला दी है।

(4.52 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री परसराम मदेरणा)

जो कुछ भी कराया गया है और कौन सी तारीख से किया गया है, क्या कराया गया है, क्या आदेश दिये गये हैं-वह मैं फैक्चुअल रिपोर्ट एक तारीख को सदन के सामने रखूंगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यों किया जाय तो......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आसन को सम्बोधित करते हुए बोलें।

श्री विजयसिंह : यदि सच बात है तो हमें कहने का हक है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अब कम्पेरेटिवली आ जायं। फलौदी में 1,09,000 की आबादी है और जैसलमेर में 1,40,000 की आबादी है। वहां पर 660 किलोमीटर सड़क पर कार्य हुआ है और फलौदी में 112 मील सड़क का कार्य किया गया है। जैसलमेर में 70 पर्सेन्ट डिडक्शन किया गया है और मजदूरों को 5-5, 6-6 रुपया भुगतान के नाम पर भुगतान किया गया है। वहां पर 70 हजार मजदूरों की संख्या है वहां पर डिडक्शन नहीं हुआ और काम दिखाया तो तो वह 112 मील का। कहां 112 मील कहां 660 किलोमीटर और उस पर कहते हैं कि राजनैतिक आधार पर नहीं पनपाना चाहते हैं। फलौदी में 112 मील की सड़क पर वर्क्स 70 हजार को पेमेन्ट किया गया है। डिडक्शन हुआ नहीं उसके कम्पेरिजन में जैसलमेर में 70 पर्सेन्ट तक डिडक्शन हुआ है टास्क वर्क के नाम पर।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से करोड़ों रुपयों से राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के माध्यम से राजनैतिक एजेन्टों को पनपाया है। इसका एक उदाहरण मैं पोकरण के तालाब का देता हूं। पोकरण का तालाब अकाल राहत कार्यों के अन्दर खोदा गया था। वह तालाब छपने में 50 हजार रुपये में ओरीजिनल खोदा गया था उसमें धूल भर गई थी उसको वापस बाहर निकालने का कार्य अभी किया गया है। उस तालाब पर आज साढ़े तीन लाख, पौने चार लाख रुपया लगा है, परन्तु वहां जाकर देखें तो 50 हजार का काम भी नहीं हुआ है। उस तालाब के बारे में गत सत्र में शिकायत की गई थी. परन्तु आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई और जांच नहीं हुई। उस तालाब पर मोहिनी देवी एक मेट थी। उसने एस० डी० ओ० पोकरण को लिखा था कि मेरे गैंग के अन्दर 24 नाम फर्जी हैं। उस मैट को निकाल दिया गया है। उसके बाद मजदूरी भी नहीं दी गई, परन्तु एस० डी० एम० के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं की गई है। 50 हजार की जगह साढ़े तीन लाख रुपये लगे हैं तो इसकी हमने लिखित रूप में कम्प्लेन्ट की थी। अगर मन्त्री जी अपने फर्ज के प्रति जागरूक होते तो इस पर एक्शन लेते।

इसी प्रकार पोकरण से फलसूंड की सड़क पर 42 मील का टुकड़ा है वह राजस्थान में जिस वर्ष से अकाल शुरू हुआ था उस वर्ष से आरम्भ की गई थी और आज भी उस पर अकाल राहत कार्य चल रहा है। इसको भी अगर अकाल मन्त्री जी भ्रष्टाचार न कहें तो दूसरी बात है। 10-8 साल से जब से जैसलमेर में अकाल चल रहा है तब से अब तक यह 42 मील का टुकड़ा पूरा नहीं हुआ है, और आप कहते हैं कि अकाल को दूर करने में हम सफल हुये हैं और पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ है।

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

मीठा पर 5000 रु० की सैन्क्शन हुई। 5 हजार में 15 दिन का कार्य चलाया और 2 महीने तक भुगतान नहीं हुआ मजदूरों को। वह बैठे हुए हैं। इस प्रकार से लोगों की जिन्दगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इसी तरह से हरसानी शिव तहसील में 15 दिन के काम के बाद कार्य नहीं चलाया गया है क्योंकि उस क्षेत्र में कोई कहने के लिए अब योजना को ले लें। एक सड़क फलौदी से फलसूण्ड आती है। वह फलौदी, रातड़िया और मांडला तक जाती है और दूसरी तरफ फलसूण्ड तक आती है। अगर आपका राजनैतिक आधार नहीं होता तो उस सड़क को बन्द करने के क्या कारण हैं जब कि वहां के कलेक्टर ने, वहां के ए. ई. एन. और जिला सलाहकार समिति ने उसके काम की सैन्क्शन की है? कलेक्टर महोदय ने अकाल मन्त्री जी को टेलीफोन भी किया है। वह 10-12 हजार की पापूलेशन का गांव है और कार्य खोलना जरूरी है, परन्तु अकाल मन्त्री जी के आदेश से जोधपुर के सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर, मि० जोशी ने कलेक्टर को आदेश दिया कि काम कराने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर जिले में कार्य कराने के लिए सक्षम है या सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर, पी. डब्ल्यु. डी.? उसके बाद सड़क पर भ्रष्टाचार का केस हुआ और ओवरसियर ने किया तो मन्त्री जी ने क्या एक्शन लिया? मन्त्री जी जैसलमेर आते हैं और ओवरसियरों की मीटिंग होती है तो कलेक्टर को जोशी जो कहते हैं कि कलेक्टर को कोई हक नहीं है पी. डब्ल्यु. डी. के आदमी पर एक्शन लेने का। मन्त्री जी मौन रहे। मौन रहने के मायने होते हैं भ्रष्टाचार को पनपाना और नहीं तो क्या?

इसी प्रकार से इन्हीं सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर जोशी जी ने सिरकियों के खरीदने में कोई टेण्डर नहीं लिया और लाखों रुपयों की सिरकियां खरीदी गई। टी. एन. टी. क्या क्या वह कहलाती हैं आपकी उसके खरीदने में कोई टेन्डर नहीं लिया और मनमाने ढंग से पैसा दिया क्योंकि जनता का पैसा था, दिल चाहा वैसे खर्च करें और कर लगा लेंगे, जनता मरे या जिन्दा रहे इससे आपको कुछ नहीं था। आप तो अपनी उदरपूर्ति की व्यवस्था में लगे हुए थे।

इसके साथ ही फलसूंड की सड़क के बारे में आपको सरपंच फलसूंड ने एक लेटर लिखा है वह मैं सदन को बताना चाहता हूं। तीन तीन माह में उसको बन्द करना यह कौन सी व्यवस्था है। यह मजदूरों के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? यह पत्र मैं सदन की मेज पर रखता हूं। इसका एक एक्सट्रेक्ट पढ़कर सुनाता हूं।

(पत्र सदन की मेज पर रखा गया)

माननीय अकाल मन्त्री जी का मुख्य मन्त्री जी के साथ में दौरा हुआ। माननीय मुख्य मन्त्री जी और मन्त्री जी पोकरण में आते हैं और यह लिस्ट वर्क्स की सैन्क्शन की गई है यह साबित करती है कि मन्त्रीजी ने पक्षपात नहीं किया तो क्या है? मन्त्री जी लिस्ट में तीन रिलीफ कैम्प्स की सैन्क्शन देते हैं। इसके ऊपर 4-4, 5-5 गैंग्स को बढ़ा देते हैं।

जांचमा और गडरा रोड़ पर कोई बेकार नहीं था क्या? मन्त्री जी ने इन

Page No 145

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
तीन रोड्स पर मजदूरों को लगाया है और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में किसी कैम्प पर गैंग बढ़ाने का आदेश नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : आपके कहने का मतलब क्या है ? साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं कह रहा हूं वह सुन लें।

श्री परसराम मदेरणा : तीन रोड्स पर बढ़ाये हैं तो किन कारणों से बढ़ाये हैं ? आपने मजदूर बढ़ाने की बात कही है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : हो सकता है कि व्यक्तिगत आपका ताल्लुक हो। जैसलमेर में मजदूरी की व्यवस्था करते तो आपको इम्पार्शल मानते। इन तीन कैम्पों में मजदूरों को लगाया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : इन तीन रोड्स पर मैंने क्या पक्षपात किया था ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : वह भी बता दूंगा। आप बैठ जाइये।

श्री परसराम मदेरणा : वह बता दें ताकि सदन को मालूम हो जाय।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदस्यगण आपस में सीधे बात कर रहे हैं वे आसन को लक्ष्य नहीं कर रहे हैं। यह बार बार हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यही मैंने निवेदन किया था।

(5 म. प.)

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सदन की अनुमति हो तो समय बढ़ा दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : नहीं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपके भाषण की समाप्ति तक समय बढ़ा दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल भी यह तय हुआ कि बीच में काफी लोग बोलेंगे। सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से 10 मिनट और बढ़ाये जाते हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : हरसानी गिराब पंचायतों की उपेक्षा की गई है। दबड़ी लूनार कैम्प पर 1,300 आदमियों के नाम काटे। एक दिन में जो हाजिर बैठे थे उनका भुगतान नहीं किया गया एक महीने तक का। जो आज भी बाकी है। मजदूरों ने वह जो लिखकर दिया था वह सदन की मेज पर रखता हूं।

अब आजाइये माइग्रेशन व्यवस्था पर। अकाल मन्त्री ने 4 सितम्बर को ऐलान किया था कि मैं एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने दूंगा। माइग्रेशन रेल का एक नमूना दिया। सरकार ने पशुओं की संख्या नहीं बताई।

श्री उपाध्यक्ष : मवेशियों की जिम्मेदारी नहीं ली थी। आदमियों के लिए जरूर कहा था।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह जरूर कहा था। जैसलमेर जो उनका लास्ट डिपो है और जो वहां से 70 मील है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। यह माइग्रेशन रूट नवम्बर माह में तय होता है। जब तक 70 पर्सेंट 60 पर्सेंट गायें मर चुकी थीं। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया था कि मध्यप्रदेश और गुजरात में पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। यह आपका उत्तर किस आधार पर है ? ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछा गया तो बताने को मिलता नहीं है। वहां डिपोज पर घास नहीं थी। अगर घास होती तो पास पड़ोस के लोगों की फसल क्यों चराते ? अगर घास की व्यवस्था होती तो जो सैंकड़ों आदमियों के केस रजिस्टर हुए हैं, क्यों होते ? सैंकड़ों आदमी मर गये हैं। घर के घर बरबाद हो गये हैं।

उसके बाद आइये आप चिकित्सा व्यवस्था पर। कई बार यह आया है और मरने वालों के बारे में एक्स्प्लेनेशन्स कुछ के कुछ दिये गए हैं। अकाल मन्त्री ने कुछ कहा है। फरवरी-मार्च तक चिकित्सा व्यवस्था नहीं की गई। उसके कारण जैसलमेर, बाड़मेर में हजारों आदमी मरे। जब पहले पहल माननीय भैरोंसिंह जी ने बाड़मेर का टूर किया और वापिस आकर समाचार पत्रों में वहां की बीमारी के बारे में सूचना दी, तो अकाल मन्त्री जी आखें खुलीं। इस अव्यवस्था के कारण हजारों आदमी मरे। आखिर इन बीमारियों से नहीं मरे तो क्या ज्यादा खाकर मरे ?

श्री परसराम मदेरणा : आप को पता होगा, कैसे मरे।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आप कई कारणों से बोल नहीं सकते हैं। कह नहीं सकते हैं। शिव तहसील में कई गांवों में अकाल राहत कार्य नहीं खोले गए। ये राजनीति आधार पर नहीं खोले गये। यह राजनीतिक नहीं तो और क्या है ? मनीयाना, शेरगढ़ एक भी गांव नहीं आता है। 36 मील तक एक भी गांव नहीं आता है। मनीयाना बांध का कोई उपयोग नहीं है। जनसंख्या या आबादी सबसे ज्यादा फलसूंड में है। वहां व्यवस्था न करके एक सुनसान गांव की व्यवस्था करें तो यह राजनीतिक आधार नहीं है तो और क्या है ?

अब आइये भ्रष्टाचार पर। पोकरण तहसील में कई केस पकड़े गये। कुछ रोड्स पर मिस्त्री और कई लोगों ने और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं ने किस प्रकार से पैसा बनाया है, वह भी सुन लीजिए। कई रोड्स पर दो दो रुपये मजदूरी दी है।

गंवरलाल जो युवक कांग्रेस का अध्यक्ष वर्क चार्ज पर था, जिसने पोकरण तलाब में काम कराया उसमें उसने मजदूरों से पैसा लिया है। हजारों रुपये की गड़बड़ी की आज, तक उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई है। फर्जी मस्टररोल पोकरण एस. डी. ओ. ने रैड हैण्डेड पकड़े। उनको दबा दिया गया।

कानराज, कांग्रेस का नेता, फलसूंड में मजदूरों से हर हफ्ते दो दो रुपये कांग्रेस के नाम चन्दा इकट्ठा कर रहा है।

श्री मूलचन्द्र डागा : नहीं नहीं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : नहीं नहीं क्या, अगर गलत हो तो जांच हो जायगी, कमेटी मुकर्रर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आपस में बात न करें।

श्री भैरोंसिंह : यह गलत गलत बोल रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि फलसूंड अजमेर में है, कहां है ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसके अलावा घास की तकाबी का वितरण किया गया। वह घास की तकाबी का वितरण एक एक आदमी को पचास-सौ रुपये का किया गया, लेकिन जो विकास अधिकारी सांकड़ा थे, और आपके एक कार्यकर्त्ता थे वह फार्म बेचते थे तो हर फार्म पर दो दो रुपया लेते थे। जो फार्म हैं, वह साइक्लोस्टाइल्ड है उनके साथ में उनको दो दो रुपये के लॉटरी के टिकट लेने पड़ते हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी से और अकाल मंत्री जी से इसके बारे में डाक बंगले में चर्चा की थी, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने मौन रह कर इस बात को टाल दिया।

इसी प्रकार से राज्य सरकार ने टैंकर्स से पानी पहुंचाने की स्वीकृति दी है इसमें जैसलमेर में 102 जगह टैंकर्स से पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी और बारह जगह पखाल द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में एक सम और दामोदर गांव भी है जो जैसलमेर से अठारह मील की दूरी पर है, वहां पर आठ साल से बराबर टैंकर्स द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार ट्रान्सपोर्टेशन पर एक महीने में सात हजार रुपया खर्च किया जाता है, जो कि आठ साल के अन्दर करीब छः लाख होता है। जब राज्य सरकार ने सम और दामोदर गांव में पानी पहुंचाने के लिए ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज 6 लाख दिये हैं, इतनी राशि में तो जैसलमेर से सम के लिए एक पाइप लाइन तैयार हो जाती है। इस प्रकार राज्य सरकार ने जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया है तो यह और क्या हो सकता है ? इसी प्रकार राजनैतिक आधार पर फलसूंड गांव को गत वर्ष में टंकियों के द्वारा पानी सप्लाई किया गया वहां पोकरण के एस. डी. एम. ने राजनीति में आकर......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! समय समाप्त हो रहा है।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा कह कर समाप्त करता हूं क्योंकि इनकी गाथायें तो जितनी गाओ उतनी कम हैं।

तो इस प्रकार जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है, और लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ किया गया है, मजदूरी ठीक से नहीं दी गई और मजदूरी में से डिडक्शन किये गये हैं। सेन्टर के नाम पर लाखों रुपये की सिरकियां खरीदी गईं और वह भी वहां पर नहीं पहुंची। मजदूरों के कहा कि हमें जो रजाइयों का वितरण किया गया है, वैसी रजाइयां पांच रुपये में आती हैं लेकिन उनका तीस रुपयें का बिल बना कर दिया जाता है। जोधपुर में इस प्रकार की रजाइयां वितरित हुई हैं, इसमें धन का दुरुपयोग हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर इस वर्ष भी भयंकर अकाल की अवस्था में से गुजर रहा है, और मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आपने आज तक सूझ-बूझ से काम नहीं लिया है, लेकिन अब एक

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
मानवता के नाते सूझ-बूझ से काम लें। जून में अकालग्रस्त लोगों की संख्या 77 हजार थी, सितम्बर में वह चालीस हजार हो गई है, तो यह जो चालीस हजार की जनसंख्या है इनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न करके उनका सही तरीके से इन्तजाम करें। अब इसके लिए मैं दो सुझाव के तौर पर अपने बिचार आपके सामने रख दूं......

श्री उपाध्यक्ष: सदन की अनुमति से पांच मिनट का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री बालसिंह सोढ़ा: पेय जल आज 102 जगह टेंकर्स के द्वारा पहुंचाया जाता है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज के ऊपर आप इतना खर्च न करें, बल्कि इसका स्थाई हल निकालने के लिए आप ट्यूब वैल खुदवायें। आज राजनैतिक आधार के ऊपर ट्यूब वैल खुदवाये गये हैं, जहां पर साठ ट्यूब वैल कि स्वीकृति सेन्टर से हुई है, उन ट्यूब वैल को आप वहां खोदते हैं जहां पानी के सोर्सेज हैं। जहां पर 102 जगह पर टेंकर्स के द्वारा पेय जल पहुंचाया जाता है वहां पर आपको ट्यूब वैल खुदवाने कि व्यवस्था करनी चाहिए। तो जहां पर पानी है, पानी की सुविधा है वहां और देने के लिए आपने राजनैतिक आधार पर ट्यूब वैल खुदवाये हैं।

अब मैं अकाल मन्त्री जी को कुछ सुझाव दूंगा भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए। एक जो डिफेन्स रोड है, जो लो प्रायोरिटी में हैं उनको पहले टेक अप किया जाय तो अच्छा रहेगा। एक जो राजस्थान में जहां अकाल की स्थिति है वहां के लोगों को मजदूरी मिलनी चाहिए, इसलिए इन डिफेन्स रोड पर काम करा कर जो खर्च इन पर हो उसको पूरा करने के लिए उसे डिफेन्स में डेबिट किया जाय और बाकी का जो ज्यादा हो वह रिलीफ के खर्च में हो जाय। इन रोड्स में बीकानेर से सांचौर, जैसलमेर से म्याजलार, और जैसलमेर से मुराद, रामदेवरा – नाचना बाहल है। यह लो प्रायोरिटी में है इन पर लाखों रुपया लग चुका है और अब वह रुपया लगा हुआ है उसका क्रिमिनल वेस्ट हो जायगा और राष्ट्र का धन बेकार जायगा, इसलिए इनको लिया जाय। उसके बाद में जो राजस्थान कैनाल है, वह अभी तक बीकानेर तक है, उसको आगे लाने की जल्दी ही व्यवस्था करें जिससे अकालग्रस्त इन क्षेत्रों में पानी की समस्या का स्थाई हल हो सके। इसके अलावा जैसा कि कहा कि लोगों को माइग्रेट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यह व्यवहारिक नहीं है क्योंकि हमने इस अकाल के समय में तजुर्बा कर लिया है जब सरकार गांव के पास में व्यवस्था करने में असफल रही है तो मैं नहीं समझता हूं कि लाखों की तादाद में लोगों को वहां ले जाकर व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए एक दो डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार सूना करना उचित नहीं होगा। इसलिए केन्द्र के ऊपर दबाव डाल कर राजस्थान कैनाल को जैसलमेर से लिंक किया जाय।

इसके अलावा सात आठ साल से जैसलमेर अकाल से पीड़ित है, वहां पर कई लोगों ने ऋण लिए हुए हैं। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि अब लोगों की क्षमता ऋण चुकाने की नहीं रही है, उनका पशु धन समाप्त हो गया है। इसलिए वह अब दस साल तक भी नहीं पनप सकते हैं।

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
इसलिए आप ऋण को माफ करने की व्यवस्था करें। इसके अलावा जो लोग बेघरबार हो गये है उनको राजस्थान सरकार बसाये। राजस्थान कैनाल को जल्दी से जल्दी जैसलमेर से लिंक करे, ट्यूब वेल्स को इलैक्ट्रिफाई करने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं अर्ज करूंगा कि भ्रष्टाचार के लिए एक स्पेशल स्क्वाड तैयार करें जिससे भविष्य में जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। राज्य सरकार का जिस प्रकार से योजनाबद्ध काम नहीं हुआ हैं उससे पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इस कारण से फेमिन का डिपार्टमेंट सेपरेट क्रियेट करें और उसका सेपरेट इन्चार्ज रखें तो इससे सबका भला होगा और जनता के लिए भी सुविधा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय सदस्य ! एक सितम्बर को केवल सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : बहस अधूरी है।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तो कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : जो कार्य सूची है उसके अनुसार निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य अकालग्रस्त क्षेत्र से आते हैं, उनका बोलना वाकई आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूं कि एक घण्टे का समय और बढ़ा दिया जाए सदन का तो उचित होगा।

श्री रामकिशन : बढ़ा दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बढ़ा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : एक घण्टा और बढ़ा दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक दो घण्टे बढ़ाने से चर्चा पूरी नहीं होगी, बहस जारी रहनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इससे जरूरी काम क्या हो सकता है? यही जरूरी काम है। इससे जरूरी काम क्या हो सकता हैं।

श्री भैरोंसिंह : बढ़ा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है। श्रीमती मदन कौर।

(श्री मूलचन्द डागा से) मूलचन्द जी, उधर वर्षा हो गई है, आपको सूचना नहीं है।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भले ही आप चार घन्टे बढ़ा दीजिए लेकिन जितने बोलने वाले हैं उनको पूरा समय तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक तारीख को सिर्फ सरकार की तरफ से जवाब न हो कर बोलने वालों को मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उस दिन की स्थिति उस दिन देख ली जायेगी। आज जितने भी माननीय सदस्य बोल सकें उतना ही अच्छा रहेगा। भाषण को समय-सीमा में रखें।

श्री पृथ्वीसिंह : समय-सीमा कम कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : पन्द्रह मिनट समय-सीमा। (व्यवधान) पन्द्रह मिनिट में सब कुछ कह सकते हैं।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति केवल राजस्थान की ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास की बहुत भयंकर स्थिति थी और हमारी राज्य सरकार ने इस भयंकर स्थिति का मुकाबला जिस मनोबल और साहस से किया है वह हमारे इतिहास में अद्वितीय है। राज्य सरकार ने अपने सारे साधन जुटा कर, अकाल पीड़ित लोगों की जिस निष्पक्षता से और मानवीय दृष्टिकोण को सामने रख कर राहत पहुंचाई है, उसके लिए राज्य सरकार को मैं बधाई देती हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर पीने के पानी से लेकर अनाज, कपड़ा और डाक्टरी सहायता की व्यवस्था की है और वह भी, उपाध्यक्ष जी, उन्हें कोई दान देकर नहीं बल्कि उन्हें काम पर लगा कर यह व्यवस्था की गई है और जब इतने बड़े पैमाने पर काम किया हो तो स्वाभाविक है कि कुछ अव्यवस्थायें हो सकती हैं, उन अव्यवस्थाओं की ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान एक आलोचक की तरह नहीं बल्कि इस ध्येय से आकर्षित करना चाहती हूं कि भविष्य में इन अव्यवस्थाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस बात को मैं आवश्यक समझती हूं क्योंकि हमारे राज्य के किसी न किसी भाग में हमेशा ही अकाल की स्थिति बनी रहती है। मैं आशा करती हूं कि राज्य सरकार मेरे इन सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। गत अकाल में राहत कार्यों में लगे विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन के बीच में कुछ तालमेल ठीक नहीं था और इस समन्वय की कमी के कारण ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जहां राहत कार्य स्वीकृत किये गये हों, जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में ताकीद की गई हो और फिर भी सम्बन्धित अधिकारियों ने उस कार्य को प्रारम्भ नहीं किया हो और जिसके फलस्वरूप लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। तो ऐसा तरीका निकालने की आवश्यकता है जिससे अकाल राहत कार्य में लगे विभिन्न विभाग, जिला प्रशासन और सहायता विभाग अधिक उत्तरदायी हों और आगे ऐसा कुछ समन्वय बैठ सके तो काम सुचारु रूप से चले......

(5.19 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

साथ ही सारे राहत कार्यों में मितव्ययता भी आये। सभापति जी, क्योंकि अकाल हमारे राज्य में स्थायी बन चुका है इसलिए इसका समाधान भी स्थायी रूप से किया जाना चाहिए। अकाल के समय जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है वह है पीने के पानी की, तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे पीने के पानी की समस्या और दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो सके। मैं इस संबंध में तत्काल हल के लिए एक सुझाव राज्य सरकार को देना चाहती हूं। जो नलकूप इस अकाल में प्रारंभ किए गए हैं, उन्हें बदस्तूर आज भी जारी रखा जाना चाहिए। इन नलकूपों को चालू रखने के लिए एक तरीका मेरी समझ में आता है, वह यह है कि जब पीने के पानी की जरूरत

(श्रीमती मदन कौर)

तालाबों, नाड़ियों और टांकों से हल की जा सके, उस समय इन नलकूपों का पानी खेती के उपयोग में लाया जाय, तो उचित होगा। मेरा विश्वास है कि इन कुओं से पानी उपलब्ध करा कर चने की अथवा नेप्था जैसी खाद पैदा की जाय तो इससे जो खर्च नलकूपों को चलाने का होगा, उसको पूरा किया जा सकेगा।

इसके साथ ही राज्य सरकार को चाहिए कि नलकूपों से पानी निकालने के लिए सब्सीडाइज्ड रेट पर बिजली उपलब्ध कराए। जब राज्य सरकार कुछ उद्योगों को तीन पैसे प्रति यूनिट बिजली दे सकती है तो कोई कारण नहीं कि खेती के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था न कर सकें।

इसके साथ ही नए जलस्रोत पैदा करना, नलकूप चालू करना—सारे काम राज्य सरकार को युद्धस्तर पर करने चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि कुछ जलप्रदाय योजनाओं का काम भी सहायता विभाग के अन्दर किया जाय। गत अकाल में लोगों के भूख से मरने के समाचार अखबारों और सदन में बड़े जोर शोर से उठाया गया था लेकिन मैं स्पष्टरूप से कहना चाहूंगी कि भूख से कम से कम हमारे क्षेत्र में तो कोई भी व्यक्ति नहीं मरा। कुछ लोग मरे जरूर हैं लेकिन बीमारी की वजह से उन क्षेत्रों में मरे हैं जहां अब तक खारा पानी पीते थे। हमारे रेगिस्तान के लोग मीठा पानी पीने के आदी हैं। वहां मीठे पानी के कुएं नहीं हैं, लोग तालाबों से पानी लाते हैं, टांकों से पानी लाते हैं, उनकी आदत मीठे पानी पीने की है। लेकिन गत दो-तीन वर्षों से भी अभाव रहा और गत वर्ष भी बारिश हुई ही नहीं, इसके कारण तालाब भी सूख गए और टांकों में भी पानी नहीं आया और जबरन उन लोगों को कुओं का खारा पानी पीना पड़ा, जिससे उनके पेट में विकार पैदा हुए आंत्रशोथ जैसी बीमारियां हुई और लोग मरे। तो राज्य सरकार को ऐसी जलप्रदाय योजनाओं पर विचार करना चाहिए जहां कुओं का पानी खारा है लेकिन उनके कुछ ही दूर नलकूप हैं, उनसे पाइप-लाइन ले जाकर गांवों को पानी दिया जाना चाहिए। जहां जहां नलकूप सफल हो जायं, वहां लम्बी लम्बी पाइप लाइन डाली जानी चाहिए। रास्ते में जहां भी गांव आयें वहां दो-तीन पब्लिक टप देकर पानी उपलब्ध करना चाहिए। मैं समझती हूं कि अगर इस प्रकार की सहायता के लिए व्यवस्था कर सकें तो अकाल के समय जो रेल, ट्रकों और ऊंटों के द्वारा पानी सप्लाई करने पर खर्चा आया है उसके मुकाबले यह खर्चा अवश्य ही काफी कम होगा।

पीने के पानी के बाद में जो अकाल के समय हमारे सामने समस्या आती है, वह है चारे की। गत दो वर्षों से राज्य सरकार जानती है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में पशुओं का विनाश हुआ, जो कुछ पशु बचे हैं उनको बचाने में राज्य सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। राज्य सरकार को चाहिए कि कुछ चारे के भंडार सुरक्षित रखे।

सभापति जी, जोधपुर जैसा छोटा राज्य था तो वहां भी घास के बीड़ों में चारा सुरक्षित रखा जाता था। पाली में घास के गोदामों में लाखों मन चारा अभावग्रस्त समय के लिए सुरक्षित रखा जाता और एक साधारण किसान भी अपनी हैसियत के

(श्रीमती मदनकौर)

अनुसार चारा सुरक्षित रखता है। मैं नहीं समझती कि जोधपुर जैसे छोटे से राज्य में चारे के भंडार रख सकते तो राजस्थान जैसा बड़ा राज्य ऐसे चारे के भंडार सुरक्षित रखने में समर्थ क्यों नहीं हो सकता? इस संदर्भ में राज्य सरकार को यह भी बताना चाहती हूं कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र चारे के लिए बहुत ही उपयोगी है। वैसे आज भी काफी अच्छी घास वहां पैदा होती है। इसमें नए चरागाह तैयार किए जा सकते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं अकाल सहायता मंत्री का ध्यान वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि इसी वर्ष 25 लाख रुपये लगाकर एक फॉडर बैंक की योजना क्रियान्वित की जायगी। लेकिन आधा वित्त वर्ष तो निकल चुका। ऐसा मालूम हुआ कि राज्य सरकार ने इस फॉडर बैंक की योजना को क्रियान्वित करने का विचार त्याग दिया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर घास के संबंध में इतना उदासीन रवैया अपनाया तो भविष्य में अकाल पड़ने पर, इस साल से तिगुनी-चौगुनी कीमत देने पर भी पूरी मात्रा में चारा नहीं मिल सकेगा।

कृषि की उपज बढ़ी है, सिंचाई के साधन भी बढ़े हैं और तरह तरह के संकर बीज भी निकले हैं। एक तरह से देश में ग्रीन रिवोल्यूशन आया है जिसके फलस्वरूप एक तबके का किसान अमीर बनता जा रहा है और दूसरे तबके का किसान गरीब होता जा रहा है। क्या हमारे वैज्ञानिक ऐसे बीज निकालने में समर्थ हुए हैं जो सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए उपयुक्त हों और कम पानी में फसल तैयार कर सकें? लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह काम संभव नहीं हो लेकिन इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था कृषि के बजाय पशु पालन पर ज्यादा आधारित है। यहाँ पशु विकास की भारी संभावनायें है। जो राज्य सरकार की ओर से कदम उठाये गये हैं, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वे असफल साबित हुए हैं। इसी के साथ हमार देश के दूसरे क्षेत्रों में देखा, काफी अच्छी संख्या में अच्छी नस्ल के पशु मिलते हैं। इसके मुकाबले में हमारे राज्य में निजी फार्मों की बात तो दूर रही लेकिन सहकारी फार्मों में भी अच्छे पशुओं की नस्ल का विकास न हीं हो सका।

मैंने गत वर्ष राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि हमारे यहां अच्छी नस्ल के पशुओं के बाहर जाने पर रोक लगाई जाय लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी स्थिति वही है। हजारों की संख्या में राठी नस्ल की गायें बाहर जाती हैं। मैं राज्य सरकार से फिर निवेदन करूंगी कि यदि राज्य सरकार का यही रवैया रहा तो हमारे पशुओं के साथ साथ इस राज्य का पशुपालक ही हमेशा के लिए समाप्त हो जायगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

राजस्थान नहर बन गई है। बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर के जिलों के लोगों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जायगी और पंजाब का काश्तकार भी अपनी कब

(श्रीमती मदन कौर)
शक्ति के आधार पर वहां सिंचित भूमि खरीद सकेगा। बाड़मेर में न कोई सिंचाई, न कोई पशु पालन का काम, न बिजली, न कुटीर उद्योग और न ही बाड़मेर के किसान के पास ऐसी शक्ति है कि वह सिंचित भूमि को प्राप्त करके अपनी हालत को सुधार सकें। मैं निवेदन करती हूं कि गंगानगर और जैसलमेर के किसानों के साथ साथ बाड़मेर जिले के किसानों को भी राजस्थान नहर की भूमि आवंटन करने में समानता दी जाय।

सभापति जी, आसार तो आज भी ऐसे ही लग रहे हैं कि हमारे यहां आने वाले समय में भी वर्षा की कमी ही रहेगी और दुर्भाग्य से यह आने वाला वर्ष भी हमारे लिये एक परीक्षा का समय रहेगा। गत वर्ष हमारी परीक्षा थी। उस परीक्षा से भी यह परीक्षा और कठिन होने वाली है। राज्य सरकार ने राहत कार्य 15 सितम्बर तक चालू रखने का निर्णय लिया उसका तो स्वागत है परन्तु 15 सितम्बर के बाद लोगों को क्या काम दिया जावेगा उस पर बहुत ही गम्भीरता से सोचने की बात है। मुझे तो एक ही रास्ता नजर आता है और वह यह है कि लोग राजस्थान नहर पर लगाये जायं। अगर राज्य सरकार का भी यही इरादा हो तो मेरा सुझाव है कि आज से ही इस दिशा में कदम उठाने चाहियें। राजस्थान नहर पर मजदूरों को लगाने का निर्णय लेना आसान होगा लेकिन वहां पर लगाना और व्यवस्था करना उतना आसान नहीं है। आज से ही राज्य सरकार को सारी प्लान वर्क आउट करना चाहिये कि कौन कौन गांव हैं, नहर के किस पोइन्ट पर ले जाना होगा। इसको इतनी आइन्युटली नहीं सोचेंगे और 15 सितम्बर तक वर्षा की बाट जोते रहें और फिर लगे कि कहां ले जायें और कहां बसायें—यह 15 दिन का समय किसानों के लिये मुसीबत का समय होगा और दस बारह महीनों में जो किया है वह सारा गुड़ गोबर हो जावेगा।

सभापति जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा अकाल हमारे राजस्थान के लिये स्थायी बीमारी है। उसका इलाज भी स्थायी तौर पर करना चाहिये। अन्यथा वहां के लोग बार बार राहत कार्यों की मांग करते करते और जीवन यापन की मांग करते करते अपना स्वाभिमान ही खो बैठेंगे। और जिस देश के नागरिक का, सभापति जी, स्वाभिमान ही खत्म हो जाय शेष क्या बचेगा यह हमारे सब के लिये गम्भीरता से सोचने की बात है।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

राजवी रूपसिंह। उनके बाद श्री शिवनाथसिंह।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, आपने यह नाम कैसे लिया ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

राजवी श्री रूपसिंह : माननीय सभापति महोदय, हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हिन्दुस्तान में तीसरे नम्बर का प्रान्त है......

श्री सभापति : समय का ख्याल रखें कृपया। दस मिनिट।

Page No 154

राजवी श्री रूपसिंह : इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वह रेगिस्तान है। इस कारण हर साल अकाल पड़ते ही रहते हैं और उसके लिये हम 22 साल से इन्तजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी स्टेट हर साल कोशिश करती है लेकिन 22 साल के अन्दर कोई परमानेंट इन्तजाम नहीं किया। इस कारण से हुआ यह कि पिछले साल भी यानी सम्वत् 2025 के अन्दर हमें मुसीबत उठानी पड़ी और 53 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा और बीस लाख आदमियों को काम देना पड़ा। फेमिन के जो इन्चार्ज मन्त्री हैं उन्होंने बहुत ही होशियारी से काम करके, इमदाद की, जो हिम्मत का काम किया इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने भागदौड़ करके कोशिश की लेकिन इतने बड़े काम में त्रुटि रहे बगैर नहीं रह सकती। यदि 53 करोड़ रुपये आपने फेमिन पर खर्च किया उसको अच्छी तरह से लगाते तो परमानेंट नेचर के काम बन सकते थे। 35 करोड़ रुपये और दस लाख आदमियों को राजस्थान कैनाल पर लगा देते तो राजस्थान कैनाल बाड़मेर तक पहुंच जाती और लोगों को पीने को पानी व खेती करने की सहूलियत मिल जाती। लेकिन दुर्भाग्य से कोई प्लान बनाकर कोई काम नहीं किया। सेन्टर के इन्स्ट्रक्शन्स के माफिक काम नहीं किया। अपने मनमाने तरीके से काम किया। योजना बनाकर तरीके से काम करते तो 35 करोड़ रुपये में कैनाल का काम हो जाता और वह एक परमानेन्ट काम बन जाता। जो टयूब वैल का काम किया है उससे तो थोड़े टाइम के लिये आप पानी दे सकते हैं लेकिन यह कोई परमानेंट पानी का हल नहीं है। कुओं से मवेशी और मनुष्यों को पानी पिला सकते हैं लेकिन परमानेन्ट काम तो तब ही होगा जब कि कैनाल वहां पहुंचा दी जावेगी। 53 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी अकाल सदा के लिए खत्म नहीं हुआ। अगर भगवान न करें अकाल पड़े अगर पड़ गया तो 90 करोड़ रुपया और खर्च करना पड़ेगा और उसका नतीजा भी वही होगा जो आज है। फेमिन पर आज जो खर्च करते हैं, उसके लिए मेरा सुझाव है कि डिस्ट्रिक्टवाइज खर्च न करके उसको एक परमानेन्ट तरीके से काम करें। हर डिस्ट्रिक्ट में फेमिन के काम खोल दिये गये हैं। इससे किसी की जिम्मेवारी नहीं रही है। हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने फर्जी मस्टर रोल बनाने शुरू कर दिये। 53 करोड़ में से 30-35 करोड़ रुपया फर्जी मस्टर रोल का फिजूल खर्च हो गया। फर्जी मस्टर रोल बनाने की बाबत एक शिकायत नहीं हजारों शिकायतें ऐसी आई हैं। फेमिन के कारण भूख से कितने मनुष्य मरे या बीमारी से कितने मरे यह एक डिस्प्युटेड प्वाइन्ट है लेकिन गायें तो बहुत मरी ही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई काम हो वह परमानेन्ट तरीके का होना चाहिए।

अब मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कहना चाहता हूं। इसकी बाबत यह कहना चाहता हूं कि चूरू डिस्ट्रिक्ट के अन्दर भी फेमिन के काम अलग खोले गये थे लेकिन चूरू तहसील के अन्दर जहां दो-तीन साल से अकाल पड़ा था वहां फेमिन वर्क्स न खोल कर वहां पर खोले जहां पिछले सालों जमाना था और इस साल पांच आना जमाना था। चार सालों से तीन सालों से जहां अकाल था वहां पर फेमिन वर्क्स न खोलने से वहां के लोगों के दिमाग में यह चीज पैदा हो गई है कि कांग्रेस के कैन्डीडेट को हरा दिया इसलिये हमारे यहां पर सरकार वर्क्स नहीं

Page No 155

(राजवी श्री रूपसिंह)

खोलती है और दूसरी जगह वर्क्स खोल कर काम करवाती है। इससे यह वैमनस्यता का फीलिंग पैदा हो गयी है। राजगढ़ के पहले वाले विधायक मोहरसिंह व तहसील के प्रधान ने शिकायतें कीं कि राजगढ़ तहसील के रिलीफ कामों में लाखों रुपयों के फर्जी मस्टर रोल बन गये हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं भी वहां गया तो पता लगा व लोगों ने शिकायतें की कि काम बहुत थोड़ा होता है और पैसा ज्यादा खर्च होता है व फर्जी मस्टर रोल बन रहे हैं। चीफ इन्जीनियर पी. डब्लू. डी. वगैरह गये और उन्होंने जांच को तो पाया कि हाजरी रजिस्टर के अन्दर चालीस हजार दर्ज थे लेकिन जांच से पता चला कि दस हजार ही थे जिनमें आठ दस साल के बच्चे दो तीन हजार राजगढ़ तहसील में थे। 70 हजार रुपया एक महीने में फर्जी हाजरी दर्ज करके वसूल किया जाता था। ऊपर से न मालूम वहां इतने काम क्यों खोल दिये गये थे। चूरू डिस्ट्रिक्ट में 47 काम खोले गये जिनमें से 23 काम राजगढ़ तहसील में खोले गये व उन पर 89 हजार आदमी लगाये व दूसरी 6 तहसीलें, यानी चूरू, तारानगर, सरदार शहर, डूंगरगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़ में 24 काम खोले और वहां 98 हजार आदमी लगाये, यानी अकेली राजगढ़ तहसील में 6 तहसीलों के बराबर काम खोले व आदमी लगाये। यह इसलिए किया गया कि वहां का विधायक कांग्रेस का था और उसको खुश रखने के लिए ऐसा किया गया जो नहीं होना चाहिए था। यह पक्षपात की मिसाल है। राजगढ तहसील में जहां सड़क पर काम किया गया है, उसके अन्दर 2 करोड़ रुपया खर्च किया गया है वहां दस मील की सड़क बनी है। इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? राजगढ़, तारानगर वह जगह है जहां पर पानी खारा है। कुए खोदने पर पानी खारा निकलता है। इसलिये यहां बजाय सड़क बनाने के तालाब या कुण्ड बनाना चाहिये था ताकि समस्या का परमानेन्ट सोलूशन हो जाता। सड़क का काम कराया गया जिससे लोगों को फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसा कमाने का अवसर मिला। चूरू व राजगढ़ के एक्स. ई. एन. और दूसरे आफिसरों ने पब्लिक मैनों व वहां के विधायक ने मिल कर गड़बड़ी की और उन्होंने 40-50 लाख रुपयों का मिसएप्रोप्रियेशन आफ गवर्नमेन्ट मनी किया है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करवायें। लाखों रुपयों का मिसएप्रोप्रियेशन किया गया है और फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसा लिया गया है। फेमिन का पैसा फेमिन के काम में लगना चाहिये था। लेकिन वह गलत आदमियों हाथ में चला गया। इसलिये इसकी इन्क्वायरी करा लेनी चाहिये ताकि आइन्दा के लिये हमें इस तरह से नीचे देखने का मौका न मिले। हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट की जो खास कठिनाई है, वह पानी की है। वहां पानी का एक ही सोलूशन हो सकता है कि राजस्थान कैनाल से महज एक छोटी कैनाल चूरू तक लाई जाये जिससे पीने का पानी लोगों को मुहय्या हो सके। वहां पर पानी पहुंचाने का यही एक रास्ता है और पानी का इन्तजाम करना सरकार के लिये आवश्यक है। सरकार ने पानी का इन्तजाम न करके सड़कों का काम करा कर वहां करप्शन फैलाया है। राजगढ की सड़कों पर 83 हजार आदमी जो काम

(राजवी श्री रूपसिंह)

करते थे, उन्होंने 6 महीने के अन्दर 10 मील रोड़ बनाकर दी है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना करप्शन है। इसको रोकने के लिये आयन्दा प्लान बना कर काम किया जाना चाहिये व किसी को जिम्मेवार ठहरा कर काम शुरू करना चाहिये। इस फेमिन पर जो पक्षपात हुआ है उससे लोगों के दिमाग में यह बात पैदा हुई है कि यह सरकार अपोजिशन वाले के साथ पक्षपात करती है इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ काम करें आइन्दा देख कर पक्षपातरहित करें। चूरू में सितम्बर में काम खुल जाने चाहिये थे लेकिन वहां बाद में खुले। फेमिन रिलीफ कमेटी की मीटिंग बुलाकर काम शुरू करने चाहिये थे। लेकिन चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम हुआ वह बगैर कमेटी के बुलाये शुरू किया। इससे यह हुआ कि करप्शन बढ़ा। मुझे कहने के लिये ज्यादा समय नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आइन्दा के लिये जो भी काम हो वह परमानेन्ट बेसिस पर किया जाय जिससे पब्लिक का पैसा मिसयूज न हो।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह। समय की सीमा दस मिनिट।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान ही ऐसा प्रान्त है जहां इस साल भयंकर अकाल है। करीब करीब पूरा राजस्थान इस भयंकर अकाल से ग्रस्त है और इसे अत्यन्त भीषण अकाल हम मानते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सरकार को कि उसने समय पर इतना अच्छा काम किया जिसकी वजह से, किसी भी तरह की विपत्ति नहीं आई और अकाल का मुकाबला कर गये। सक्सेसफुली हमारी सरकार ने उसका मुकाबला किया। सितम्बर, अक्टूबर में हमारी राज्य सरकार ने फेमिन वर्क शुरू कर दिये और उन्हें इस महीने तक चालू रखा है। हमारी राज्य सरकार ने तत्परता दिखायी है, वह सराहनीय है। मुख्य मन्त्री, अकाल राहत मन्त्री एवं अन्य मन्त्रीगण सभी बधाई के पात्र हैं। यह कोई आसान काम नहीं था। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया और उन आरोपों को सुनकर सदन के सभी सदस्यों को दुःख हुआ। यह कितना बड़ा मुकाबला था, 45-50 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है तो इसमें कुछ खामियां रह सकती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम सरकार के प्रति, मन्त्री महोदय के प्रति मोटिव इम्प्यूट करें। अकाल राहत मन्त्री जी पर पर्सनली मोटिव इम्प्यूट किया है। सभी सदस्य मानते हैं और एक आवाज में कह रहे हैं कि ये सिर्फ मोटिव इम्प्यूट कर रहे हैं और सिर्फ विरोध करने के लिये मोटिव इम्प्यूट कर रहे हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : ऐसी बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बिलकुल सही बात है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : अकाल राहत मन्त्री जी से हमारा विरोध नहीं है। जो सही बात है उसको यहां कहा है। यह बात कह देना कि विरोध करने के लिये यह बात कही है, यह सही बात नहीं है। जो कहा है,

Page No 157

(श्री रामचन्द्र आर्य)
जो आरोप लगाये हैं वे सही हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप सुनिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके खिलाफ आरोप लगाये हैं। जो आरोप लगाये है, वे सही लगाये हैं। राजस्थान के फेमिन कार्यों में जितने जैसे घोटाले हुए हैं वैसे आज तक नहीं हुए हैं। वैसे आज तक किसी राज्य में नहीं हुए हैं।

श्री सभापति : आपका जब समय आये तब आप आरोप भी लगा सकते हैं। आर्डर प्लीज, एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके बीच में हस्तक्षेप करने का नियम नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह : यह मैं मानता हूं। सभी सदस्य जानते हैं कि आपकी आत्मा क्या कहती है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : यह हमारी आत्मा कहती है।

श्री शिवनाथसिंह : कोई न कोई एलीगेशन लगाने के लिये आपकी आत्मा नहीं कहती है। कब से यह आपकी आत्मा की आवाज है। जैसी कि सदन में डिबेट हुई है, उससे जाहिर है कि सभी सदस्य सन्तुष्ट हैं कि हमारी राज्य सरकार ने किस तत्परता से, कितने अच्छे ढंग से अकाल का मुकाबला किया है। सही बात को सही मानना चाहिये। इसमें शर्म की बात नहीं है। यह अच्छा काम है तो बधाई दें, उसका उत्साह बढ़ावें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इतना बड़ा काम था और जिस बड़े पैमाने पर उसका मुकाबला किया गया। कहां जैसलमेर, बाड़मेर का इलाका, जहां आदमी तो क्या ऊंट भी नहीं पहुंच सकता है और उस इलाके में मवेशी के लिये चारा पहुंचाया है और इस तरह से हमारी मवेशियों को मरने से बचाया है और उनको उस स्थान पर पहुंचाया है, जहां वे बच सकती हैं। लोगों को मजदूरी दी गयी है। हम यह गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में अकाल के होते हुए भी एक भी आदमी की मृत्यु भूख के कारण नहीं हुई। यह हमारे लिये गौरव की बात है। हम सभी सदस्य यह मानते हैं। हम यह दावा करते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने कहा हो कि मुझे मजदूरी नहीं मिली। अनाज नहीं मिला। जो काम करना चाहते थे उनको मजदूरी दी गयी है, मजदूरी के उन्हें पैसे दिये गये हैं। इन दिक्कतों में हम निकले हैं, उसके लिये हम राज्य सरकार के अहसानमन्द हैं। आज हमारे राज्य में अकाल की स्थिति बनी है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां वर्षा नहीं हुई है। फसल की हालत अच्छी नहीं है। इसके लिये राज्य सरकार को तत्पर होना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि दूसरा अकाल आ जाय और उसका मुकाबला करने में हम समर्थ न रहें। अगस्त के 10, 15 दिन इसका निर्णय करने वाले हैं कि हमारी स्थिति इस बार कैसे रहेगी। मैं जानता हूं कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी। मैं मानता हूं कि इस अकाल का मुकाबला करने में सरकार ने जिला लेविल पर, तहसील लेविल पर कमेटी बनायी जो राहत कार्यों का निर्धारण करती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मशीनरी, रेवेन्यु ऑफिसर था जो काम को आगे बढ़ाता है। तो इतना बड़ा स्टाफ था। हजारों इन्जीनियर,

(श्री शिवनाथसिंह)

ओवरसियर इसमें लगे हुए थे। तो मैं यह नहीं कहता कि सबकी नीयत साफ़ थी। कुछ ऐसे भी होंगे जो राज्य सरकार को सहयोग नहीं करना चाहते हों जिनकी नीयत खराब हो। जहां जहां राज्य सरकार को अधिकारियों के प्रति शंका हुई, शिकायत हुई, उसकी उसने फौरन तहकीकात की है। मुझे यह जानकर खुशी है कि कई इन्जीनियर, ओवरसियर इस मामले में सस्पेन्डेड हैं। इस प्रकार सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की है, जांच की है और जांच के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया है। उनको सस्पेन्ड किया है।

इसलिए हम नहीं कह सकते कि राज्य सरकार से जो भी शिकायतें की गई उन शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया।

यह भी कहा गया कि जो भी काम शुरू किये गये राजनैतिक आधार पर किये गये। जैसलमेर के लिये तो कोई नहीं कह सकता, बालसिंह जी तो एकमात्र वहां के शहंशाह थे, जहां अकाल के कार्य चलाने के सम्बन्ध में जो कमेटी तय करती थी उसमें कलेक्टर होते थे, प्रधान होते थे और उस क्षेत्र के विधायक वे थे वे भी उपस्थित रहते थे और जो भी काम किये गये उनकी मर्जी के अनुसार किये गये। जितने भी काम उनके क्षेत्र में चालू किये गये वे सब उनकी राय से चालू किये गये। वे भी अब उन कामों की आलोचना करते हैं यह बड़ी दुखद बात है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये कि जो काम हम चालू करवाते हैं उन्हीं की हम आलोचना करें। लेकिन जो भी काम चालू किये वहां जहां अकाल था उसमें एक ध्येय यह था कि उन लोगों को मजदूरी मिलनी चाहिये। जो मजदूरी नहीं दी गई ऐसे कोई एलीगेशन तो उन्होंने नहीं लगाये यह बहुत अच्छी बात है।

मैं सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, एक पीरियड तो खत्म हुआ लेकिन आगे जो स्थिति हमारे सामने आ रही है उसको भी ध्यान में रख कर हमें चलना है। सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं जो कार्य इस अकाल में लिये गये और जो पूरे नहीं हो पाये, अधूरे काम पूरे हो सकें, ऐसे कामों की युटिलिटी हो सके, आगे आने वाले अकाल की विभीषिका कम हो, इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसे काम जो अधूरे रह गये हैं उनको किसी भी तरह से हो, पूरे करवाये जाने चाहिये। जैसे ट्यूब वेल के काम, नाड़ियों के काम हैं इनको हम साधारण साल में भी लेते रहें तो अकाल के परिणाम दूरगामी नहीं होंगे।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, इस साल जो फैसला किया गया कि कच्ची सड़कें नहीं बनें, जो भी सड़कें बनायी जायें वह पक्की बनायी जायें, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि बहुत जगह अर्थ वर्क हो चुका है, कई जगह पत्थर जम चुके हैं, इस तरह की जहां भी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं वहां पर डामर बिछवाया जाय। और जहां पत्थर बिछ चुके हैं वहां रोलर करवा कर उसको पूरा करवा दिया जाय। ऐसा नहीं करते हैं तो बारह महीने दो साल में वह पत्थर लोग उठाकर ले जायेंगे या रेत सड़कों से बह जायगी। मैं मानता हूं इसके लिये राजस्थान सरकार के सामने आर्थिक कठिनाई हो सकती है। इसमें पी. डब्ल्यू. डी.

(श्री शिवनाथसिंह)

का जो रेगुलर बजट है उसमें से कुछ इस काम के लिये लगा दिया जाय तो ये काम हो सकते हैं।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं इस मामले में सबसे अधिक शिकायतें आयी हैं वे ओवरसियर्स की आई हैं। सभी के लिये मैं नहीं कहता। कुछ के बारे में अवश्य शिकायतें थीं। गलत मस्टर रोल बनाने की भी शिकायतें हैं, लोगों को पेमेन्ट नहीं होने की शिकायत है। मेरे सामने भी एक केस सीकर जिले का है। जहां एस्टीमेट के हिसाब से काम शुरू किया गया और 25-26 रोज बाद बन्द कर दिया गया उसकी मजदूरों ने मजदूरी मांगी। उस पर रिपोर्ट की गई कि एस्टीमेट गलत बनाया था, वास्तविकता में तो उससे आधे में काम हो सकता है। इसलिए कलेक्टर से रिक्वेस्ट की कि आधा पेमेन्ट कर दिया जाय। इसमें मजदूरों की कोई गलती नहीं थी। गलत एस्टीमेट बनाया उस ओवरसियर के खिलाफ एक्शन होना चाहिये। उसमें हुआ क्या कि वहां की जमीन की नाप बरसात होने के बाद करवाई गई इससे क्या हुआ जोड़ें सब भर चुके थे। जो नाप के अन्दर आया वह गलत है। तीसरी बात जो नाप लिया गया वह गलत है। इसका कारण यह था कि जो वर्क वहां हुआ वह इरिगेशन ओवरसियर की मार्फत नहीं होकर वहां के कलेक्टर द्वारा रेवेन्यू एजेन्सी की मार्फत करवाया। इसलिये वह इरिगेशन इन्जीनियर अपनी कारगुजारी नहीं कर सके इसलिये उसने यह सब काम किया। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मजदूरों की 25-26 रोज की बाकी है। उसका पेमेन्ट किया जाय।

यहां यह भी आरोप लगाया गया कि दलगत राजनीति के आधार पर काम चालू किया गया। यह भी कहा गया कि जहां मूलतः अफेक्टेड एरिया था वहां केवल 20 प्रतिशत को राहत मिल पाई है। यानि उनके कहने के मुताबिक 80 प्रतिशत को काम नहीं दिया गया। यह कतई सही नहीं है। जो लोग मजदूरी करना चाहते थे उन सब को मजदूरी दी गई। बीस प्रतिशत मजदूरों का आना भी कम बात नहीं है। सभी आदमी मजदूरी करें यह संभव भी नहीं। कुछ लोग खुद का काम करते थे वे मजदूरी में नहीं आये। जो भी मजदूरी के लिये आये उनको मजदूरी दी गई। बीस प्रतिशत की जो बात कही गई है मैं समझता हूं वह किसी तरह से सही नहीं कही जा सकती।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। अकाल के सम्बन्ध में जो सांडों के लिये तकाबी दी गई वह केवल बैल सांड के लिये ही दी गई है, भैंसा सांड के लिये नहीं दी गई। तीस रुपया महीने के हिसाब से नहीं दिया गया भैंसा सांड के लिये। आयन्दा जब कभी इस तरह का काम हो तो भैंसा सांड के लिये भी उतनी ही तकाबी मिलनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ राहत कार्य जो चालू कराये गये उनको आगे भी जारी रखने की संभावना हो तो वह जारी रखे जाने चाहिये।

श्री मदनसिंह : माननीय सदस्य के पूरे भाषण से तो यह पता चलता है कि इन्होंने

Page No 160

(श्री मदनसिंह)

पहले तो तारीफ कर दी है फिर गल्तियां बताकर उनका काट कर दिया है।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोहा सु.) : सभापति महोदय, इस अकाल पर काफी माननीय सदस्य बहस में भाग ले चुके हैं। मैं बीकानेर जिले के बारे में ही कह सकता हूं खास तौर से क्योंकि मैं बीकानेर जिले का ही रहने वाला हूं।

माननीय सभापति महोदय, अकाल सहायता कार्यों के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने आरोप भी लगाये हैं। मैं एक विरोधी सदस्य हूं। विरोधी सदस्य होने के नाते मैं अपनी अन्तरात्मा की बात साफ शब्दों में रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बीकानेर जिले से चार एम. एल. ए. हैं जिनमें तीन कांग्रेसी हैं और एक मैं विरोधी हूं। मैं ईमानदारी और वफादारी के साथ कह सकता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जितने तीन एम. एल. ए. के क्षेत्र से काम हुआ है उतना मेरे अकेले के निर्वाचन क्षेत्र में काम हुआ है। अकाल सहायता मंत्री ने जिस मानवीय दृष्टिकोण से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काम करवाया है, जन प्रतिनिधियों की सलाह से जो भी काम स्टार्ट किये हैं उसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। अकाल के जितने भी काम कराये हैं लगन के साथ किये हैं मैं उनकी जितनी सराहना करूं वह कम है।

आप सब जानते हैं कि इस साल जैसा भयंकर अकाल था वैसा पहले कभी नहीं पड़ा। इस भयंकर अकाल का जिस मुस्तैदी से मुकाबला किया गया वह सराहनीय है। मेरे अकेले के क्षेत्र में हजारों पशु मरे हैं आदमी भी बीमारियों से मरे हैं। लेकिन जहां तक इन्तजाम का सवाल है उसमें सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रखी गई है। काम भी अधिक हुआ है इन्हीं शब्दों के साथ मुझे अपने क्षेत्र के काम से सन्तोष है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : कांग्रेस के जरिये आपको कितना चन्दा दिलवाया गया ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसके अलावा...

श्री मदनसिंह : आपके जरिये चन्दा भी काफी कांग्रेस को दिया गया। यह भी सत्य है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह गलत है। आजादी के लम्बे अर्से के बाद आज भी इसका स्थायी हल नहीं कर पाये। इसके बिना हमारी आजादी और योजना दोनों अधूरी हैं। इस अकाल पर कन्ट्रोल कर पाने का स्थायी हल करना है। हमें तो सन्तोष और पूरी प्रसन्नता तब होगी जब हमेशा के लिये अकाल को राजस्थान में से हम समाप्त करके स्थायी प्रबन्ध कर लेंगे। तब जाकर हमारे देश की आजादी भी पूरी होगी।

सभापति जी, जब देश गुलाम था तो किसान गरीब था। हर इन्सान ने, उस किसान ने देश की आजादी आने के बाद आशा लगाई थी कि हम अब इस गरीबी से छुटकारा पावेंगे। पर आज भी अकाल का स्थायी हल निकालने में सरकार असमर्थ रही है। इस असमर्थता और आपकी असफलता

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

के प्रति घोर असन्तोष व्यक्त करता हूं। और मांग करता हूं कि इसका स्थायी हल राजस्थान सरकार खोजे और उसे पूरा करे। इसका स्थायी हल राजस्थान कैनाल है। राजस्थान कैनाल को बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर तक पूरा नहीं किया तो हमेशा के लिये हम अकाल का मुकाबला राजस्थान में नहीं कर पावेंगे। दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिये इस राजस्थान कैनाल को इसके काम को जल्दी पूरा किया जाए। इसके लिए भारत सरकार पर भी आप दबाव डालें कि वह भी पूरी मदद करे।

जब देश की आजादी खतरे में थी चीन और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तो गंगानगर के किसानों ने पं० जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं को सोने से तोला था, रक्षा कोष में काफी सम्पत्ति दी। यह गंगानगर के किसान की ताकत नहीं थी। यह ताकत थी राजस्थान कैनाल और गंग कैनाल की जिसने वहां के किसान को इस लायक बनाया कि वहां के किसान ने पं० जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी और लालबहादुर शास्त्री को सोने से तोला।

तो मैं कहता हूं कि इसी तरह से राजस्थान कैनाल को पूरा कर दिया जावे और उसे बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर तक पहुंचा दिया जावे तो वहां के काश्तकार न सिर्फ राजस्थान को अन्न के मामले में आत्म निर्भर बना देंगे वरन् सारे देश की मांग को पूरा करके विदेशों को भी अनाज दे सकते हैं। आपने योजनाएं बनाईं, पर आप उनको पूरा करने में असफल रहे हैं। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं फिर अकाल सहायता मंत्री जी को बीकानेर की अकाल पीड़ित जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहादुरी के साथ इस अकाल का मुकाबला किया और अकाल पीड़ित लोगों ने भी बहादुरी से काम किया है, इसका मुकाबला किया है, वहां के मजदूर भी बधाई के पात्र हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं चाहे राज्य के छोटे कर्मचारी हों, या बड़े अधिकारी हों, जिन्होंने इसके लिए ईमानदारी और वफादारी से काम किया वे भी बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ सख्त जाँच की जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री सांवरमल बासोतिया। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री सांवरमल बासोतिया : सभापति जी, दो दिनों से सदन में इस पर बहस चल रही है। जैसा कि सदन का वातावरण बना हुआ है दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने प्रायः सरकार की काफी प्रशंसा इस कार्य के लिये की है और यह प्रकट है कि जिस तत्परता से राज्य सरकार ने इस भयंकर अकाल की स्थिति को सम्भाला इससे ज्यादा अच्छी तरह से कोई दूसरा शासन या व्यक्ति सम्भाल नहीं सकता था। मैं भी माननीय सदस्यों की तरह हमारी राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छी तरह से, तत्परता से इस कार्य को सम्भाला और हर तरह से ठीक से, ट्रकों से वैगनों से, सामान मंगा मंगा कर लोगों को अन्न पहुंचाया और मवेशियों को इधर से उधर करके चारे का खास प्रबन्ध किया।

(श्री सांवरमल बासोतिया)

सर्दी के दिनों में जहां अकाल पीड़ित क्षेत्र था वहां पर लोगों को जिनके पास ओढ़ने को कपड़े नहीं थे उनको रजाइयां और कम्बल तक दिये गये। ग्रांन दी होल कहने का तात्पर्य यह है कि काम सुचारु रूप से हुआ। लेकिन साथ ही साथ जिस ढंग से यह खैरात बांटी गई मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे जिले झुंझुनू का दृष्टान्त मैं आपके सामने रखूं कि वहां पर लगभग 35 चालीस लाख के राहत कार्य किये गये। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं, वहां के व्यक्ति यह अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि इन 35 चालीस लाख का सही उपयोग आंका जावे तो आधा भी नहीं बैठता है। मेरे विचार के अनुसार तो केवल यह खैरात नहीं बांटकर यदि वहां के काश्तकारों को इससे आधी रकम भी दी जाती और यह कहा जाता कि आप इससे कुए खुदवाओ और अकाल राहत के लिए उसी अनुपात से मजदूरों को रखकर काम कराओ—यह अंकुश केवल लगा देते और कह देते कि इतने मजदूरों को रखना निहायत जरूरी है तब रुपया, ऋण या एड के रूप में दिया जावेगा। यदि इस शर्त के साथ रुपया लगाया जाता तो विश्वास है मेरा कि कुए बहुत हो जाते और आगे जब कभी भी अकाल पड़ता तो बिना राज्य सरकार की मदद के भी वे इसका मुकाबला कर सकते।

श्री रामचन्द्र आर्य : मदनसिंह ने मुकुन्दगढ़ की रोड के लिये चार्ज लगाया कि वहां 6 लाख का घोटाला हुआ इस बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, ये एक ही क्षेत्र में पड़ते हैं। मुकुन्दगढ़ की रोड बनाने में 6 लाख का घोटाला हुआ है।

श्री मदनसिंह : यह तो वे खुद ही कह रहे हैं।

श्री सांवरमल बासोतिया : आपका मतलब यह था कि राज्य सरकार ने मिल कर गड़बड़ कर दी। पर मेरा कहना यह है कि उनका उपयोग जितना होना चाहिये था उतना नहीं हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैं आपका ध्यान हमारे तीन गांव कोलसिया ग्राम बाय और बिसेल के कैम्पों की तरफ खींचना चाहूंगा।

यहां के लोगों की भावना बन गई कि ओवरसियर, ए.ई.एन. और मेटों ने मिल-कर गड़बड़ियां की हैं। और इस तरह की गड़बड़ियों से राज्य सरकार बदनाम हुई है। इन चीजों से हालांकि कोई लेना देना नहीं सरकार का। पर और आदमी काम करने गये उन्होंने काफी गड़बड़ियां कीं। यह सही फैक्ट है। मस्टर रोल जिस कैम्प की बात बता रहा हूं वास्तव में वह सरपंच के घर पर ही कैम्प रहता था वहां 33 मस्टर रोल थे। दो मस्टर रोल तो जिसमें से कमी साइट पर आते ही नहीं थे। पर लिस्ट वर्कर्स की बनाई जाती थी मनगढ़न्त और झूठी एन्ट्री बनाई जाती थीं। बाकी में तो आंशिक रूप से नाम गलत थे। यह बिलकुल वहां के ग्रामवासियों की और आस-पास के क्षेत्र के लोगों की पक्की भावना है कि वहां पर जितनी गड़बड़ी हुई, लोगों का

(श्री सांवरमल बासोतिया)

कहना है। कि सरपंच के लड़के मिस्त्री का काम करते थे, ए. ई. एन. और ओवरसियर उनके मकान पर रहते थे और फिफ्टी-फिफ्टी पर्सेन्ट गड़बड़ी के रुपयों में हिस्सा था। किन्हीं किन्ही सरपंचों ने अपनी पत्ती रखी थी। काम में भी हिस्सा भी बांट लिया था। मसलन झगड़े का मामला आया तो सरपंच ने अपने पर ले रखा था। किसी को वह गड़बड़ी नहीं करने देता मजदूर को। कोई मजदूर गड़बड़ी करता तो या तो वैसे टेकल कर लेता या लड़ाई-झगड़े का वातावरण बनाकर समझा कर टाल देता।

मैं अकाल मन्त्री जी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो बिचोलिये मेटों से 200-200 तीन-तीन सौ रुपया लेते थे उनसे खुलासा कहते थे कि हमारी जेबों में 200-300 सब थोड़े जाते हैं। माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं कि वे स्पष्ट रूप से बिचौलिये यह कहते थे कि यह तो उपर मदेरणाजी तक कुछ रुपये पहुंचेंगे! यह राज्य सरकार की भावना नहीं है। पर लोगों की मैंने भावना बताई है कि किस तरह से गड़बड़ियां करते थे वह जरूर बताई है। और इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह जो तीन ग्राम मैंने बताये हैं, वहां कैम्प लगाये हैं इमीजिएटली एन्क्वायरी करनी चाहिये। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि अगर कब्जे में किये जावें इमीजियटली वहां के सारे कागज तो हर तरह से गड़बड़ियां स्पष्ट रूप से सामने आ सकती हैं। अंगूठे के निशान मेट के लगे हैं उनमें।

श्री परसराम मदेरणा : बिचोलियों के नाम बता दीजिये।

श्री सांवरमल बासोतिया : बाय के सरपंच के घर पर सारा काम होता था। वहीं पर ओवरसियर, मेट और ए. ई. एन. रहते थे।

श्री परसराम मदेरणा : सरपंच का नाम क्या है?

श्री सांवरमल बासोतिया : रामेश्वर जी सरपंच का नाम है। ग्राम बाय। और यह निश्चित रूप से मानिये इमीजियेटली कब्जा करेंगे तो सही स्थिति आ जायगी। एस. डी. ओ. ने गड़बड़ी पाई, उनको मोअत्तिल किया, काम से हटाया लेकिन 3-4 रोज बाद मालूम पड़ता है किसी को सुपरवाईजर बनाया गया, किसी को और अच्छा पद दिया गया। आखिर एस. डी. ओ. ने मन्जूर कर लिया हमारे बस का रोग नहीं है। अब मैं चाहता हूं उनके मस्टर रोल की जो शिकायत है, पेमेन्ट बराबर नहीं हो रहा है। टाइम दे देते हैं, दिन दे देते हैं फिर भी उस दिन पेमेन्ट नहीं देते हैं। अभी काफी पुराने पेमेन्ट पड़े है। 5-7 इन्सटान्स बताऊंगा, आप एन्क्वायरी करायेंगे तो सही स्थिति का पता चल जायेगा।

श्री विजयसिंह (झकराना) : प्रजातन्त्र में ऊपर वाला कौन है। उपर से कार्यवाही...

श्री सांवरमल बासोतिया : बीलवा गांव में गैंग ईमानदारी से काम करती थी उसको पेमेन्ट नहीं देकर मस्टर रोल छीन लिया गया और 17 आदमी का पेमेन्ट उठा लिया है यह उनकी बदनीयत है या क्या लेकिन गड़बड़ अवश्य है। इसके अलावा रामदेव, रापड़, बीलवा का पेमेन्ट उठा लिया गया और जिनको मिलना चाहिये था उनको नहीं मिला। मैंने इन्सटान्स दिये हैं, अगर

(श्री सांवरमल बासोतिया)
आप एन्क्वायरी करायेंगे तो बहुत गड़बड़ नजर आयेगी। इसके अलावा श्रीचन्द मास्टर है बाद में वह छुट्टी पर था लेकिन उसने उन लोगों के साथ मिलकर स्वयं अपने हाथ से अंगूठे चिपकाये हैं, गैर वाजिब बात है। अगर आप एन्क्वायरी करायेंगे तो आपको मालूम हो जायगा और आप उस पर ऐक्शन लेंगे। जुवाला हरिजन मेट है उसने 2073 से 2077 गैंग नं. 17 के मस्टर रोल में, मेट ने अंगूठे चिपकाये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपकी अन्तरात्मा का हनन नहीं हुआ ?

श्री सांवरमल बासोतिया : बहेती वाइफ ऑफ श्री रामचन्द्र और शिवकुमार पुत्र रामचन्द्र इन दो आदमियों का पेमेन्ट गलत दिया गया है। उन्होंने शिकायत की है और शिकायत आने पर फिर दो आदमियों के नाम लिख दिये, यह भी आप एन्क्वायरी करायेंगे तो अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा। गड़बड़ अवश्य हुई है। वहां के लोगों की भावना बदलेगी लेकिन वास्तविकता क्या है यह हम लोग तो जानते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

उनमें जो मजदूरों में भावना फैली हुई है वह दूर होगी। अन्त में······

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी तरह की क्या भावना है ?

श्री सांवरमल बासोतिया : जो पैसा जिसको मिलना चाहिये वह······

श्री परसराम मदेरणा : शर्म नहीं आती है यहां पर···

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : हम किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे·····

(व्यवधान, भारी शोरगुल, अश्रव्य)

श्री सांवरमल बासोतिया : आंख दिखाने की क्या जरूरत है········

श्री विजयसिंह (मकराना) : आन ए पाइन्ट आफ ऑर्डर, सर।

(शोरगुल)

श्री आईदानसिंह :
श्री विजयसिंह (मकराना)
मेजर श्री फतेहसिंह :
श्री जयनारायण सालोदिया
} ऑन ए पाईन्ट आफ ऑर्डर, सर···

(एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री फतेहसिंह : आन ए पाईन्ट आफ आर्डर सर···

श्री सभापति : No point of Order. Chair is on its legs.

सदन की अनुमति हो तो सदन का समय बढ़ाया जाय···

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर-बढ़ाया जाय—नहीं बढ़ाया जाय)

सदन की अनुमति नहीं है, यह समझा जाय।

सदन की कार्यवाही 1 सितम्बर, 1969 के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 6-15 म.प. पर दिनांक 1 सितम्बर, 1969 सोमवार के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 447 की सूची)

Top Priority

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (C) DEPARTMENT

ORDER

No. F. 7 (78) Rev. C/68. Dated Jaipur, the 23rd/26th Feb. 1969.

Sub:—Recovery of Land Revenue, & other dues from the cultivators,

In supersession of this department Order No. F. 7 (78) Revenue C/68, dated the 30th November, 1968, the realisation of Land Revenue, Loans and Taccavi etc. shall be made as under:—

1. In areas, declared scarcity affected, by the Famine Relief Department:—

(1) The recovery of land revenue shall remain stayed,

(2) The recovery of all types of agricultural loans (long, medium and short terms) and Taccavi dues of Government as well as of Panchayat Samitis shall remain stayed except that:—

(i) the instalments and interest on loans for tractors and pumping sets will continue to be recovered.

(ii) the instalments and interest on loans for construction of wells will continue to be recovered provided the well was used for irrigating current rabi crop.

However in both the above cases only two instalments will be recovered.

2. The realisations mentioned in para 1 above shall remain stayed for the period mentioning the Order of Relief Department issued under section 126 of the Rajasthan Tenancy Act.

3. Instalments and interest on Industrial and Mining loans shall continue to be recovered.

4. The recovery of the dues of Co-operative institutions will continue to be made according to the Co-operative Department Rules, which already provide for conversion of short into medium term loan on the occurrence of scarcity conditions.

By Order,

Sd/- Dy. Secretary (Revenue).

Copy forwarded for information and necessary action:—

1. All Collectors.
2. Finance Department.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Accounts Officer, Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer.
5. Registrar, Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer.
6. Private Secretary, Minister/Dy. Minister.
7. Director, Public Relations Department, Rajasthan, Jaipur.
8. Additional, Development Commissioner, Panchayat and Development Department.
9. Cabinet Secretariat.
10. Commissioner, Relief Department, Rajasthan, Jaipur.
11. Registrar, Cooperative Department, Rajasthan, Jaipur.
12. Director, Agriculture Department, Rajasthan, Jaipur.
13. Chief Engineer Irrigation, Rajasthan, Jaipur.
14. Director of Mines and Geology Department, Rajasthan, Udaipur.
15. Commissioner, Colonisation Department, Bikaner.
16. Director of Industries, Rajasthan, Jaipur.

Sd. Dy. Secretary (Revenue).

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न सं. 448 की सूची

दिनांक 17-5-69 को जो जो मन्त्री राजस्थान से बाहर गये, की सूची

क्र० सं०	मन्त्री का नाम व पद	स्थान	साधन	दिन	टी. ए. व डी. ए.
1	2	3	4	5	6
					रु०
1.	श्री नारायण सिंह मसूदा, वन मन्त्री	दिल्ली	राजकीय कार द्वारा	2	62.00
2.	श्री भीखाभाई, स्वायत्त शासन मन्त्री	दिल्ली	,,	2	62.00
3.	श्री अमृतलाल यादव, सहकारिता मन्त्री	दिल्ली	हवाई जहाज द्वारा	2	291.53
4.	श्री हीरालाल देवपुरा, राज्य मन्त्री	काठमांडू	रेल व वायुयान द्वारा	5	अभी भत्ता नहीं लिया गया।
5.	श्री भीम सेन, उप मन्त्री	दिल्ली	निजी कार द्वारा	2	294.50
6.	श्री कन्हैयालाल, उप मन्त्री	दिल्ली	निजी कार द्वारा	2	257.00
7.	श्री जसराज उप मन्त्री	दिल्ली	वायुयान व कार द्वारा	1	202.75
8.	श्री मुल्कराज थिन्द उप मन्त्री	दिल्ली	राजकीय कार द्वारा	2	62.00
9.	श्री रामचरण, उप मन्त्री	दिल्ली	निजी कार द्वारा	2	266.60

Page No 168

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 451 की सूची)

भूमि अवाप्ति के मुकदमों में अभिभाषकों को दिये गये शुल्क की सूची—
सन् 1964 से 1968

क० सं०	भूमि अवाप्ति के मुकदमे का विवरण	नाम अभिभाषक जिसने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की	शुल्क जो अदा किया	तारीख अदायगी
		1964		
1.	बैजनाथ डालमिया बनाम राज्य सरकार।	श्री गणेशनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक, झुंझुनू	रु० 1079.00	29-4-64
2.	लेण्ड ऐक्वीजीशन का मामला डिस्ट्रिक्ट जज बालोतरा की अदालत में।	श्री सम्पत राज सिंघवी राजकीय अभिभाषक, बालोतरा	90.00	27-6-64
		1966		
3.	कैलाश होटल, जयपुर बनाम सरकार	श्री मदनमोहन शर्मा राज्य अभिभाषक, जयपुर	225.00	21-11-66
		1967		
4.	सरकार बनाम मांगी	श्री माधोसिंह	5530.00	12-7-67
5.	लैण्ड एक्वीजीशन छोटे व मध्यम उद्योग	श्री नाथूलाल जैन	5400.00	7-10-67
6.	लक्ष्मीनारायण बनाम राज्य सरकार	श्री नाथूलाल जैन	1317.97	25-10-67
		1968		
7.	रतनसिंह बनाम राज्य सरकार	श्री बी० एन० अग्रवाल	142.50	13-3-68
8.	छोटे व मध्यम उद्योग एवं भूमि अवाप्ति के मुकदमें	श्री नाथूलाल जैन	3847.50	22-3-68
9.	श्री पदमसिंह बनाम राज्य सरकार	श्री एस० आर० सिंघवी	112.50	24-3-68

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई माधोपुर जिले की कृषि योजना

457. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कृषि उत्पादन हेतु एवं ग्रामीण आबादी में प्रकाश हेतु जिलेवार योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो सवाई माधोपुर (रेवेन्यू) जिले की इस वर्ष में किस किस तहसील की किस किस स्कीम को पूरी करा देने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ?

(2) इस निर्णय के अधीन इस जिले में कौन कौन सी स्कीमें अब कब से चालू की जा चुकी हैं और इस वर्ष प्रत्येक स्कीम पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने का अनुमान है और अब तक किस स्कीम पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रारूप में इस वर्ष तहसील सवाई माधोपुर में आलनपुर से शेरपुर खिलचीपुर तथा तहसील बौंली में से लाखनपुर हो कर मितरपुरा लाइन डालने की स्कीम को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इन दोनों स्कीमों पर अब तक कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ? और अब ये काम कब तक शुरू कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिलेवार योजना अभी नहीं बनाई गई है।

(2) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) जी नहीं। स्वीकृति होने पर यह बताया जा सकता है।

सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

458. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सतर्कता आयोग द्वारा अब तक किन किन राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध मुकद्में दायर करने का सिफारिश की गई है और इनमें से किन किन के विरुद्ध सरकार ने मुकद्में दायर नहीं किये और क्यों ? इनकी तालिका सदन की मेज पर पद सहित रखने की कृपा करें।

(2) सतर्कता आयोग द्वारा अब तक किन किन राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करने की सिफारिश की गई थी और इनमें से किन किन के विरुद्ध विभागीय जांच अभी तक नहीं प्रारम्भ की गई और क्यों ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त प्रकार के अधिकारियों में आई. ए. एस., आई. पी. एस. के कौन कौन अधिकारी हैं और उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही करने की सिफारिश की गई थी और क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(4) उक्त प्रकार के अधिकारियों में से कितनों को निलम्बित किया गया और उनमें से कितनों के विरुद्ध विभागीय जांच अथवा मुकद्दमें दायर किये गये ? मुकद्दमें समाप्त होने के पहले ही कितनों को बहाल किया गया ? सदन की मेज पर मय पद के तालिका प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तालिका 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तालिका 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) तालिका 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) तालिका 'घ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उद्योग विभाग में लोक सेवा आयोग से बिना अनुमति प्राप्त किये नियुक्तियां

459. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करवाये बगैर किस किस वेतन श्रृंखला तक नियुक्ति के अधिकार संचालक उद्योग विभाग को हैं ?

(2) उद्योग विभाग में ऐसे कितने अधिकारी व टैक्नीकल स्टाफ के लोग हैं जिनकी नियुक्ति व सीनियोरिटी किसी भी पद के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग से आवश्यक होते हुए भी अनुमोदित नहीं करवाई गई है और न ही उनका चयन हुआ है ?

उत्तर

(1) संचालक, उद्योग विभाग को राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतन मान) नियम 1969 के अन्तर्गत वेतन श्रृंखला 14 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुमोदित करवाये बगैर नियुक्ति के अधिकार हैं।

(2) वर्तमान में केवल एक अधिकारी के अलावा ऐसे कोई अधिकारी व टैक्नीकल स्टाफ के व्यक्ति नहीं हैं जिनकी नियुक्ति व सीनियोरिटी किसी भी पद के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग से आवश्यक होते हुए भी अनुमोदित नहीं करवाई गई हो और न ही उनका चयन हुआ हो।

रावतसर में भूमि पर कब्जा

460. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आदूसिंह पुत्र गोरधन जाति राजपूत सा. रावतसर खसरा नं० 182 तादादी 25 बीघा पर पुराना काबिज था ? यदि हाँ, तो अब यह भूमि आदू पुत्र छोगा चमार के कब्जे में क्यों है ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(2) क्या यह सही है कि आदू पुत्र छोगा चमार की भूमि ख. नं. 246 में थी और आदूसिंह पुत्र गोरधन का नाम रिकार्ड में काटकर आदू पुत्र छोगा चमार किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार से आदूसिंह की जगह आदू चमार किया जाकर भारी रिश्वत ली गई है ? यदि हां, तो इस प्रकार से गड़बड़ करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि आदू चमार की घटिया भूमि ख. नं. 246 से उठाकर ख. नं. 182 में आदूसिंह राजपूत की जमीन में रिकार्ड में नाम बदलकर बढ़िया किस्म की भूमि पर जबरन आदूसिंह राजपूत को हटा कर आदू चमार को कब्जा दिलाया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार की गड़बड़ी की रोकथाम राज्य सरकार करेगी और दोषी को सजा देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

टोंक शहर में उद्योग

461. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार ने टोंक शहर की बेरोजगारी मिटाने के लिये गत तीन योजनाओं में कौन कौन से बड़े व छोटे उद्योग लगाये और उन पर कितनी धन राशि खर्च की गई ? योजनावार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि टोंक एक जिला मुख्यालय है और वहां पर बेकारी चरम सीमा पर है यदि हां, तो उसे मिटाने के लिये क्या योजना है ?

(3) क्या सरकार टोंक शहर को उद्योग एरिया घोषित करने का विचार रखती है ?

(4) गत तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के दूसरे जिलों में कितने बड़े व छोटे उद्योगों को लगाने के परमिट दिये गये व उनको किस किस प्रकार की सहायता, कर्जा और रियायतें दी गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां।

बेकारी के सम्बन्ध में जानकारी उद्योग विभाग को नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य के दूसरे जिलों में पंजीकृत व दूसरे उद्योगों की संख्या व उन्हें विभिन्न प्रकार की दी गई सहायता आदि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची संख्या 'क' व 'ख')

राजस्थान में छोटे पंजीकृत उद्योगों को दी गई सहायता (ऋण, बिजली पर अनुदान) तथा विभिन्न जिले जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित हैं, जहां पर औद्योगिक सम्पदा स्थित है उसका विवरण:—

सूची (क)

क्र० सं०	जिले का नाम	पंजीकृत उद्योगों की संख्या	जिले में अब तक ऋण जो दिया गया	स्थान जहां औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया	स्थान जहां औद्योगिक सम्पदा स्थित है।	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	546	11,49,475	जयपुर	जयपुर	राज्य में उद्योगों को भूमि, पानी, विद्युत, बिक्रीकर, चुंगी की सहायता व रियायतें राज्य में प्रचलित नियमानुसार दी जाती हैं।
2.	अलवर	235	2,91,350	कोटा	जोधपुर	
3.	बांसवाड़ा	261	2,05,250	जोधपुर	कोटा	
4.	बाड़मेर	160	2,82,250	बीकानेर	उदयपुर	
5.	भरतपुर	540	2,00,700	भरतपुर	बीकानेर	
6.	भीलवाड़ा	262	2,83,000	चित्तौड़गढ़	माकूपुरा (अजमेर)	
7.	बीकानेर	244	1,70,350	अलवर	भीलवाड़ा	
8.	बूंदी	17	1,52,750	सवाई माधोपुर	भरतपुर	
9.	चित्तौड़गढ़	143	5,51,500	भीलवाड़ा	पाली	
10.	चूरू	295	27,64,644	डूंगरपुर	सुमेरपुर	
11.	डूंगरपुर	25	38,700	मकराना	श्री गंगानगर	

Page No 173

12.	श्री गंगानगर	385	1,35,200	सीकर	सहायता प्राप्त औद्योगिक सम्पदा
13.	जयपुर	1047	3,38,474	नीम का थाना	फालना
14.	टोंक	26	2,27,200	बारां	रानी
15.	जालोर	167	7,85,506	भीमगंज मण्डी	पाली
16.	झालावाड़	241	6,04,650	झुन्झुनूं	
17.	झुन्झुनूं	15	5,82,800	पाली	
18.	जोधपुर	585	7,84,650	उदयपुर	
19.	कोटा	356	2,87,050	हनुमानगढ़	
20.	नागोर	298	1,48,150	नागोर	
21.	पाली	428	1,55,500	गुलाबपुरा	
22.	सवाई माधोपुर	109	11,65,400	सीकर	
23.	सीकर	136	1,26,68,849	बांसवाड़ा	
24.	सिरोही	70	7,20,000	भवानी मण्डी	
25.	जैसलमेर	18	55,20,000	गंगापुर सिटी	
26.	उदयपुर	368	39,40,849	धौलपुर	
				ब्यावर	
				विजयनगर	
				किशनगढ़	
				डूंगरगढ़	

सूची 'ख'

राजस्थान में बड़े उद्योगों को दी गई सहायता, ऋण, बिजली पर अनुदान का विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	उद्योगों की संख्या	जिले में अब तक जो ऋण दिया गया	विवरण
1	अजमेर	9	8,34,546.58	राज्य में उद्योगों को भूमि, पानी, विद्युत, बिक्री कर, चुंगी सहायता व रियायतें राज्य में प्रचलित नियमानुसार दी जाती हैं।
2	बांसवाड़ा	1		
3	भरतपुर	4		
4	भीलवाड़ा	4		
5	बीकानेर	1		
6	बूंदी	2		
7	चित्तौड़गढ़	2		
8	गंगानगर	4		
9	जयपुर	17		
10	जोधपुर	5		
11	झुन्झुनू	2		
12	कोटा	17	2,60,51,712.32	
13	पाली	2		
14	सीकर	1		
15	उदयपुर	7	34,50,000.00	
16	सवाई माधोपुर	1	97,00,000.00	
		79		

अमरपुर ग्राम के सरपंच द्वारा गबन

462. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला बीकानेर, तहसील बीकानेर के गांव अमरपुर में सन् 1963-64 के अकाल के समय वहां के कार्यवाहक सरपंच द्वारा गबन की गई राशि करीब 3000 के कारण उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है या नहीं ?

उत्तर

वाटर सप्लाई के 2,943) रु० श्री उत्तमसिंह उप-सरपंच द्वारा गलत रूप से लेने के कारण उनके विरुद्ध पी. डी. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करके प्राप्त कर लिये गये हैं।

राजपत्रित अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

463. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या भेड़-उन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भेड़ व ऊन विभाग में कार्य कर रहे समस्त राजपत्रित अधिकारियों की फाइनल वरिष्ठता सूची प्रसारित कर दी गई है? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस वरिष्ठता के अनुसार ही विभिन्न पदों पर अधिकारी कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इस वरिष्ठता के अनुसार अधिकारियों को विभिन्न पदों पर लगाया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वर्गीकरण के पद पर कार्य कर रहे अधिकारी उपरोक्त वरिष्ठता सूची में नहीं हैं? यदि हां, तो उन्हें इस पद पर कैसे लगा रखा है और कब तक उनको इस पद से हटाया जायेगा ?

(4) क्या वरिष्ठता की सूची के अनुसार अधिकारियों को 500/- से 1000/- वेतन श्रृंखला देने के आदेश प्रसारित कर दिये गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और नहीं हुए हैं तो कब तक प्रसारित कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) केवल 14 पदाधिकारियों की जो कि मूल रूप से भेड़ व ऊन विभाग के हैं, वरिष्ठता सूची प्रसारित कर दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पशुपालन विभाग के जो अधिकारी भेड़ व ऊन विभाग में कार्य कर रहे हैं उनकी तथा भेड़ व ऊन विभाग के पदाधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता तैयार करके अधिकारियों को वरिष्ठता के अनुसार विभिन्न उपयुक्त पदों पर लगा दिया जायगा। यह कार्य एक माह में कर दिया जावेगा।

(3) तीन में से केवल एक ऊन वर्गीकरण अधिकारी का नाम वरिष्ठता सूची में नहीं है। इस अधिकारी को इस पद पर इसलिए लगा रखा है कि ग्रेडिंग के विषय में उन्हें विशेष कार्यानुभव है एवं वे आस्ट्रेलिया से इस विषय में विशेष प्रशिक्षण

(भेड़-ऊन विभाग मंत्री)

प्राप्त किये हुए हैं। दोनों विभागों की वरिष्ठता सूची के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता तय की जायगी और तब इस प्रश्न पर विचार करके निर्णय लिया जावेगा।

(4) जी नहीं। दोनों विभाग के वरिष्ठता सूची के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता तय की जायगी और उसके उपरान्त ही 500/- से 1000/- की वेतन श्रृंखला देने के आदेश प्रसारित किये जा सकेंगे। यह आदेश शीघ्र ही प्रसारित कर दिये जावेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 21 देखिये)

भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजा

464. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सुनेल के इलाके के भूतपूर्व जागीरदारों के मुआवजा या बकाया चुकाने के मामले सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितनों के मय नाम व रकम बताने की कृपा करें।

(2) मध्य प्रदेश से राजस्थान में आए हुए इस इलाके के जागीरदारों को उनकी रकम समय पर चुका दे सकने के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? यह भी बतावें कि अब मुआवजा या बकाया कब तक चुका दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

टोंक जिले में बिजली की मांग

465. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतिकरण का प्रोग्राम निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो जिलेवार उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला टोंक को खास तौर पर इस वर्ष विद्युतिकरण में प्राथमिकता दी है? यदि हां, तो इस जिले के कौन कौन से क्षेत्र में विद्युतिकरण किया जावेगा कृपया तहसीलवार ग्रामों की सूची सदन में रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि ग्राम धूंवा कासिर तहसील देवली को इस वर्ष 1969 के अक्टूबर तक बिजली दे दी जावेगी? यदि नहीं, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि टोंक जिले में कई स्थानों पर बिजली की मांग की गई है और खास तौर से टोंक तहसील व टोंक निर्वाचन क्षेत्र में? यदि हां, तो कहां कहां और कब तक पूर्ण कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) सन् 1969-70 के अन्तर्गत विद्युतिकरण करने का अभी कोई भी प्रोग्राम तैयार नहीं किया गया है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Page No 177

(विद्युत मंत्री)

(2) निश्चित रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता । केवल 8 ग्रामों की स्वीकृति प्राप्त हुई है । सूची संलग्न है ।

(3) निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(4) जी हां । अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

List of 8 villages of District Tonk approved by the Secretary, R.S.E.B. vide No. RSEB/S-1/F. 4/L. 57 (9) D. 4671, dated 6-6-69.

1.	11/1/20/103	Dhanota	0.302	Tonk
2.	11/1/21/105	Golipura	0.284	-do-
3.	11/1/21/104	Kalyanpura-pigun.	0.302	-do-
4.	11/5/41/148	Molaipura	0.282	-do-
5.	11/5/41/146	Wazirpura	0.389	-do-
6.	11/5/41/147	Bicharas	0.282	-do-
7.	11/5/41/145	Lahan	0.282	-do-
8.	11/5/43/142	Daira-Hindi	0.679	-do-
		Total :	3.543	

जयपुर जिले में चरागाह की भूमि पर नाजायज कब्जे

466. श्री नाथूलाल करोल (जमवा रामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की हर एक तहसील के ग्रामों के चरागाह की जमीन पर ज्यादातर अनधिकृत कब्जे गत 3 साल से चले आ रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष चरागाह जमीन पर जो अनधिकृत कब्जे थे और जो फसल उन चरागाह जमीन पर पैदा हुई उसको नीलाम या मवेशी द्वारा नष्ट न की जाकर उन्हीं काश्तकारों को दे दी गई जिनका कब्जा था और अनधिकृत कब्जा आज तक नहीं हटाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस साल भी चरागाह जमीन पर लोगों ने कास्त करली है ? यदि हां, तो अब सरकार इस चरागाह जमीन के लिये आगे क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

एलमुनियम कण्डक्टर्स की खरीद

467. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सन् 68-69 में टेन्डर नं० 558 के द्वारा हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिकल से माल एलमुनियम कण्डक्टर्स का क्रय किया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस कम्पनी द्वारा माल निर्धारित समय पर नहीं दिया गया, जिसके कारण इस पर 50,000 रु० की पेनेल्टी लगाई गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस पेनेल्टी की वसूली नहीं की गई ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट

468. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में राज्य सरकार ने रेवेन्यू लाज कमीशन की स्थापना कब की ? इसके अध्यक्ष व सदस्य कौन कौन थे ? उनके टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या थे ?

(2) उक्त कमीशन ने राज्य सरकार को कितनी रिपोर्ट्स कब कब दी और किस किस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की ?

(3) किस किस रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने कब कब क्या निर्णय लिये और उन निर्णयों के पालनार्थ क्या क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

(4) जिन जिन सिफारिशों पर अब तक निर्णय नहीं हुए हैं वे कौन कौन सी हैं और निर्णय न होने के क्या कारण हैं ? उन पर कब तक निर्णय की संभावना है ?

(5) इस कमीशन पर राज्य सरकार का कुल खर्चा कितना हुआ ? रिपोर्ट देने में कितना समय लगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राजस्व विधि आयोग की नियुक्ति दिनांक 2 जुलाई 1962, 3 अगस्त 62, 25 अगस्त, 1962 20 सितम्बर 62 और 26 अक्टूबर 1962 के आदेशों द्वारा की गई थी। बाद में आपतकालीन स्थिति घोषित किये जाने से 30 मार्च, 1963 तक उपरोक्त आदेश स्थगित कर दिये गये। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सूची और उनके टर्म्स आफ रेफरेन्स की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्व विधि आयोग ने निम्नलिखित 5 प्रतिवेदन उनके सामने अंकित तिथि को प्रस्तुत किये:—

प्रथम प्रतिवेदन	जनवरी, 1964
द्वितीय ,,	मार्च 1965
तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम	दिसम्बर, 1965

उक्त पांचों प्रतिवेदन की एक मुद्रित पुस्तिका विधान सभा के समस्त सदस्यों को

(राजस्व मंत्री)
वितरित की जा चुकी है जिसमें आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों का समावेश है।

(3) राजस्थान राजस्व विधि आयोग ने अपना प्रथम प्रतिवेदन जनवरी 1964 में प्रस्तुत किया जिसमें राजस्थान टिनेंसी अधिनियम, 1955 को संशोधित करने और उसके प्रावधानों को निरस्त करने के लिये उन्होंने प्रतिवेदन के साथ टिनेन्सी विधेयक का प्रारूप भी संलग्न किया था। दिनांक 13-4-1965 को यह विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है और सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जा चुका है। द्वितीय प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। लैण्ड रेवेन्यू बिल पर सरकार विचार कर रही है।

तृतीय प्रतिवेदन भी सरकार के विचाराधीन है। चतुर्थ प्रतिवेदन पर यह निर्णय लिया गया कि संशोधित बिल विधान सभा में प्रस्तुत किया जावे। कोलोनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पेश हो चुका है, सिलेक्ट कमेटी ने भी रिपोर्ट तैयार करली है तथा इस सत्र में विचारार्थ लिया जा सकता है।

पंचम प्रतिवेदन पर भी बिल प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। ग्रामदान बिल तैयार है विधान सभा में पेश कर दिया है।

(4) द्वितीय प्रतिवेदन के अत्यन्त विस्तृत एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है निकट भविष्य में ही निर्णय होने वाला है।

तृतीय रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(5) इस कमीशन पर राज्य सरकार का कुल खर्चा 1,10,169 रुपये हुआ, पांचों प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में आयोग को 2 वर्ष और 9 माह का समय लगा।

(दि. 30 मार्च 63 से दिसम्बर, 65)

राजस्थान राजस्व विधि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नामावली

(1)	न्यायाधीश श्री दौलतमल भंडारी	अध्यक्ष
(2)	मा. श्री रामप्रसाद लढ्ढा	उपाध्यक्ष
(3)	श्री शोभाराम	सदस्य
(4)	श्री सोहनलाल भटनागर	,,
(5)	श्री रामानन्द अग्रवाल	,,
(6)	श्री मानकचन्द सुराना	,,
(7)	श्री मोतीलाल चौधरी	,,
(8)	श्री मथुरेशबिहारी माथुर	,,
(9)	श्री श्यामलाल	,,
(10)	श्री श्यामलाल	,,
(11)	श्री कंवरबहादुर	,,
(12)	श्री आर. एन. हावा	,,
(13)	श्री जे. एस. मेहता	,,
(14)	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	,,
(15)	श्री गोकुलभाई भट्ट	,,
(16)	श्री दुर्गालाल बाढ़दार	,,
(17)	श्री यशवन्तसिंह नाहर	,,
(18)	श्री ए. ए. डोरो, सदस्य सचिव	सदस्य-सचिव ।

(1) The terms of reference of the Commission were:—

1. To examine the existing system of land tenures and tenancy in Rajasthan and to report on—

   (a) What has been the impact on the peasantry land reforms and tenancy legislation so far undertaken in Rajasthan.

(b) Whether the existing tenures and tenancies are suitable, and if not, what changes are required to bring them more in conformity with modern notions of tenures and tenancies.

2. To examine the existing Acts, Ordinances, and subsidiary legislation in order to review, revise, amend and simplify the laws with a view not only to remove their complexities superfluities and lacunae, if any, but also to make them more effective instruments for the achievement of the social objectives embodied in Part IV of the Constitution of India and set out in the Five Year Plans; and

3. To examine the effect of all existing laws and regulations effecting tribals and specially the provisions of laws which prevent transfer of land of tribals to non-tribals.

Page No 182

जवाहर कोलोनी बूंदी

469. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी शहर में मीरा गेट के सामने क्या बिला आज्ञा जवाहर कोलोनी के नाम से एक बस्ती बस गई है ?

(2) यह जमीन किस की मिलकियत है ? नगरपालिका की या मण्डी कमेटी की ?

(3) इस आबादी में कुल कितने मकान हैं और इनमें कितने परिवार रहते है ?

(4) क्या किसी ने आज्ञा प्राप्त करके मकान बनाये हैं अथवा सभी ने बिना आज्ञा के ?

(5) सरकार ने किन कारणों से यह मकान नहीं तुड़ाये ?

उत्तर

(1) जी हां, बूंदी शहर में मीरा गेट के पास जवाहर कोलोनी नामक कोलोनी का निर्माण किया गया हैं ।

(2) यह भूमि मण्डी कमेटी की है ।

(3) 36 मकान बने हैं तथा इतने ही परिवार रहते हैं ।

(4) बिना आज्ञा मकानात बनाए गए हैं ।

(5) मामला मण्डी कमेटी के विचाराधीन है ।

तहसीलदार सूरतगढ के विरुद्ध शिकायतें

470. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर योजना उपनिवेशन नं० 3 सूरतगढ़ में इस वक्त नियुक्त तहसीलदार सूरतगढ़ में कितने समय से नियुक्त है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार व हल्के व्यवहार के लिए शिकायतें राज्य सरकार को की गई हैं ? यदि हां, तो कितनी व किस किस बाबत व उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई व क्या नतीजा निकला, अगर कोई जांच वगैरह की गई हो तो ?

(3) क्या उपरोक्त तहसीलदार के खिलाफ छुआछूत पटवारी से करने हेतु हनुमानगढ़ में केस चल रहा है ?

(4) क्या छुआछूत करने हेतु प्रेम कुमार पटवारी ने राज्य सरकार को अर्जियां दीं ? यदि हाँ, तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) इस वक्त तहसीलदार श्री गुमान सिंह दिनांक 20 फरवरी, 1969 से तहसीलदार पद पर नियुक्त हैं ।

(2) जी नहीं । कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं ।

(राजस्व मन्त्री)

(4) उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ श्री प्रेमकुमार पटवारी की तरफ से ऐसी कोई शिकायत की अर्जी पेश नहीं की गई। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

झालावाड़ की जेल से फरार कैदी

471. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ता० 27-7-69 रात्रि को लगभग 1 बजे जिला झालावाड़ की जेल से 3 कैदी फरार हो गए? ये किन किन अपराधों में बन्दी थे? क्या इन्हें सजा हो चुकी थी? कितनी कितनी, इनके नाम व पूरा पता बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन कैदियों को एक ही बैरक में बन्द कर रखा जाता था? क्या ये लोग उजालदान के जरिए तारों को काटकर बाहर निकले थे? कितने तारों को काटकर गया, तार कितने मोटाई के थे? क्या तारों को आरी से काटा गया है?

(3) क्या यह सही है कि जिस वक्त कैदी भागे उस वक्त पहरे पर सिपाही मौजूद था? उसने खतरे की सीटी क्यों नहीं बजाई? क्या छत पर भी उस समय पहरेदार मौजूद था जिसने कैदियों को भागते हुए देखा?

(4) इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) दिनांक 27-7-69 की रात्रि को लगभग 1 बजकर 45 मिनट पर तीन विचाराधीन बन्दी उप-कारागृह झालावाड़ से फरार हो गए थे। जिनके नाम व पूरा पता निम्न भांति है। जिन्हें सजा नहीं हुई थी:—

1. मदन पुत्र पन्नालाल बलाई निवासी ग्राम भादरा पुलिस स्टेशन खानपुर जिला झालावाड़, जुर्म दफा 302, 377 व 452 ता० हि० के अन्तर्गत था।

2. हरजी पुत्र भीमा बनजारा, ग्राम नयान्दा, पुलिस स्टेशन गंगधार, जिला झालावाड़, जुर्म दफा 363 व 366 ता० हि० के अन्तर्गत था।

3. गुलाबचन्द पुत्र भैरूलाल मील, ग्राम पाटन, पुलिस स्टेशन पाटन, जिला झालावाड़, जुर्म दफा 302 ता० हि० के अन्तर्गत था।

(2) जी हां, लेकिन यह लोग उजालदान के जरिए तारों को काट कर न भाग निकले थे। बल्कि जिस बेरक में यह बन्दी बन्द किए हुए थे उस बेरक के आखरी जंगले की आखरी सलाख को बीच की आड़ी पत्ती के पास से काट कर जिसकी मोटाई 1 इंच की थी उस सलाख को बेरक के अन्दर की ओर मोड़ कर तीनों मुलजिम बेरक से निकल कर दीवार के पास पास जाकर जनानी बेरक के पास वाली बेरक के दरवाजे से छत पर चढ़ कर टट्टियों की ओर से मोरी में कम्बल बांध कर बाहर की ओर निकल कर भागने में सफल हो गए।

(कारागृह मन्त्री)

(3) मौके पर सिपाही मौजूद था। परन्तु रिपोर्ट यह है कि उसको उस समय निद्रा आ गई। आंख खुलते ही उसने कैदियों को आवाज लगाई और वह उधर गया भी। उनको वहां न पाकर उसने सीटी बजाई।

(4) फिलहाल तो जो वॉर्डर उस समय ड्यूटी पर था उसको तुरन्त निलम्बित कर दिया गया। जिलाधीश, झालावाड़ द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

पाली जिले में राजस्व कर्मचारियों के तबादले

472. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि सरकारी अल्प वेतन भोगी राजस्व कर्मचारियों को जिले से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जावें ?

(2) पाली जिले से 1 जनवरी, 1968 से आज दिन तक कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण होम जिले के बाहर किस किस स्थान पर किन किन कारणों से कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त स्थानान्तर करने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी हां। समस्त अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये ही सरकार ने ऐसी नीति बना रखी है कि सामान्यतः उनका होम डिस्ट्रिक्ट से दूसरे जिले में स्थानान्तरण नहीं किया जावे।

(2) पाली जिले से निम्न दो पटवारियों का स्थानान्तरण होम जिले से बाहर जालौर जिले में उनके विरुद्ध शिकायतें होने के कारण किया गया:—

1. श्री मोहनसिंह
2. श्री झाबरसिंह

3. प्रशासनिक कारणों से।

निरीक्षण शुल्क

473. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में इलेक्ट्रिक मोटर होल्डर से 5) रु० प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष निरीक्षण शुल्क (इन्सपेक्शन फी) ली जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह धनराशि किसानों को (उपभोक्ताओं को) मनी आर्डर से सरकार को जयपुर भेजनी पड़ती है ?

(3) क्या सरकारी निरीक्षक प्रति वर्ष इन मोटर होल्डर्स की मोटरों को निरीक्षण करने जाते हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, निरीक्षण शुल्क 5 किलोवाट तक 5 रुपया है।

(विद्युत मंत्री)

(2) उपभोक्ताओं को नोटिस मिलने पर यह शुल्क सुविधानुसार निर्धारित अवधि में ट्रेजरी चालान, पोस्टल आर्डर, नकद या मनीऑर्डर द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराना पड़ता है।

(3) मध्यम दबाव के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण प्रति वर्ष एवं लघु दबाव वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण पांच वर्ष में एक बार किया जाता है।

ग्राम केजड़ में नायब तहसीलदार द्वारा आवंटित भूमि

474. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर ग्राम केजड़ में श्री हमीरा बलाई (हरिजन) को नायब तहसीलदार, सराड़ा ने कितने बीघा जमीन दी ? इन व्यक्तियों के पास कितने बीघा जमीन है ?

(2) क्या सरकार का नियम है कि भूमिहीन को जमीन दी जावे।

(3) क्या किसी पटवारी ने श्री कालूदास को एक फर्जी जिन्सवार दी है ? यदि हां, तो कौन से पटवारी ने दी है। कृपया उनकी प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) श्री कालूदास बैरागी के खाते कितने बीघा जमीन है ? क्या इसके परिवार में किसी और के खाते हैं ?

उत्तर

(1) नायब तहसीलदार, सराड़ा या तहसीलदार, सराड़ा ने ग्राम केजड़ में श्री हीरा हमीरा बलाई को कोई भूमि नहीं दी। इन दोनों व्यक्तियों के नाम पर ग्राम केजड़ में कोई भूमि खेवट खतौनी में अङ्कित नहीं है।

(2) जी हां।

(3) किसी पटवारी द्वारा कालूदास को फर्जी खसरा जिन्सवार की प्रतिलिपि नहीं दी, अलबत्ता तहसील द्वारा खसरा जिन्सवार की प्रतिलिपि जिन आराजियात की श्री कालूदास को दी उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) ग्राम केजड़ में कालूदास के नाम पर खाता नं० 145 में आराजी किता 17 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा अङ्कित है। कालूदास के पिता श्री दौलतराम के नाम पर ग्राम केजड़ में खसरा नं० 146 आराजी किता 6 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि अङ्कित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा सचिवालय में रखी गई)

गंगापुर खेड़ा विद्युत लाइन

475. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तारीख 27-6-67 को मामूली आंधी आने से छान

(श्री श्रवणलाल)
बिनेगा के पास में गंगापुर से खेड़ा जाने वाली लाइन के 9 लट्ठे उखड़ गये थे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इन लट्ठों के उखड़ जाने से 3 दिन तक बिजली बन्द रही थी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इन तीन दिनों में शादियां अधिक थीं, और परेशानी का सामना करना पड़ा था ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि जो लट्ठे उखड़े थे उसमें बजरी व मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं था और उसके कारण बिल्कुल उखड़ गये ?

(5) इस लाइन का कार्य किस ठेकेदार को दिया गया था और उसने सीमेन्ट की जगह बजरी से ही काम क्यों चलाया ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि इस प्रकार के कार्य कराने में जनता को बार बार नुकसान व परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

(7) इस लाइन पर कार्य करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ताज सरोवर बांध के पेटे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

476. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी सब-डिवीजन की सरवाड़ा तहसील के ताज सरोवर बान्ध के पेटे में अलाटियों के अलावा अन्य लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ? अगर हां, तो कितने व्यक्तियों ने और कितनी कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या अनधिकृत कब्जा करने वालों पर धारा 91 का मुकदमा बनाया गया ? अगर हां, तो किन किन पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन को तहसीलदार सरवाड़ ने गरीब अकालग्रस्त किसानों के नाम पर अलाट की थी ?

(4) क्या सरकार अनधिकृत कब्जे करने वालों की फसल कुर्क कर नीलामी की कार्यवाही व अनधिकृत कब्जेधारियों से शास्ती वसूल करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि इस तालाब की पेटा भूमि में अलाटियों के अलावा कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा किया है। वांछित सूची (क) संलग्न है।

(2) कुछ व्यक्तियों ने अलाट शुदा खसरा नम्बर की भूमि को काश्त न करके अन्य खसरा नम्बर को काश्त कर अनधिकृत कब्जा किया है। जिसकी सूची भी संलग्न है।

(राजस्व मन्त्री)

इसी प्रकार कुछ अलाटीज ने अलाट शुदा रकबे के उपरान्त अधिक रकबा काश्त कर अनधिकृत कब्जा किया है। जिसकी सूची (ख) संलग्न है। इस प्रकार कुल 62 व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा किया है। 2 अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 91 के अधीन मामले दर्ज किये जाकर कार्यवाही की जा रही है। सूचियां वही हैं, जो प्रश्न नम्बर 1 में दी गई है।

(3) तहसीलदार द्वारा अलाटीज को पेटा भूमि नियमानुसार अलाट की गई है।

(4) तहसीलदार द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम, 1956 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है व आगे भी की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छीपाबड़ौद कस्बे में बिजली

477. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए कुओं पर बिजली देना चाहती है ? अगर हां, तो क्या कारण है कि तहसील छीपाबड़ोद के कस्बे तोंचा, आखाखेड़ी, हरनावदा, शाहजी व गोरधन पुरा–हरनावदा आदि गांवों में बिजली नहीं दी जा रही है ? जबकि ग्राम आखाखेड़ा में तो खम्भे भी गड़ चुके हैं ?

उत्तर

जी हां। स्वीकृत योजनाओं में शामिल नहीं होने व धनाभाव के कारण।

आखाखेड़ी में गलतफहमी से पोल खड़े कर दिये गये थे। यह ग्राम स्वीकृत योजना में नहीं है।

सुमेरपुर में विद्युत् संकट

478. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सुमेरपुर (जिला पाली) में विद्युत् संकट या अव्यवस्था सन् 1962 से अभी तक क्यों चली आ रही है ? उसके निवारण के लिये क्या किया गया है, एवं इस संकट का पूरा निवारण कब तक कर दिया जायगा ?

(2) क्या यह सही है कि सुमेरपुर में विद्युत् के कनेक्शन्स तीन हजार से अधिक हैं ? यदि हां, तो क्या सहायक अभियन्ता का कार्यालय सिरोही में स्थित होने से उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सहायक अभियन्ता का मुख्यालय सुमेरपुर में स्थापित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) लाईन पर बाधा आने के कारण या पावर हाउस फालना की उपयोगिक क्षमता से अधिक लोड होने पर कुछ समय के लिये यदाकदा इस क्षेत्र में विद्युत बंद रहती थी, अन्यथा नहीं। समीपवर्ती क्षेत्र को बाब्बल

(विद्युत मंत्री)
विद्युत से जोड़ा जा रहा है। 9-10 महीने में।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न
(16, 18 व 22-8-69)

गंगानगर जिले में सैनिकों को भूमि का अलाटमेंट

103. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूतपूर्व सैनिकों तथा वर्तमान सैनिकों को कृषि हेतु भूमि आवन्टन करने हेतु किस किस क्षेत्र में कितनी भूमि सुरक्षित रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषणा की गई ?

(2) इस समय कहां कहां और कितनी कितनी भूमि सुरक्षित है ?

(3) कितने सैनिकों को कहां कहां कितनी कितनी भूमि अब तक आवन्टित की जा चुकी है कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) गंगानगर जिले में किस किस प्रकार की भूमि किन किन सैनिकों को कितनी कितनी कब कब आवन्टित की गई ? कृपया इनकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) गंगानगर में भूमि प्राप्त करने वाले इन सैनिकों में कौन कौन ऐसे हैं जो फौज में सेवा करते वक्त राजस्थान के निवासी थे और कौन कौन नहीं ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवारत सैनिकों को कृषि भूमि आवंटन हेतु किसी क्षेत्र में कोई भूमि सुरक्षित रखने हेतु राज्य सरकार की कोई घोषणा नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) 3,003 सैनिकों को 46,478 बीघा भूमि आवंटित की गई है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(4) भाखरा एवं गंग कैनाल क्षेत्र में 261 सैनिकों को व 2 सैनिक समितियों को 7416।।) बीघा एवं राजस्थान कैनाल में 372 विकलांग एवं वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को 5,915 एकड़ भूमि आवंटित की गई। तालिका संलग्न है।

(5) इस जिले में जिन सैनिकों को भूमि आवंटित हुई है वो राजस्थान के निवासी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न
(16-8-69 व 22-8-69)

भूतपूर्व जैसलमेर स्टेट की कस्टम ड्यूटी की राशि

124. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जैसलमेर रियासत के समय जागीरदारों को

(श्री बालसिंह सोढा)
स्टेट को कस्टम ड्यूटी का कुछ हिस्सा दिया जाता था और स्टेट के मर्जर के समय 18000/- की राशि बाकी थी और वह राजस्थान सरकार में आज भी बाकी है ? अगर हां, तो आज तक राज्य सरकार ने जागीरदारों को भुगतान क्यों नहीं किया और भविष्य में कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार भुगतान के समय इन बीस वर्षों से पड़ी राशि पर ब्याज देने की भी व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं, तो क्या कारण हैं।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(19-8-69)

सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुरक्षित भूमि

185. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर जिलों के उन गांवों के लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार का कोई विचार है जिनका जीवन आधार मवेशी था और प्रकृति के प्रकोप के कारण वह नष्ट हो गया है ? अगर हां, तो वह क्या है और उसे कब तक कार्य रूप दिया जावेगा ? अगर ऐसा विचार नहीं है, तो क्यों ?

(2) क्या राजस्थान नगर क्षेत्र में इन रेगिस्तानी जिलों के लोगों के लिये भूमि सुरक्षित रखी गई है ? यदि हां, तो कितनी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के एक भी आदमी को भूमि का आवंटन नहीं किया गया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या भविष्य में राज्य सरकार के ऐसी योजना विचाराधीन है जिसमें सीमावर्ती जिलों के निवासियों को भूमि दी जावेगी ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(29-8-69)

दी अम्लगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि. अजमेर

234. श्री परसराम गंगाराम (पर्वतसर सु.) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दी अम्लगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि. अजमेर को राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस भाव से बिजली देती है और दी अम्लगमेटेड कम्पनी लि. अजमेर कन्जूमर्स को किस भाव से बिजली देती है ?

(2) दी अम्लगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि. अजमेर का राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एग्रीमेंट कितने वर्षों तक का है और कब खत्म होगा ?

(श्री परसराम गंगाराम)

(3) दी अम्लगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि. अजमेर के पास कन्जूमर्स सरचार्ज की कितनी रकम है और उसका मासिक ब्याज क्या होता है ? क्या उपरोक्त रकम कन्जूमर्स को वापिस देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अजमेर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्टीब्यूटिंग लाइसेन्स को जिस भाव से बिजली देता है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है व अम्लगमेटेड कं० जिस भाव से अपने कन्जमर्स को बिजली देती है उसकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस कम्पनी से जो एग्रीमेण्ट 12-4-61 को किया गया है वह 31-3-71 को खत्म हो जावेगा ।

(3) गवर्नमैण्ट के आर्डर के अनुसार जो भी जनरल सरचार्ज कम्पनी अपने कन्जूमर्स को बिल करती है, व वसूल करती है, वह सारा सरचार्ज बोर्ड को देना होता है । यह तमाम सरचार्ज 31 दिसम्बर, 1968 तक कम्पनी ने बोर्ड को दे दिया है । इस रकम को कन्जूमर्स को वापिस करने का सवाल उठता ही नहीं है । कम्पनी इसके बाद भी सरचार्ज जमा करा रही है लेकिन अभी उसका हिसाब नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(22-8-69)

सवाई माधोपुर के ग्रामों को बिजली

306. श्री हरिबल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ग्रामीण विद्युत विस्तार योजना के अन्तर्गत किस किस जिले में कितने कितने ग्रामों में विद्युतिकरण एवं कितने कितने ग्रामों में कृषि उत्पादन हेतु विद्युत विस्तार किया गया और उसमें क्या व्यय हुआ ? कृपया सूची जिले में ग्रामों की संख्या एवं व्यय की धनराशि बतलाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इस योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में यह निर्णय करने के लिये कि एक जिले से दूसरे जिले में विभेद न हो, क्या माप दण्ड अपनाया गया ?

(3) चालू वित्तीय वर्ष में सवाई माधोपुर रेवेन्यू जिले में कितने ग्रामों के लिये बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्युत्तिकरण एवं कृषि उत्पादन के विस्तार हेतु सिफारिश की गई और बोर्ड द्वारा कितने स्थानों के लिए स्वीकृति दी गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) प्रत्येक जिले में ग्रामों का विद्युतिकरण एवं कुओं को कनेक्शन देने का कार्य वहां की कृषि उत्पादन क्षमता, भूमिगत

Page No 191

(विद्युत मन्त्री)

जल, भूमि की उर्वरा शक्ति, औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास, कुओं की संख्या, इच्छुक कृषकों की कनेक्शन हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों आदि आदि अनेकों तथ्यों पर आधारित होता है। अस्तु प्रत्येक जिले में विभिन्नता की दृष्टि में रखते हुए एक ही मापदण्ड से विद्युतिकरण करना कठिन है, फिर भी यथाशक्ति विभिन्नता को हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(3) चालू वितीय वर्ष के लिये विद्युतिकरण कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है अस्तु इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे इस वर्ष में इस जिले में निम्नलिखित ग्रामों को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृति हो चुकी है:—

1. वजीरपुर
2. खेड़ा
3. गुजरतलटा
4. पीपलीया

स्थगित प्रश्न
(22-8-69)

राज्य को विद्युत योजना

307. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1968–69 के लिए राज्य सरकार की विद्युतिकरण की क्या योजना तैयार की गई है? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वर्ष 1968–69 के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकार की कितनी धनराशि दी गई है?

(3) क्या यह सही है कि एल. आई. सी. से भी विद्युत विभाग को कोई ऋण स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कितना?

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष विद्युत विभाग द्वारा कोई नये कार्य चालू नहीं किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

(5) क्या विद्युत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि इस वर्ष के कार्य पूर्ण कराये जायं जो गत वर्ष धनाभाव के कारण रह गये थे? यदि हां, तो ऐसे कितने कार्य थे और किन किन पर कार्य चालू किया जा चुका है?

उत्तर

(1) वर्ष 1968-69 की ग्रामीण विद्युतिकरण की जो विद्युत स्वीकृत योजना प्राप्त हुई है वह सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से 1968-69 में 595 लाख रुपये की धनराशि दी गई।

(3) जी हां, वर्ष 68-69 में एक करोड़ रुपये का ऋण जीवन बीमा निगम से प्राप्त किया गया था।

(4) जी नहीं। इस वर्ष के काफी नये कार्य मन्जूर किये गए।

(विद्युत मंत्री)

(5) जी हाँ, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन कार्यों को चालू किया गया है उनकी सूची उपलब्ध नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(22-8-69)

ग्राम चोंप के चरागाह पर नाजायज कब्जा

308. श्री नाथूलाल करील (जमवा-रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम चोंप तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर के चारागाह पर किसी काश्तकार ने अनधिकृत कब्जा करके सन् 1967-68 की वर्षा में खरीफ की फसल बोई थी और एस.डी.ओ., आमेर व तहसीलदार द्वारा खड़ी फसल को पकने पर नीलाम किया गया था?

(ख) क्या यह सही है कि इस खड़ी फसल की बोली एक खटीक जाति के काश्तकार के नाम खत्म की गई थी और फिर बाद में उसी काश्तकार के नाम नीलाम की रकम रख दी गई जिसने चरागाह को काश्त किया था?

उत्तर

(क) जी हाँ।

(ख) नीलाम सम्बन्धी रेकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस व्यक्तियों द्वारा चरागाह पर अनधिकृत कब्जा करता पाया गया था।

जी हाँ।

सम्वत् 2025 में अनधिकृत काश्त के बाबत कार्यवाही की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

ग्राम सोहन खेड़ा में काश्तकारों पर जुर्माने

257. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम सोहन खेड़ा, पंचायत बुधखान, तहसील रामगंज मंडी के श्री नाथूलाल पुत्र नन्दा भील, श्री बज रंगलाल खाती, श्री प्रभूलाल सुपुत्र श्री राम धाकड़ व दूसरे लोगों पर कुल मिलाकर करीब 1600) रु० जुर्माना व पैनेल्टी गलत नम्बर काश्त कर लेने के कारण हुई है?

(2) क्या इसी प्रकार श्री बिरधा सुपुत्र भैरू चमार, नानूराम सुपुत्र भैरू चमार, चम्पा सुपुत्र फूलचन्द धोबी, कजोड़ सुपुत्र गंगा चमार, मंगला सुपुत्र गंगा चमार व ग्राम कुदायला तहसील रामगंज के अनेकों दूसरे व्यक्तियों पर भी गलत नम्बरों पर काश्त करते रहने के कारण केस चलाये गये हैं?

(श्री भुकारसिंह)

1600 रु० जुर्माना व पेनैल्टी गलत काश्त कर लेने के कारण होना सही नहीं है।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों के नाम कायदे से भूमि एलाट की गई थी और पटवारी द्वारा कब्जा दिया गया था और वे वर्षों से इसी जमीन पर काश्त करते आ रहे हैं ?

(2) जी हां, यह सही है।

(3) प्रश्न नं० 2 के आसामियों को भूमि आवंटित की जाना व पटवारी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा देना सही है। लेकिन आवंटनी ने आवंटित भूमि को अपनी मर्जी से छोड़कर अन्य भूमि पर काश्त करना शुरू कर दिया। अप्राधिकृतरूप में कब्जा की गई भूमि का लगान नहीं लिया जाता है।

(4) सरकारी मुलाजिमों द्वारा गलत कब्जा दिलवाने या गलत नम्बरों पर काबिज व्यक्ति को काश्त करते चले आने देने के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और अब तक कितने सरकारी मुलाजिमों के विरुद्ध किसानों को परेशानी में डालने के कारण कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) राज्य कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित भूमि पर ही आवंटनी को दखल दिया जाता है। गलत खसरा नम्बरों पर कब्जा दिये जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है इसलिए कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(1) ग्राम सोहन खेड़ा में भूलाल, बजरंगलाल व प्रभु व अन्य लोगों पर अनधिकृत कब्जा करने के कारण 257.25 रु. जुर्माना किया गया है।

Page No 194

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० सं० 714 की सूची)

Name	Date	Book/Article
1. Shri Gauri Shankar Goswami, Asstt. Secy. to Govt.	15-5-65	Compilation of Compendium for Government Servants.
2. Shri M. L. Sethi, Director of Mines & Geology.	4-8-67	Articles on Fluerspar in Rajasthan.
3. Shri Tej Singh Mehta, Dy. Regional Employment Officer.	6-7-66	The Employment Exchange (compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and Rules and Notifications along with Explanatory notes.
4. Shri Prakash Chandra Agrawal, R. J. S,	10-1-67	Solved R. J. S. Examination questions.
5. Shri Jeev Raj Kanungo, R. J. S.	27-6-67	सांभर झील में खेती व सपनों द्वारा चोरी।
6. Shri Nagraj Mehta, R. J. S.	23-6-69	Solved R.J.S. Examination papers.

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं॰ 718 की सूची)

तालिका

क्र॰ सं॰	नाम अधिकारी	पद	आरंभ के स्थानान्तरण की आज्ञा क्र. सं. व दि॰	रद्द या संशोधित किये गये	संशोधित आज्ञा क्र॰ संख्या व दिनांक	रद्द व संशोधित किये जाने के कारण
1	2	3	4	5	6	7
			1–राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारीगण			
1.	श्री संकटाप्रसाद मेहता	मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोटा	नं. इएसटी (आर. जे. एस. 83/69 दि. 14-5-69	रद्द	इएसटी (आर. जे. एस. 95/69 दि. 7-6-69	चूंकि कुछ मुंसिफों के पदों को सिविल जजों के पदों में पदोन्नति की राज्याज्ञा जारी होना संभावित था इसलिये उच्च न्यायालय ने स्थानान्तरण को रोकना उचित समझा। परन्तु बाद में पदोन्नति की आज्ञा के
2.	श्री नागराज मेहता	मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर सिटी (ईस्ट)	,,		,,	
3.	श्री कृष्णस्वरूप	मुंसिफ मजिस्ट्रेट सिरोही	,,		,,	
4.	श्री आर. डी. अनेजा	मुंसिफ मजिस्ट्रेट दौसा	,,	संशोधित	,,	
5.	श्री सतीशचन्द मित्तल	मुंसिफ मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा	,,	,,	,,	
6.	श्री शशिकान्त शर्मा	मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर जिला	,,	रद्द	,,	

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्री के. एल. सक्सेना	अति. मुंसिफ मजिस्ट्रेट नं. 2 जयपुर जिला	,,	रद्द	,,	प्रसारण में विलम्ब को देखते हुए कुछ अधिकारियों का स्थानान्तर आवश्यक समझा गया। कर दिया गया।
8.	श्री एस. सी. वर्मा	मुंसिफ मजिस्ट्रेट बिलाड़ा	,,	,,	,,	
9.	श्री सुनीलकुमार गर्ग	मुंसिफ मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ़	,,	,,	,,	
10.	श्री नेमीचन्द गर्ग	अति. मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर (पश्चिम)	,,	संशोधित	,,	
11.	श्री अमरेशकुमारसिंह	अति. मुंसिफ मजिस्ट्रेट नं. 2 धौलपुर	,,	,,	,,	
12.	श्री जगदीशप्रसाद	अति. मुंसिफ मजिस्ट्रेट बयाना	,,	रद्द	,,	
13.	श्री बी. डी. जोहरी	अति. मुंसिफ मजिस्ट्रेट नं. 1 कोटा	,,	,,	,,	
14.	श्री नृपतिसिंह	मुंसिफ मजिस्ट्रेट करौली	,,	,,	,,	
15.	श्री ओ. पी. अग्रवाल	अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट करौली	इएसटी (आर. जे. एस) 83/69 दि. 14-5-69	संशोधित	इएसटी (आर जे. एस) 95/69 दि. 7-6-69	
16.	श्री एन. के. खत्री	मुंसिफ मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा		रद्द		
17.	श्री विशम्भर दयाल	अति. मुंसिफ मजिस्ट्रेट बूंदी	,,	संशोधित	,,	

2—आर० एच. जे. एस. अधिकारी

1.	श्री जी. एल. मिश्रा	दीवानी एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	नं. 78/68 दि. 18-5-68	रद्द	आज्ञा 78/68 दिनांक 18-5-68 को श्री एन. सी. जैन व श्री जी. एस. मिश्रा का स्थानान्तरण किया गया परन्तु स्वास्थ्य खराब होने के कारण सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये जाने पर श्री मिश्रा के सम्बन्ध में आज्ञा रद्द की गई और अंत में श्री मिश्रा का देहावसान हो गया।
2.	श्री ए. सी. कल्ला	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	45/69 दिनांक 15-3-69		श्री एस. सी. कल्ला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आज्ञा संख्या 45/69 दिनांक 15-3-69 के अनुसार श्री गंगानगर स्थानान्तरण किया गया परन्तु श्री कल्ला ने प्रतिवेदन में बताया कि उनके भाई डी. एम. एच. ओ., गंगानगर में हैं जिन्हें उनके न्यायालय में अक्सर सरकारी गवाह के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा इसलिये आज्ञा संख्या 57/69 दिनांक 24-3-69 के द्वारा स्थानान्तरण रद्द किया गया।

Page No 198

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 719 की सूची)

ANNEXURE 'A'

List of District and Sessions Judges, who on their retirement after 1-4-1968 were re-employed by the State Government.—

1. Shri Anop Singh.
2. Shri G. N. Sharma.
3. Shri B. C. Ojha.
4. Shri D.S. Acharya.
5. Shri B.K.D. Badgel.

ANNEXURE 'B'

List of District and Sessions Judges, who on attaining age of superannuation were retired after 1-4-1968.—

1. Shri Anop Singh.
2. Shri G. N. Sharma.
3. Shri B.C. Ojha.
4. Shri D. S. Acharya.
5. Shri B. K. D. Badgel.
6. Shri Daya Chand Jain.
7. Shri Sardar Singh.

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. सं. 721 की सूची)

उप-कारागृह बारां पर रखे कैदियों का हर माह का ब्यौरा

माह	बन्दी	माह	बन्दी
जुलाई, 68	50	जनवरी, 69	62
अगस्त, 68	53	फरवरी, 69	53
सितम्बर, 68	60	मार्च, 69	55
अक्टूबर, 68	57	अप्रेल, 69	78
नवम्बर, 68	61	मई, 69	83
दिसम्बर, 68	57	जून, 69	75

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. स. 726 की सूची)

List of villages electrified in Ladnu

Election Constituency Area.

		Date of Electrification.
1.	Ladnu	31-12-62.
2.	Jashwantgarh	Sept., 63
3.	Mithri	15-2-67
4.	Ledi	30-3-65
5.	Kusumbi	30-3-65

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 734 की सूची)

सूची ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने गम्भीरी एवं ओराई बांध के कमाण्ड एरिया में दोनों ही जगह भूमि अलाटमेन्ट कराई।

क्र०सं०	नाम व्यक्ति	तहसील चित्तौड़गढ़ (गंभीरी प्रोजेक्ट)	तहसील (ओराई प्रोजेक्ट)
1.	रामेश्वरलाल पिता रंगलाल काबरा निवासी चित्तौड़गढ़।	ग्राम सैंती में 4)	ग्राम जोधपुरिया में 5)
2.	श्री स्वतन्त्रभूषण पिता चतुर्भुज गर्ग निवासी कपासन।	ग्राम ढ़ाढ़ण 10)	दुगार 10)
3.	श्री सुरेन्द्रकुमार पिता प्यारेलाल नाई निवासी चित्तौड़गढ़।	ग्राम सैंती 5)	दुगार में 6)
4.	ओमप्रकाश पिता शिवदयाल अग्रवाल निवासी चित्तौड़गढ़।	शंभूपुरा 4)	रूपपुरा 5)
5.	श्री लादूलाल पिता चम्पालाल न्याती निवासी चित्तौड़गढ़।	ढ़ाढ़ण में 3)	लोहारिया में 3)
6.	श्री नानूराम पिता मोतीराम भंडारी निवासी चित्तौड़गढ़।	सूरजपोल 6)	भाकोड़िया में 5)
7.	श्री बंशीलाल पिता मगनीराम सुनार निवासी चित्तौड़गढ़।	ढ़ाढ़ण में 3)	लोहारिया में 5)
8.	श्रीमती शीला पंचोली पत्नी श्री कृष्णचन्द्र पंचोली निवासी चित्तौड़गढ़।	सैंती में 5)	दुगार में 10)
9.	श्री चंदूमल पिता मीठूलाल कनोड़ा निवासी चित्तौड़गढ़।	ओछड़ी में 10)	दुगार में 5)

Page No 202

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. सं. 738 की सूची)

फहरिस्त आवंटन सं० 2022 ग्राम छाबड़िया तहसील केकड़ी

क्रम सं०	नाम ग्राम	नाम अलाटीज जिसके नाम भूमि अलाट की गई	खसरा नं०	रकबा
1	2	3	4	5
1.	छाबड़िया	श्री मूला पुत्र हरदेव कौम धोबी	78	15)
2.	,,	,, अमोलक चन्द पुत्र सुगनचन्द	77	5॥)
3.	,,	,, लक्ष्मीनारायण पुत्र हरकराम ब्रा०	568	15)
4.	,,	,, लादू पुत्र बालू कौम कुम्हार	473	10)
5.	,,	,, देवी पुत्र छीतर कौम लुहार	77	15)
6.	,,	,, बख्तावर पुत्र बालू चमार	77	10)
7.	,,	,, भैरू पुत्र सुगन्या कौम चमार	77	10)
8.	,,	,, भवानीशंकर पुत्र बजरंग दमामी	77	10)
9.	,,	,, गोकुल पुत्र श्री किशन खाती	473	15)
10.	,,	,, माधू पुत्र देवी कौम मांड्या	77	15)
11.	,,	,, बख्तावर पुत्र हरदेव कौम धोबी	12	5)2
12.	,,	,, हजारी पुत्र गिरधारी गूजर	354	7॥)
13.	,,	,, बजरंगलाल पुत्र सोहनलाल ब्रा०	584	10)
14.	,,	,, ईश्वरदास पुत्र लीलाराम स्वर्णकार	77	10)
15.	,,	,, गोविन्दराम पुत्र भूरालाल दमामी	77	10)
16.	,,	,, टेकचन्द पुत्र बंशीमल स्वर्णकार	77	15)
17.	,,	,, रामा पुत्र ओंकार कौम धोबी	79	10)
18.	,,	,, जमाल खां पुत्र इमाम बक्ष मु०	12	5)
19.	,,	,, काना पुत्र वालू कौम गूजर	473	1॥)
20.	,,	,, बद्री पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्रा०	193	15)
21.	,,	,, मांगू पुत्र धूला कौम गूजर	134	6)
22.	,,	,, बद्री पुत्र देवी चमार	193	5)
23.	,,	,, आनन्दी पुत्र कालू चमार	193	5)
24.	,,	,, उरजना पुत्र कालू चमार	193	5)
25.	,,	,, गंगाराम पुत्र चतरा कौम रेगर	77	10)

1	2	3	4	5
26.	छावड़िया	श्री ओंकार पुत्र गोला कौम चमार	77	10)
27.	,,	,, जगदीश पुत्र धन्ना कौम ब्राह्मण	77	10)
28.	,,	,, बीरमा पुत्र लाला कौम रेगर	77	5)
29.	,,	,, गोदू पुत्र सेवा चमार	79	2॥)
30.	,,	,, भूरा पुत्र गोरू खटीक	79	2॥)
31.	,,	,, रामकिशन पुत्र श्री लाला जाट	77	5)
			योग :	275॥)2

तहसीलदार केकड़ी

श्रीमान् उप-जिला अधिकारी जी केकड़ी

विषयः—गलत अलोटमेन्ट को केन्सिल करने हेतु।

सेवामें,

निवेदन है कि हम प्रार्थीगण ग्राम चावडया खेडा के निवासी हैं दि० 29-6-68 को हमारे ग्राम में अलॉट हुआ जिसमें भूमिहीनों को भूमि नहीं देकर बड़े काश्तकारों को जमीनें दी गई हैं। उदाहरणार्थ रामकरण पटेल जाट, रामदेव चमार, काना महाराज ओंकार चमार, गंगाराम रेगर, हुक्मा माराज आदि व्यक्तियों को जमीनें दी गई हैं। समसुदीन, जमना नाई हाथीसिंह।

अतः श्रीमान् से सानुरोध प्रार्थना है कि जो गलत अलॉट हुआ उसको तुरन्त केन्सिल करने का आदेश फरमाया जाये। ताः 17-7-68।

ताः 17-7-68 हम हैं आपके ग्राम छावडिया खेड़ा के निवासी।

समस्त छावड़िया चेचाकाखेड़ा का सब इक्ट्ठा होकर गोचर भूमि के लिये तह करी जिसमें नीचे मुजब हस्ताक्षर है :—

दः रामनाथ, नि० जगन्नाथ पटेल, दः अमोलकचन्द, दः नारायन, दः हीरा खाती, नि० वीरमा चमार, नि० कजोड, नि० लादू, दः रामकरण, नि० गोदू चमार, नि० काना, नि० सुक्ला, नि० छोटू खटीक, नि० खाना बारबाल, दः जगदीश,

नि० रामा धोबी, नि० छीतर धोबी, नि० लादू मीना, द: बद्रीनाथ, नि० भूरा खटीक, नि० रामदेवा चमार, नि० ओंकार चमार, नि० लक्ष्मनदास, नि० माराम चमार, नि० हुरदेवा चमार नि० रामदेवा, द: गंगाराम, द: देवीलाल, नि० सुवापंच, द: रामेश्वर द: गोपाल, नि० लादू नि० जुवारा, नि० हुक्मा, द: हीरा रेगर, नि० भूरा चमार, नि० काना चमार, नि० नंदा चमार, नि० सुल्तान मोछ्या, नि० सुखदेवा धोबी, द: मोलूराम नि० किशन ब्राह्मण।

श्रीमान् शिशू साहिब प्रार्थीगण का कथन में सत्यता प्रतीत होती है अत: श्रीमान् की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

ह० देवीलाल बुरासिया,
17-7-68।

तहसीलदार केकड़ी

जैसा मौखिक इन काश्तकारों के समक्ष वार्ता हुई, स्टे ऑर्डर जारी कर पार्टीज को नोटिस देकर रिव्यू खोलकर व 20 तारीख को रिपोर्ट दे दें।

O. K.   ह० उप-जिलाधिकारी, केकड़ी
17-7-68

अलाटेड व्यक्तियों को नोटिस देकर सूचना दी जावे कि वे दूसरे हुक्म तथा काश्त नहीं करें और उनको 20-7-68 को तलब किया जावे—पटवारी इंचार्ज को रेकार्ड लेकर तलब किया जाये प्रार्थीयान को सूचना दी जाये।

ह० मांगीलाल तहसीलदार, केकड़ी
दि० 17-7-68

परवाना जारी किया गया।
ह० साबिर ऑफिस कानूनगो।

आज श्रीमान् उप-जिलाधिकारी साहब, श्रीमान् एम० एल० ए० साहब के सामने आसामियान अलाटीज की मौजूदगी में एक-एक से डिसकस किया गया है। इसलिये मुताबिक अंतिम दो व्यक्ति केकड़ी निवासी हैं, होने के कारण खारिज किये जाते हैं इनमें श्री सलाम नाबालिग है बाकी सब अलाटमेन्ट बहाल रक्खा जाता है। स्टे ऑर्डर केन्सिल किया जाता है सूचना जारी की जावे।

ह० मांगीलाल, तहसीलदार केकड़ी
दि० 20-7-68

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट 12

(म. प्र. सं० 742 की सूची)

दी बूंदी सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बूंदी द्वारा दिये गये ऋण की तहसीलवार सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	64–65	65–66	66–67	67–68	68–69	कुल वर्षों का योग
1.	बूंदी	6,00,201	15,01,722	12,26,418	12,61,648	32,80,389	78,70,378
2.	पाटन	5,67,895	12,94,028	4,94,695	6,00,630	80,220,73	1,09,79321
3.	हिंडोली	2,05,020	4,00,232	2,72,476	1,78,328	5,65,983	16,22,039
4.	नैनवा	3,50,722	5,01,748	4,24,227	1,15,307	4,47,524	18,39,528
	योगः—	17,23,838	36,97,730	24,17,816	21,55,913	1,23,15,969	2,23,11,266

Page No 206

परिशिष्ट 13

(अ. प्र. सं. 744 की सूची)

सूची परिशिष्ट "क"

चूरू नगर की सहकारी संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	सहकारी संस्थाओं की किस्म	संख्या	कार्य कर रही सहकारी संस्थाओं की संख्या
1.	बहुउद्देश्यीय	3	2
2.	उत्पादक	34	29
3.	हाऊसिंग ट्रान्सपोर्ट	3	2
4.	मार्केटिंग	1	1
5.	भंडार	14	14
6.	बैंक	2	2
7.	साख सहकारी समितियां	4	3
8.	अन्य	3	1
		64	54

परिशिष्ट 14

(अ. प्र. सं. 746 की सूची)

उद्योग विभाग के पावरलूम इन्सपैक्टर्स के विषय में जानकारी की सूची

क्र. सं.	पावरलूम इन्सपैक्टर्स का नाम	तिथि जब से कार्य कर रहे हैं	प्रथम नियुक्ति की तिथि	विभाग में प्रथम नियुक्ति का पद	विशेष विवरण
1.	श्री उमेशचन्द्र चटर्जी	28-7-69	12-10-60	पावरलूम इन्सपैक्टर	पी. एल. आई. के पद पर पूर्व में भी निम्न अंकित अवधि में कार्य किया है। 12-10-60 से 28-2-68 तक
2.	श्री टी० पी० त्रिपाठी	1-4-68	24-2-59	डिजाईनर	11-5-63 से 3-3-64 तक
3.	श्री ए० पी० शर्मा	1-3-68	11-3-59	डिजाईनर	1-3-64 से 11-5-67 तक
4.	श्री एस० के० दत्ता	1-7-69	18-3-59	डिजाईनर	1-3-64 से 30-4-68 तक

परिशिष्ट 15

(अ० प्र० सं० 751 की सूची)

विधान सभा प्रश्न संख्या 46/ कृषि मं०

बोगोली तथा मनकसास पंचायतों के सरपंचों पर बीज आदि की बकाया धनराशि का ब्यौरा

नाम पंचायत	जिन्स के दिए जाने की तारीख	मूल राशि
बोगोली	11-10-61	138.00
	27-10-61	2145.00
	26-3-63	200.00
	21-6-64	20.40
	10-11-64	119.05
	10-11-64	150.07
	10-11-64	5.00
	19-11-65	883-52
	19-11-65	21.00
मनकसास	12-5-60	400.00
	19-6-60	200.00
	31-11-60	1000.00
	22-6-61	2000.00
	22-6-61	90.00
	25-10-62	161.70
	23-10-62	186.36
	31-10-63	165.60
	31-10-63	8.75
	21-10-63	140.70
	25-12-63	259.50
	1-7-64	20.24
	26-10-64	1093.22
	6-10-64	660.80
	7-11-64	263.42
	25-10-64	497.54
	25-10-64	14.00
	19-11-65	738.34
	19-11-65	17.50

परिशिष्ट 16

(अ.प्र. सं. 752 की सूची)

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 1955 के पूर्व के आराजी काश्तकारों को सूचना

क्र. सं.	नाम उपनिवेशन तहसील	1955 के पूर्व के कृषकों की संख्या	भूमि का विवरण		योग
			नहरी	बारानी	
1.	छत्तरगढ़ नं. 1	27	1149॥)1	—	1149॥)1
2.	छत्तरगढ़ नं. 2	123	9401।।।)3	—	9401।।।)3
3.	घड़साना	26	885।)2	—	885।)2
4.	विजयनगर	266	5901।।।)1	2320॥)	8222।)1
5.	अनूपगढ़	155	402।)3	4॥)2	407)
6.	रायसिंहनगर	1003	17982॥)3	10588।)4	28571)2
7.	सूरतगढ़ नं. 1	834	758)4	1500।)	2258।)4
8.	सूरतगढ़ नं. 2	1411	12566)1	31545॥)1	44111॥)2
9.	सूरतगढ़ नं. 3	477	2164)4	4366।)	65301)4
10.	हनुमानगढ़	859	17938)1	15145॥)4	33083।।।)
11.	नौरंगदेसर	2199	40946॥)1	22413॥)	63360)1
12.	रावतसर	1880	40645।)	37626।)	78271॥)
	योगः—	9290	150741।।।)4	125511)1	276253)

परिशिष्ट 17

(अ. प्र. सं० 469 की सूची)

लिस्ट ग्राम वार तहसील रामगंज मण्डी जहां पर सन् 1966 एलोटमेन्ट निरस्त किया गया

क्र० सं०	नाम ग्राम जहां का अलोटमेन्ट निरस्त किया गया	एलोटमेन्ट निरस्त किये गये व्यक्तियों की संख्या			क्षेत्रफल		
		भूमिहीन	जिनके पास पहले से भूमि थी	योग	बी०	बि०	निरस्त करने का कारण
1.	फदिया	x	1	1	2	14	पहले से भूमि थी
2.	घांसयाडेढी	x	2	2	7	—	„
3.	घारुपुरा	3	2	5	50		भूमिहीन यहां के रहने वाले नहीं थे
4.	बढोदिया	x	4	4	29	15	पहले से भूमि थी
5.	शेसू	7	2	9	88		भूमिहीन दूसरे गांव के होने से वे पहले से भूमि होने से
6.	चन्द्रपुरा	x	6	6	83	1	पहले से भूमि होने से
7.	नूरपुरा	x	2	2	21	–	„ „
8.	रामखेडी	x	6	6	25	3	„ „
9.	रूढकलो	x	2	2	24	19	„ „
10.	दखपुरा	x	1	1	10	–	„ „
11.	डोख्या	x	5	5	42	–	„ „
12.	तवोलिया	18	x	18	215	–	कंजर जो यहां नहीं रहते
13.	सारंगवेडी	16	5	21	116	–	पहले से भूमि थी

14.	मोडक	x	2	2	21	16	„ „
15.	बडोदिया	x	1	1	4	–	„ „
16.	कुन्हाकोट	x	1	1	2	—	„ „
17.	चेषढ	x	5	3	31	—	„ „
18.	अतरित्य	x	1	1	9	18	„ „
19.	क्षरियापेडी	x	1	1	7	16	„ „
20.	दोवली	3	x	3	46	9	नगरपालिका क्षेत्र में एलाट हो जाने से ।
21.	चावपुरा	x	1	1	6		पहले से भूमि मौजूद थी
22.	देवीली घुई	x	1	1	6	—	„ „
23.	किशोरपुरा	x	2	2	20	19	„ „
24.	हांदोखेड़ा	x	2	2	18	—	„ „
25.	मनोजपुरा	x	1	1	7	—	„ „
26.	अलकार	4	2	6	90	—	जंगलात की जमीन होने से
27.	कुन्डा खुर्द	3	x	3	31	—	कुछ ही निरस्त किया गया है
28.	मुकन्दरी	4	x	4	46	4	„ „
29.	कवलपुरा	—	2	2	20	—	„ „
30.	खानपुरा	110	2	112	861	4	„ „
31.	भीकदा	33	22	55	207	5	„ „
32.	घाटोलो	x	1	1	10	—	पहले से भूमि थी
	कुल योग :	203	83	286	2144	12	

परिशिष्ट 18

(अ० प्र० सं० 482 की सूची)

ABSTRACT OF LOCALITIES ELECTRIFIED DURING THE YEAR 1968-69

S. No.	Name of the District.	No. of localities Electrified		Total No. of localities Electrified.
		Spill over works.	R.E. Programme 1968-69.	
1.	Ajmer	...	22	22
2.	Banswara	9	5	14
4.	Bhilwara	14	15	29
4.	Bharatpur	...	11	11
5.	Bikaner	...	1	1
6.	Bundi	1	4	5
7.	Chittorgarh	3	22	25
8.	Churu	....	9	9
9.	Dungarpur	....	4	4
10.	Jaipur	....	98	98
11,	Jhalawar	....	18	18
12.	Jodhpur	...	3	3
13.	Jhunjhunu	...	3	3
14.	Jalore	....	2	2
15.	Kota	....	14	14
16.	Nagaur	...	16	16
17.	Pali	....	8	8
18.	Sawaimadhopur	....	4	4
19.	Sikar	....	11	11
20.	Sri Ganganagar	...	2	2
21.	Tonk	....	2	3
22.	Udaipur	...	10	10
	Total	27	287	314

LIST OF VILLAGES ELECTRIFIED IN 1969-70

S. No.	Name of village	Name of District	Month of Electrification
1.	Piplia-Kalan	Pali	May/June 1969.
2.	Bansia	-do-	-do-
3.	Morra	-do-	-do-
4.	Rampura	-do-	-do-
5.	Nimber Kalan	-do-	-do-
6.	Deoli Kalan	-do-	-do-
7.	Basri	-do-	-do-
8.	Agwa	-do-	-do-
9.	Chawandi Khurd	-do-	-do-
10.	Dange Khera Urf Fatehpur	Udalpur	April, 69.

परिशिष्ट 19

(अ० प्र० सं० 489 की सूची)

Statement showing the details of vehicles in working order in the Churu Division of Rajasthan State Electricity Board.

S. No.	Type of vehicle.	Vehicle No.	Since when with Div.	To whom allotted	Remarks
1.	Succo Truck	BD-1981	19-8-68	AEN, Churu	It is in order. Arrangements are being made to use it. At present it is in Jaipur Workshop for body-building.
2.	Jeep	RJI 830	25-5-69	XEN, Churu	This is in working order (new).

Statement showing the details of vehicles not in working order in the Churu Division of R. S. E. Board.

Sl. No.	Type of vehicles.	Vehicle No.	Since when with Division.	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Jeep	RJI-54	1961	Lying with Bikaner Workshop for repairs since 1-7-68.
2.	Pick-up	RJI-13	1961	Lying with M/s Banwari Lal & Sons Bikaner for repairs since 17-9-67. The survey report for the same has been sent to X. EN., Bikaner vide No. 198, date 27-4-69.

1	2	3	5	5
3.	Pick-up	RJI-15	1961	Under AEN, Churu. Out of order from March, 67. The survey report of the same has been sent to X. E.N., Bikaner vide No. 198, dated 27-4-69
4.	Traetor	RJI-297	1961	Under AEN, Churu. Lying out of order from March, 63, Action is being taken to put it on the road. Repairs have been got done.
5.	Truck	RJV-700	1961	Lying out of order with AEN, Churu from Dec., 67. Efforts are being made to make it serviceable. But the spare parts like Crown and Pinion are not available for the vehicle.
6.	Truck	RJI-592	Taken over/ from PSEB on 14-4-62	Lying out of order with AEN, Churu since 1964. Therefore, survey report of the same has been sent to X.E.N.Bikaner vide No. 198, dated. 27-4-69.
7.	Truck	PNW-1977	-do-	Lying out of order with the AEN, Sadulpur since 14-4-62. Hence, survey report of the same has been sent to the X. E.N. Bikaner vide No. 198, dated 27-4-69.
8.	Truck	RJV-406	16-7-63	This truck is lying in Bikaner workshop out of order since 16-7-63. The survey report for the same has been sent to X. E.N., Bikaner vide No. 8, date. 24-7-1969

परिशिष्ट 20

(अ. प्र. सं. 345 की सूची)

प्रतिलिपि आदेश (फर्द अहकाम) दिनांक 2-8-68 उपस्थित श्री द्वारकादास बजाज व्यवहार न्यायाधीश झुंझुनू, व मुकदमा नं० 46-68, तुलसाराम विरुद्ध द्वारकाप्रसाद दर हुक्म इम्तनाई।

2-8-68 श्री द्वारकानाथ कक्कड़ वकील सायल हाजिर दावा वादी को देखा गया। दरख्वास्त हलफनामा में पढ़े गये। बहस वकील सायल सुनी गई। इस स्टेज पर हुक्म इम्तनाई आरजी के वो आराजी मुतनाजा में किसी किस्म की तबदीली न करें न किसी हिस्से को काश्त करें न उसमें के पेड़ काटे, फरीक सानियान को पाबन्द करना मुनासिब ख्याल करता हूं। अतः तारीख 2-9-68 व अख्जतलवाना हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा आराजी बनाम फरीकसानी नं० 1 जारी हो के वो खसरा नं० 645 ता० 20/4 बीघा पुख्ता को या उसके किसी हिस्से को काश्त न करें न उसमें से कोई बोझा काटें। उसकी शक्ल तबदील न करें सायलान के मवेशियान को चरने में कोई रुकावट पैदा न करें तथा अन्य फरीक सानियान को भी जरिए हुक्म इम्तनाई पाबन्द किया जावे कि सायलान के मवेशी चराने में कोई रुकावट पैदा न करें। फरीक सानियान को नोटिस दिया जावे कि हाजिर होकर वजह जाहिर करें कि क्यों न हुक्म इम्तनाई जारी शुदा का तस्फिया दावा कतई किया जावे। दरख्वास्त दर्ज रजिस्टर है।

ह० द्वारकादास बजाज,
व्यवहार न्यायाधीश एवं प्रथम श्रेणी, दण्डनायक, झुंझुनू।

परिशिष्ट 21

(ता० प्र० सं० 463 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE DIRECTOR OF SHEEP & WOOL,
RAJASTHAN, JAIPUR,

No. F. 9 (105) Agr./III/67

Dated Jaipur, the 30th April, 1969.

ORDER

The Governor, after having considered the representations received against the provisional seniority list of the officers of the Sheep and Wool Department circulated vide this Department Circular of even number, dated the 11th November, 1967, is pleased to determine the seniority of the officers originally belonging to the Sheep and Wool Department as under:—

1. Shrimati S. Narayan.
2. Shri M. V. Sapre.
3. Shri S. R. Haldia.
4. Shri S. K. Sharma.
5. Shri K. N. Mathur.
6. Shri Mahendra Singh.
7. Shri N. Swaroop.
8. Shri R. P. Kakkar.
9. Shri D. S. Rathore.
10. Shri A. C. Dube.
11. Shri H. D. Kocharia.
12. Shri Jagdish Prasad Sharma.
13. Shri P. N. Priyani.
14. Shri Sawai Singh Mirdha.

The name of the officers who are at present working in the Sheep and Wool Department but hold their lien in the Rajasthan Animal Husbandry Service have not been included in the above list as their seniority has already been determined in that service.

By Order
Sd/-
(S. P. Singh Bhandari)
Secretary, Agriculture Production.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE DIRECTOR OF SHEEP & WOOL
RAJASTHAN, JAIPUR

No. F. 8 (45) Esst./A/19100-109

Dated, 22nd May, 1969

Copy to:—

1. All District Sheep and Wool officers.
2. Personal Files of officers,

for information.

Sd/—
Director of Sheep & Wool,
Rajasthan, Jaipur,

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त, 1969)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
1	8	विधुत,	विद्युत्
2	1	लोंग	लाँग
2	6	स्थगित	स्थगित
2	अन्तिम से 2	वसू लया	वसूलियां
6	,, ,, 10	श्री	श्री
7	,, ,, 10	भी	हो
10	4	विद्युत	विद्युत्
11	अन्तिम से 14	स्यूट	सूट
13	,, ,, 3	में	मैं
14	1	शोट	शॉट
14	अन्तिम से 10	पायगी	पायेगी
15	2 व 4	वैद	वेद
22	2	हम रे	हमारे
22	15	अवप्ति	अवाप्ति
25	अन्तिम से 9	संबन्धी	संबन्धित
35	7	उसके	उनके
35	अन्तिम से 11	वाल	सवाल
43	16	न म	नाम
47	7	क्य	क्या
53	5	व्यवस्था	अव्यवस्था

1	2	3	4
60	3	फी	काफी
97	6	वष	वर्ष
97	अन्तिम से 4	सदस्य	सदस्य
98	1	न	व
102	16	इन्सटालिशन	इन्स्टालेशन
115	7	विज्ञा न	विज्ञापन
116	1 व 5	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
130	5	यदि हां,	यदि नहीं
136	14	मंडी	मंडी
137	15	मुकदमें	मुकदमे
137	18	छाबडा	छबड़ा
151	अन्तिम से 13	मुभ	मुझे
151	अन्तिम से 11	रिकाड़	रिकार्ड
154	12	मध्यपेदेश	मध्यप्रदेश
154	अन्तिम से 11	हैं	है
156	7	पाना	पानी
159	1	श्रा देवीदत्त	श्री देवीदत्त
159	3	पत्र ारों	पत्रकारों
159	10	पा	पर
160	अन्तिम से 14	लगात र	लगातार
160	,, 9	आजीवका	आजीविका
160	,, 7	ऑफी र	ऑफीसर
160	,, 5	एप्रण्ड	एप्रैण्ड
216	17	स	से
225	8	जसंनख्या	जनसंख्या

1	2	3	4
242	7	क	के
245	अन्तिम से 16	रायग	रायगढ़
253	19	जसा	जसा
262	अन्तिम से 5	हमार	हमारे
265	10	हमार सुनने मैं	हमारे सुनने में
265	18	से	में
265	अन्तिम से 9	झता	समझता
265	अन्तिम 7	बेईमा ।।	बेईमानी
268	4	सड़कीं काम	सड़कों का काम
270	2	इसको भी भी	इसको भी
270	अन्तिम से 13	नहीं सकते	नहीं हो सकते
270	अन्तिम से 12	जिया	किया
271	अन्तिम	राजव	राजस्व
273	अन्तिम से 2	पडाव	पंजाब
275 व 277	शीर्षक	(श्री जगन्नाथ)	(श्री बालसिंह सोढ़ा)
276	अन्तिम	राहत मंत्र	राहत मन्त्री
281	अन्तिम से 4	को क्षेत्र में	का क्षेत्र है
284	अन्तिम से 11	तथा	था
291	,, 6	अकाल मंत्री जी आखें खुलीं	अकाल मन्त्री जी की आखें खुलीं
294	अन्तिम 12	के	ने
294	अन्तिम 9	रुपये	रुपये
299	अन्तिम 3	राहुत	राहत
320	अन्तिम 8	अजादी	आजादी
331	3	बहर	बाहर
333	अन्तिम	ओर	और

1	2	3	4
346	7	उपनिदेशन	उपनिवेशन
353	अन्तिम से 11	(पवतसर सु॰)	(परवतसर सु॰)
354	6	कन्जमर्स	कन्ज्यूमर्स
356	9	श्री नाथूलाल करील	श्री नाथराम करोल
365	13	घग्रवाल	अग्रवाल